

EC-04



वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा



राजस्थान की अर्थव्यवस्था



वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

राजस्थान की अर्थव्यवस्था

पाठ्यक्रम अभिकल्प समिति

अध्यक्ष

प्रो. (डॉ.) नरेश दाधीच

कुलपति

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा (राजस्थान)

संयोजक एवं समन्वयक

संयोजक

प्रो. (डॉ.) एम.के. घड़ोलिया

विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय

कोटा(राज.)

• प्रो. (डॉ.) सुरजीत सिंह

आई.डी.एस.,

झालाना इंगरी, जयपुर (राज.)

• डॉ. जे. के. शर्मा

सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

• प्रो.(डॉ.) के. डी. स्वामी

विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग

जयनारायन व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

सम्पादन एवं पाठ्यक्रम लेखन

सम्पादक

प्रो. (डॉ.) ए.के. घड़ोलिया

विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

पाठ लेखक

• डॉ. एल. सी. अग्रवाल

व्याख्याता

राजकीय महाविद्यालय, कोटा

• डॉ. बी.एल. नागदा (3)

उपनिदेशक

(जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र)

मोहन लाल सुखड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

• डॉ. कुमुद दवे

वरिष्ठ व्याख्याता,

मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर

• डॉ. मोहन सिंघल

सह-आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग(से.नि.)

जयनारायन व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

• डॉ. बी.एल. कुमावत

वरिष्ठ व्याख्याता (से. नि.)

विद्याभावन रुरल इंस्टीट्यूट, उदयपुर

• श्री बी.एल. ओझा

वरिष्ठ व्याख्याता, अर्थशास्त्र विभाग(से.नि.)

राजकीय महाविद्यालय, भीलवाड़ा

इकाई संख्या

1,2

3

4

5,7

6

8,9,10

• डॉ. जी.एस. चांदावत	-	11,12,16
सह-आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग जयनारायन व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर		
• डॉ राजेश व्यास	-	13
39-III, न्याय पाठ, गांधी नगर, जयपुर		
• डॉ. सुमन पामेचा	-	14
सह-आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ, विश्वविद्यालय, प्रतापनगर, उदयपुर		
• डॉ. सुनील कुमार दलाल	-	15
वरिष्ठ व्याख्याता, अर्थशास्त्र विभाग विद्याभावन रुरल इंस्टीट्यूट, उदयपुर		

अकादमिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था

प्रो.(डॉ.) नरेश दाधीच	प्रो. (डॉ.) एम.के. घड़ोलिया	योगेन्द्र गोयल
कुलपति	निदेशक	प्रभारी पाठ्यसामग्री उत्पादन एवं वितरण विभाग
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा	संकाय विभाग	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा

पाठ्यक्रम उत्पादन

योगेन्द्र गोयल

सहायक उत्पादन अधिकारी

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

पुनः उत्पादन जुलाई, 2010

सर्वाधिकार सुरक्षित : इस सामग्री के किसी भी अंश को वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में मिमियोग्राफी (चक्रमुद्रण) के द्वारा या अन्यत्र पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है। कुलसचिव द्वारा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के लिये मुद्रित एवं प्रकाशित।

**वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा****राजस्थान की अर्थव्यवस्था**

इकाई संख्या	इकाई का नाम	पृष्ठ संख्या
इकाई - 1	राजस्थान की प्राकृतिक संरचना, जलवायु, वनस्पति एवं मिट्टी	9-25
इकाई - 2	राजस्थान के प्राकृतिक	26-42
इकाई - 3	जनसंख्या आकार एवं वृद्धि	43-61
इकाई - 4	मानव संसाधन विकास-साक्षरता, स्वास्थ्य एवं पोषण	62-74
इकाई - 5	राजस्थान का व्यावसायिक ढाँचा-रोजगार स्थिति एवं मुद्दे	75-85
इकाई - 6	प्राकृतिक संसाधन-खनन एवं खनिज, वन भूमि एवं जल	86-105
इकाई - 7	सकल घरेलू उत्पाद एवं इसकी प्रवृत्ति	106-116
इकाई - 8	कृषि भू-उपयोग एवं फसल प्रारूप	117-127
इकाई - 9	पशु पालन, डेयरी विकास कार्यक्रम, भेड़ एवं बकरी पालन की समस्याएं	128-142
इकाई - 10	मुख्य सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं	143-164
इकाई - 11	औद्योगिक विकास एवं औद्योगिक निर्यात	165-182
इकाई - 12	लघु एवं कुटीर उद्योग एवं हस्तशिल्प	183-197
इकाई - 13	अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका	198-218
इकाई - 14	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना उद्देश्य एवं दसवीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियां	219-238
इकाई - 15	विशेष क्षेत्र योजनाएं-डीडीए, डीपीटी, टाड़ा अरावली विकास कार्यक्रम	239-255
इकाई - 16	राजस्थान के आर्थिक विकास में बाधाएं एवं उन्हें दूर करने के उपाय	256-274

पाठ्यक्रम परिचय

राजस्थान के बारे में जानने की इच्छा राज्य के हर नागरिक की होती है। 1 नवंबर, 1956 को राज्यों के पुनर्गठन के साथ ही राजस्थान में अजमेर-मेरवाड़ा, आबू तहसील एवं मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले की तानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा वाला भाग राजस्थान में मिला दिया गया। साथ ही राजस्थान के कोटा जिले का सिरोंज सब डिवीजन मध्यप्रदेश में मिला दिया गया। इस प्रकार काट-छाँट के पश्चात राजस्थान का पुनः निर्माण हुआ। भारतवर्ष के उत्तरी भाग में पतंग की आकृति युक्त राज्य एक ऐसे भू-भाग पर बसा है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य होने का गौरव रखता है। धरातल-जलवायु विषयक वैविध्य, चित्ताकर्षक वन्य जीव-जन्तु, पशु-पक्षी, विविध लोक-कलाएं संस्कृति की अनोखी छटा एवं समृद्ध परम्पराओं का यह राज्य प्राकृतिक दृष्टि से कई प्रकार के खनिजों को अपने गर्भ में समेटे हैं। विशाल मरू प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान, दक्षिण-पूर्वी पठार जैसी विविधताओं वाला प्रदेश सभी के आकर्षण का केंद्र है। विदेशी सैलानियों को लुभाने के लिए इस प्रदेश में बहुत रमणीय स्थल, किले, हवेलियाँ एवं धार्मिक स्थल हैं। इन सभी की जानकारी अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। जिससे वह अपने प्रदेश के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें।

प्रस्तुत अध्ययन सामग्री में इन्हीं समस्त विशेषताओं को कुछ अध्यायों में समेटने की कोशिश की गयी है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में जब कुछ वर्षों पूर्व विशेष पाठ्यक्रम राजस्थान के कुछ विश्वविद्यालयों में प्रारम्भ किया गया तब अधिकांश विद्वानों ने यह शिकायत की थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़े मिलना जितना आसान है उतनी ही आसानी से राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में पाठ्य सामग्री उपलब्ध नहीं है। इस पाठ्य सामग्री को तैयार करने के लिए मैंने राजस्थान के विभिन्न कालेजों एवं विश्वविद्यालयों के प्रतिष्ठित लेखकों से संपर्क किया एवं अनुरोध किया कि वे अपने अनुभव का कुछ लाभ हमारे विद्यार्थियों को भी दें। मुझे खुशी है कि कई लेखकों ने इस अध्ययन सामग्री को तैयार करने में सहयोग प्रदान किया है, मैं उन सभी का आभारी हूँ। सभी लेखकों ने अपने पूरे परिश्रम से विभिन्न स्रोतों से नवीनतम आंकड़ों को सम्मिलित करते हुए यह अध्ययन सामग्री तैयार की है। मुझे विश्वास है कि यह पाठ्य सामग्री विद्यार्थियों की अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी। इस पुस्तक के बारे में आपके सुझाव का मैं स्वागत करूंगा।

सम्पादक

इकाई - 1

राजस्थान की प्राकृतिक संरचना, जलवायु, वनस्पति एवं मिट्टी (Rajasthan's Physiography: Climate, Vegetation and Soils)

इकाई की रूपरेखा

- 1.0 उद्देश्य
- 1.1 प्रस्तावना
- 1.2 प्राकृतिक संरचना
- 1.3 जलवायु
 - 1.3.1 राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक
 - 1.3.2 राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं
 - 1.3.3 ऋतुएं
- 1.4 वनस्पति
 - 1.4.1 राजस्थान में वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक
 - 1.4.2 राजस्थान में वनों का वर्गीकरण
 - 1.4.3 वनों का आर्थिक महत्त्व एवं वनों के संरक्षण के प्रयास
- 1.5 मिट्टी
 - 1.5.1 राजस्थान में मिट्टियों के प्रकार
 - 1.5.2 मिट्टी का कटाव
- 1.6 सारांश
- 1.7 शब्दावली
- 1.8 सन्दर्भ ग्रन्थ
- 1.9 अभ्यासार्थ प्रश्न

1.0 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई का अध्ययन के बाद आप समझ सकेंगे कि :

- राजस्थान की प्राकृतिक संरचना कैसी है?
- राज्य की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व कौन से हैं?
- राज्य की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं क्या है?
- राज्य की वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं?
- राज्य की वनस्पति का वितरण क्या है?

- राज्य की मिट्टियों के प्रकार कौन से हैं?
- राज्य की मिट्टी कटाव की समस्या कहां है एवं उसके उपाय क्या हैं?

1.1 प्रस्तावना (Introduction)

प्रस्तुत इकाई में राज्य की प्राकृतिक संरचना, जलवायु वनस्पति एवं मिट्टी के सन्दर्भ में विस्तृत वर्णन किया गया है। किसी क्षेत्र की प्राकृतिक संरचना वहाँ के विकास की दिशा निर्धारित करती है। इस इकाई में हम राज्य की प्राकृतिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी क्षेत्र की जलवायु दशाएं वहाँ के मानव बसाव तथा क्रिया-कलापों को अत्यधिक प्रभावित करती है। इस इकाई में प्रदेश की जलवायु दशाओं व उसको प्रभावित करने वाले कारकों, जलवायु की विशेषताओं एवं विभिन्न ऋतुओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे। राज्य में प्राकृतिक वनस्पति के विकास व वितरण का विस्तृत विवरण इस इकाई में किया गया है। वनों के प्रकारों, उनके आर्थिक महत्व एवं उनके संरक्षण के उपायों का अध्ययन इस इकाई में करेंगे। राज्य में पाई जाने वाली मिट्टी के प्रकारों व मिट्टी के कटाव की समस्या का वर्णन इस इकाई में किया जाएगा। खण्ड 1.6 में सारांश दिया गया है। इकाई के अन्त में शब्दावली, सन्दर्भ ग्रंथों की सूची एवं अभ्यासार्थ प्रश्न दिए गए हैं।

1.2 प्राकृतिक संरचना (Physiography)

राजस्थान राज्य हमारे देश के उत्तर-पश्चिम में स्थित एक अनुपम प्रान्त है। इसके उत्तर में पंजाब, दक्षिण में मध्य प्रदेश एवं गुजरात, पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश हैं। उत्तर पूर्व में हरियाणा व दिल्ली राज्य हैं, तथा दक्षिण-पूर्व में मध्य प्रदेश है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान 23⁰3, से 30⁰12' उत्तरी अक्षांशों तथा 69⁰30 से 78⁰17' पूर्वी देशान्तरों के मध्य स्थित है। भौतिक स्वरूप की दृष्टि से पूर्व में गंगा-यमुना के मैदान, दक्षिण में मालवा के पठार तथा उत्तर-पूर्व में सतलज-व्यास नदियों के मैदान द्वारा घिरा हुआ है। इस राजस्थान राज्य की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है। राज्य की लम्बाई उत्तर से दक्षिण 826 कि.मी. तथा पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 869 कि.मी. है। राज्य का क्षेत्रफल 3,42,23, वर्ग कि.मी. है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.74 प्रतिशत के बराबर है। यह देश का सबसे बड़ा राज्य है, जो तुलनात्मक दृष्टि से श्रीलंका से पाँच गुना, इजराइल से सत्रह गुना, इंग्लैण्ड से दोगुने से भी बड़ा है। अतः राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा राज्य है। इसी क्षेत्रफल की विशालता के कारण इसमें प्राकृतिक संरचना, जलवायु मिट्टियों, वनस्पतियों, कृषि, सामाजिक परिवेश, अर्थव्यवस्था एवं रीति रिवाजों में भिन्नता पाई जाती है।

राजस्थान राज्य की भू-गर्भिक संरचना भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में विशिष्ट है क्योंकि यहां एक ओर प्राचीनतम प्री-केम्ब्रियन युग के शैलों से युक्त अरावली पर्वतमाला है तो दूसरी ओर अत्याधुनिक वायु द्वारा जमा की गई मृदा। अरावली की पर्वत श्रेणियों में प्राचीन ग्रेनाइट और नीस शैल हैं तथा उसी के साथ-साथ देहली और विंध्यन समूह के शैल। हाड़ोती का

पठार, मालवा के पठार का ही एक भाग है। राज्य के पश्चिमी भाग में विस्तृत थार का मरूस्थल रेत का विशाल सागर है जिसके गर्भ में विविध प्रकार के शैलें का विस्तार है।

भू-आकृतिक दृष्टि से राजस्थान अनेक विविधताओं का प्रदेश है, जिसमें एक ओर मरूस्थलीय क्षेत्र का विस्तार है, तो दूसरी ओर मैदानी और पठारी भाग हैं और मध्य में प्राचीनतम अरावली पर्वत श्रृंखला है। भूगर्भिक प्रमाण यह पुष्टि करते हैं कि कभी राज्य के मरूस्थलीय भाग में सागर का विस्तार था जो कालान्तर में मरूभूमि में बदल गया। मरूस्थल की पूर्वी सीमा अरावली पर्वत श्रेणियां बनाती है। अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियां हैं। अरावली से पूर्व स्थित राज्य का भाग मैदानी और पठारी है। पूर्वी मैदानी भाग को यमुना के मैदान का पश्चिमी मैदान ही कहा जा सकता है। इसी प्रकार दक्षिण में माही बेसिन का एक उच्च मैदान है जबकि दक्षिणी-पूर्वी प्रदेश में मालवा के पठार का विस्तार है जो हाड़ोती के पठार के नाम से जाना जाता है। इसी प्रदेश से राज्य की वर्ष-पर्यन्त प्रवाहित होने वाली चम्बल नदी बहती है।

अरावली श्रृंखला राज्य को दो समान जलवायु विभागों में विभक्त करती है, अर्थात् पश्चिम में शुष्क मरूस्थलीय तथा पूर्व में मध्यम नम जलवायु। राजस्थान भी सम्पूर्ण भारतीय मानसूनी जलवायु का अभिन्न अंग है किन्तु अरावली पर्वत श्रेणियों का विस्तार वायु की दिशा के समानान्तर होने से अरब सागरीय हवाएं यहां से बिना बरसे निकल जाती हैं।

सम्पूर्ण पश्चिमी राजस्थान में रेतीली बालुयुक्त मृदा है, जिसमें 90 प्रतिशत तक बालू का अंश है, किन्तु साथ में चिकनी मिट्टी भी मिलती है। उत्तरी-पश्चिमी राजस्थान में जहां पहले सरस्वती नदी का प्रवाह क्षेत्र रहा होगा, अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। अरावली के पूर्व में लैटेराइट, लाल दुमट और कच्छारी मिट्टी मिलती है। हाड़ोती के पठार पर मालवा के पठार के समान काली मिट्टी की प्रधानता है। पूर्वी राजस्थान में नदियों द्वारा जमा की गई उपजाऊ मृदा है। चम्बल की घटी में अत्यधिक अपदरन के कारण बीहड़ों का विकास हो गया है।

1.3 जलवायु (Climate)

किसी भी प्रदेश की जलवायु दशाएं उसके मानव बसाव तथा क्रिया-कलापों को अत्यधिक प्रभावित करती हैं। मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। मौसम के तल जैसे तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, वर्षा आदि जलवायु के मूल तत्व माने जाते हैं। जलवायु की दृष्टि से राजस्थान के भिन्न-भिन्न भागों में तापमान, वर्षा, आर्द्रता तथा हवा की दिशा एवं वेग के प्रतिरूपों में भिन्नता पाई जाती है।

राजस्थान की जलवायु शुष्क से उपाद्र अथवा उपोष्ण है। अरावली के पश्चिम में न्यून वर्षा, उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापमान, निम्न आर्द्रता तथा तीव्र हवाओं से युक्त शुष्क जलवायु (Arid Climate) है। दूसरी ओर अरावली के पूर्व में अर्द्ध-शुष्क (Semi-Arid) एवं उप-आर्द्ध (Sub-Humid) जलवायु है जहां वर्षा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तापमान अपेक्षाकृत कम तथा वायु में आर्द्रता की वृद्धि हो जाती है साथ में वायु की गति में भी कमी रहती है। सम्पूर्ण रूप से राजस्थान की जलवायु भारत की "मानसूनी जलवायु" का अभिन्न अंग है।

1.3.1 राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक

(Factors Affecting the Climate of Rajasthan)

राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं-

1. **स्थिति (Location):** राजस्थान 23°3, से 30°12' उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। कर्क रेखा राज्य के दक्षिण से होकर गुजरती है। अतः राज्य का धुर दक्षिणी भाग उष्णकटिबन्ध के अन्तर्गत आता है जबकि अधिकांश भाग उपोष्णकटिबन्ध में स्थित है। इस अक्षांशीय भिन्नता के कारण वायुमण्डलीय दशाओं में भी भिन्नता उत्पन्न हो जाती है।
2. **समुद्र से दूरी (Distance from the Sea):** राजस्थान की स्थिति समुद्र से दूर होने के कारण समुद्र का समकारी प्रभाव यहां दिखाई नहीं देता है। अरब सागर राज्य की सीमाओं से 400 कि.मी. दूर है तथा कच्छ की खाड़ी 225 कि.मी. दूर स्थित है। राज्य की जलवायु में 'महाद्वीपीय जलवायु' के लक्षण पाये जाते हैं।
3. **धरातल (Relief):** राज्य का धरातल विविधताओं से युक्त है। इसका अधिकांश भाग समुद्र तल से 370 मीटर से कम ऊँचा है। राज्य के तापमान में लगभग एक जैसी विशेषताएं एवं अवस्थाएं पाई जाती हैं। पश्चिमी रेतीले भू-भाग में ग्रीष्मकालीन दिन का तापमान कभी-कभी 50° सेल्सियस तक पहुँच जाता है। रात्रि का तापमान 17° सेल्सियस तक अंकित किया जाता है। शीतकालीन तापमान हिमांक से भी नीचे चला जाता है।

पश्चिम से आने वाली शुष्क एवं गर्म हवाएं राजस्थान के वातावरण को अत्यधिक गर्म कर देती हैं जिसका प्रतिकूल प्रभाव फसल, मानव एवं पशुओं पर पड़ता है। शीतकाल में शुष्क एवं ठण्डी हवाएं तापमान को शून्य तक पहुँचा देती हैं।

4. **अरावली पर्वत श्रेणियों की दिशा (Direction of Aravalli Mountain):** अरावली पर्वत श्रेणियां उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम दिशा में राज्य के मध्य में कर्णवत् रूप से फैली हुई हैं। इन पर्वत श्रेणियों की दिशा मानसूनी हवाओं के समानान्तर होने के कारण राज्य में बहुत कम वर्षा हो पाती है। अरावली पर्वत का दक्षिणी-पूर्वी भाग अधिक ऊँचा एवं क्रमबद्ध है इसलिए यहां तापमान अधिक ऊँचा नहीं हो पाता है।

1.3.2 राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं

राज्य की जलवायु की विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

1. **भिन्न जलवायु प्रदेश (Different Climate Region):** तापमान एवं वर्षा की वार्षिक स्थिति के आधार पर राज्य में शुष्क, अर्द्ध-शुष्क, उप-आर्द्र, आर्द्र एवं अति-आर्द्र जलवायु प्रदेश दिखाई देते हैं।
2. **सामयिक वर्षा (Periodic Rainfall):** राज्य की समस्त वार्षिक वर्षा का लगभग 90 प्रतिशत से भी अधिक भाग मानसून काल में प्राप्त होता है जबकि 10 प्रतिशत भाग

शीतकाल में प्राप्त होता है। शीतकाल में 'मावठ' के रूप में वर्षा प्राप्त होती है जो कि दिसम्बर, जनवरी के महिनों में होती है।

3. **अपर्याप्त वर्षा (Inadequate Rainfall):** राज्य के अधिकांश भाग में अपर्याप्त वर्षा होती है, इसलिए राज्य में आए दिन अकाल की स्थिति बनी रहती है।
4. **वर्षा की अनिश्चितता (Uncertainty Rainfall):** राज्य वर्षा होना भी निश्चित नहीं है। कई बार राज्य में पूर्ण सूखा रहता है जिससे जल, चारे एवं अनाज की अनुपलब्धता के कारण संकट उत्पन्न हो जाता है।
5. **वर्षा की अनियमितता (Irregular Rainfall):** कभी किसी वर्ष में वर्षा हो जाती है, कभी कहीं नहीं होती, कभी जून माह में वर्षा प्रारम्भ हो जाती है, कभी सितम्बर तक वर्षा प्रारम्भ नहीं होती है। कभी अधिकांश वर्षा जुलाई में हो जाती है तो कभी जुलाई माह सूखा रह जाता है तथा अधिकांश वर्षा अगस्त माह में होती है।
6. **वर्षा को असमानता (Unequal Distribution of Rainfall):** राज्य में वर्षा सभी जगह समान रूप से नहीं होती, कहीं पर 100 सेन्टीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है तो जैसलमेर में कभी-कभी 5 से.मी. से भी कम वर्षा होती है। कभी-कभी अल्प समय में ही अधिक वर्षा होने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
7. **तापीय भिन्नता (Difference in Temperature) :** राज्य में ग्रीष्मकालीन तापमान 35° से 40° सेल्सियस तक रहता है जबकि शीतकाल में औसत तापमान 12° से 17° सेल्सियस तक रहता है। वर्षा कालीन तापमान 28° से 30° सेल्सियस तक पाए जाते हैं। राज्य में दैनिक, मासिक एवं वार्षिक, अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में काफी अन्तर पाया जाता है।

1.3.3 ऋतुएं (Seasons)

राजस्थान की जलवायु एवं उसकी विभिन्नताओं का विवरण उसकी विभिन्न ऋतुओं के आधार पर किया जाना उचित है। वर्ष भर में राजस्थान में प्रमुखतः तीन ऋतुएं पाई जाती हैं।


- (i) ग्रीष्म ऋतु (मार्च से मध्य जून),
- (ii) वर्षा ऋतु (मध्य जून से सितम्बर), एवं
- (iii) शीत ऋतु (अक्टूबर से फरवरी)।

- (i) **ग्रीष्म ऋतु :** राज्य में ग्रीष्म ऋतु काल मार्च से मध्य जून तक रहता है। 21 मार्च के बाद सूर्य विषुवत रेखा के उत्तर में चमकने लगता है तथा उत्तरी गोलार्द्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ने लगती हैं। राज्य में मार्च के महिने से ही तापमान बढ़ने लगता है जो जून तक उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। मई और जून सबसे गर्म महिने होते हैं। इस समय औसत दैनिक तापमान 32° सेल्सियस से 36° सेल्सियस तक हो जाता है। क्षेत्रीय धरातलीय दशाओं जैसे -बालू का स्वभाव, निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, वनस्पति आवरण का अभाव आदि के कारण कुछ स्थानों पर तापमान 49° सेल्सियस तक पहुँच जाता है। जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, बाड़मेर, फलोदी आदि में राजस्थान के ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण

देश के उच्चतम तापमान अंकित किए जाते हैं। इस ऋतु में सांय चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को 'लू' कहते हैं। इस ऋतु में तेज गति से धूल भरी आंधियाँ चलती हैं जिनके साथ कभी-कभी गरज के साथ वर्षा भी होती है और ओले भी गिरते हैं।

- (ii) वर्षा ऋतु: मध्य जून तक पहुँचते सम्पूर्ण राज्य जब ग्रीष्म से तृप्त हो जाता है तो वायुदाब एवं हवाओं की दशाओं में परिवर्तन के साथ ही हिन्द महासागर से मानसूनी हवाओं का प्रारम्भ हो जाता है जो क्रमशः अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाओं के रूप में क्रमिक रूप से भारत भूमि पर प्रवेश करती है और राजस्थान में भी जून के अन्त अथवा जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसूनी वर्षा आरम्भ हो जाती है। वर्षाकाल में राज्य में होने वाली कुल वर्षा का 34 प्रतिशत भाग जुलाई माह में और 33 प्रतिशत भाग अगस्त माह में प्राप्त होता है। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत 53 सेन्टीमीटर है। राज्य में वर्षा का समय और मात्रा अनिश्चित तथा वर्षा का वितरण भी असमान है।

राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित जैसलमेर के उत्तर-पश्चिमी भाग में सबसे कम वर्षा (10 से.मी. से कम) होती है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर में 20 से.मी. से 30 से.मी. तक; नागौर, जोधपुर, चूरु, जालौर में 30 से.मी. से 40 से.मी. तथा सीकर, झुंझुनु पाली में 40 से 50 से.मी. वर्षा राज्य में औसत वार्षिक वर्षा का वितरण निम्नलिखित मानचित्र 1.1 से स्पष्ट है।



मानचित्र संख्या 1.1

(iii) **शीत ऋतु:** राज्य में शीतऋतु काल अक्टूबर से फरवरी तक रहता है। वस्तुतः शीतऋतु दिसम्बर से फरवरी तक रहती है। इससे पहले का समय मानसून प्रत्यावर्तन का काल माना जाता है। शीतऋतु में उत्तरी भागों से उत्तरी-पूर्वी हवाएं राज्य की ओर प्रवाहित होती हैं तो दूसरी ओर पश्चिम की ओर से आने वाले शीतकालीन चक्रवात भी प्रदेश में प्रवेश करते हैं। इन चक्रवातों से कुछ वर्षा भी हो जाती है जिसे स्थानीय भाषा में 'मावठ' कहते हैं। यह वर्षा गेहूँ एवं अन्य शीतकालीन फसलों के लिए वरदान होती है। जनवरी के माह में शीतकाल पूर्णता पर होता है, इस महिने में उत्तरी राजस्थान के गंगानगर व चूक जिलों तथा अलवर, झुंझुनू सीकर व बीकानेर जिलों के उत्तरी भागों में औसत दैनिक तापमान व 12° से 14° सेल्सियस तक बना रहता है। चूरू और गंगानगर में इस समय अनेक बार तापमान शून्य से भी कम हो जाता है। इस समय केवल बाड़मेर, कोटा, बारां, बून्दी और दक्षिण सवाईमाधोपुर जिलों में तापमान 10° सेल्सियस से अधिक होता है, शेष भागों में तापमान 6° से 10° सेल्सियस के मध्य होता है।

बोध प्रश्न -01

1. राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है ?
2. राजस्थान की जलवायु कैसी है ?
3. राज्य की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन-कौन से हैं?
4. 'मावठ' किसे कहते हैं?

1.4 वनस्पति (Vegetation)

प्राकृतिक वनस्पति प्रकृति द्वारा मानव को दिया गया बहुमूल्य उपहार है, किन्तु मनुष्य ने इसके महत्व को पूरी तरह नहीं समझा। इसका आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। राजस्थान में वनों के कमजोर विकास हेतु प्राकृतिक, सरकारी व व्यक्तिगत कारक उत्तरदायी हैं। प्राकृतिक दृष्टि से राज्य का 61 प्रतिशत भू-भाग मरूस्थल है। ये मरूस्थलीय क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति हेतु अनुकूल नहीं है। जलवायु की दृष्टि से राज्य में शुष्क व अर्द्ध-शुष्क जलवायु पाई जाती है। सरकारी प्रयास भी इतने कारगर नहीं हो पाये। परन्तु पिछले 10 वर्षों में राजस्थान सरकार ने वनों की ओर समुचित ध्यान दिया है एवं अनेक वृक्षारोपण परियोजनाएं आरम्भ की गईं, जिससे वन विकास प्रारम्भ हुआ।

राजस्थान के कुल 32549 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन हैं जो कुल क्षेत्र का 9.49 प्रतिशत ही है। यह क्षेत्र प्रत्येक जिले में एक समान नहीं है। उदाहरणार्थ सिरोंही जिले में 31 प्रतिशत (अधिकतम), उदयपुर व राजसमन्द जिलों में 29.4 प्रतिशत, कोटा व बारां जिलों में 28.8 प्रतिशत, सवाई माधोपुर व करौली जिलों में 27.6 प्रतिशत बून्दी में 26.7 प्रतिशत, जैसलमेर में 1.1 प्रतिशत तथा चूरू जिले में मात्र 05 प्रतिशत (न्यूनतम) पाया जाता है।

उपर्युक्त आँकड़ों को देखने से ज्ञात होता है कि राजस्थान में वनों का उचित विकास नहीं हुआ है जबकि 1952 की घोषित वन नीति के अनुसार कुल क्षेत्र के 33 प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए राजस्थान में वनक्षेत्रों का वितरण निम्न मानचित्र संख्या 12 से स्पष्ट है।

राजस्थान वनक्षेत्र



मानचित्र-1.2

1.4.1 राजस्थान में वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक

किसी भी क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति उस क्षेत्र के धरातलीय स्वरूप, ढाल की दिशा, समुद्र तल से ऊँचाई, मिट्टियाँ, तापमान, वर्षा, सापेक्षिक आर्द्रता आदि के विभिन्न संयोगों का प्रतिफल होती है। राज्य में वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं:

- **जलवायु:** किसी भी स्थान की जलवायु वहाँ की वनस्पति के विकास हेतु उत्तरदायी प्रमुख कारक है। प्राकृतिक वनस्पति पर वहाँ की वर्षा व तापमान का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। राज्य में वनस्पति का प्रारूप वर्षा के वितरण के अनुरूप है। वर्षा की भाँति ही राज्य में वनस्पति के स्वरूप एवं सघनता में दक्षिण और दक्षिण-पूर्व से उत्तर और उत्तर-पश्चिम की ओर कमी होती जाती है।

जलवायु की विविधता के अनुरूप ही राज्य में उष्णकटिबन्धीय, कटीली, शुष्क एवं अर्द्ध-शुष्क पर्णपाती तथा उपोष्ण सदाबहार वनस्पति पायी जाती है। राज्य का पश्चिमी भाग पूर्णतया शुष्क व कम वर्षा वाला है, अतः वहाँ शुष्क वनस्पति का फैलाव अधिक है। राज्य के दक्षिणी-पूर्वी क्षेत्र में जहाँ वर्षा 100 सेन्टीमीटर से अधिक व जलवायु अर्द्ध-शुष्क है, वहाँ आर्द्र वनस्पति पायी जाती है।

- **धरातलीय स्वरूप:** धरातलीय स्वरूप की दृष्टि से राज्य में विविधता मिलती है। राज्य के पूर्वी भाग में नदियों द्वारा बनाये गये मैदानी व पठारी क्षेत्र हैं जो कि प्राकृतिक

वनस्पति के लिए अनुकूल है। जबकि पश्चिमी क्षेत्र में बालू के घने टीले पाए जाते हैं जो कि वनस्पति मुक्त क्षेत्र है। यहां कटीली झाड़ियों का विस्तार पाया जाता है।

- **मिट्टी:** प्राकृतिक वनस्पति का प्रमुख आधार मिट्टी है। राज्य के जिन भागों में काली चिकनी मिट्टी गहरी है, वहाँ पर ढाक, महुआ, सागवान, धोकड़ा के वन अधिक हैं। जबकि उथली मिट्टी वाले पहाड़ी एवं पठारी भागों में बीहड़ भूमि पर बबूल, कैर तथा अन्य झाड़ियों की प्रधानता है। पश्चिमी क्षेत्र में बालू के होने से टीले पाए जाते हैं जो कि वनस्पति से बिल्कुल मुक्त रहते हैं।
- **जैविक कारक:** इसके अन्तर्गत मनुष्यों तथा पशुओं के क्रिया-कलापों को सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान में ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही जैविक कारक वनस्पति की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते रहे हैं। राजस्थान में जैविक कारकों से न केवल वन-सम्पदा ही घटी है बल्कि पश्चिम का मरूस्थल भी इसी कारक का परिणाम है। राज्य के पूर्वी भागों में जनसंख्या की सघनता से अधिकांश भूमि कृषि के अन्तर्गत आ चुकी है। पहाड़ी ढालों पर अवैध कटाई से वनस्पति का आवरण कम हुआ है। आदिवासियों द्वारा की गई झूमिंग कृषि द्वारा वनों को सर्वाधिक हानि पहुँची है।

1.4.2 राजस्थान में वनों का वर्गीकरण (Classification of Forests in Rajasthan)

राज्य में वनों पर जलवायु व धरातलीय विषमताओं के कारण भिन्नता पाई जाती है। यद्यपि राज्य में मात्र 9 प्रतिशत से भी कम भाग में वन हैं। राज्य के वनों के वर्गीकरण प्रारूप में अरावली पर्वत श्रृंखला का विशेष महत्व है। यहां के पश्चिमी भाग की वनस्पति पूर्वी भाग से भिन्न है। राजस्थान में वनों को निम्नलिखित चार भागों में बांटा जा सकता है:

1. शुष्क सागवान के वन (Dry Teak Forests),
2. मिश्रित पतझड़ वाले वन (Mixed Deciduous Forests),
3. अर्द्ध-उष्ण सदाबहार वन (Sub-Tropical Evergreen Forests), एवं
4. शुष्क वन (Dry Forests)।

1. **शुष्क सागवान के वन (Dry Teak Forests):** राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाने वाले ये वन 75 से 110 सेन्टीमीटर वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी या चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहते हैं। ये वन सम्पूर्ण वन क्षेत्र के 7 प्रतिशत भाग में पाए जाते हैं। इनका विस्तार बाँसवाड़ा इंगरपुर, कोटा, बारां व झालावाड़ जिलों में मुख्यतः है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी चित्तौड़गढ़ दक्षिणी उदयपुर जिलों में भी ऐसे वन पाए जाते हैं। यहां पर बरगद, आम, तेंदू, झाल, सालर, गूलर, महुआ, सरस, खैर आदि के वृक्ष भी पाये जाते हैं।
2. **मिश्रित पतझड़ वाले वन (Mixed Deciduous Forests):** राज्य के 50 से 80 सेन्टीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ऐसे वन पाए जाते हैं। इन वनों में वृक्ष वर्ष में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं। राजस्थान में पतझड़ का यह मौसम मार्च-अप्रैल के महिनें में गर्मियां शुरू होने से पहले होता है। इन वनों में मुख्यतः धोंक, खैर, ढाक, साल और

बांस के वृक्ष मिलते हैं। धोंक के वृक्षों की लकड़ी जलाने और कोयला बनाने के काम आती है। खैर से कत्था प्राप्त होता है। साल की लकड़ी का उपयोग दरवाजों और खिडकियां बनाने में किया जाता है। इस लकड़ी से पैकिंग केस भी बनाये जाते हैं। साल के वनों का विस्तार अलवर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और अजमेर जिलों में पाया जाता है। ढाक के पेड़ों की पत्तियों से पत्तल व दौने बनाए जाते हैं। बांस को छप्पर, टोकरियां, चारपाई आदि बनाने के काम में लिया जाता है।

धोंक के वनों का विस्तार विशेषतः सवाई माधोपुर, बून्दी, चित्तौड़गढ़ भरतपुर और अलवर जिलों में पाया जाता है। खैर के वृक्ष मुख्यतः झालावाड़, कोटा, टोंक, चित्तौड़गढ़ व अलवर जिलों के वनों में होते हैं। ढाक के वन सवाईमाधोपुर, अलवर, जयपुर, टोंक जिलों में मुख्यतया पाये जाते हैं। बांस की उत्पत्ति विशेषतः आबू के पहाड़ों, उदयपुर, कोटा और अलवर जिलों में अधिक होती है।

मिश्रित पतझड़ वाले वनों में कई अन्य छोटे-बड़े पेड़-पौधे भी मिलते हैं। इन वनों में तेंदू, नीम, पीपल, आम, जामुन, सीताफल, बेर आदि के वृक्ष भी पाये जाते हैं। ये मिश्रित पतझड़ वाले वन 27 प्रतिशत भू-भाग में फैले हैं। इन वनों का भी पिछले वर्षों में काफी विनाश हुआ है।

3. **अर्द्ध-उष्ण सदाबहार वन (Sub-Tropical Evergreen Forests)** : ये वन राज्य के अर्द्ध-उष्ण भागों में पाए जाते हैं। इन अर्द्ध-उष्ण भागों में भी यह सदैव हरे-भरे रहते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। इन वनों का विस्तार राज्य के बहुत छोटे और सीमित भाग आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। यहां वृक्षों की सघनता अधिक होती है और सालभर हरियाली बनी रहती है। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्षों में आम, बांस, नीम, सागवान आदि हैं। ये वन पहाड़ी के ऊँचाई वाले भागों में ही पाए जाते हैं, जहाँ की जलवायु अपेक्षाकृत ठण्डी होती है। ये कुल वन क्षेत्र के मात्र 0.4 प्रतिशत भाग में पाये जाते हैं।
4. **शुष्क वन (Dry Forests)** : इन वनों में पेड़ बहुत छोटे आकार के होते हैं। छोटी झाड़ियां अधिक होती हैं। ये वन राज्य के शुष्क उत्तर-पश्चिम भाग में पाए जाते हैं। इनमें प्राकृतिक वनस्पति बहुत कम होती है और काफी छितरी हुई अवस्था में दिखाई देती है। रेगिस्तानी टीलों तथा चम्बल व बनास नदियों के बीहड़ों में भी इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। इस प्रकार शुष्क जलवायु वाले वनों में खेजड़ी, रोहिड़ा बेर, कैर, थोर, आदि के वृक्ष तथा झाड़ियां उगते हैं। इन सभी वनस्पतियों का शुष्क प्रदेशों में अत्यधिक महत्व है। खेजड़ी से पशुओं का चारा, केर से फल, बेर के पत्तों का पाला भी पशुओं को खिलाया जाता है। खेजड़ी का वृक्ष इतना उपयोगी होता है कि उसे रेगिस्तान का 'कल्पवृक्ष' कहा जाता है।

1.4.2 वनों का आर्थिक महत्व एवं वनों के संरक्षण के प्रयास

राजस्थान में वनों से जलाने की लकड़ी व चारकोल प्राप्त होता है। इनसे इमारती लकड़ी, बांस, कत्था, तेन्दु के पत्ते, शहद व गोंद, अडवल की छाल, घास आदि वस्तुएं प्राप्त होती हैं जिनका विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाता है। वनों का राज्य की घरेलू उत्पत्ति में लगभग 718 करोड़ रुपये का योगदान माना गया है जिसमें जलाने की लकड़ी का योगदान 72 करोड़ रुपये, चारे का 570 करोड़ रुपये, टिम्बर का 34 करोड़ रुपये व गैर टिम्बर वनोत्पादों का 40 करोड़ रुपये आँका गया है। वनों से लोगों को रोजगार भी मिलता है और ये पशुओं के जीवन का आधार होते हैं।

वृक्षों की अत्यधिक कटाई, आवश्यकता से अधिक चराई व भूमि के अविवेकपूर्ण उपयोग के कारण अरावली के पूर्वी क्षेत्रों में भी वनों का काफी हास हुआ है। राज्य में लोग ईंधन के लिए वनों का विनाश तीव्र गति से कर रहे हैं। ऐसा जयपुर, अलवर, बून्दी, उदयपुर, कोटा आदि शहरों के समीप के क्षेत्रों में देखा गया है, जहाँ आस-पास की पहाड़ियां बंजर हो गई हैं और उनमें पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ गई हैं। राज्य में ईंधन की लकड़ी की मांग तेजी से बढ़ रही है। जबकि उस अनुपात में पूर्ति नहीं हो रही है। इसलिए राज्य में ईंधन की लकड़ी का उत्पादन बढ़ाने की नितान्त आवश्यकता है।

वर्तमान में जापान की आर्थिक सहायता से इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में वृक्षारोपण व चारागाह विकास से इस क्षेत्र को हरा-भरा करने की व्यापक योजना पर कार्य चल रहा है तथा अरावली वन रोपण परियोजना के माध्यम से उस क्षेत्र में वृक्षारोपण, चारागाह विकास, मिट्टी व नमी-संरक्षण के कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

वनों के विकास के लिए सरकारी कार्यक्रम

वनों की उपयोगिता देखते हुए राज्य सरकार तेजी से वन विकास के कार्यक्रम चला रही है। राज्य में वन लगाने का कार्य निम्न विभाग कर रहे हैं-

1. वन विभाग
2. भू-संरक्षण विभाग
3. कमाण्ड क्षेत्र विकास विभाग
4. मरूस्थल विकास विभाग
5. सूखा सम्भावित कार्यक्रम
6. आकाशीय वीजारोपण

इन सभी विभागों व कार्यक्रमों के अन्तर्गत वृक्षारोपण का विस्तार किया जा रहा है जिनको भविष्य में अधिक सफल बनाने की आवश्यकता है। इनके अतिरिक्त राज्य में सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। राज्य के 10 जिलों- अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा एवं सिरोही में जापान सरकार के सहयोग से 1992-93 से अरावली वृक्षारोपण परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण किया गया है। इस परियोजना का कार्यकाल 31 मार्च, 2000 को समाप्त हो गया है। गैर-अरावली व गैर-मरू

(15 जिलों में) वानिकी विकास परियोजना में 1995-2002 के लिए 145 करोड़ रुपये की लागत से संचालित की गई थी।

1999-2000 में एक शत-प्रतिशत केन्द्र प्रवर्तित योजना- "बनास भू व जल संरक्षण स्कीम" 4 जिलों (टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर व दौसा) में 10 करोड़ रुपये के (प्रारम्भिक वर्ष में) व्यय से चालू की गई थी। भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई 'समन्वित-ग्रामीण-वनीकरण योजना" के तहत राज्य में 19 वन विकास एजेन्सियों (FDAs) स्थापित की गई है, जो वन विकास व वानिकी के विभिन्न कार्यक्रम संचालित करती है।

बोध प्रश्न -02

1. राजस्थान के कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भू-भाग पर वन हैं ?
2. राज्य में वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन-कौन से हैं?
3. राज्य में कितने प्रकार के वन पाये जाते हैं ?
4. "बनास भू व जल संरक्षण स्कीम" कौनसे 4 जिलों में चालू की गई थी?


1.5 मिट्टी (Soils)

मिट्टी भूमि की ऊपरी परत होती है जो चट्टानों के टूटने-फूटने एवं विघटन से उत्पन्न सामग्री तथा उस पर पड़े जलवायु वनस्पति एवं अन्य जैविक कारणों के प्रभाव से विकसित होती है। यह एक अनवरत प्रक्रिया का प्रतिफल होती है जो भूगर्भिक युगों में होती रही है। मूलतः मिट्टी की प्रकृति उस मूल शैल की संरचना पर निर्भर करती है जिसके विखण्डन से इसकी उत्पत्ति होती है, किन्तु इस लम्बी प्रक्रिया में अनेक भौतिक एवं रसायनिक परिवर्तन होते हैं। साधारणतया मिट्टी की सतह 30 से 40 सेन्टीमीटर मानी जाती है किन्तु यह 150 से.मी. या इससे भी अधिक गहराई तक हो सकती है। मिट्टी पौधों की वृद्धि का एक प्राकृतिक माध्यम है तथा मृदा की उत्पादकता ही क्षेत्रीय कृषि विकास का एक आधार होता है।

1.5.1 राजस्थान में मिट्टियों के प्रकार

राजस्थान राज्य में मुख्यतः निम्नांकित 8 प्रकार की मिट्टियां पायी जाती है-

1. भूरी मिट्टी (Brown Soil)
2. सीरोजम मिट्टी (Seirozem Soil)
3. लाल-बलुई मिट्टी (Red-Desertic Soil)
4. लाल दोमट मिट्टी (Red-Loamy Soil)
5. पर्वतीय मिट्टी (Mountain Soil)
6. बलुई मिट्टी (Sandy Soil)
7. जलोढ़ मिट्टी (Alluvial Soil)
8. लवणीय मिट्टी (Alkaline Soil)



मानचित्र- 1.3

1. **भूरी मिट्टी (Brown Soil)** : इस मिट्टी का रंग भूरा होता है। इस प्रकार की मिट्टी टोंक, सवाई माधोपुर, बून्दी, भीलवाड़ा उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में पाई जाती है। इस मिट्टी का जमाव विशेषतः बनास व उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाया जाता है। इस प्रकार इसका क्षेत्र मुख्यतया अरावली के पूर्वी भाग में पाया जाता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस लवणों का अभाव होता है, इसलिए इन लवणों से युक्त कृत्रिम खाद देने पर अच्छी फसलों का उत्पादन हो सकता है। इस मिट्टी में खरीफ की फसलें बिना सिंचाई के तथा रबी की फसलें सिंचाई के द्वारा पैदा की जा सकती हैं।
2. **सीरोजम मिट्टी (Seirozem Soil)** : इसका रंग पीला-भूरा होता है। मिट्टी के कण मध्यम मोटाई के होते हैं। इनमें नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। इसलिए इस प्रकार की मिट्टी में उर्वरा शक्ति की कमी होती है। इनमें बारांनी खेती की जाती है। रबी की फसलों के लिए निरन्तर सिंचाई की आवश्यकता होती है तथा अधिक मात्रा में रसायनिक खाद डालनी पड़ती है। इन मिट्टियों का विस्तार पाली, नागौर, अजमेर व जयपुर जिलों में पाया जाता है, जो ज्यादातर अरावली के पश्चिम में स्थित हैं। इन्हें "धूसर मरुस्थलीय मिट्टी" भी कहते हैं क्योंकि ये मिट्टियां रेत के छोटे टीलों वाले भागों में पाई जाती हैं।
3. **लाल-बलुई मिट्टी (Red-Desertic Soil)** : इस मिट्टी का रंग लाल होता है और यह मुख्यतः मरुस्थलीय भागों में पाई जाती है। इसका मुख्य विस्तार जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली, बाड़मेर चूरू और झुंझुनू जिलों के कुछ भागों में पाया जाता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्वों की मात्रा कम होती है। साधारणतः ऐसी मिट्टी वाले क्षेत्रों में बरसाती घास और कुछ झाड़ियां उगती है। इन क्षेत्रों में सिंचाई करने और रसायनिक खाद डालने पर रबी की फसलें - गेहूँ, जौ, चना आदि पैदा किए जा सकते हैं। खरीफ के मौसम में बारांनी खेती की जाती है जो पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होती है।

4. **लाल-दोमट मिट्टी (Red-Loamy Soil) :** इस मिट्टी का रंग लाल होता है। मिट्टी के कण बारीक होते हैं। बारीक कणों वाली इस मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहते हैं। ऐसी मिट्टी में पानी अधिक समय तक रहता है। इसलिए वर्षा के बाद एक लम्बे समय तक मिट्टी में नमी बनी रहती है। इस मिट्टी में लौहऑक्साइड के लवण अधिक होते हैं जिनसे मिट्टी का रंग लाल होता है परन्तु इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्सियम लवणों की कमी होती है। ऐसी मिट्टी में रसायनिक खाद देने और सिंचाई करने से कपास, गेहूँ, जौ, चना आदि की अच्छी फसलें पैदा की जा सकती हैं। यह मिट्टी राज्य के इंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों के कुछ भागों में पाई जाती है।
5. **पर्वतीय मिट्टी (Mountain Soil) :** ऐसी मिट्टी अरावली पर्वतों के नीचे के प्रदेशों (Foot Hillis) में मिलती है। मिट्टी का रंग लाल से लेकर पीले भूरे रंग तक होता है। इन मिट्टियों की गहराई बहुत कम होती है और कुछ गहराई के बाद चट्टानी धरातल आ जाता है, जिन्हें पौधों की जड़े नहीं भेद सकती हैं। ऐसी मिट्टी पर खेती नहीं की जा सकती है बल्कि केवल जंगल पाए जाते हैं। ये मिट्टियां सिरोही, उदयपुर, पाली, अजमेर और अलवर जिलों के पहाड़ी भागों में पाई जाती हैं।
6. **बलुई मिट्टी (Sandy Soil) :** यह मिट्टी रेत के टीलों के रूप में होती है जो पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में पाई जाती है। मिट्टी के कण मोटे होते हैं जिनमें पानी शीघ्र ही विलीन हो जाता है। इसलिए वर्षा का जल बहुत थोड़े समय के लिए नमी बना पाता है और सिंचाई का भी विशेष लाभ नहीं होता है। ऐसी मिट्टी में नाइट्रोजन व कार्बनिक लवणों की कमी होती है परन्तु इसमें कैल्सियम लवणों की अधिकता रहती है। ऐसे क्षेत्रों में बाजरा, मोठ, मूंग आदि की फसलें खरीफ ऋतु में पैदा की जाती हैं। कुछ सिंचित भागों में रबी में गेहूँ की खेती की जाती है। रेत के ऊँचे-ऊँचे टीलों के समीप कुछ स्थानों पर निम्न गहरे भाग भी बन गए हैं इनमें बारीक कणों वाली मटियारी मिट्टी का जमाव हो गया है। इन निम्न भागों को "खडीन" कहते हैं। ये बहुत उपजाऊ होते हैं।
7. **जलोढ़ मिट्टी (Alluvial Soil) :** नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। इसमें नमी बहुत समय तक मौजूद रहती है। ऐसी मिट्टी में नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होते हैं। मिट्टी का रंग पीला होता है। कहीं-कहीं कंकरों का भी जमाव होता है। इसमें कैल्सियम तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसी मिट्टी अलवर, जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा आदि जिलों में पाई जाती है। इस मिट्टी में खरीफ व रबी दोनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं।
8. **लवणीय मिट्टी (Alkaline Soil) :** ऐसी मिट्टी में क्षारीय लवणों की मात्रा अधिक होती है। लवणों का जमाव अधिक सिंचाई करने से भी हो जाता है। प्राकृतिक रूप से ये मिट्टियां निम्न भू-भाग में उत्पन्न होती हैं, जहाँ पानी का जमाव निरन्तर होता रहता है। ये मिट्टियां पूर्णतया अनुपजाऊ होती हैं। इनमें केवल चारागाह, प्राकृतिक झाड़ियां व

बरसाती पेड़-पौधे ही उग सकते हैं। लवणीय मिट्टी के अधिकांश क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर व जालोर जिलों में पाए जाते हैं। वर्तमान में गंगानगर, भरतपुर, व कोटा जिलों में अधिक सिंचाई वाले भागों में लवणीय मिट्टियां अधिक पाई जाने लगी हैं।

1.5.2 मिट्टी का कटाव (Soil Erosion)

मिट्टी का कटाव पानी व हवा के द्वारा होता है, जिसमें मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाती है। पश्चिमी राजस्थान में तेज हवाएं चलती हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में हवाओं द्वारा मिट्टी का कटाव अधिक होता है। अरावली पर्वतीय भागों तथा पूर्वी राजस्थान में नदियां अधिक हैं। अतः इन क्षेत्रों में बहते जल द्वारा मिट्टी का कटाव होता है। दोनों प्रकार के कटावों में खेत की उपजाऊ मिट्टी उड़कर अथवा बहकर दूर चली जाती है। इसलिए मिट्टी के कटाव की रोकथाम करना जरूरी होता है।

मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए जंगलों और चारागाहों की वृद्धि करना आवश्यक है। पेड़-पौधों और घास की जड़े मिट्टी को पकड़े रखती हैं और उसका कटाव नहीं होने देती हैं। गंगानगर जिले में घग्घर नदी, भरतपुर जिले में बाणगंगा और गम्भीरी नदियां तथा कोटा व धौलपुर जिलों में चम्बल नदी मिट्टी का भारी कटाव करती है। इसलिए इन सभी नदियों के किनारों पर पेड़ों और स्थाई घास का रोपण किया जाना आवश्यक है।

बोध प्रश्न-03

1. राजस्थान में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं ?
2. सिरोजम मिट्टी का रंग कैसा होता है ?
3. जलोढ़ मिट्टी का जमाव किस कारक के द्वारा होता है ?
4. मिट्टी कटाव (Soil Erosion) किसे कहते हैं ?

1.6 सारांश (Summary)

राजस्थान राज्य भारत के उत्तर-पश्चिम में स्थित एक अनुपम प्रान्त है। यह पूर्व में गंगा-यमुना के मैदान, दक्षिण में मालव के पठार तथा उत्तर एवं उत्तर-पूर्व में सतलज-व्यास नदियों के मैदान द्वारा घिरा हुआ है। इसका क्षेत्रफल 342239 वर्ग किलोमीटर है। यह देश का सबसे बड़ा राज्य है। भूगर्भिक दृष्टि से यहां एक ओर प्राचीनतम प्री-कैम्ब्रियन युग की अरावली पर्वतमाला है तो दूसरी ओर अत्याधुनिक वायु द्वारा जमा की गई मृदा। भू-प्राकृतिक दृष्टि से राजस्थान अनेक विविधताओं का प्रदेश है जिसमें मरूस्थलीय क्षेत्र, मैदानी भाग और पठारी भाग हैं और मध्य में प्राचीनतम अरावली पर्वतमाला है। अरावली श्रृंखला राज्य को दो समान जलवायु विभागों, शुष्क मरूस्थलीय तथा मध्यम नम जलवायु में विभक्त करती है। राजस्थान की जलवायु शुष्क से उपार्द्र है। राजस्थान की जलवायु को स्थिति, समुद्र से दूरी, धरातल, अरावली पर्वतों की दिशा आदि कारक प्रभावित करते हैं। राज्य की जलवायु की मुख्य विशेषताओं में यहां भिन्न जलवायु प्रदेश, सामयिक वर्षा, अपर्याप्त वर्षा, वर्षा की असमानता, तापीय भिन्नता आदि मुख्य हैं। राज्य में प्रमुखतः तीन ऋतुएं यथा ग्रीष्म वर्षा एवं शीत पाई जाती हैं। राज्य के कुल

क्षेत्र के 9.49 प्रतिशत भू-भाग पर वनों का विस्तार है। सबसे अधिक वन क्षेत्र सिरोही जिले में 31 प्रतिशत है जबकि चूरु जिले में 0.5 प्रतिशत न्यूनतम वन क्षेत्र है। राज्य में वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में जलवायु धरातलीय स्वरूप, मिट्टी, जैविक कारक आदि हैं। राज्य में 4 प्रकार के वन शुष्क सागवान, मिश्रित पतझड़, अर्द्ध-उष्ण सदाबहार व शुष्क वन पाए जाते हैं। राजस्थान में वनों के संरक्षण के लिए अनेक सरकारी प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य में 8 प्रकार की मिट्टियां भूरी, सीरोजम लाल-बलुई, लाल दोमट, पर्वतीय, बलुई, जलोढ़ एवं लवणीय मिट्टी पाई जाती हैं। राज्य में मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए जंगलों और चारागाहों की वृद्धि करना आवश्यक है।

1.7 शब्दावली (Glossary)

भूगर्भिक	Geological
मैदान	Plain
पठार	Plateau
पर्वत	Mountain
बीहड़	Ravines
जलवायु	Climate
शुष्क जलवायु	Arid Climate
अर्द्ध-शुष्क	Semi arid
उप-आर्द्ध	Sub Humid
ऋतुएं	Seasons
वन	Forest
संरक्षण	Conservation
मिट्टी	Soil
कटाव	Erosion

1.8 सन्दर्भ ग्रन्थ (Reference)

- एच.एस. शर्मा एवं एम.एल. शर्मा (2007) "राजस्थान का भूगोल" पंचशील प्रकाशन, जयपुर।
 सैदावत तथा पुष्प (2008) "राजस्थान का भूगोल" रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ (यू.पी.)
 सक्सेना, एच.एम. (2007) "राजस्थान का भूगोल" राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर
 तिवाड़ी एवं सक्सेना (1994) "राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल" राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
 नाथुरामका, लक्ष्मीनारायण (2007) "राजस्थान की अर्थव्यवस्था" कॉलेज बुक हाउस, जयपुर
 अग्रवाल, एल.सी. (2002) "जैव भूगोल" रोहिणी बुक्स, जयपुर

1.9 अभ्यासार्थ प्रश्न (Unit-end Questions)

1. राजस्थान की प्राकृतिक संरचना का वर्णन कीजिए।
2. राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों एवं जलवायु की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
3. राज्य में पाए जाने वाले वनों का वर्गीकरण कीजिए। राज्य में वनों के आर्थिक महत्व एवं उनके संरक्षण के सरकारी प्रयासों पर प्रकाश डालिए।
4. राज्य में मिट्टी के विभिन्न प्रकारों एवं क्षेत्रों का वर्णन कीजिए।

इकाई - 2

राजस्थान के प्राकृतिक भाग (Physical Divisions of Rajasthan)

इकाई की रूपरेखा

- 2.0 उद्देश्य
- 2.1 प्रस्तावना
- 2.2 राजस्थान के प्राकृतिक भाग
- 2.3 पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश
- 2.4 अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश
- 2.5 पूर्वी मैदानी प्रदेश
- 2.6 दक्षिणी-पूर्वी पठारी प्रदेश (हाड़ोती का पठार)
- 2.7 सारांश
- 2.8 शब्दावली
- 2.9 सन्दर्भ ग्रन्थ
- 2.10 अभ्यासार्थ प्रश्न

2.0 उद्देश्य (Objectives)

किसी क्षेत्र की प्राकृतिक रचना वहां के आर्थिक विकास का आधार होती है। राजस्थान का प्राकृतिक स्वरूप विविधता युक्त है। यहां पर्वतीय भाग, पठारी एवं मैदानी भाग पाये जाते हैं तो मरुस्थलीय क्षेत्र भी काफी भाग पर फैला हुआ है। प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप समझ सकेंगे कि:

- राजस्थान के कितने प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश हैं?
- प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों के उप-विभाग कौन-कौन से हैं?,
- इन प्राकृतिक प्रदेशों एवं उप-प्रदेशों का विस्तार किन-किन जिलों में हैं?
- इन प्राकृतिक प्रदेशों में कौनसे मुख्य संसाधन हैं?
- इन प्राकृतिक प्रदेशों में विकास की सम्भावनाएं कैसी हैं?

2.1 प्रस्तावना (Introduction)

प्रस्तुत इकाई में राजस्थान को विभिन्न प्राकृतिक भागों व उप-भागों में विभक्त करते हुए, प्रत्येक का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस इकाई के खण्ड 2.3 में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का, खण्ड 2.4 में अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश का विस्तार से वर्णन किया गया है। इन क्षेत्रों की धरातलीय स्थलाकृतियों का वर्णन करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन किया गया है। खण्ड 2.5 में राज्य के पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्णन करते हुए वहां के अपवाह

को समझाने का प्रयास गया है, के प्राकृतिक महत्व के बारे में बताया गया है। खण्ड 2.6 में दक्षिणी-पूर्वी पठार जिसे हाड़ोती का पठार भी कहा जाता है। खण्ड 2.7 में इकाई का सारांश दिया गया है। इकाई के अन्त में शब्दावली, सन्दर्भ ग्रन्थों की सूची एवं अभ्यासार्थ प्रश्न दिये गए हैं।

2.2 राजस्थान के प्राकृतिक भाग (Natural Division of Rajasthan)

प्रदेश भूमि का वह भाग होता है जो किसी एक या एक से अधिक विशेषताओं के आधार पर अन्य भागों से भिन्न होता है। ये विशेषताएं विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, अतः प्रदेश भी कई प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए यदि प्रदेश को परिभाषित करने की विशेषता प्राकृतिक है तो परिभाषित प्रदेश प्राकृतिक प्रदेश कहा जाएगा (जैसे मरूस्थलीय प्रदेश)। इस प्रकार यदि परिभाषित करने की विशेषता सांस्कृतिक (जैसे भाषा) अथवा आर्थिक (जैसे औद्योगिक संकुल) है तो परिभाषित प्रदेश सांस्कृतिक (जैसे राजस्थानी, कन्नड, तेलगु अथवा आर्थिक (जैसे बम्बई का पृष्ठ प्रदेश) कहा जाएगा। इसी प्रकार जलवायु के आधार पर जलवायु प्रदेश, मृदा के आधार पर मृदा प्रदेश, कृषि के आधार पर कृषि प्रदेश आदि कहलाते हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान को जलवायु के आधार पर निम्न जलवायु प्रदेशों (Climatic Regions) में विभक्त किया जाता है :

- (i) शुष्क प्रदेश (मरूस्थलीय प्रदेश)
- (ii) अर्द्ध-शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश,
- (iii) उप-आर्द्र जलवायु प्रदेश
- (iv) आर्द्र जलवायु प्रदेश एवं
- (v) उष्ण-आर्द्र जलवायु प्रदेश

इसी प्रकार राजस्थान को मृदा के आधार पर निम्नलिखित मृदा प्रदेशों (Soil Regions) में विभक्त किया जाता है

- (i) जलोढ़ मृदा प्रदेश
- (ii) लाल व पीली मृदा प्रदेश
- (iii) लाल-लोमी मृदा प्रदेश
- (iv) लाल और काली मृदा प्रदेश
- (v) मध्यम काली मृदा प्रदेश
- (vi) भूरी रेतीली मृदा प्रदेश, एवं
- (vii) रेतीली मृदा प्रदेश

एक से अधिक तत्वों को मिलाकर भी किसी क्षेत्र का उप-क्षेत्रों या प्रदेशों में विभाजन किया जा सकता है। जैसे राजस्थान राज्य को कृषि एवं जलवायु के आधार पर निम्नांकित 'कृषि-जलवायु प्रदेशों (Agro-Climatic Regions) में विभक्त किया जा सकता है:

- 1A शुष्क पश्चिमी मैदान
- 1B सिंचित उत्तरी-पश्चिमी मैदान
- IIA भीतरी जल निकास के परिवर्तनशील मैदान
- IIIB लूनी नदी के संग्रहण क्षेत्र के परिवर्तनशील मैदान
- IIIA अर्द्ध-शुष्क पूर्वी मैदान
- IIIB बाढ़-उन्मुख पूर्वी मैदान
- IVA अर्द्ध-आर्द्र दक्षिणी मैदान तथा अरावली पहाड़ियां
- IVB आर्द्र दक्षिणी-पूर्वी मैदान

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि किसी भी बड़े भू-भाग का किसी भी एक या अधिक विशेषताओं के आधार पर प्रदेशों में विभाजन किया जा सकता है। इन प्रदेशों का नामांकन उन विशेषताओं के आधार पर ही किया जाता है। किसी एक प्रदेश में उस विशेषता की, जिसके आधार पर उसका विभाजन किया गया है, समरूपता पाई जाती है।

अब हम प्राकृतिक तत्वों (स्थलरूप, जलवायु, मृदा) के आधार पर राजस्थान के प्राकृतिक प्रदेशों का विस्तार से अध्ययन करेंगे।


भारत के उत्तर-पश्चिम में स्थित राजस्थान राज्य का प्राकृतिक स्वरूप अत्यधिक जटिल व विविधता युक्त है। यहां एक ओर मरु भू-भाग है, वहीं दूसरी ओर मैदानी व पठारी भाग स्थित है। राज्य के मध्य में फैली अरावली पर्वतमाला राज्य को दो असमान भागों में विभक्त करती है, जिसके एक ओर पश्चिम में विस्तृत मरुस्थल है तथा पूर्व में नदियों द्वारा निर्मित मैदान व दक्षिण में पठारी भू-भाग है।

राजस्थान का प्राकृतिक स्वरूप, भूगर्भिक इतिहास में होने वाली आन्तरिक व जलवायु से नियंत्रित बाह्य शक्तियों का प्रतिफल है। राज्य में पाई जाने वाली प्राकृतिक विविधता के आधार पर राजस्थान को निम्नलिखित प्रमुख एवं उप-विभागों में विभक्त किया जाता है:

1. पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश
 - (अ) रेतीला शुष्क मैदान
 - (ब) बांगर प्रदेश
2. अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश
 - (अ) उत्तरी अरावली प्रदेश
 - (ब) मध्य अरावली प्रदेश
 - (स) मेवाड़ चट्टानी क्षेत्र और भोरार का पठार
 - (द) दक्षिणी अरावली प्रदेश
3. पूर्वी मैदानी प्रदेश
 - (अ) चम्बल बेसिन
 - (ब) बनास बेसिन
 - (स) मध्य माही बेसिन

4. दक्षिणी-पूर्वी पठारी प्रदेश (हाड़ोती का पठार)

प्राकृतिक प्रदेश



मानचित्र 2.1

उपर्युक्त सभी प्राकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण आगे दिया गया है।

2.3 पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश (Western Desert Region)

राजस्थान का लगभग 81 प्रतिशत भाग इस प्रदेश में सम्मिलित है। यह प्रदेश उत्तर पश्चिम से दक्षिण-पूर्व 640 किलोमीटर लम्बा एवं पश्चिम से पूर्व 300 कि.मी. चौड़ा लगभग 175000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में फैला है। इस प्रदेश में राज्य के 12 जिले आते हैं जिनमें राज्य की 40 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। यह प्रदेश श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चुरू, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालौर, सीकर व झुंझुनू जिलों में फैला हुआ है।

इस प्रदेश के अधिकांश भाग में 20 से 50 सेन्टीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। परन्तु जैसलमेर जिले के सुदूर पश्चिमोत्तर भाग में वर्षा का औसत 10 से.मी. से भी कम पाया जाता है। गर्मियों में कुछ स्थानों, जैसे-जैसलमेर, फलौदी और चुरू में उच्चतम तापमान 46° सेन्टीग्रेड तक पहुँच जाता है जबकि सर्दियों में इन्हीं स्थानों पर न्यूनतम तापमान (-) 3° सेन्टीग्रेड तक चला जाता है।

इस क्षेत्र में बुलुई मिट्टी का अत्यधिक जमाव पाया जाता है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और जालौर जिलों में रेत के स्थायी टीले हैं, जो कहीं-कहीं 6-7 किलोमीटर लम्बे और 50-60 मीटर उँचे हैं। ये टीले रेत की पहाड़ियों के समान दिखाई देते हैं। उत्तरी भागों में विशेषतः चुरू, झुंझुंनू सीकर और बीकानेर जिलों में अस्थायी टीले हैं जो तेज हवाओं के साथ उड़कर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। रेत के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहने से कृषि कार्यों में काफी बाधा पहुँचती है। कभी-कभी उपजाऊ मिट्टी वाले खेत भी इन टीलों की मिट्टी से भर जाते हैं। इस क्षेत्र में प्रायः टीलों द्वारा सड़क मार्ग व रेल मार्ग भी अवरूद्ध हो जाते हैं।

मरूस्थलीय भाग में भूमिगत जल भी अधिक गहरा होता है। साधारणतः इन भागों में कुओं की गहराई 20 से 100 मीटर तक होती है जिनसे पानी निकालना कठिन होता है। इसलिए बैल अथवा ऊँट को जोतकर कुओं से पानी निकाला जाता है। वर्षा की कमी के कारण सतह के जल का नितान्त अभाव रहता है। इस क्षेत्र में नदियाँ बहुत कम हैं, केवल लूनी नदी ही एक मात्र नदी है। इसमें भी केवल वर्षा के दिनों में ही पानी रहता है। इस नदी का जल दक्षिण बहाव क्षेत्र में खारा है और पीने के अयोग्य है। रेगिस्तानी क्षेत्र के अधिकांश भाग में भूमिगत जल खारा पाया जाता है। इस जल को न तो पीने के काम में लिया जा सकता है और न ही इससे सिंचाई की जा सकती है।

इस प्रदेश में कृषि कार्यों के लिए बहुत कम भूमि उपलब्ध है। रेत के टीलों के बीच स्थित निम्न उँचाई वाले मैदानों में तथा रेत के समतल विशाल मैदानों में बरसात के दिनों में खेती की जाती है। सिंचित कृषि बहुत कम क्षेत्रों में की जाती है। बाजरा मूँग, मोठ आदि मुख्य फसलें होती हैं जो थोड़ी सी वर्षा से ही उत्पन्न हो सकती है। खेती के अभाव में यहां पशुपालन मुख्य रूप से किया जाता है। यहां राठी और थारपारकर नस्ल की गायें पाली जाती हैं, जो कठिन जलवायु परिस्थितियों में भी रह सकती हैं। इनके अतिरिक्त भेड़ और बकरी पालन भी किया जाता है जिन्हें कम पानी और चारे की आवश्यकता होती है।

मरूस्थलीय प्रदेश में कुछ स्थानों पर खनन कार्य भी किया जाता है। जैसलमेर के समीप पीला और जोधपुर के पास लाल रंग का बलुआ पत्थर (इमारती) मिलता है। यहां कहीं-कहीं बहुमूल्य खनिज भी प्राप्त होते हैं। डेगाना (नागौर) की पहाड़ी से टंगस्टन धातु प्राप्त होती है। भारत में टंगस्टन की प्राप्ति का यही एक मात्र स्थान है। इनके अलावा मरूस्थलीय भाग में जिप्सम और रॉक-फॉस्फेट खनिजों के भी विशाल भण्डार हैं, जिनका आजकल खनन किया जा रहा है।

इस पश्चिमी मरूस्थलीय प्रदेश में दो उप-भाग हैं: (अ) रेतीला शुष्क मैदान, एवं (ब) बांगर प्रदेश में विभक्त किया जा सकता है। 25 सेन्टीमीटर की सम वर्षा रेखा इनको विभाजित करती है। इन उप-भागों को भी पुनः छोटे विभागों में विभक्त किया जा सकता है।

पश्चिम रेतीला शुष्क प्रदेश का विभाजन दो मुख्य उप इकाइयों में किया जा सकता है:

- (i) **बालुका स्तूपों युक्त मरूस्थलीय प्रदेश:** मरूस्थलीय प्रदेश का सुदूर पश्चिमी भाग बालुका स्तूपों से ढका है। ये बालुका स्तूप वायु के द्वारा मिट्टी जमाव का परिणाम हैं, जो मार्च से जुलाई तक अत्यधिक मात्रा में होता है। यह भू-भाग पाकिस्तान की सीमा के सहारे-

सहारे कच्छ की खाड़ी से पंजाब तक विस्तृत है। इस क्षेत्र को महान् भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है। ये बालुका स्तूप पुराने और नये दोनों प्रकार के होते हैं जिनकी ऊँचाई में भी भिन्नता पाई जाती है।

(ii) बालुका स्तूप मुक्त मरुस्थलीय प्रदेश: यह प्रदेश महान् मरुस्थल के पूर्व में स्थित है। यहां पर बालुका स्तूपों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। सारा क्षेत्र परतदार चट्टानों से ढका हुआ है। इनमें चूने की चट्टानें एवं शैल प्रमुख है। इस प्रदेश को बाइमेर-जैसलमेर का चट्टानी प्रदेश भी कहा जाता है। जैसलमेर के उत्तर तथा पोरकरण के दक्षिण में बालु पत्थरों से निर्मित चट्टानी मैदान को रन (Ranns) कहते हैं। यहां टर्शियरी चट्टानों में तेल व गैस के भण्डार भी पाये गए हैं।

बांगर प्रदेश को निम्न उप-इकाइयों में विभक्त किया जा सकता है:

(i) लूनी बेसिन: लूनी सम्पूर्ण पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है। लूनी तथा इसकी सहायक नदियां जोधपुर जिले के दक्षिणी-पूर्वी भाग पाली, जालौर, तथा सिरोही जिलों में बहती हैं। इस प्रदेश में प्राचीन चट्टानों की पहाड़ियां सर्वत्र फैली है। यहां की प्रमुख कृत्रिम झीलें आनन्तसागर, फतह सागर, जसवन्त सागर, सरदार समन्द आदि हैं।

(ii) शेखावटी प्रदेश (Shekhavati Region) : इसके अन्तर्गत चूरू, झुंझुनू सीकर व उत्तरी नागौर का भाग सम्मिलित है। बलुई मिट्टी, कम वर्षा, मिट्टी के टीलों आदि के कारण यह सम्पूर्ण प्रदेश आन्तरिक जलप्रवाह का क्षेत्र है। यहां केवल वर्षा ऋतु में बहने वाली नदी 'कान्तली' है।

(iii) नागौर उच्च भूमि : लूनी बेसिन के उत्तर में समुद्र तल से 300 से 500 मीटर ऊँचाई वाली नागौर उच्च भूमि स्थित है। यह प्रदेश अपनी स्थलाकृति, नमकयुक्त झीलों, अन्तर्प्रवाह जलक्रम, प्राचीन चट्टानों तथा ऊँचे-नीचे धरातल के कारण अपना विशिष्ट स्थान रखता है। यह प्रदेश बंजर और रेतीला है क्योंकि मिट्टी में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है।

(iv) घग्घर का मैदान: इस मैदान का निर्माण घग्घर, सतलज, वैदिक सरस्वती आदि नदियों द्वारा हुआ है। यह मैदान हनुमानगढ़ व गंगानगर जिलों में विस्तृत है। यह क्षेत्र गंग नहर एवं इन्दिरागांधी नहर के कारण हरियाली युक्त है, किन्तु क्षारीयता, अम्लता व सेम की समस्या एवं मरुस्थलीयकरण की समस्याओं से ग्रसित है।

बोध प्रश्न -01

1. राजस्थान को प्रमुखतः कितने प्राकृतिक भागों में विभक्त किया जा सकता है?
2. पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर फैला है?
3. डेगाना की खानों से कौनसा धातु प्राप्त होता है?
4. घग्घर का मैदान किन जिलों में फैला हुआ है?

2.4 अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश (Aravalli Series and Hilly Region)

यह प्रदेश सम्पूर्ण उदयपुर और डुंगरपुर जिलों तथा सिरोही, पाली, बाँसवाडा, चित्तौड़गढ़ व अजमेर जिलों के कुछ भागों में फैला हुआ है। अरावली पर्वत विश्व के अत्यन्त प्राचीन पर्वत माने गये हैं। इन पर्वतों पर समय के साथ ऐसी भौतिक क्रियाएं होती रही हैं जिनसे ये पहाड़ आज बहुत कम ऊँचाई के रह गए हैं। उदयपुर जिले में इन पर्वतों की अधिकतम ऊँचाइयां पाई जाती हैं। अधिक ऊँचाई वाला यह क्षेत्र कुंभलगढ़ और गोगुन्दा तहसीलों में हैं, जिसे स्थानीय रूप से भोरार का पठार कहा जाता है।

अरावली पर्वत की सबसे ऊँची चोटी गुरुशिखर है, जो 1722 मीटर ऊँची है और आबू पर्वत खण्ड में स्थित है। गुरुशिखर के आसपास की अन्य चोटियों में सेर (1597 मीटर), अचलगढ़ (1380 मीटर) और दिलवाड़ा के पश्चिम में तीन अन्य चोटियां हैं। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा भी अधिक होती है, इसलिए यहां प्राकृतिक वनस्पति भी अधिक है।

अरावली पर्वतों का विस्तार उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर है। राज्य में यह पर्वतमाला 550 किलोमीटर लम्बाई में फैली हुई है। यह पर्वत श्रेणी राजस्थान के दो असमान भागों में बाँटती हुई यहां के भौतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन को काफी हद तक प्रभावित करती है।

अरावली पर्वत राजस्थान की ही नहीं वरन् सम्पूर्ण देश की प्रधान जल विभाजक रेखा का निर्माण करते हैं। फलस्वरूप इन पहाड़ों से दोनों ओर एवं पश्चिम में नदियां बहती हैं। परिणामतः सिंचाई, पेयजल एवं उद्योगों के लिए जल की आपूर्ति सुनिश्चित होती रही है।

अरावली प्रदेश की जलवायु अति विशिष्ट है। इसके एक ओर शुष्क मरुस्थल है तो दूसरी ओर वर्षा युक्त प्रदेश। इसी कारण इसके पश्चिमी भाग में शुष्क जलवायु है तो पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु। ऊँचाई का प्रभाव भी जलवायु पर है। यद्यपि पर्वत श्रृंखला की अधिक ऊँचाई नहीं है किन्तु माउण्ट आबू ग्रीष्म में भी सुहावने मौसम के कारण पर्यटकों का केन्द्र है। इस प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वन हैं, जिनमें धोकड़ा बरगद, गूलर, खैर, आम, जामुन, बांस, धारु, सिरिस, बेल, रोहिड़ा आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। किन्तु दुर्भाग्य से विगत कुछ वर्षों से हुई अन्धाधुन्ध वृक्षों की कटाई से अब अनेक श्रेणियां वृक्षविहिन हो गई हैं। वर्तमान में सिरोही जिले का आबू पर्वत क्षेत्र पर्याप्त सघन वनस्पति से युक्त है।

मृदा की विविधता इस प्रदेश में अत्यधिक है। यहां भूरी रेतीली कछारी मिट्टी अलवर क्षेत्र में है तो जयपुर-मालपुरा क्षेत्र में कछारी मिट्टी है। लाल-पीली मिट्टी का क्षेत्र अजमेर, पश्चिमी भीलवाड़ा पश्चिमी उदयपुर और सिरोही है जबकि डूंगरपुर, बांसवाडा में लाल लौमी मृदा की प्रधानता है। मिश्रित लाल-काली मृदा बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों के कुछ भागों में है। पर्वतीय ढालों पर मृदा नगण्य है, किन्तु निचले ढाल तथा घाटियों में उपजाऊ मिट्टी होने से कृषि की दृष्टि से उत्तम है। यहां के 44 प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है। अलवर, जयपुर, दौसा क्षेत्र में गेहूँ, चना, बाजरा, तिलहन एवं दालों की खेती की जाती है।

अजमेर में ज्वार, गेहूँ और तिलहन की खेती की जाती है। माही डेम के बन जाने से बांसवाड़ा के विस्तृत क्षेत्र में गेहूँ गन्ना कपास, मूँगफली आदि की खेती की जाती है। दक्षिणी अरावली क्षेत्र में अधिक वर्षा होने से अनेक स्थानों पर चावल भी उत्पादित होता है। प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन कुंआ है। यहां जल स्तर व 10 से 15 मीटर के मध्य होता है। इसी के साथ नलकूपों का भी प्रयोग होने लगा है। माही, मेजा बांध, जाखम, औराई, अड़बान सिंचाई योजनाओं से सिंचित क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

उद्योगों का विकास भी इस प्रदेश में पर्याप्त हुआ है क्योंकि यहां औद्योगिक कच्चा माल उपलब्ध है। इस प्रदेश के मुख्य औद्योगिक क्षेत्र हैं - अलवर, भिवाड़ी, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा एवं उदयपुर।

प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर जिले की है। यहाँ राज्य की कुल जनसंख्या का 9.30 प्रतिशत है। इसके पश्चात् अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, एवं चित्तौड़गढ़ का स्थान है। प्रदेश में राजसमन्द और सिरोही जिलों की जनसंख्या सबसे कम है। यहाँ की जनसंख्या की एक विशेषता कुछ जिलों में अनुसूचित जनजाति की बहुलता है। बांसवाड़ा और इंगरपुर में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः 73.47 एवं 65.84 प्रतिशत है। उदयपुर में यह प्रतिशत 36.79, सिरोही में 23.39 और चित्तौड़गढ़, में 20.28 प्रतिशत है। सम्पूर्ण दक्षिणी अरावली का प्रदेश आदिवासी जनसंख्या की बहुलता वाला प्रदेश है।

अरावली पर्वतीय भागों में अनेक बहुमूल्य एवं महत्वपूर्ण खनिज, जैसे-ताम्बा, जस्ता, चांदी, अभ्रक, लोहा, मैंगनीज, फेल्सपार, मारबल, ग्रेनाइट, पन्ना, बेराइट्स, पलोराइट्स चूना पत्थर, केल्साइट आदि प्राप्त होते हैं, जिन पर कई उद्योग आधारित हैं।

इसे निम्न उप-भागों में विभक्त किया जा सकता है :

(अ) उत्तरी अरावली प्रदेश: इसमें जयपुर जिले के उत्तर-पूर्व तक की समस्त पर्वत श्रेणियों को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रदेश की औसत ऊँचाई 450 मीटर है। यह निम्न पहाड़ियों वाला भाग है, जिसमें सीकर की पहाड़ियां, श्रीमाधोपुर की पहाड़ियां, रींगस आदि की पहाड़ियां आती हैं।

(ब) मध्य अरावली प्रदेश: उत्तरी-पूर्वी अरावली श्रेणी के दक्षिण-पश्चिम में स्थित अरावली की पहाड़ियां इस प्रदेश के अन्तर्गत आती हैं। इसमें अजमेर तथा जयपुर जिले व टोंक जिले के पश्चिमी भाग की पहाड़ियों को सम्मिलित किया जाता है। इस क्षेत्र के उच्च प्रदेश पश्चिम में बिखरे कटकों के साथ सांभर बेसिन द्वारा उत्तर में अलवर पहाड़ियों के द्वारा, पूर्व में करौली उच्च भूमि के द्वारा तथा दक्षिण में बनास मैदान द्वारा सीमाबद्ध हैं।

(स) मेवाड़ चट्टानी क्षेत्र और भोराट का पठार: यह भाग उदयपुर, इंगरपुर व सिरोही जिलों में फैला है। इस भाग में अरावली श्रेणियों अधिक विस्तृत है। आबूखण्ड के अतिरिक्त अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम भू-भाग कुंभलगढ़ और गोगुन्दा के बीच एक पठार के रूप में स्थित है जिसे स्थानीय भाषा में "भोराट का पठार" कहते हैं। इस पठार की औसत ऊँचाई 1225 मीटर है।

(द) दक्षिणी अरावली प्रदेश: इसे "आबू पर्वत खण्ड" भी कहते हैं। यह अरावली का श्रेष्ठतम भाग है, जो समुद्र तल से लगभग 1200 मीटर से भी अधिक ऊँचा है। इसका सम्पूर्ण भाग ग्रेनाइट से निर्मित है। यहां की सबसे ऊँची चोटी गुरुशिखर है। इस क्षेत्र का पर्यटन की दृष्टि में भी काफी महत्त्व है।

बोध प्रश्न -02

1. अरावली प्रदेश किन जिलों में फैला हुआ है ?
2. अरावली पर्वत की सबसे ऊँची चोटी का नाम एवं ऊँचाई क्या है ?
3. राजस्थान में अरावली पर्वत की लम्बाई क्या है ?
4. अरावली पर्वत के किस विभाग का पर्यटन की दृष्टि से अधिक महत्त्व है?

2.5 पूर्वी मैदानी प्रदेश (Eastern Plains)

यह प्राकृतिक प्रदेश राजस्थान के पूर्वी भाग में फैला हुआ है। राज्य के 23.3 प्रतिशत भाग पर यह मैदान विस्तृत है। यह मैदान मुख्यतः बनास, चम्बल एवं माही नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। इस मैदान का विस्तार भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, टोंक, जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी जिलों में है। इस भाग में उच्चावच तथा जलवायु की दृष्टि से काफी अनुकूलता मिलती है। परिणामस्वरूप अन्य भू-भागों की अपेक्षा यहां सांस्कृतिक विकास अधिक हुआ है। यहां अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। पशुपालन और उद्योग धन्धों का भी विकास हुआ है। इस क्षेत्र में गेहूँ बाजरा, ज्वार, तिलहन, दालें आदि प्रमुख फसलें पैदा की जाती हैं। भरतपुर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, गुलाबपुरा आदि नगर प्रमुख औद्योगिक केन्द्रों के रूप में विकसित हो रहे हैं।

धरातलीय दृष्टि से यद्यपि यह मैदानी प्रदेश है, किन्तु सवाई माधोपुर और धौलपुर के क्षेत्र में नीची पहाड़ियां हैं। उत्तरी और मध्य भरतपुर जिला उपजाऊ मैदान है। इसके दक्षिणी भाग में अनियमित पहाड़ियां हैं, जिन्हें डांग (Dang) कहते हैं। जलवायु की दृष्टि से यह प्रदेश उष्ण-आर्द्र है। यह प्रदेश पर्याप्त वर्षा प्राप्त करता है। यहां वार्षिक वर्षा का औसत 65 से.मी. है जो प्रतिवर्ष परिवर्तित होता रहता है। सामान्यतः इस प्रदेश में ग्रीष्म काल में धूलभरी आँधियां वर्षाकाल में मूसलाधार वर्षा और शीतकाल सामान्य होता है।

प्राकृतिक वनस्पति में यहां पतझड़ वाले वनों की प्रधानता है जिसमें ढाक और खैर की अधिकता होती है। प्रदेश के दक्षिण में जहां चम्बल के बीहड़ हैं वहां झाड़ियां, घास और छितरी हुई वनस्पति है। टोंक क्षेत्र में तेंदु, महुआ गूलर, कारा, खैर, बबूल, आम, धोंकड़ा की प्रधानता है। सवाई माधोपुर क्षेत्र में भी वनों का पर्याप्त विस्तार है।

इस प्रदेश में मुख्यतया नदियों द्वारा लाई गई जालोढ़ मृदा है। बनास बेसिन में चिकनी और रेतीली मिट्टी तथा घाटियों में जलोढ़ मृदा का विस्तार है। भरतपुर क्षेत्र में काली दोमट मिट्टी, भूरी दोमट मिट्टी और अनुपजाऊ रेतीली मिट्टी का विस्तार है। जबकि सवाई माधोपुर में गहरी काली, हल्की पीली एवं भूरी मिट्टी की प्रधानता है।

कृषि की दृष्टि से यह प्रदेश महत्वपूर्ण है। पर्याप्त वर्षा एवं उपजाऊ मिट्टी के कारण यहां विभिन्न कृषि उपजों का उत्पादन होता है। इस प्रदेश में उत्पादित मुख्य फसलें हैं-गेहूँ चावल, बाजरा सरसों, मक्का, उड़द, मूँग, अरहर, मूँगफली, गन्ना, तम्बाकू, मिर्च आदि। अनेक प्रकार के फल एवं सब्जियों का उत्पादन भी यहां होता है। जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वहां वर्ष में दो फसलों का भी उत्पादन कर लिया जाता है।

सिंचाई हेतु इस प्रदेश में कुओं का प्रचलन अधिक है। इसके अतिरिक्त नहरों एवं तालाबों द्वारा भी सिंचाई की जाती है। भरतपुर एवं धौलपुर क्षेत्र में विभिन्न आकार के 200 बाँध हैं, जिनसे सीमित सिंचाई की जाती है। भरतपुर फीडर और गुड़गाँव-यमुना नहरों से भी यहां सिंचाई की जाती है। टोंक जिले में 25000 से अधिक कुएं हैं। नदियों के निकट सीधे नदी के जल को रहट द्वारा खेतों में सिंचाई हेतु उपयोग किया जाता है। अनेक छोटी सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से इस प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है।

खनिजों की दृष्टि से यह प्रदेश निर्धन है। इस प्रदेश में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज इमारती पत्थर है। इस प्रदेश में विन्ध्य बालू-पत्थर पाया जाता है, जिसका उपयोग न केवल सामान्य इमारतों में अपितु आगरा सीकर डीग व मथुरा के प्रसिद्ध भवनों में भी हुआ है। बनास बेसिन में अभ्रक का पर्याप्त भण्डार है। सोप स्टोन निवाई के निकट तथा लोहा बरथल के निकट सीमित मात्रा में हैं। चूने का पत्थर सवाई माधोपुर और गंगापुर तहसीलों में पर्याप्त है जिसका उपयोग सीमेन्ट बनाने में किया जाता है।

औद्योगिक विकास की दृष्टि से यह प्रदेश पिछड़ा हुआ है। भरतपुर का सेन्ट्रल इण्डिया मशीनरी लिमिटेड (सिमको) तथा धौलपुर हाई-टेक ग्लास फैक्ट्री का यहां के उद्योगों में विशेष महत्व है। सवाई माधोपुर में स्थित सीमेन्ट फैक्ट्री वर्तमान में बन्द है। प्रदेश में धातु उद्योग, तेल उद्योग, रसायन उद्योगों का भी सीमित विकास हुआ है। कुटीर उद्योगों का यहां पर्याप्त विकास हुआ है। इसमें सवाई माधोपुर के लकड़ी के खिलौने तथा टोंक में नमदा, दरी, निवाड़ उद्योग प्रमुख हैं। बीडी बनाने का कार्य भी घरेलू उद्यम के रूप में किया जाता है।

यह प्रदेश राज्य का सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है। वर्ष 2001 में यहां सर्वाधिक जनसंख्या भरतपुर जिले की थी, जहां जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. था। सबसे कम जनसंख्या 168 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. टोंक जिले में था। प्रदेश का भरतपुर सबसे बड़ा नगर है। जहां जनसंख्या 2001 में 205104 थी। टोंक एक लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर है, जहां की जनसंख्या 2001 में 135663 अंकित की गई।

धरातलीय विविधता के आधार पर इस मैदानी भाग को अग्रलिखित उप-भागों में विभक्त किया जा सकता है :

- (अ) चम्बल बेसिन
- (ब) बनास बेसिन
- (स) मध्य माही बेसिन

(अ) चम्बल बेसिन: पूर्वी मैदानी भाग में चम्बल ही एक प्रमुख नदी है जो साल भर बहती है। यह मध्य प्रदेश में विन्ध्याचल पर्वत के उत्तरी ढालों में 'मऊ' नामक स्थान से

निकलती है। इस बेसिन के अन्तर्गत कोटा, बून्दी, बारां, टोंक, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिले आते हैं। चम्बल घाटी परियोजना का राजस्थान व मध्यप्रदेश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस क्षेत्र में चम्बल नदी ने मिट्टी का भारी कटाव किया है जिसके कारण भूमि ऊबड़-खाबड़ हो गई है। इसके फलस्वरूप अनेक स्थानों पर ऊँचे रेत के टीले व उनके बीच गहरी खाइयां बन गई हैं। ऐसी भूमि को बीहड़ (Revine Land) भूमि कहते हैं। यह भूमि खेती के लिए सर्वथा अयोग्य होती है। चम्बल नदी अन्त में उत्तर प्रदेश में यमुना में मिलती है।

(ब) बनास बेसिन: बनास नदी को 'वन का आशा' कहते हैं। यह नदी राजसमन्द जिले के खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा अजमेर, टोंक, बून्दी, और सवाई माधोपुर जिलों में बहती हुई सवाई माधोपुर जिले में खण्डार के पास चम्बल नदी में मिल जाती है। बेड़च, कोठारी, आदि बनास की मुख्य सहायक नदियां हैं। बनास और उसकी सहायक नदियां केवल बरसात के मौसम में ही बहती है। इसलिए इनके पानी का खेती के लिए उपयोग वर्ष भर नहीं किया जा सकता परन्तु इन नदियों की घाटियों में भूमिगत जल अधिक उपलब्ध है जो जल के रिसाव के कारण इकट्ठा होता रहता है, इसलिए इस क्षेत्र में कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है। इस बेसिन में ज्वार, मक्का, उड़द, मूँग, अरहर, सरसों, जौ, मूँगफली, चना, गेहूँ आदि की फसल बहुतायत से होती है।

(स) मध्य माही बेसिन: यह क्षेत्र माही नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित है। इस बेसिन के अन्तर्गत दक्षिण-पूर्व उदयपुर, दक्षिण बांसवाड़ा, दक्षिण चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ व इंगरपुर जिलों को सम्मिलित किया जाता है। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच के भाग में छप्पन ग्राम समूह स्थित थे। इसलिए यह भू-भाग 'छप्पन के मैदान' के नाम से भी जाना जाता है। माही बजाज सागर परियोजना इसी माही नदी पर ही स्थित है। यह बेसिन क्षेत्र अत्यधिक असमतल है तथा सर्वत्र छोटी-छोटी पहाड़ियां हैं। पहाड़ियों के मध्य संकीर्ण घाटियां एवं कहीं-कहीं विस्तृत समतल क्षेत्र हैं।

2.6 दक्षिणी-पूर्वी पठारी प्रदेश (हाड़ोती का पठार)

राजस्थान के 9.6 प्रतिशत भू-भाग को घेरे हुए यह पठार चम्बल नदी के सहारे पूर्वी भाग में फैला हुआ है। इसे हाड़ोती के पठार के नाम से भी पुकारा जाता है। इस प्रदेश में लावा मिश्रित शैल एवं विन्ध्यन शैलों का सम्मिश्रण है। इस पठारी भाग का विस्तार झालावाड़, कोटा, बारां, बून्दी जिलों में है। इस क्षेत्र की औसत ऊँचाई 500 मीटर है तथा यहां अनेक पर्वत श्रेणियां हैं, जिनमें मुकन्दरा की पहाड़ियां और बून्दी की पहाड़ियां प्रमुख हैं। ये पहाड़ियां अर्द्ध-चन्द्रकार रूप में फैली हुई हैं। इसके अतिरिक्त शाहबाद क्षेत्र, झालावाड़ का पठार, डग-गंगधार का उच्च क्षेत्र और नदी बेसिन यहां हैं। चम्बल के अतिरिक्त कालीसिंध, परवन, पार्वती आदि नदियां इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं।

इस क्षेत्र की मिट्टी काली और उपजाऊ है, जिसमें कपास, अफीम, तम्बाकू और गन्नें की फसलें पैदा की जाती हैं। यहां पहाड़ी भागों में उष्ण कटिबन्धीय वन हैं, जो अब धीरे-धीरे समाप्त होते जा रहे हैं।

सम्पूर्ण भारत के समान इस प्रदेश की जलवायु भी मानसून द्वारा नियंत्रित उप-उष्ण (Sub-Tropical) है। इसकी प्रमुख विशेषता ऋतुओं के अनुसार तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवाएं आदि की परिवर्तनशीलता है। राजस्थान के अन्य भागों की तुलना में यहां अच्छी वर्षा होती है। यहां औसत वार्षिक वर्षा 95 से.मी. होती है। यहां भी झालावाड़ जिला और उत्तरी-पश्चिमी बून्दी जिला अधिक वर्षा वाला है, जहां 85 से.मी. से अधिक वर्षा होती है। मध्य पश्चिमी भाग में 60 से.मी. से 65 से.मी. तथा शेष भाग में 60 से.मी. से कम वर्षा होती है।

इस प्रदेश में मुख्यतः धोंकड़ा खैर के वन पाए जाते हैं, घास के बीड़ (सघन क्षेत्र) यहां अनेक स्थानों पर देखे जा सकते हैं जहां प्राकृतिक रूप से घास एवं झाड़ियां उग आती हैं। यहां अनियमित कटाई के कारण वनों का अत्यधिक हास हुआ है।

उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त वर्षा एवं अनेक क्षेत्रों में विकसित सिंचाई सुविधाओं के कारण यह प्रदेश राज्य का एक प्रमुख कृषि क्षेत्र बन गया है। यहां रबी और खरीफ दोनों ही फसलों का समान रूप से उत्पादन होता है। रबी में गेहूँ, जौ, अलसी और चना उत्पादित होता है, जबकि खरीफ में ज्वार, तिल, मक्का, मूँगफली, गन्ना, कपास एवं तम्बाकू आदि फसलें पैदा की जाती हैं। दालों के उत्पादन में यह क्षेत्र मूँग, उड़द तथा चने का उत्पादन करता है। मूँगफली के उत्पादन में यह प्रदेश राज्य में अग्रणी है। काली मिट्टी वाले भागों में सोयाबीन के उत्पादन में वृद्धि हो रही है।

सिंचाई सुविधाओं का यहां पर्याप्त विकास हुआ है। नहरें, तालाब, कुओं एवं नलकूपों के माध्यम से प्रदेश में सिंचाई होती है। चम्बल परियोजना के अन्तर्गत निर्मित बांधों - गांधी सागर, राणाप्रताप सागर, जवाहर सागर, व कोटा बैराज से निकली नहरों से कोटा और बून्दी जिलों में सिंचाई होती है। कुछ छोटे बांधों से भी सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है। झालावाड़ जिले में तथा अन्य क्षेत्रों में कुओं के द्वारा भी पर्याप्त सिंचाई की जाती है।

खनिज उत्पादन की दृष्टि से यह प्रदेश महत्वपूर्ण नहीं है। धात्विक खनिजों का यहां लगभग अभाव है। झालावाड़ और बून्दी के कुछ भागों में तांबा और लोहा होने के प्रमाण हैं, किन्तु व्यापारिक दृष्टि से यह उपयोगी नहीं है। घिया पत्थर तालेड़ा सुकेत, झालरापाटन, लाड़पुरा, खानपुर और भवानीमण्डी क्षेत्रों में मिलता है। स्लेट पत्थर कोटा जिले में पर्याप्त है तथा इस पर पालिश होने के बाद यह चिकना और चमकदार हो जाता है। यह कोटा स्टोन के नाम से प्रसिद्ध है। इसके प्रमुख केन्द्र रामगंजमण्डी, मोड़क, सुकेत, दरा एवं कोटा हैं। बून्दी व लाखेरी क्षेत्र चूना उत्पादन में महत्व रखता है।

इस प्रदेश में कुटीर उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ है। किन्तु वृहद् उद्योगों में भी वर्तमान में यह अग्रणी है। ऊर्जा एवं जल की उपलब्धता ने इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोटा में विकसित उद्योगों में सरकारी क्षेत्र के इन्स्ट्रुमेन्टेशन लिमिटेड (IL) की स्थापना 1988 में की गई। विदेशी सहयोग से विकसित इस उद्योग में सूक्ष्म

यंत्र, ताप नियंत्रक संयंत्र, विद्युत चुम्बकीय उपकरण आदि का निर्माण होता है। अन्य उद्योगों में श्रीराम रेयन्स, श्रीराम फर्टीलाइजर्स, वूल टॉप्स, प्रीमियर पेपर बोर्ड मिल के अतिरिक्त छोटी मशीनें, लोहे के तार, प्लास्टिक, रसायन, कपास, कृषि यंत्र, तेल मिल, विद्युत यंत्र आदि उद्योगों का भी विकास हुआ है। कोटा के निकट आलनियां में ओरिएण्टल पावर केबल्स और गढ़पान में चम्बल फर्टीलाइजर्स (CFCL) के उद्योग स्थापित है।

बून्दी जिले में लाखेरी में सीमेन्ट कारखाना स्थित है जो बहुत पुराना है। इसकी स्थापना 1905 में की गई और ए.सी.सी. कम्पनी द्वारा चलाया जा रहा है। बून्दी के निकट केशवरायपाटन में सहकारी चीनी मिल है जो वर्तमान में बन्द पड़ी है। मोड़क में सीमेन्ट प्लान्ट है। इस प्रदेश में कुटीर उद्योगों में कोटा डोरिया की साड़ियां प्रसिद्ध हैं। हाड़ोती प्रदेश की वर्ष 2001 की जनसंख्या की स्थिति निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट है:

सारणी 2.1

दक्षिणी-पूर्वी पठारी प्रदेश की जनसंख्या 2001

जिले का नाम	कुल जनसंख्या	1991-2001में वृद्धि (प्रतिशत में)	घनत्व (व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)	लिंगानुपात
कोटा	156880	28.52	288	895
झालावाड़	1180342	23.34	190	928
बारां	1022568	26.19	146	909
बून्दी	961269	24.80	173	908

स्रोत : जनगणना विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

उक्त सारणी से स्पष्ट है कि दक्षिणी-पूर्वी पठारी प्रदेश की कुल जनसंख्या वर्ष 2001 में 4732759 अंकित की गई। इसमें कोटा जिले की सर्वाधिक 1568580 तथा बून्दी जिले की सबसे कम 961289 रही। दशक 1991-2001 में कोटा में वृद्धि दर 28.52 प्रतिशत सबसे अधिक और झालावाड़ में 23.34 प्रतिशत सबसे कम रही। जनसंख्या घनत्व 288 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. कोटा में सर्वाधिक और 146 व्यक्ति बारां में सबसे कम रहा। हाड़ोती में प्रति हजार पुरुषों पर झालावाड़ में 928 महिलाएं, बारां में 909, बून्दी में 908 और कोटा में 895 महिलाएं वर्ष 2001 में थी।

कोटा नगर की जनसंख्या वर्ष 2001 में 7,04,444 थी। प्रदेश में बून्दी में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 18.79 प्रतिशत और जनजाति की 20.25 प्रतिशत है। जबकि कोटा, बारां में यह प्रतिशत क्रमशः 19.72 और 14.20 है। झालावाड़ जिले में अनुसूचित जाति 17.23 प्रतिशत और जनजाति 11.90 प्रतिशत हैं। बारां जिले के शाहबाद क्षेत्र में सहरिया जनजाति विशिष्ट है।


उच्चावच की दृष्टि से यह प्रदेश मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। मूलरूप से यहां का धरातल पठारी है। इस कारण इसे 'हाड़ोती का पठार' नाम दिया जाता है। विविधता के कारण इस प्रदेश को निम्नलिखित उप-भागों में विभक्त किया जाता है:

1. अर्द्ध-चन्द्राकार पर्वत श्रेणियां,

2. नदी निर्मित मैदान,
3. शाहबाद का उच्च स्थल,
4. झालावाड़ का पठार, एवं
5. डग-गंगधर के उच्च क्षेत्र।

1. **अर्द्ध-चन्द्राकार पर्वत श्रेणियां:** इस दक्षिणी-पूर्वी पठार पर अर्द्ध-चन्द्राकार रूप में पर्वत श्रेणियों का विस्तार है जो क्रमशः बून्दी एवं मुकन्दरा श्रेणियों के नाम से जानी जाती है। ये श्रेणियां उत्तर-पूर्व में इन्दरगढ़ से प्रारम्भ होकर लाखेरी-बून्दी होती हुई प्रदेश के दक्षिणी-पश्चिमी मध्य भाग तक विस्तृत है। इसके बाद ये एकाएक दक्षिण-पूर्व की ओर मुड़ जाती है। इसलिए इन श्रेणियों का अर्द्ध-चन्द्राकार स्वरूप विकसित हो गया है।

हाड़ोती प्रदेश



मानचित्र संख्या 2.2

बून्दी पर्वत श्रेणी एक दोहरी पर्वतमाला है जिसकी लम्बाई 96 किलोमीटर है तथा जो उत्तर-पूर्व दिशा में फैली हुई है इसका तीव्र ढाल कई किलोमीटर की लम्बाई में एक दीदार के समान अवरोध के रूप में है। इस श्रेणी में चार दर्रे हैं - पहला बून्दी नगर के निकट है जिससे देवली-कोटा मार्ग जाता है, दूसरा जैतवास के पास है जिससे टोंक की सीधी सड़क जाती है; तीसरा रामगढ़ और खटकड़ के मध्य हैं जहां से मेज नदी ने अपना मार्ग बनाया है और चौथा उत्तर-पूर्व में लाखेरी के निकट है। इन श्रेणियों की औसत ऊँचाई समुद्र तल से 300 से 350 मीटर है। मुकन्दरा श्रेणियां हाड़ोती पठार के मध्य से उत्तर-पश्चिम होकर दक्षिण-पूर्व दिशा में लगभग 120 कि.मी. की लम्बाई में फैली हुई है। यहां दो पृथक श्रेणियों वाली शृंखला है जो समानान्तर रूप से लगभग 150 मीटर की दूरी में फैली है। इनके मध्य का भाग एवं श्रेणियां सघन वनों से आज भी आच्छादित हैं। इनकी समुद्र तल से औसत ऊँचाई 335 से 503 मीटर है। चँदवाड़ा क्षेत्र में इनकी सर्वोच्च चोटी 517 मीटर ऊँची है।

कालीसिंध नदी गागरोन नामक स्थान से इन श्रेणियों के मध्य अपना मार्ग बनाती है और यहीं इसमें आहू नदी आकर मिलती है। कोटा-झालावाड़ मार्ग इन्हीं श्रेणियों के मध्य वक्राकार

रूप से गुजरता है। झालावाड़-बारां मार्ग जो खानपुर होता हुआ जाता है, वह भी मण्डावर नामक स्थान से इन्हीं श्रेणियों के मध्य से गुजरता है। ये श्रेणियां आज भी वनों से आच्छादित हैं तथा वन्य प्राणियों का प्रश्रय-स्थल हैं।

2. **नदी निर्मित मैदान:** बून्दी और मुकन्दरा पर्वत श्रेणियों से आवृत लगभग 7885 वर्ग कि.मी. का क्षेत्र चम्बल और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेश है। चम्बल की प्रमुख सहायक नदियां कालीसिंध, पार्वती, मेज और इनकी उप-सहायक नदियां सदियों से इस क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी का जमाव कर रही हैं, जिसके फलस्वरूप यह क्षेत्र प्रमुख कृषि क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है।
3. **शाहबाद का उच्च स्थल:** हाड़ोती पठार का पूर्ववर्ती अपेक्षाकृत उच्च क्षेत्र है जिसे 'शाहबाद का उच्च क्षेत्र' कहा जा सकता है। यह क्षेत्र 300 मीटर की समोच्च रेखा से आवृत है और पश्चिम की ओर 50 मीटर तक पहुँच जाता है। इसका सर्वोच्च क्षेत्र कस्बा थाना में है जिसकी ऊँचाई 456 मीटर है। पूर्व की ओर ऊँचाई क्रमशः कम होती जाती है। इस क्षेत्र में एक विशिष्ट भू-आकृति रामगढ़ ग्राम के निकट घोड़े की नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी है जो समतल क्षेत्र में एकाएक बनी हुई है। इसके मध्य में एक छोटी झील है तथा प्राचीन बसाव के अवशेष हैं। प्रो. एच.एस. शर्मा के अनुसार रामगढ़ की इस गुम्बदाकार संरचना का उद्भव विवर्तनिक कारणों से हुआ होगा।
4. **झालावाड़ का पठार:** यह भाग मालवा के पठार का अभिन्न अंग है और दक्षिण के पठार से समानता रखता है। यहां काली मिट्टी की प्रधानता है। इस पठारी क्षेत्र में कहीं-कहीं एकाकी पर्वत श्रेणी भी दृष्टिगत हो जाती है, विशेषकर मनोहस्थाना, अकलेरा और बकानी क्षेत्र में। शेष प्रदेश समरूप पठार है जिस पर छोटी-छोटी नदियों ने अपनी घाटियां बना रखी हैं। यह पठार मुकन्दरा श्रेणियों के दक्षिण में लगभग 6183 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में फैला हुआ है जिसकी ऊँचाई 300 से 450 मीटर के मध्य है।
5. **डग-गंगधर के उच्च क्षेत्र:** हाड़ोती पठार का दक्षिणी-पश्चिमी भाग डग-गंगधर का उच्च प्रदेश है जो 1429 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में विस्तृत है तथा 450 मीटर की ऊँचाई वाला है। यहां अनेक छोटी-छोटी पहाड़ियां भी एकाकी रूप में यत्र-तत्र विस्तृत हैं। इसकी पश्चिमी सीमा चम्बल नदी बनाती है। उच्च क्षेत्र होने के बाद भी यह एक कृषि क्षेत्र है क्योंकि धरातलीय विविधता बहुत कम है।

बोध प्रश्न -03

1. पूर्वी मैदानी प्रदेश राज्य के कितने प्रतिशत भू-भाग पर फैला हुआ है?
2. पूर्वी मैदानी प्रदेश को कौनसे उप-भागों में विभक्त किया जा सकता है?
3. 'छप्पन का मैदान' में प्रवाहित मुख्य नदी का नाम क्या है?
4. दक्षिणी-पूर्वी पठारी प्रदेश को दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है?

2.7 सारांश (Summary)

राजस्थान को प्रमुख रूप से 4 प्राकृतिक भागों पश्चिमी मरूस्थलीय प्रदेश अरावली श्रेणी एवं पहाड़ी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश एवं दक्षिणी-पूर्वी पठारी प्रदेश में विभाजित किया गया है। इन्हें भी पुनः उप-विभागों में विभक्त किया गया है। पश्चिमी मरूस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में राज्य के लगभग 61 प्रतिशत भू-भाग पर फैला हुआ है जिसमें राज्य की 40 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। इस क्षेत्र में बलुई मिट्टी का अत्यधिक जमाव पाया जाता है। यह प्रदेश गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालौर, सीकर व झुंझुनू जिलों में विस्तृत है। इसे पुनः दो उपभागों रेतीला शुष्क मैदान तथा बांगर में विभक्त किया गया है। इन्हें भी पुनः उप-विभागों में बांटा गया है।

अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश सम्पूर्ण उदयपुर और इंगरपुर जिलों तथा सिरोही, पाली, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व अजमेर जिलों के कुछ भागों में विस्तृत है। उदयपुर जिले में इन पर्वतों की अधिकतम ऊँचाइयाँ पाई जाती हैं। अरावली पर्वत की सबसे ऊँची चोटी गुरुशिखर है जो 1722 मीटर ऊँची है। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा अधिक होने के कारण प्राकृतिक वनस्पति भी अधिक पाई जाती है। अरावली पर्वतों की राजस्थान में लम्बाई 550 कि.मी. है। ये पर्वत प्रधान जल विभाजक रेखा का निर्माण करते हैं। इन पर्वतीय भागों में अनेक बहुमूल्य एवं महत्वपूर्ण खनिज जैसे-तांबा, जस्ता, चांदी, अभ्रक, लोहा, मैंगनीज फेल्सपार, मार्बल, ग्रेनाइट, पन्ना, बेराइट्स, पलोराइट्स चूना पत्थर, कैल्साइट आदि प्राप्त होते हैं।

इस अरावली प्रदेश के 4 उप-भागों उत्तरी अरावली प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश मेवाड़ चट्टानी क्षेत्र एवं दक्षिणी अरावली प्रदेश में विभक्त किया गया है।

पूर्वी मैदानी राज्य के 23.3 प्रतिशत भू-भाग पर फैला हुआ है जो मुख्यतः बनास, चम्बल एवं माही नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। इस मैदान का विस्तार भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, टोंक, जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ कोटा और बूंदी जिलों में हैं। यहां अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। इस क्षेत्र में गेहूँ बाजरा, ज्वार, तिलहन, दालें आदि प्रमुख फसलें पैदा की जाती हैं। इस मैदानी प्रदेश को धरातलीय विविधता के आधार पर तीन उप-भागों चम्बल बेसिन, बनास बेसिन व मध्य माही बेसिन में विभक्त किया गया है।

दक्षिणी-पूर्वी पठारी प्रदेश जिसे हाड़ोती के पठार के नाम से भी जाना जाता है, राज्य के 9.6 प्रतिशत भू-भाग पर फैला हुआ है। इस क्षेत्र की औसत ऊँचाई 500 मीटर है। इसका विस्तार झालावाड़, कोटा, बारां बूंदी जिलों में हैं। यहां मुख्यतः चम्बल व उसकी सहायक नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इस पठारी क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, जिसमें कपास, अफीम, तम्बाकू और गन्नें की कृषि की जाती है।

2.8 शब्दावली (Glossary)

प्राकृतिक प्रदेश

Natural Region

मरूस्थल	Desert
रेतीले टीले	Sand Dunes
भूमिगत जल	Underground Water
खारा	Saline
बलुआ पत्थर	Sand Stone
जल विभाजक	Water Divide
बीहड़ भूमि	Ravine Land
उष्ण-कटिबन्धीय	Tropical

2.9 सन्दर्भ ग्रन्थ (References)

- सक्सेना, एच.एम. (2007) "राजस्थान का भूगोल" राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
- तिबाड़ी एवं सक्सेना (1994) "राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल" राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
- एच.एस. शर्मा एवं एम.एल. शर्मा (2007) 'राजस्थान का भूगोल' पंचशील प्रकाशन, जयपुर।
- सैदावत तथा पुष्प (2006) 'राजस्थान का भूगोल' रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ (यू.पी.)।
- नाधूरामका, लक्ष्मीनारायण (2007) 'राजस्थान की अर्थव्यवस्था' कॉलेज बुक हाऊस, जयपुर।
- अग्रवाल, एल.सी. (2008) "इंट्रोडक्सन टू जिओग्राफॉलॉजी" पोइंटर पब्लिकेशन, जयपुर।
-

2.10 अभ्यासार्थ प्रश्न (Unit-end Questions)

1. राजस्थान को विभिन्न प्राकृतिक मानों में विभक्त कीजिए। प्रत्येक भाग का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
2. पश्चिमी मरूस्थलीय प्रदेश का वर्णन करते हुए इसे उप-भागों में विभक्त कीजिए।
3. अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश के भौगोलिक एवं आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए।
4. राजस्थान में पूर्वी मैदानी प्रदेश के विस्तार एवं आर्थिक महत्व की विवेचना कीजिए।

इकाई संख्या - 3

जनसंख्या आकार एवं वृद्धि (Population Size and Growth)

इकाई की रूपरेखा

- 3.0 उद्देश्य
- 3.1 प्रस्तावना
- 3.2 राजस्थान में जनसंख्या का आकार
- 3.3 जनसंख्या आकार अथवा वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक
 - 3.3.1 कम उम्र में शादी
 - 3.3.2 महिला शिक्षा की दयनीय स्थिति एवं निम्न साक्षरता के कारण
 - 3.3.3 कम दम्पति सुरक्षा दर
 - 3.3.4 सामाजिक पिछड़ापन
- 3.4 जनसंख्या वृद्धि दर
 - 3.4.1 जिलेवार जनसंख्या वृद्धि दर
 - 3.4.2 राजस्थान में जनसंख्या घनत्व
 - 3.4.3 राज्य में लिंग अनुपात
- 3.5 राजस्थान में जनसंख्या नियंत्रण के सरकारी प्रयास
 - 3.5.1 राजस्थान की नई जनसंख्या नीति
 - 3.5.2 जनसंख्या एवं मानवीय संसाधन विकास
 - 3.5.3 जनसंख्या नियंत्रण हेतु सुझाव
- 3.6 सारांश
- 3.7 शब्दावली
- 3.8 संदर्भ ग्रन्थ
- 3.9 अभ्यासार्थ प्रश्न

3.0 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप :

- समझ सकेंगे कि राजस्थान में जनसंख्या के आकार से संबन्धित क्या-क्या समस्याएं हैं? एवं इन समस्याओं के लिए उत्तरदायी कारक कौन-कौन से हैं?
- राज्य में पिछले दशकों में जनसंख्या वृद्धि की दरों में क्या परिवर्तन हुआ है? कौन-कौन से जिलों में जनसंख्या वृद्धि की दर तेज है एवं क्यों?
- राजस्थान सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के सम्बन्ध में अब तक क्या-क्या प्रयास किए गए हैं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या स्थिति है?

- जनसंख्या नियंत्रण के बारे में क्या नीति अपनाई जानी चाहिए?

3.1 प्रस्तावना (Introduction)

राजस्थान की जनसंख्या 2001 के आँकड़ों के अनुसार लगभग 565 करोड़ है, जबकि भारत की कुल जनसंख्या 102.7 करोड़ व्यक्ति हैं। इस प्रकार राज्य की जनसंख्या देश की जनसंख्या का करीब 5.5 प्रतिशत है। 1991 में यह 5.2 प्रतिशत थी। राज्य की जनसंख्या के सम्बन्ध में सबसे चिन्ताजनक पहलू यह है कि राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर भारत की जनसंख्या वृद्धि दर से तीव्र है उदाहरणार्थ 1981-1991 के मध्य जहां देश की जनसंख्या में 23.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहीं राज्य की जनसंख्या में इसी अवधि में 28.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी प्रकार 1991-2001 के दशक में भारत की जनसंख्या में जहां 21.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहीं राजस्थान की जनसंख्या में इसी अवधि में 28.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार मामूली गिरावट के बावजूद राज्य की जनसंख्या की वृद्धि दर अत्यधिक है यह एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। प्रस्तुत इकाई में राजस्थान राज्य में जनसंख्या के आकार, वृद्धि एवं इससे जुड़ी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इकाई के अन्त में सारांश, शब्दावली एवं सन्दर्भ ग्रंथों की सूची भी दी गई है।

3.2 राजस्थान में जनसंख्या का आकार

(Size of the Population in Rajasthan)

जनसंख्या का आकार क्षेत्र विशेष में उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों पर निर्भर करता है। यदि प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं तो जनसंख्या का जमाव भी अधिक होगा एवं आकार बढ़ता जायेगा क्योंकि भूमि की उर्वरता शक्ति जनसंख्या के आकार को प्रभावित करती है। जहां कृषि भूमि उपजाऊ है पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, खनिजों का दोहन तीव्र गति से हो रहा है, वन उपज अधिक है वहां स्वतः ही मानवीय संसाधनों का विकास होने लग जायेगा। 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में 5.56 करोड़ व्यक्ति निवास करते थे जिसमें 2.94 करोड़ पुरुष एवं 2.71 करोड़ महिलाएं थी परन्तु जनसंख्या के आकार की दृष्टि से इनका विवरण पूर्ण रूपेण असमान है। जिसका मुख्य कारण राज्य की भौगोलिक संरचना है। राज्य का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जयपुर है जहां राज्य की 9.3 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। जबकि सबसे कम आबादी वाला जिला जैसलमेर है, जहां राज्य की एक प्रतिशत से भी कम आबादी है। राज्य के पश्चिमी जिलों (जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़ एवं गंगानगर) में जनसंख्या का जमाव काफी कम है।

सारणी 3.1 के अनुसार राज्य 10 जिलों में राज्य की लगभग आधी जनसंख्या निवास करती है। ये अधिकांश जिले राज्य के उत्तरी-पूर्वी भाग में स्थित हैं, जहां भूमि का उपजाऊपन एवं वार्षिक औसत वर्षा राज्य के अन्य भागों की अपेक्षा अधिक है। राजस्थान में जनसंख्या का आकार राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित है। राज्य में जनसंख्या के आकार का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू नगरीयकरण के स्तर से है। राज्य के जिन जिलों में शहरीकरण की

रफ्तार तीव्र है उन जिलों की आबादी का आकार भी अधिक है। जैसे जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर एवं कोटा में नगरीकरण की गति 30-50 प्रतिशत तक पहुँच गई है। फलतः इन जिलों की आबादी के आकार में वृद्धि हो रही है। इसका मुख्य कारण आन्तरिक प्रवास है। लोग रोजगार की तलाश में बड़े शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। अतः इन जिलों की आबादी प्रवास के कारण बढ़ रही है एवं जनसंख्या के आकार को समझने के जनसंख्या के आकार को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करना आवश्यक है।

सारणी 3.1

राजस्थान में जिलों के अनुसार जनसंख्या का प्रतिशत

क्र. सं.	राजस्थान के जिले	2001 में जनसंख्या			राज्य की कुल जनसंख्या में जिले का प्रतिशत
		कुल जनसंख्या	पुरुष	महिला	
1	2	3	4	5	6
1.	गंगानगर	1789423	955378	834045	3.17%
2.	हनुमान गढ़	1518005	801486	716519	2.69%
3.	बिकानेर	1674271	886075	788196	2.9%
4.	चुरू	1923878	987781	936097	3.40%
5.	झुंझुनु	1913689	983526	930163	3.39%
6.	अलवर	2992592	1586752	1405840	5.30%
7.	भरतपुर	2101142	1133425	967717	3.72%
8.	धौलपुर	983258	538103	445155	1.74%
9.	करोली	1209665	651998	557667	2.13%
10.	सवाईमाधोपुर	1117057	591307	525750	1.98%
11.	दौसा	1317063	693438	623625	2.33%
12.	जयपुर	5251071	2768203	2482868	9.30%
13.	सीकर	2287788	1172753	1115035	4.05%
14.	नागौर	2775058	1424967	1350091	4.91%
15.	जोधपुर	2886505	1513890	1372615	5.10%
16.	जैसलमेर	508247	279101	229146	0.90%
17.	बाड़मेर	1964835	1038247	926588	3.48%
18.	जालौर	1448940	737880	711060	2.56%
19.	सिरोही	851107	437949	413158	1.51%
20.	पाली	1820251	918856	901395	3.22%
21.	अजमेर	2181670	1129920	1051750	3.86%
22.	टोंक	1211671	626436	585235	2.14%
23.	बूंदी	962620	504818	457802	1.70%
24.	भीलवाड़ा	2013789	987139	981739	3.56%
25.	राजसमन्द	987024	49345	493565	1.75%
26.	उदयपुर	2633312	9	1297308	4.66%
27.	डुंगरपुर	1107643	1336004	559852	1.96%
28.	बांसवाड़ा	1501589	547791	740903	2.66%

29.	चित्तौड़गढ़	1803524	760686	885461	3.19%
30.	कोटा	1568525	918063	741397	2.78%
31.	बारां	1021653	827128	486516	1.81%
32.	झालावाड़	1180323	535137	567519	2.09%
33.	राजस्थान	56507188	612804	27087177	100.00%

(स्रोत - जनगणना 2001 के आंकड़ें)

3.3 जनसंख्या आकार अथवा वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक (Factors Responsible for Growth or Population Size)

जनसंख्या के आकार में बढ़ोतरी के तीन मुख्य कारक हैं (1) प्रजननता (Fertility) (2) मृत्युता (Mortality) (3) आवृजन (In-migration)। प्रजननता से जनसंख्या के आकार में वृद्धि, मृत्युता से कमी एवं आवृजन से जनसंख्या के आकार में वृद्धि एवं प्रवास (Out-migration) से कमी आती है। वर्तमान में चिकित्सा के क्षेत्र में वैज्ञानिक खोजों के परिणामस्वरूप पूरे विश्व में मृत्युता में कमी आंकी जा रही है। परन्तु प्रजननता के क्षेत्र में आशानुकूल परिणाम अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। राज्य में 2004 के एस. आर.एस. (Sample Registration System) के अनुसार प्रजननता दर 29.3 है जबकि मृत्युता दर 8.7 ही है। यानी जन्म दर एवं मृत्यु दर में अधिक अन्तर के परिणाम स्वरूप राज्य की जनसंख्या के आकार में बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में पिछले दशकों में प्रवास में कमी आयी है। 1971-81 के मध्य राज्य में सकल प्रवास दर लगभग 27 थी जो 1991-2001 के बीच गिरकर केवल 7.3 ही रह गयी यानी राज्य से बाहर जाने वाले लोग एवं राज्य के बाहर से आने वाले लोगों की संख्या में कमी आयी है। इस कमी का मुख्य कारक स्थानीय संसाधनों का विकास एवं राज्य में बड़े नगरों की और ग्रामीण जनसंख्या का पलायन। अतः इस विवेचना से यह अंकित होता है कि राज्य में जनसंख्या के आकार को बढ़ाने वाला मुख्य कारक राज्य की प्रजननता दर है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव जनसंख्या वृद्धि पर देखा जा सकता है। उच्च प्रजननता दर के कारण राज्य में जनसंख्या के आकार में बढ़ोतरी होती जा रही है। उच्च प्रजननता दर के कई कारक हैं। परन्तु उनमें से मुख्य कारक विवाह की उम्र (Age at Marriage), दम्पति सुरक्षा दर (Couple Protection Rate), महिला शिक्षा (Female Education) और सामाजिक पिछड़ापन (Social Backwordness) है। इन कारकों की विस्तृत चर्चा की गयी है।

3.3.1 कम उम्र में शादी

राजस्थान में बाल विवाह एक सामाजिक प्रथा बन गया है। देश में सबसे अधिक बाल विवाह राजस्थान में होते हैं। बाल विवाह के पीछे क्या धारणा रही होगी यह विवेचना का विषय नहीं है। परन्तु बाल विवाह से प्रजननता दर पर परोक्ष प्रभाव दिखाई देता है। राज्य में औसत बालिकाओं के विवाह की आयु 17.4 वर्ष है एवं बालकों की औसत विवाह आयु 19.2 वर्ष है जो शादी की लड़के (21 वर्ष) एवं लड़कियों (18 वर्ष) की वैधानिक उम्र से नीचे है। डा. अग्रवाल के

अनुसार यदि लड़कियों के विवाह की औसत उम्र 17 वर्ष से बढ़ाकर 19 वर्ष की दी जाय तो महिला अपने प्रजनन काल में औसतन एक बच्चा कम पैदा करेगी। अतः प्रजननता दर में गिरावट आयेगी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2005) राजस्थान के अनुसार 15-20 वर्ष की विवाहित महिलाओं में 70 प्रतिशत महिलाओं के कम से कम एक बच्चा पैदा होता है। फलतः राज्य की वर्तमान में कुल प्रजननता 3.7 है। अतः राजस्थान में औसतन प्रति महिला 3.7 बच्चे पैदा करती है। उच्च प्रजननता दर के कारण राज्य में जनसंख्या के आकार में वृद्धि हो रही है।

3.3.2 महिला शिक्षा की दयनीय स्थिति एवं निम्न साक्षरता के कारण

राजस्थान महिला साक्षरता की दृष्टि से काफी पिछड़ा राज्य है। 2001 की जनसंख्या के अनुसार महिला साक्षरता दर 44.34 प्रतिशत थी जबकि देश की महिला साक्षरता दर 54.16 प्रतिशत है। यह दर राज्य में पुरुषों की अपेक्षा लगभग 32 बिन्दु कम है यानी राज्य में अधिक से अधिक महिलाएं आज भी निरक्षर हैं। महिला शिक्षा की इस दयनीय स्थिति का कारण राज्य की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति है। बालिका को बचपन से ही निरक्षर बने रहने का संस्कार परिवार से प्राप्त होता है। बालिका को पराये घर जाकर चूल्हा, चक्की, खेती-बाड़ी एवं बच्चे पैदा करने तक के सीमित दायरे में बांधा जाता है। बालिका निरक्षर होने से बाल विवाह को बढ़ावा मिलता है एवं कच्ची उम्र माँ बनने का सौभाग्य जिससे माँ एवं बच्चे के स्वास्थ्य पर परोक्ष रूप से प्रभाव आता है। कम उम्र में बच्चे पैदा होने से महिलाओं के प्रजनन काल में बढ़ोतरी हो जाती है। जिससे अधिक सन्तानें पैदा होती है। महिला का सन्तानों उत्पत्ति काल 15 से 49 वर्ष का होता है। यदि कोई महिला 16 वर्ष में प्रथम बच्चा पैदा करे तो उसका सन्तानोत्पत्ति काल 33 वर्ष होगा जबकि यदि महिला का विवाह 25 वर्ष में होता है एवं प्रथम बच्चा 27 वर्ष में पैदा होता तब महिला का सन्तानोत्पत्ति काल 22 वर्ष ही होगा। अतः महिला शिक्षा के माध्यम से विवाह की उम्र बढ़ाई जा सकती है। विवाह की उम्र बढ़ने से प्रजननता दर में कमी आयेगी। यही नहीं महिला शिक्षा परिवार के आकार के बारे में चेतना प्रदान करती है। कहा जाता है कि यदि एक बालिका शिक्षित होगी तो सात पीढ़ी का भला करेगी। इस कथन से स्पष्ट होता है कि शिक्षित महिला अपने विवेक के अनुसार परिवार का आकार एवं गुणवत्ता को निर्धारित कर सुखमय जीवन की और अग्रसर होती है।

3.3.3 दम्पति सुरक्षा दर कम

जनसंख्या के आकार को बढ़ाने वाले कारकों में दम्पति सुरक्षा दर में कमी भी एक महत्वपूर्ण कारक हैं। राजस्थान में दम्पति सुरक्षा दर कम है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण राजस्थान 2005 के अनुसार राज्य में दम्पति सुरक्षा दर 47.2 है। इसमें महिला बन्ध्याकरण 43.2, पुरुष बन्ध्याकरण 0.8, गर्भनिरोधक खाने की गोलियां 2.0, आ.यू.डी. 1.6 एवं निरोध 5.7 के द्वारा दम्पति सुरक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दम्पति दर का अर्थ प्रति 100 दम्पतियों में से कितने दम्पति वर्तमान में बच्चे की चाह नहीं रखते हैं। अतः वे किसी न किसी प्रकार के परिवार नियोजन के साधनों का उपयोग कर रहे हैं। राजस्थान में पुरुष बन्ध्याकरण का हिस्सा

एक प्रतिशत से कम है। पुरुषों का रूझान नसबन्दी की और नगण्य सा होने से भी दम्पति सुरक्षा दर में कमी आंकी गयी है। दम्पति सुरक्षा दर एवं प्रजननता दर में नकारात्मक सहसम्बन्ध है। यदि दम्पति सुरक्षा दर अधिक होगी तो प्रजननता दर में कमी आयेगी। पिछले 15 वर्षों में दम्पति सुरक्षा दर में लगभग 15 बिन्दुओं की बढ़ोतरी हुई है। 1992-93 में राज्य की दम्पति सुरक्षा दर 32.3 थी जो 2005-06 में बढ़कर 47.7 हो गयी। हम दो हमारे दो के नारे को सार्थक बनाने के लिए दम्पति सुरक्षा दर 60 चाहिए। जनांकिकीय विशेषज्ञों के अनुसार राज्य में दम्पति सुरक्षा दर 60 को 2015 तक प्राप्त किया जा सकता है।

दम्पति सुरक्षा दर में कमी का दूसरा पहलू यह है कि राज्य में परिवार नियोजन के साधनों की अनापूर्ति आवश्यकता लगभग 15 प्रतिशत है। परिवार नियोजन की अनापूर्ति आवश्यकता का मतलब यह है कि कोई भी दम्पति वर्तमान में संतान नहीं चाहता है या दम्पति की चाह के अनुसार सन्तानें पैदा कर चुका है और भविष्य में अब और सन्तान नहीं चाहता परन्तु वे किसी भी प्रकार के जन्म नियंत्रण के साधनों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अतः यदि परिवार कल्याण की अनापूर्ति आवश्यकता को पूर्ति आवश्यकता में बदल दिया जाय तो राज्य की दम्पति सुरक्षा दर 62 के लगभग पहुँच जायेगी जिसका प्रभाव प्रजननता दर पर पड़ेगा एवं राज्य जनसंख्या स्थिरीकरण की और अग्रसर हो जायेगा जिससे जनसंख्या के आकार को स्थिरीकरण प्राप्त होगा।

3.3.4 सामाजिक पिछड़ापन

राजस्थान में लगभग 17 प्रतिशत अनुसूचित जातियां एवं 12 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। इसके अतिरिक्त पिछड़े वर्ग की जनसंख्या का भी हिस्सा काफी बड़ा है। इन जातियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य का स्तर भी निम्न है। इन समुदायों के लोग अभी तक परम्परागत रीति रिवाजों से बंधित हैं। इनमें बाल विवाह एक सामान्य परम्परा के रूप में देखा जाता है जो जनसंख्या वृद्धि में सहायक है। इन जातियों में आधुनिकता को स्वीकार करने में काफी समय लगता है। इन जातियों में बाल विवाह, मौताणा, गोणा, बहुपति विवाह, नाताप्रथा, मृत्यु भोज आदि सामाजिक कुरितियों के कारण राज्य की लगभग 35 प्रतिशत जनसंख्या सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई है। नारी शिक्षा का स्तर काफी कम है। अधिकांश लोग अपने परम्परागत व्यवसायों में लगे हुए हैं। पंचायती राज्य में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को सम्मिलित करने के बावजूद भी ये अपनी परम्परागत रीति रिवाजों, प्रथाओं, मूल्यों, मानकों से विचलित नहीं हुये हैं। सन्तान पैदा होना अभी तक इनमें ईश्वरीय वरदान के रूप में ही जाना जाता है। ये वर्ग जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाने में सहायक हो रहा है। अतः सामाजिक चेतना जागृति कर सामाजिक पिछड़ेपन के मौलिक बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाय।

बोध प्रश्न -01

1. राजस्थान में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? वर्तमान में नवीनतम जनगणना के उपलब्ध आँकड़े किस वर्ष के हैं?
2. वर्ष 1991 एवं 2001 के मध्य राज्य की जनसंख्या वृद्धि की तुलना कीजिए।

3. राज्य में जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारणों की सूची बनाइए।

3.4 जनसंख्या वृद्धि दर (Growth Rate of Population)

राज्य की जनसंख्या में वृद्धि तीव्र गति से हुई जनसंख्या वृद्धि काल की दृष्टि से राज्यों का तीन कालों में विभक्त किया जा सकता है। 1901 में राज्य की आबादी लगभग 1 करोड़ थी जो 1951 में बढ़कर 1.6 करोड़ के लगभग हो गयी यानि 50 वर्षों में लगभग 60 लाख व्यक्ति बढ़े इस काल को निम्न जनसंख्या वृद्धि का काल कहा जा सकता है। इसके उपरान्त जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि आँकी गयी। 1951-1981 के समयावधि में जनसंख्या निरन्तर बढ़ती रही, 1961 में जनसंख्या वृद्धि दर 26.20 थी जो वर्ष 1981 में बढ़कर 32.97 हो गई। इस काल में जनसंख्या लगभग दोगुनी से भी अधिक हो गयी। 1951 में राज्य की जनसंख्या 1.6 करोड़ से बढ़कर 1981 में 3.4 करोड़ हो गयी इस काल को जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का काल कहा जा सकता है।

सारणी 3.2 के अनुसार 1981 के उपरान्त जनसंख्या वृद्धि में गिरावट आंकी गई। 1981-1991 में वृद्धि दर 28.44 रही जो 1971-81 की अपेक्षा 4 बिन्दु कम दर्ज की गयी। 1991-2001 में जनसंख्या की वृद्धि में अंशमात्र की गिरावट आंकी गयी यह मध्यम जनसंख्या वृद्धि का काल कहा जा सकता है एवं भविष्य में जनसंख्या वृद्धि में गिरावट की ओर संकेत दिखाई देता है।

सारणी 3.2

राजस्थान की जनसंख्या और उसकी दशकीय वृद्धि दर

वर्ष	कुल जनसंख्या	दशकीय परिवर्तन	प्रतिशत
1901	10,294,090	-	-
1911	10,983,309	+689,419,	+6.70
1921	10,292,648	-690,861	-6.29
1931	11,747,974	+1,455,326	+14.14
1941	13,863,859	+2,115,885,	+18.01
1951	15,970,774	+2,106,915	+15.20
1961	20,155,602	+04,184,828	+26.20
1971	25,765,806	+5,610,204	+27.83
1981	34,261,862	+8,496,056	+32.97
1991	44,005,990	+9,744,128	+28.44
2001	56,473,122	+12,467,132	+28.33

स्रोत : जनरल पापुलेशन टेबल 2001

3.4.1 जिलेवार जनसंख्या वृद्धि दर

राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य की वृद्धि दर 28.41 है जो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 21.34 की अपेक्षा काफी अधिक है। यही नहीं जनसंख्या वृद्धि दर में क्षेत्रीय विभिन्नताएं भी अधिक है। राज्य के विरल बसावट वाले जिले

जैसलमेर, बीकानेर में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हैं इसका मुख्या कारक पर्याप्त मात्रा में भूमि की उपलब्धता एवं संसाधनों का विकास। अब ये क्षेत्र मानव बसाव के लिए धीरे-धीरे उपयोगी होते जा रहे हैं। 1981-91 एवं 1991-2001 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर प्रवृत्ति जिलों के अनुसार उतार-चढ़ाव वाली रही है। इस अवधि में 17 जिलों में 1981-91 की अपेक्षा 1991-2001 में जनसंख्या वृद्धि दर में बढ़ोतरी हुई जबकि इसी अवधि में 15 जिलों में कमी आयी। 1981-91 के मुकाबले 1991-2001 में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि सिराही व पाली जिलों में दर्ज की गई इसका मुख्या कारण पिछले दशक में सिराही एवं पाली जिलों में नये उद्योगों की स्थापना विशेषकर कपड़ा रंगाई उद्योग जिससे आवृजन को बढ़ावा मिला फलतः जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से हुई।

उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा आदि जिलों में भी पिछले दशक को अपेक्षा जनसंख्या वृद्धि में 1991-2001 के दौरान बढ़ोतरी आंकी गयी इसके पीछे मुख्य कारण औद्योगिकरण है। इन जिलों में धीरे-धीरे उद्योगों की संख्या में वृद्धि हो रही है जिससे इन जिलों की नगरीय जनसंख्या में प्रवास के माध्यम से बढ़ोतरी हो रही है 1981-91 की अपेक्षा 1991-2001 में रेगिस्तान जिलों, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू आदि में जनसंख्या वृद्धि दर की गिरावट आयी है। इसके पीछे मुख्य कारण वर्षा की कमी 1997-2001 के बीच इस क्षेत्र में लगातार अकाल पड़ा एवं 2001 की जनगणना के समय भी ये क्षेत्र अकाल की चपेट में था फलतः यहां के निवासियों में अस्थाई प्रवास या तो सीमावृति जिलों में या राज्य के बाहर किया। परन्तु अधिकांश प्रवासियों ने लघु दूरी प्रवास ही किया जिससे सीमावृति जिलों की जनसंख्या वृद्धि अधिक हो गयी। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि का सहसम्बन्ध यहां की भौगोलिक एवं प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ जुड़ा हुआ है।

1991-2001 की अवधि में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि जैसलमेर (47.52) दर्ज की गयी इसके उपरान्त बीकानेर (38.24) बाड़मेर (36.90) जयपुर (35.06) एवं जोधपुर जिले में (34.04) आंकी गयी।

जनसंख्या वृद्धि के दो प्रमुख कारक जनांकिकीय दृष्टि से दृष्टिगोचर होते हैं। एक तो प्राकृतिक वृद्धि जो प्रजननता के माध्यम से जनसंख्या में नये चेहरे जुड़ते हैं तथा दूसरा कारक प्रवास है जो किसी क्षेत्र विशेष में संसाधनों के विकास के उत्पन्न रोजगारों से मानव उस तरफ आकर्षित होता है। जिससे उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है। राजस्थान में पिछले 8 दशक में उन जिलों में राज्य स्तरीय जनसंख्या वृद्धि से अधिक वृद्धि दर्ज की गयी जहां या तो संसाधनों का विकास तीव्र गति से हो रहा है या शहरीकरण एवं औद्योगिकरण की गति अपेक्षाकृत अधिक तीव्र है। राज्य के पश्चिमी जिले जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर आदि ऐसे जिले हैं जहां पिछले दशक में कृषि भूमि पर शुष्क खेती की फसलों को बढ़ावा मिला। इन जिलों का कुछ क्षेत्र गंग नहर से सिंचाई उपलब्ध होने से कृषि भूमि में विस्तार हुआ अतः इस क्षेत्र की और लोगों का प्रवास प्रारम्भ हुआ यही नहीं इस क्षेत्र में मानव प्रवास छितराया हुआ होने से स्वास्थ्य सुविधाओं की भी कमी है। जिससे अन्य जिलों की अपेक्षा यहां प्रजननता दर भी अधिक है।

राजस्थान में शहरीकरण की दृष्टि से जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर आदि बड़े शहर हैं। इनको मिलियन सिटी का दर्जा दिया गया है। राज्य में नगरीयकरण की एक विशेष प्रवृत्ति रही है कि बड़े शहर बड़े बनते जा रहे हैं एवं छोटे कस्बों की जनसंख्या वृद्धि धीमी गति से हो रही है। बड़े शहरों का भौतिक विकास तीव्र गति से होने से ये शहर अपने आसपास के गांवों को निगल रहे हैं जिससे ये अपना स्वरूप भीमकाय बना रहे हैं। जयपुर शहर की आबादी 20 लाख को पार कर गयी है। अतः जिन जिलों में ये बड़े शहर स्थित है वहां जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से हो रही है एवं इस वृद्धि का प्रमुख कारक आन्तरिक प्रवास है।

जनसंख्या विशेषज्ञों की दृष्टि से राजस्थान जनांकिकीय संक्रमण की तृतीय अवस्था में चल रहा है। अतः भविष्य में जनसंख्या वृद्धि में गिरावट आयेगी। पिछले 100 वर्षों में राज्य की जनसंख्या में लगभग 5 गुना वृद्धि हुई है। 1901 में राज्य में 1 करोड़ व्यक्ति निवास करते थे जो 2001 में बढ़कर 58 करोड़ हो गये एवं 1951 की तुलना में 2001 में राज्य की जनसंख्या में लगभग तीन गुना बढ़ोतरी हुई है। जनांकिकीय विशेषज्ञों के अनुसार राज्य की जनसंख्या वर्तमान परिपेक्ष में प्रत्येक 27 वर्षों में दोगुना हो रही है। 1901-11 के अवधि काल में 6.8 लाख व्यक्ति आधार जनसंख्या में बढ़ गए जबकि 1991-2001 के अवधि काल में 1.2 करोड़ नये चेहरे आधार जनसंख्या में सम्मिलित हो गये। यानि जनसंख्या में वृद्धि उत्तरोत्तर होती जा रही है एवं जनसंख्या के आकार में बढ़ोतरी हुई। 1951-61 की अवधि में केवल 41 लाख व्यक्ति आधार जनसंख्या में जुड़े जो 1981-1991 में 97 लाख व्यक्ति हो गये। फलतः जनसंख्या के आकार में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी है। एक अनुमान के अनुसार 2011 में राज्य की जनसंख्या 7 करोड़ के लगभग हो जायेगी।

सारणी 3.3

राजस्थान में जिलेवार जनसंख्या वृद्धि 1991-2001

क्र.सं	जिलों के नाम	दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर	
		1991	2001
	राजस्थान	28.44	28.41
1.	गंगानगर	9.36	27.59
2.	हनुमान गढ़	29.03	24.39
3.	बिकानेर	42.70	38.24
4.	चुरू	30.84	24.66
5.	5. झुंझुनु	30.61	20.93
6.	अलवर	30.82	30.31
7.	भरतपुर	27.14	27.22
8.	धौलपुर	28.10	31.19
9.	करौली	28.66	30.39
10.	सवाईमाधोपुर	27.22	27.55
11.	दौसा	30.81	32.44

12.	जयपुर	38.81	35.06
13.	सीकर	33.81	24.14
14.	नागौर	31.69	29.38
15.	जोधपुर	29.12	34.04
16.	जैसलमेर	41.73	47.52
17.	बाड़मेर	28.27	36.90
18.	जालौर	26.52	26.81
19.	सिरोही	20.66	30.13
20.	पाली	16.63	22.46
21.	अजमेर	20.05	26.17
22.	टोंक	24.42	24.27
23.	बूंदी	25.85	24.98
25.	भीलवाड़ा	21.58	26.40
24.	राजसमन्द	18.10	19.97
26.	उदयपुर	24.47	27.42
27.	डुंगरपुर	28.07	26.65
28.	बांसवाड़ा	30.34	29.94
29.	चित्तौड़गढ़	20.42	21.52
30.	कोटा	35.88	28.51
31.	बारां	27.30	26.08
32.	झालावाड़	21.91	23.34

स्रोत: जनगणना 1991 एवं 2001 के आंकड़े

3.4.2 राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व

जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य एक वर्ग किलोमीटर भूमि पर निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या से है। राजस्थान देश के विरल बसाव वाला राज्य है। सन् 1901 में राज्य का औसत घनत्व 30 मनुष्य प्रति वर्ग किलो मीटर था जो 2001 में बढ़कर 165 व्यक्ति प्रति किमी हो गया। परन्तु वर्तमान में भी राजस्थान का घनत्व अन्य राज्यों की अपेक्षा कम है। किसी क्षेत्र का घनत्व वहां की भूमि की पोषण क्षमता पर निर्भर करता है। यदि भूमि की पालन पोषण क्षमता अधिक हो तो भूमि के मूल्यों में वृद्धि होगी एवं जनसंख्या के घनत्व में बढ़ोतरी होगी। अतः जैसे-जैसे राज्य में भूमि पोषण क्षमता (Land Supporting Capacity) बढ़ रही है। जनसंख्या का घनत्व भी बढ़ रहा है। भूमि की पोषण क्षमता कृषि भूमि के विस्तार, भूमि की उर्वरक क्षमता में वृद्धि, औद्योगिकरण, खनिजों के विकास, जल की उपलब्धता शहरीकरण आदि कारकों से बढ़ती है। जनसंख्या घनत्व का विशेषण विकास की गति को समझने में सहायक है।

अतः जनसंख्या के घनत्व को जानना अतिआवश्यक है। तालिका 3.4 के अनुसार 2001 में राज्य का जनसंख्या घनत्व 165 था अर्थात् राजस्थान में 165 व्यक्ति प्रति वर्ग

कि.मी. में निवास करते हैं। यह घनत्व 1991 में 129 था यानि पिछले 10 वर्षों में 36 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. की वृद्धि आंकी गई। राज्य में जनसंख्या के घनत्व में काफी असमानता पायी जाती है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व (471) जयपुर जिले में दर्ज किया गया इसके बाद भरतपुर जिले (414) एवं दौसा जिले (384) में दर्ज किया गया जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जैसलमेर (13) है। अतः जनसंख्या के घनत्व में राज्य में काफी विषमताएं पायी जाती हैं। जिन जिलों में जनसंख्या का आकार अधिक है उन जिलों का जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। राज्य के तेरह जिलों में जनसंख्या का घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. से अधिक है। ये अधिकांश जिले उत्तरी-पूर्वी एवं मध्य भाग में स्थित है जहां खनिज सम्पदा, औद्योगीकरण, शहरीकरण, भूमि की उत्पादन क्षमता, वार्षिक वर्षा अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है। जबकि राज्य का पश्चिमी भाग मरूस्थलीय है जहां जनसंख्या का आकार काफी कम है परन्तु क्षेत्रफल की दृष्टि से इन जिलों में भू-भाग अधिक परन्तु भूमि का अनउपजाऊपन है। अतः मानव बसाव के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां होने से जनसंख्या घनत्व कम है। राज्य के पश्चिमी जिले जैसे जैसलमेर (13), बाड़मेर (69), बीकानेर (61) में जनसंख्या का घनत्व काफी निम्न हैं जो राज्य की जनसंख्या को भविष्य में बसाव का क्षेत्र के रूप में पहचाना जा सकता है। यहां भूमि एवं जन विकास की परियोजनाओं के द्वारा जनसंख्या बसाव को बढ़ाया जा सकता है जो भविष्य में बढ़ती आबादी के निवास के लिए उपयुक्त होगा।

सारणी 3.4

राजस्थान राज्य के जिलों में जनसंख्या का घनत्व

क्र.स.	जिलों के नाम	जनसंख्या का घनत्व(व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)	
		1991	2001
1	2	3	4
	राजस्थान	129	165
1.	गंगानगर	176	163
2.	हनुमान गढ़	96	157
3.	बिकानेर	44	61
4.	चुरू	92	114
5.	झुंझुनु	267	323
6.	अलवर	274	357
7.	भरतपुर	326	414
8.	धौलपुर	247	324
9.	करोली	168	218
10.	सवाईमाधोपुर	195	248
11.	दौसा	290	384
12.	जयपुर	349	471
13.	सीकर	238	296

14.	नागौर	121	157
15.	जोधपुर	94	126
16.	जैसलमेर	9	13
17.	बाड़मेर	51	69
18.	जालौर	107	136
19.	सिरोही	127	166
20.	पाली	120	147
21.	अजमेर	204	157
22.	टोंक	136	168
23.	बूंदी	139	173
24.	भीलवाड़ा	152	192
25.	राजसमन्द	213	256
26.	उदयपुर	154	196
27.	डुंगरपुर	232	294
28.	बांसवाड़ा	229	298
29.	चित्तौड़गढ़	137	166
30.	कोटा	224	288
31.	बारां	116	146
32.	झालावाड़	154	190

(स्रोत - जनगणना 2001 के आंकड़े)

3.4.3 राजस्थान में लिंग अनुपात (Sex Ratio in Rajasthan)

जनसंख्या में स्त्रियों एवं पुरुषों के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। इसकी गणना प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या से की जाती है। लिंगानुपात स्त्री-पुरुष की सामाजिक परिस्थितियों को दर्शाता है। जब लिंगानुपात संतुलित है तो महिला-पुरुष की सामाजिक परिस्थितियां जैसे-विवाह सशक्तिकरण आदि में संतुलन बना रहता है एवं समाज में एक व्यवस्थित प्रबन्धन होता है। परन्तु इसके विपरीत जब लिंगानुपात में अधिक अन्तर आ जाता है तो वैवाहिक परिस्थितियों में भी बदलाव आता है एवं बहुपति या बहुपत्नी विवाह का प्रचलन समाज में दिखाई देता है। राजस्थान में लिंगानुपात की स्थिति में उतार-चढ़ाव वाली रही है। परन्तु यह सर्वविदित है कि राज्य में पिछले 100 वर्षों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या 78-104 तक कम रही। सन् 1991 में राज्य का लिंगानुपात 910 था जो 2001 में बढ़कर 922 हो गया यानी 12 महिलाएं प्रति हजार पुरुषों पर वृद्धि आंकी गई। सन् 1991-2001 के मध्य सिरोही जिले को छोड़कर सभी जिलों में लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई, सबसे अधिक वृद्धि धौलपुर में (33) एवं डूंगरपुर में (32) महिलाएं प्रति हजार पुरुषों पर बढ़ी। सबसे कम महिलाओं की बढ़ोतरी हनुमानगढ़ एवं बीकानेर जिलों (4) में दर्ज की गई। जिलों में बढ़ते लिंगानुपात सामाजिक विकास के उज्ज्वल भविष्य की ओर इशारा करता है। जिलों के अनुसार

लिंगानुपात में काफी विषमताएं देखी जा सकती हैं। 2001 के अनुसार सबसे अधिक महिलाओं की संख्या इंगरपुर (1027) एवं राजसमन्द (1002) जिलों में आंकी गई जबकि धौलपुर (828) जिलों में दर्ज की गई। राज्य के आधे जिलों के उच्चतम एवं निम्नतम लिंगानुपात का अन्तर 105 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों का है। यह अन्तर एक सोच का विषय है। लिंगानुपात में अधिक अन्तर का मुख्य कारण जनगणना के समय ली गई गणना में त्रुटि, महिला मृत्यु एवं शिशु मृत्यु दर में असमानता, लिंग चयनित प्रवास, एवं लिंग चयनित भ्रूण हत्या है। अतः इस विषय पर गहन छानबीन की जरूरत है।

सारणी 3.5

राजस्थान में जिलेवार लिंगानुपात 1991-2001

क्र. संख्या	जिले	1991	2001	अन्तर
1.	गंगानगर	865	873	8
2.	हनुमान गढ़	891	895	4
3.	बिकानेर	885	889	4
4.	चुरू	937	948	11
5.	झुंझुनु	931	946	15
6.	अलवर	880	887	07
7.	भरतपुर	832	857	25
8.	धौलपुर	795	828	33
9.	करोली	840	858	18
10.	सवाईमाधोपुर	870	889	19
11.	दौसा	884	899	15
12.	जयपुर	892	897	05
13.	सीकर	946	951	05
14.	नागौर	942	951	09
15.	जोधपुर	891	908	17
16.	जैसलमेर	807	821	14
17.	बाड़मेर	891	896	05
18.	जालौर	942	968	26
19.	सिरोही	949	944	-05
20.	पाली	956	983	27
21.	अजमेर	918	932	14
22.	टोंक	923	936	13
23.	बूंदी	889	908	19
24.	भीलवाड़ा	945	964	19
25.	राजसमंद	991	1002	11
26.	उदयपुर	956	972	16

27.	डुंगरपुर	995	1027	32
28.	बांसवाड़ा	969	978	09
29.	चित्तौड़गढ़	950	966	16
30.	कोटा	881	895	14
31.	बारां	896	909	13
32.	झालावाड़	918	928	10
	राजस्थान	910	922	12

स्रोत : जनगणना रिपोर्ट 2001, राजस्थान

बोध प्रश्न -02

- राजस्थान की जिलेवार जनसंख्या वृद्धि के आकड़ों का अध्ययन कीजिए एवं बताइए
 - सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किस जिले में हुई?
 - सबसे कम जनसंख्या वृद्धि किस जिले में हुई?
- जनसंख्या के घनत्व का क्या अभिप्राय है?
- आपके जिले की जनसंख्या के घनत्व का पता लगाइए।
- लिंग अनुपात में संतुलन से क्या अभिप्राय है?
- अपने जिले की जनसंख्या का लिंग अनुपात सारणी से ज्ञात कीजिए।

3.5 राजस्थान में जनसंख्या नियन्त्रण के सरकारी प्रयास (Efforts of the Government to Control Population in Rajasthan)

स्वतंत्रता के बाद से राजस्थान की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, राज्य की जनसंख्या 1951 में 1.6 करोड़ थी जो 2001 में बढ़कर 5.6 करोड़ के लगभग हो गयी। भारत के आजादी के समय अनेक समस्याएं थी उनमें से एक समस्या बढ़ती हुई आबादी की थी इस समस्या के समाधान हेतु विश्व में भारत प्रथम देश था जिसने सबसे पहले अपनी जनसंख्या नीति 1952 में बनाई एवं पंचवर्षीय योजनाओं के तहत इसको मूर्तरूप दिया हमारे देश की जनसंख्या नीति जन्म विरोधी (Anti-natal) है। जन्म विरोधी नीति में सबसे पहले परिवार नियोजन का स्वैच्छिक रूप से लागू किया इसके बाद 1966 में परिवार नियोजन को कैफेटेरिया एप्रोच के रूप में लागू किया गया परन्तु उस समय स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के अभाव में मृत्यु दर काफी उच्च होने से इस कार्यक्रम को जनमानस ने कम अपनाया परिणाम स्वरूप 1971-81 में राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर अपने सर्वोत्तम स्तर 32.97 पर पहुँच गयी। तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था डाँबाडोल हो गयी। 1981 के बाद राज्य सरकार ने मातृ एवं शिशु कल्याण योजना एवं परिवार कल्याण योजना को विस्तृत रूप से लागू किया, परिवार नियोजन हेतु प्रलोभन भी दिया गया, सार्वभौमिक टीकाकरण लागू किया गया, पुरुष, महिला नसबन्दी को प्रोत्साहित किया गया। परिवार नियोजन के क्षेत्र में अच्छे कार्य करने वाली संस्थाओं, कर्मचारियों, पंचायतों आदि को प्रोत्साहित किया गया।

जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम को जनमानस की भागीदारी वाला कार्यक्रम बनाने के प्रयास किये गये जिसके परिणाम 1981-91 के बीच जनसंख्या की वृद्धि दर में लगभग चार प्रतिशत की गिरावट आंकी गई। 1996 में राज्य में प्रजनन शिशु स्वास्थ्य योजना का प्रारम्भ भू-स्तर (Grass Root) से किया गया जिसमें स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन के संसाधनों का विकास किया गया जिससे 1991-2001 के बीच जनसंख्या वृद्धि में आंशिक गिरावट आई। राज्य में जनसंख्या वृद्धि का अधिक होने के मुख्य कारक शिशु एवं मातृ मृत्यु दर की अधिकता है। अतः जनमानस के दिमाग में यह भ्रान्ति है कि 3-4 संतानें पैदा होती हैं तो आगे जाकर 1-2 बचेगी, इस भ्रान्ति से निपटने के लिए सन् 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को प्रारम्भ किया गया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य जच्चा ब बच्चे को पूर्ण स्वस्थ रखना। इस योजना के अन्तर्गत प्रति 1000 आबादी पर एक आशा की नियुक्ति की गई। इस आशा का मूल दायित्व माँ के तीन मह के गर्भ से जब तक बच्चा एक वर्ष का न हो जाय उसकी स्वास्थ्य की दृष्टि से पूर्ण देख-रेख एवं आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान करना है। सभी गर्भवती महिलाओं का प्रसव संस्थागत कराया जा रहा है। ग्रामीण गर्भवती महिला का संस्थागत प्रसव कराने पर 1400 रुपये शहरी महिला को संस्थागत प्रसव कराने पर 1000 रुपये की प्रलोभन राशि प्रदान की जा रही है। यही नहीं प्रति गर्भवती महिला की पूर्ण देख-रेख हेतु आशा को भी 1000 रुपये दिया जा रहा है। इस योजना को जननी सुरक्षा योजना कहा जाता है इस योजना के लागू होने के बाद संस्थागत प्रसवों में तीव्र वृद्धि हुई है। 2003 में राज्य में संस्थागत प्रसव 20 प्रतिशत के लगभग थे जो 2008 में बढ़कर 50 प्रतिशत से भी अधिक है। इस योजना के कारण राज्य में शिशु मृत्युदर एवं मातृ मृत्युदर में गिरावट आंकी गई है जिससे दम्पति सुरक्षा दर में वृद्धि होती जा रही है।

3.5.1 राजस्थान की नई जनसंख्या नीति (Population Policy of Rajasthan)

राजस्थान में प्रथम बार सन् 2000 में अपनी जनसंख्या नीति तैयार की थी। इस नीति में अधिकांश बिन्दु राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुरूप हैं। केवल राज्य के जनांकिकीय प्रतिमानों के अनुसार एवं क्षेत्रीय विषमताओं को ध्यान में रखकर इसमें समावेश किया गया है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य जनांकिकीय प्रतिमानों को ध्यान में रखकर नीति क्रियान्वयन करना है। राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु जनसंख्या का नियंत्रण एवं जनसंख्या को गुणात्मक रूप देना आवश्यक है। जनसंख्या नियंत्रण हेतु गरीबी का उन्मूलन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देना, प्रति व्यक्ति/वर्तमान मूल्य निर्देशक के अनुसार 13,800 रुपये प्रतिवर्ष आय 2002 में थी जिसको सन् 2010 में 25000 एवं सन् 2020 में 55000 तक ले जाना। वर्ष 2001-2011 तक जनसंख्या वृद्धि दर में 24 प्रतिशत एवं वर्ष 2011-2021 में 18 प्रतिशत की कमी लाना है। सन् 2016 तक प्रजननता स्तर में सकल प्रजननतादर (Reproductive Rate) को एक करना सम्मिलित है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए परिवार नियोजन को बढ़ावा दिया जायेगा। अनचाहे शिशु को नियंत्रित करना, शिशु मृत्युदर के वर्तमान स्तर 76 प्रति हजार जीवित शिशुओं से 30 के स्तर पर लाना, किशोर शिक्षा पर ध्यान देना, विवाह एवं प्रजनन की आयु

सीमा को सुनिश्चित करना, नारी शिक्षा को प्रोत्साहित करना, शिक्षा के माध्यम से जनसंख्या स्थिरीकरण को जन-जन का कार्यक्रम बनाना, लड़के एवं लड़की के सामाजिक एवं आर्थिक अन्तर को कम करना, जन्म पूर्व लिंग निर्धारण परीक्षण पर पाबन्दी लगाना, माँ एवं बच्चे को कुपोषण से बचाना, आवासीय समस्याओं को निपटाना, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, बेरोजगारी के स्तर को कम करना, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में कमी लाना, बाल मजदूरी पर रोक लगाना, वन क्षेत्र में वृद्धि करना एवं मरु क्षेत्र में संसाधनों का विकास करना। स्वास्थ्य के संरचनात्मक ढांचे को सुदृढ़ बनाकर मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्युदर के वर्तमान स्तर को निम्नतम स्तर पर लाना है। परिवार नियोजन के साधनों को माध्यम से दम्पति सुरक्षा दर को बढ़ाकर सन् 2010 तक 60 के स्तर पर लाना है जिससे जनसंख्या में स्थिरीकरण आयेगा। जनसंख्या नीति का मुख्य अंश सूक्ष्म स्तर (Micro Level) पर सामाजिक एवं आर्थिक विकास के फलस्वरूप ही जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाने वाले प्रतिमानों में गिरावट आयेगी।

3.5.2 जनसंख्या एवं मानवीय संसाधन विकास (Population and Human Resource Development)

पिछले 50 वर्षों में जनसंख्या की राज्य में लगभग तीन गुनी बढ़ोतरी हुई है परन्तु इसके साथ मानवीय संसाधनों का विकास भी हुआ है। आजादी के समय शिक्षा प्राप्त करने हेतु अधिक दूरी तय करनी पड़ती थी यही नहीं उच्च शिक्षा हेतु अन्य राज्यों में जाना पड़ता था परन्तु आज 74.58 प्रतिशत स्कूल किसी भी जगह से एक किमी दूरी में स्थित है। यही नहीं करीब-करीब सभी जिलों में उच्च शिक्षा हेतु कॉलेज उपलब्ध है। 1980 के आसपास पूरे राज्य में 117 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थे जो वर्तमान में 1662 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 263 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय अस्पताल है यही नहीं राज्य के प्रत्येक 5 किमी क्षेत्र में एक उपस्वास्थ्यय केन्द्र को स्थापित किया है। राज्य में 16000 से भी अधिक उपस्वास्थ्य केन्द्र हैं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास होने से आजादी के आसपास राज्य का साक्षरता स्तर 17 प्रतिशत के लगभग था जो वर्ष 2001 में बढ़कर 61 प्रतिशत हो गया। 1951 में शिशु मृत्युदर 143 थी जो वर्ष 2006 में घटकर 65 के लगभग हो गई यही नहीं आम जनता की जीवन प्रत्याशा अवधि बढ़ी है। 1951-61 के दशक के दौरान राज्य में औसत रूप से 46.8 वर्ष व्यक्ति जिन्दा रहता था यह बढ़कर वर्ष 2005 में 62.5 हो गई है। सन् 1971 में गरीबी के नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या लगभग 39 प्रतिशत थी जो वर्तमान में घटकर 13 प्रतिशत हो गई है जिनको बी.पी.एल.(Below Poverty Line) परिवार कहा जाता है। आज प्रत्येक गांव प्रधानमंत्री सड़क योजना से जिला मुख्यालय से जुड़ गया है। दूर दराज केवल एक सपना बन गया है। यातायात एवं पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 20 वर्षों से काफी बढ़ोतरी हुई है। राज्य में 44.2 प्रतिशत लोगों के पास साइकिल, 14.59 प्रतिशत लोगों के पास स्कूटर या मोटर साइकिल एवं 3.48 प्रतिशत लोगों के पास कार/जीप आदि की स्वयं के परिवहन साधन है। प्रत्येक जिला, शहर, गांव बसों

एवं रेलों के जाल से जुड़ चुके हैं। संचार के साधनों की दृष्टि से लगभग 44 प्रतिशत गृहों में रेडियो एवं 41 प्रतिशत गृहों में टेलीविजन की सुविधाएं हैं। लगभग 14 प्रतिशत गृहों में टेलीफोन एवं 28 प्रतिशत आबादी के पास मोबाईल फोन सुविधा उपलब्ध है। राज्य में 31 प्रतिशत लोग बैंक सुविधाओं से जुड़े हुए हैं। खाना पकाने के लिए राज्य में 14 प्रतिशत लोग एल.पी.जी. गैस का उपयोग कर रहे हैं। करीब 98 लोगों के पास अपने स्वयं के गृह हैं। राज्य की 60 प्रतिशत जनता नल का पानी पीती हैं एवं लगभग वह प्रतिशत लोग हैण्डपम्प के पानी का उपयोग कर रहे हैं। यातायात के द्रुतगति के साधनों ने राज्य की खाद्य समस्या का निवारण कर दिया है। वैसे पिछले 50 वर्षों में खाद्यानों के उत्पादन में लगभग चार गुनी बढ़ोतरी हुई है। यही नहीं कृषि भूमि का क्षेत्र भी लगभग दो गुना हो चुका है। औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के क्षेत्र में भी राज्य में काफी बढ़ोतरी हुई आजादी में समय राज्य में नगरीयकरण 12-13 प्रतिशत के आस-पास था जो बढ़कर सन् 2001 में 24 प्रतिशत के आस-पास हो गया एवं राज्य की राजधानी जयपुर का स्थान मिलीयन सिटी में आ गया, भीलवाड़ा कपड़ा उद्योग का मैनचेस्टर बन गया, उदयपुर जिक उत्पादन का केन्द्र विश्व प्रसिद्ध बन गया, नाना प्रकार के खनिजों का उत्पादन होने लगा जिससे यहां के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया। राज्य में वर्ष 1960 के आस-पास 4 मीटर कपड़ा प्रति व्यक्ति उपयोग होता था वो वर्तमान में बढ़कर 42 मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपभोग हो रहा है। श्वेत क्रांति के परिणाम स्वरूप राज्य के प्रत्येक व्यक्ति का 400 ग्राम दुग्ध एवं दुग्ध से बनी वस्तुएं प्रतिदिन नसीब हो रही है।

अतः जनसंख्या बढ़ने से मानव संसाधनों का दोहन कर मानवीय विकास तो हुआ है परन्तु जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उस पर यदि काबू नहीं पाया गया तो मानव संसाधन विकास चरमरा जायेगा।

3.5.3 जनसंख्या नियंत्रण के सुझाव (Suggestions for Population Control)

समय-समय पर अनेक विद्वानों ने जनसंख्या नियंत्रण हेतु नाना प्रकार के सुझाव दिये उनमें कुछ सुझाव ऐसे हैं जिनका क्रियान्वयन किया जाय तो जनसंख्या नियंत्रण के परिणाम प्रोजेक्ट अवधि से पूर्व ही प्राप्त किये जा सकते हैं।

1. गरीबी उन्मूलन एवं प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि।
2. स्वरोजगार एवं बेरोजगारी का उन्मूलन।
3. मातृ मृत्युदर एवं शिशु मृत्युदर को निम्न स्तर पर लाना।
4. राज्य में विवाह की वैद्यनिक उम्र को सख्ती से लागू करना।
5. जनसंख्या शिक्षा, यौन शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, किशोर शिक्षा, पोषण शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा आदि को औपचारिक शिक्षा के माध्यम से बढ़ावा देना।
6. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में मानवीय एवं संरचनात्मक ढांचे का विकास करना।
7. जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को मिशन का रूप प्रदान करना।
8. दो से अधिक बच्चे पैदा करने वाले दम्पतियों को सरकारी सुविधाओं से वंचित करना।

9. राज्य में प्रत्येक नागरिक को भोजन, पोषण, शिक्षा, रोजगार, आवास एवं स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार देना।

अनेक सर्वेक्षणों से पता चल रहा है कि अब राज्य में केवल 35 प्रतिशत जनसंख्या ही ऐसी है जो जन्म नियंत्रण में विश्वास नहीं करती है। इस जन भाग के लिए विशेष कार्यक्रम चलाकर इनकी मनोवृत्ति को समझकर समाधान किया जाय तो 2016 तक जन वृद्धि में कमी लायी जा सकती है।

3.6 सारांश (Summary)

राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए राज्य में जनसंख्या का आकार अधिक है। पूरे देश की 5 प्रतिशत जनसंख्या राज्य में निवास करती है। जहां राज्य का लगभग 38 प्रतिशत क्षेत्र रेगिस्तानी एवं पहाड़ी है। जनसंख्या वृद्धि दर भी उच्च होने से एक चिन्तनीय विषय बन गया है। राज्य सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है ऐसी स्थिति में जनसंख्या नियंत्रण के किये गये प्रयास ज्यादा उत्साहजनक नहीं है। पिछले 50 वर्षों से राज्य सरकार ने नाना प्रकार के प्रयोग किये हैं परन्तु उचित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाये। वैसे मानव संसाधनों का विकास हुआ परन्तु विकास की चमक का जनसंख्या वृद्धि ने निगल डाला है। विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान अब पिछड़े राज्यों से कुछ उपर उठ गया है एवं आने वाले समय में यह राज्य विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जायेगा।

3.7 शब्दावली (Glossary)

वृद्धि दर	Growth Rate
जनसंख्या का आकार	Population Size
जनसंख्या वृद्धि	Population Growth
प्रजननता	Fertility
मृत्युता	Mortality
शिशु मृत्युदर	Migration
मातृ मृत्युदर	Infant Mortality Rate
दम्पत्ति सुरक्षा दर	Couple Protection Rate
महिला शिक्षा	Female Education
साक्षरता दर	Literacy Rate
अनापूर्ति आवश्यकता	Unmet Need
पूर्ति आवश्यकता	Met Need
जनसंख्या स्थिरीकरण	Population Stablisation
जनसंख्या घनत्व	Population Density
जनसंख्या नीति	Population Policy
दशकीय वृद्धि	Decadal Growth

मानवीय संसाधन	Human Resource
सामाजिक पिछड़ापन	Social Backwardness
आन्तरिक प्रवास	In-migration

3.8 सन्दर्भ ग्रन्थ (References)

Census 2001, "Floppy Records", Census Commission, Rajasthan Jaipur

IIPS (2007), "National Family Health Survey, Rajasthan" (2005-06), International Institute of Population Science, Mumbai.

IIPS (2004), "Rapid Household Survey, Rajasthan", International Institute of Population Science, Mumbai.

Government of Rajasthan (2000), "Population Policy of Rajasthan", Directorate Health and Family Welfare Services, Jaipur.

Government of Rajasthan, "Rajasthan Human Development Report" 2002.

Government of India, "Rural Health Statistics" 2006, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi.

Hem Lata Joshi, 2008, "Human Development Index: Rajasthan" Spatio-ternral and Gender appraisal at Panchayat Samiti/Block level (1991-2001), Concept Publication, New Delhi.

बी.एल. नागदा (2000), "जनांकिकी के मूल तत्व", शिवा पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स, उदयपुर।

Dr. B.L. Nagda (2008), "Population and Development in Rajasthan", PRC Publication, Udaipur.

3.9 अभ्यासार्थ प्रश्न (Unit-end Questions)

1. जनसंख्या के आकार से क्या अभिप्राय है? जनसंख्या के आकार को बढ़ाने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए।
2. राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि की विवेचना कीजिए।
3. राजस्थान में बढ़ता घनत्व एवं निम्न लिंग अनुपात से उत्पन्न समस्याओं की व्याख्या कीजिए।
4. राजस्थान की जनसंख्या नीति की विवेचना कीजिए।
5. राजस्थान की जनसंख्या एवं मानवीय संसाधन विकास पर एक लेख लिखिए।
6. राजस्थान में जनसंख्या नियंत्रण करने के उपाय बताइए।

मानव संसाधन विकास-साक्षरता, स्वास्थ्य एवं पोषण (Human Resources Development-Literacy, Health and Nutrition)

इकाई की रूपरेखा

- 4.0 उद्देश्य
- 4.1 प्रस्तावना
- 4.2 मानव संसाधन: अर्थ एवं महत्व
- 4.3 राजस्थान में साक्षरता
 - 4.3.1 राजस्थान में साक्षरता के अनुमान एवं प्रगति
 - 4.3.2 साक्षरता दर कम होने के कारण
 - 4.3.3 साक्षरता दर में वृद्धि के सरकारी प्रयास
- 4.4 राजस्थान में स्वास्थ्य
- 4.5 राजस्थान में पोषण
- 4.6 सारांश
- 4.7 शब्दावली
- 4.8 सन्दर्भ ग्रन्थ
- 4.9 अभ्यासार्थ प्रश्न

4.0 उद्देश्य (Objectives)

किसी भी क्षेत्र का आर्थिक एवं सामाजिक विकास मुख्यतः तीन संसाधनों पर निर्भर करता है- (1) प्राकृतिक संसाधन (2) पूँजीगत संसाधन (3) मानव संसाधन। इन सबमें सबसे महत्वपूर्ण साधन है मानव संसाधन क्योंकि यही एक मात्र सक्रिय संसाधन है जिसके बिना किसी भी क्षेत्र के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रस्तुत इकाई में मानव संसाधन विकास के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की जाएगी।

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप समझ सकेंगे कि:

- मानव संसाधन का अर्थ क्या है?
- मानव संसाधन के महत्वपूर्ण सूचक कौन-कौन से हैं?
- राजस्थान में साक्षरता की स्थिति कैसी है?
- सरकार ने इसकी दर में वृद्धि के क्या प्रयास किये हैं?
- राजस्थान में स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति क्या है?
- सरकार ने स्वास्थ्य एवं पोषण सुधार के क्या प्रयास किये हैं?

4.1 प्रस्तावना (Introduction)

किसी भी देश की उन्नति एवं अवनति उस देश के मानव संसाधन की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अतः उसकी वास्तविक सम्पत्ति जनसंख्या होती है। प्राकृतिक संसाधनों अथवा पूँजीगत संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग पर्याप्त एवं कुशल मानव संसाधन पर निर्भर करता है। अनेक देश ऐसे हैं जहाँ पर्याप्त श्रमशक्ति के अभाव में प्राकृतिक संसाधनों का उचित विदोहन एवं उपयोग नहीं हो पा रहा है। मानव संसाधन के कई महत्वपूर्ण सूचक हैं जैसे जनसंख्या का आकार, वृद्धि दर, जन्म दर, मृत्यु दर, लिंगानुपात, घनत्व, नगरीय जनसंख्या तथा व्यावसायिक ढांचा। इसके अतिरिक्त मानव संसाधन विकास के महत्वपूर्ण सूचक हैं- शिक्षा, स्वास्थ्य, एवं पोषण। अतः प्रस्तुत इकाई में प्रारम्भ में मानव संसाधन विकास के अर्थ एवं महत्व पर प्रकाश डाला जाएगा। तत्पश्चात् राजस्थान में जनसंख्या की स्थिति पर संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने के बाद साक्षरता, स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी स्थिति एवं इसके सुधार हेतु किये गये विभिन्न सरकारी प्रयासों की समीक्षा की जाएगी।

4.2 मानव संसाधन: अर्थ एवं महत्व (Human Resources: Meaning & Importance)

किसी भी देश की वास्तविक सम्पत्ति उसके पास उपलब्ध मानवीय संसाधन है। मानव संसाधन का आशय उस क्षेत्र की जनसंख्या का आकार, उनकी उत्पादक कुशलता, साक्षरता का स्तर, श्रेष्ठ स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति। डी.सी. द्विपत्त के अनुसार 'किसी राष्ट्र की वास्तविक सम्पत्ति न उसकी भूमियों व नदियों में न उसके वनों में व खानों में न उसके पशु व मौद्रिक सम्पत्ति में निहित है वरन उसके स्वास्थ्य, सुखी और प्रसन्न स्त्री पुरुषों व बच्चों में निहित है।' अतः स्पष्ट है कि जनसंख्या आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्रोफेसर आर्थर लुईस के मतानुसार "आर्थिक विकास मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है।" फ्रेडरिक हर्बिसन के विचार भी इस सन्दर्भ में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं- उनके अनुसार 'राष्ट्र का विकास प्रथमतः एवं मुख्यतः उसके लोगों की प्रगति पर निर्भर करता है। यदि उनकी आत्मा और मानवीय सम्भाव्यताओं का विकास नहीं करता तो यह भौतिक, आर्थिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक रूप से अधिक विकसित नहीं हो सकता।"

निःसन्देह किसी भी देश का आर्थिक विकास उसकी कार्य कुशलता व प्रशिक्षित श्रमशक्ति पर निर्भर करता है। अतः इस दृष्टि से मानवीय साधनों के विकास में किया गया प्रत्येक विनियोग सही अर्थों में आर्थिक विकास का वास्तविक विनियोग माना जाएगा। आज अधिकांश विकासवादी अर्थशास्त्री इस बात के पक्ष में हैं कि मानवीय पूँजी में अधिक से अधिक विनियोग किया जाना चाहिए ताकि आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण घटक मानवीय साधन पूर्ण रूप से विकसित हो सके। प्रो. शुल्ज के अनुसार 'हमारी आर्थिक प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण मानवीय पूँजी का विकास है। ऐसा किये बिना हमें व्यापक दरिद्रता एवं कठोर शारीरिक श्रम से मुक्ति नहीं मिल सकती।' संक्षेप में मानव संसाधन या जनसंख्या के महत्व को निम्न बिन्दुओं में स्पष्ट किया जा सकता है।

1. जनसंख्या का आकार शक्ति का प्रतीक होता है।
2. जनसंख्या श्रम शक्ति का स्रोत होती है।
3. जनसंख्या आर्थिक विकास का साध्य एवं साधन दोनों हैं।
4. जनसंख्या मांग का निर्माण करती है।
5. जनसंख्या शोध अनुसंधान एवं आविष्कार की जननी है।

सारणी 4.1 से स्पष्ट होता है कि वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या लगभग 5.65 करोड़ आँकी गई है जो कि 1991 में 4.40 करोड़ थी। इस प्रकार 1991-2001 की अवधि में 28.33 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि की दर है। यहां की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 5.5 प्रतिशत है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 28 राज्यों में प्रथम स्थान है। 1991-2001 की अवधि में भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर 21.34 प्रतिशत थी जो कि स्पष्ट करती है कि राजस्थान में वृद्धि दर राष्ट्रीय स्तर से 7 प्रतिशत अधिक रही है जो राज्य के पिछड़ेपन की प्रतीक है।

सारणी 4.1

राजस्थान में मानवीय संसाधन (जनसंख्या सम्बन्धी महत्वपूर्ण तथ्य)

जिलों की संख्या(2001)	32
क्षेत्रफल (वर्ग किलो मीटर)	342239
देश के क्षेत्रफल का प्रतिशत	10.41
कुल जनसंख्या	56473122
पुरुष	29381657
स्त्री	27091465
भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत	5.5
दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर(1991-2000)	
कुल वृद्धि	12467132
वृद्धि (प्रतिशत)	28.33
जनसंख्या घनत्व	165
स्त्री पुरुष अनुपात	922
साक्षरता दर	
कुल	61.03
पुरुष	76.46
महिला	44.34

स्रोत : भारत की जनगणना 2001

राजस्थान में लिंगानुपात 2001 की जनगणना के अनुसार 922 है जो कि 1991 (910) की तुलना में बढ़ा है। राज्य में विभिन्न जिलों में लिंगानुपात में अन्तर पाया जाता है। राज्य में राजसमन्द एवं झूगरपुर में 1002 तथा 1027 था। इसके अतिरिक्त सभी जिलों में

स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कम पायी गई। यदि भारत के लिंगानुपात से तुलना की जाए तो राज्य का लिंगानुपात 933 की तुलना में कम है। कुल 32 जिलों में से 16 जिलों में लिंगानुपात 922 से अधिक है।

राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व 165 है जबकि 1991 में यह 129 था। भारत में 2001 में जनसंख्या का घनत्व 324 था इस दृष्टि से राज्य की स्थिति बेहतर है। 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य के 32 जिलों में घनत्व की दृष्टि से भी काफी अन्तर पाया जाता है। जयपुर जिले में घनत्व सर्वाधिक 471 रहा तथा जैसलमेर जिले में घनत्व केवल 13 था। राज्य के 22 जिलों में जनसंख्या का घनत्व औसत से अधिक तथा 10 जिलों में औसत से कम था।

बोध प्रश्न -01

1. राजस्थान में 1991-2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी रही ?
2. किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास का महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा है ?
3. राजस्थान में 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिले का है ?
4. जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत की अर्थव्यवस्था में कौनसा स्थान है ?
5. राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौनसा है ?

4.3 राजस्थान में साक्षरता (Literacy in Rajasthan)

मानव संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण सूचक होता है साक्षरता। इसकी परिभाषा विभिन्न समय पर भिन्न-भिन्न रही है तथा इसमें परिवर्तन होता रहता है। व्यक्तियों द्वारा किसी भाषा को सामान्य रूप से लिखने पढ़ने तथा उसे समझने की क्षमता को प्रायः साक्षरता का नाम दिया जाता है। सामान्य तौर पर दो प्रकार की साक्षरता दरें ज्ञात की जाती हैं। पहली सामान्य साक्षरता दर जो कि कुल साक्षरों और देश की कुल जनसंख्या का अनुपात होती है। दूसरी प्रभावशाली साक्षरता दर जो कि भारत में 1981 तक पाँच वर्ष से कम आयु तक के बच्चों को निरक्षर मानते हुए ज्ञात की जाती थी। 1991 की जनगणना से प्रभावी साक्षरता दर ज्ञात करने के लिए सात वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या को छोड़ दिया गया है।

किसी भी देश की जनसंख्या का गुणात्मक पहलू बहुत सीमा तक साक्षरता के स्तर पर निर्भर करता है। साक्षर जनसंख्या का प्रतिशत जितना अधिक होगा उस देश की आर्थिक व सामाजिक विकास में भी उतनी ही अधिक सुविधाएं मिल सकेंगी। आर्थिक विकास में निम्न साक्षरता सदैव बाधक रही है। इसलिए साक्षरता को राष्ट्र के भावी विकास के मापदण्ड के रूप में लिया जाता है।

4.3.1 साक्षरता के अनुमान व प्रगति

सारणी 4.2 से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में भारत की तुलना में साक्षरता दर कम है। 1991 में पुरुषों की साक्षरता दर 9.12 प्रतिशत कम थी परन्तु 2001 में यह साक्षरता दर

राज्य में अखिल भारतीय साक्षरता दर से 44 प्रतिशत से अधिक है। राजस्थान में साक्षरता प्रतिशत में 1951 से लगाकर निरन्तर वृद्धि हुई है। पुरुष साक्षरता दर 1951 में 130.9 से बढ़कर 2001 में 75.70 प्रतिशत हो गई। इसी प्रकार महिला साक्षरता 2.51 प्रतिशत से बढ़कर 43.85 प्रतिशत हो गई परन्तु फिर भी महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत 53.67 प्रतिशत से बहुत कम है। 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता की दर सभी राज्यों में न्यूनतम है। स्वतंत्रता के 60 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी हम पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाये हैं।

सारणी 4.2

राजस्थान एवं भारत को तुलनात्मक साक्षरता (प्रतिशत में)

राजस्थान				भारत		
वर्ष	महिला	पुरुष	योग	महिला	पुरुष	योग
1951	2.51	13.09	8.02	7.88	24.68	16.67
1961	5.84	23.71	15.21	12.95	34.45	24.02
1971	8.46	28.74	19.07	18.72	39.45	29.46
1981	11.42	36.30	24.38	24.82	46.89	36.17
1991	54.99	22.44	38.55	39.29	64.13	52.21
2001	43.85	75.70	60.41	53.67	75.26	64.84
संशोधित						

स्रोत : जनगणना 2001,

सारणी 4.3

राजस्थान में जिले वार साक्षरता दर की स्थिति(2001)

सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले (2001)	प्रतिशत (संशोधित)
कोटा	73.5
झुंझुनू	73.0
सीकर	70.5
न्यूनतम साक्षरता वाले जिले (2001)	
इंगरपुर	48.6
जालोर	46.5
बाँसवाड़ा	44.6
महिला साक्षरता में अग्रणी जिले(2001)	
कोटा	60.4
झुंझुनू	59.5
सीकर	56.1
महिला साक्षरता में पिछड़े जिले (2001)	
जालोर	27.53
बाँसवाड़ा	27.86
इंगरपुर	31.22

राजस्थान में साक्षरता दर की स्थिति विभिन्न जिलों में भिन्न-भिन्न हैं। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर कोटा जिले में हैं। उसके पश्चात् क्रमशः झुंझुनू, सीकर एवं जयपुर है। साक्षरता दर की दृष्टि से झुंझुनू, जालोर तथा बाँसवाड़ा न्यूनतम तीन स्थानों पर हैं। महिला साक्षरता की दृष्टि से भी जनगणना 2001 के अनुसार कोटा, झुंझुनू एवं सीकर प्रथम तीन स्थानों पर हैं तथा झुंझुनू, बाँसवाड़ा और जालोर अंतिम तीन स्थानों पर हैं।

सारणी 4.4

राजस्थान में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में साक्षरता (प्रतिशत में)

वर्ष	व्यक्ति	ग्रामीण	शहरी
1951	8.02	-	-
1961	15.2	10.9	37.6
1971	19.1	13.9	43.5
1981	30.1	17.8	47.9
1991	38.6	30.4	65.3
2001	61.03	55.9	76.8

स्रोत : जनगणना 2001

2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में भी भारत के समान ही स्थिति है यहां भी 1951 से लेकर 2001 तक हमेशा शहरी क्षेत्र साक्षरता दर ग्रामीण साक्षरता दर की तुलना में अधिक रही है। 2001 में शहरी साक्षरता दर 20.9 प्रतिशत अधिक रही है। अभी भी लगभग 45 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या निरक्षर है।

4.3.2 राज्य में साक्षरता दर कम होने के कारण

पिछले दशक में राजस्थान में साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि हुई है परन्तु फिर भी हम पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य से बहुत पीछे हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता दर बहुत कम है तथा महिला साक्षरता में पिछड़े राज्यों की अंतिम श्रेणी में हैं। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं-

1. **लोकतंत्र का अभाव** - स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में राजा महाराजाओं का शासन था अतः स्वतंत्रता के पश्चात् इसका एकत्रीकरण देरी से हुआ परिणामस्वरूप शिक्षा का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया।
2. **सामाजिक ढांचा** - पिछड़ा राज्य होने के कारण यहां का सामाजिक वातावरण शिक्षा के प्रतिकूल है। बाल विवाह, लड़कियों को न पढ़ाना, दूरस्थ इलाकों में स्कूल का न होना आदि कारणों से शिक्षा का प्रसार नहीं हो पाया।
3. **निर्धनता** - राज्य की अधिकांश जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करती है तथा प्रत्येक परिवार में बच्चों की अधिक संख्या होने के कारण 7 वर्ष से अधिक के सभी बच्चों का स्कूल में नामांकन नहीं हो पाता।

4. **कृषि में संलग्नता** - राज्य की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है तथा जीवन यापन करने के लिए कृषि कार्यों में लगी हुई है। अतः बच्चों को स्कूल में नहीं भेजा जाता जिससे साक्षरता दर कम रहती है।
5. **राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का उंचा अनुपात**- राज्य की सम्पूर्ण जनसंख्या में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का अनुपात (30 प्रतिशत) अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। इन वर्गों को शिक्षा के प्रसार का लाभ अभी तक पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया है अतः इनमें साक्षरता की दर बहुत कम है।
6. **अकाल एवं सूखा**- राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में प्रायः अकाल सूखा पड़ता रहता है। अकाल व सूखे के कारण अनेक व्यक्ति अपने पशुओं के साथ पानी और घास की खोज में अन्य जगहों पर जाते रहते हैं जिससे शिक्षा में निरन्तरता नहीं रहती है परिणामस्वरूप साक्षरता दर में कमी रहती है।
7. **शिक्षा सुविधाओं का अपेक्षाकृत कम विकास** - राजस्थान में शिक्षा सुविधाओं का विकास बहुत ही धीमा हुआ है। आज भी स्कूलों की संख्या आवश्यकता की तुलना में अपर्याप्त है। प्राथमिक स्तर के सरकारी स्कूलों में आवश्यक ब्लेक बोर्ड, फर्नीचर, भवन तथा पानी की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल तक पहुँचने के साधन उपलब्ध नहीं हैं। इस कारण अधिकांश बच्चे साक्षर नहीं हो पाते हैं।

4.3.3 साक्षरता दर में वृद्धि के सरकारी प्रयास

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् 1991 तक राजस्थान में साक्षरता दर में वृद्धि बहुत ही धीमी रही है। यद्यपि 1991-2001 के दशक में इसमें तुलनात्मक रूप से तेजी से वृद्धि हुई है परन्तु अभी भी राज्य की साक्षरता दर 61 प्रतिशत है जो अखिल भारतीय साक्षरता दर से कम है। सरकार ने निरन्तर इस ओर निम्नलिखित प्रयास किये हैं-

1. प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण राज्य का प्रमुख उद्देश्य है।
2. **वर्तमान में राज्य में 35015 प्राथमिक विद्यालय हैं** जिनमें लगभग 75.44 लाख विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है।
3. **प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने** की दृष्टि से सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया जाता है।
4. **सभी जिलों में सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम** चलाये जा रहे हैं इसमें पाली, सीकर, व चित्तौड़ को राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है।
5. **शिक्षाकर्मी योजना** - दूरस्थ स्थानों में नामांकन वृद्धि के लिये एवं शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए यह योजना राज्य के 128 विकास खण्डों में चलाई जा रही है। इसके तृतीय चरण हेतु 240 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान है।

6. **शिक्षा आपके द्वार** - राज्य में 6.14 आयु वर्ग के बालकों के शत प्रतिशत नामांकन व ठहराव वर्ष 2003 तक सुनिश्चित करने के लिए 19 नवम्बर 2001 से यह अभियान प्रारम्भ किया गया।
7. **आपरेशन ब्लेक बोर्ड** - प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तथा विद्यालयों में सुख-सुविधा में वृद्धि करने तथा न्यूनतम शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करने हेतु यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
8. **महिला शिक्षा के क्षेत्र में** - महिला शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लिए सरस्वती योजना 8 जिलों के 100 केन्द्रों पर चलाई जा रही है। इसके अतिरिक्त छात्राओं को मुफ्त शिक्षा एवं निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का भी वितरण किया जाता है।
9. **अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों की शिक्षा का विकास करने हेतु** - अनुसूचित जाति, जनजाति बहुल क्षेत्रों में सघन क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालित है।
10. **राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम** - राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला परिषद के माध्यम से छात्रों को मुफ्त में दोपहर का खाना उपलब्ध कराया जाता है।

बोध प्रश्न -02

1. राजस्थान में 2001 में अधिकतम साक्षरता दर किस जिले की है ?
2. राजस्थान में 2001 में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले की है ?
3. राजस्थान में साक्षरता दर नीची रहने का कोई एक प्रमुख कारण बताइये।
4. सरस्वती योजना का उद्देश्य क्या है ?
5. 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता की दर क्या है ?

4.4 राजस्थान में स्वास्थ्य (Health Status in Rajasthan)

मानव संसाधन विकास का दूसरा महत्वपूर्ण सूचक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं का स्तर है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इससे मानव की कुशलता तथा उत्पादकता में वृद्धि होती है। राज्य में चिकित्सा सेवाएं बहुत ही कम हैं जो कि महत्वपूर्ण सूचकों के मूल्य से स्पष्ट है-

सारणी 4.5

राजस्थान में स्वास्थ्य सूचकों का स्तर

क्र.सं	सूचक	मूल्य	वर्ष
1.	शिशु मृत्यु दर (IMR)	81	2001
2.	जन्म दर प्रति हजार (Birth Rate)	30.1	2001
3.	मृत्यु दर प्रति हजार (Death Rate)	8.4	2001
4.	दम्पत्ति सुरक्षा दर (Couple Protection Rate)	40.3	1999
5.	जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy)	62.6	2001-2006
6.	मातृत्व मृत्यु दर (MMR)	670	1998

सारणी 4.5 से स्पष्ट होता है कि राज्य में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्रमशः 30.1 तथा 8.4 है जो कि राष्ट्रीय औसत से ऊँची है इस कारण जनसंख्या की वृद्धि तेजी से हो रही है। इसके अतिरिक्त जीवन प्रत्याशा भी अन्य राज्यों की तुलना में कम है तथा भारत की 63.9 वर्ष से कम है। उच्च शिशु मृत्यु दर 81 स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव तथा निम्न स्तर को प्रकट करती है। मातृत्व मृत्यु दर 670 है जबकि भारत की 470 है। उपर्युक्त सभी तथ्य राजस्थान में निम्न स्वास्थ्य स्तर को प्रकट करते हैं।

राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या बीमार दुर्बल तथा विभिन्न बीमारियों से पीड़ित है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। स्वतंत्रता के इतने वर्षों के पश्चात् भी राज्य में अस्पतालों, चिकित्सालयों, डाक्टरों, प्रशिक्षित कर्मचारियों तथा आवश्यक दवाइयों एवं उपकरणों का अभाव पाया जाता है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाओं के अत्यधिक महंगा होने के कारण निर्धन तथा कमजोर वर्ग के लिए उसका लाभ उठा पाना सम्भव नहीं हो पाता है।

स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होने के कई कारण हैं जैसे प्रति व्यक्ति निम्न आय, स्वच्छता का अभाव, अति जनसंख्या, व्यापक निर्धनता, महंगी चिकित्सा सुविधा आदि।

सरकारी प्रयास - राज्य सरकार ने समय-समय पर चिकित्सा सुविधाओं के विकास के प्रयास किये हैं। राजस्थान में 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम चला रखा है जिसमें कई उद्देश्य रखे गये हैं। जो इस प्रकार हैं-

1. जन्म दर में कमी करके 21 प्रति हजार प्रतिवर्ष करना।
2. मृत्यु दर 9 प्रति हजार करना।
3. मातृ मृत्यु दर को 2 प्रति हजार करना।
4. जीवन प्रत्याशा को 64 करना।
5. विवाह योग्य आयु में लड़के की आयु 21 वर्ष तथा लड़कियों की आयु 16 वर्ष करना। इनमें से अधिकांश उद्देश्यों की पूर्ति कर ली गई है।

सारणी 4.6

राज्य में वर्तमान में स्वास्थ्य सुविधाएं

क्र.सं	सूचक	मूल्य	वर्ष
1.	अस्पताल	113	2003
2.	उप स्वास्थ्य केंद्र	12946	2004
3.	रोगी शैया	44000	2003
4.	आयुर्वेदिक चिकित्सालय	3565	2004
5.	होम्योपैथिक चिकित्सालय	115	2004
6.	यूनानी चिकित्सालय	91	2004
7.	प्राकृतिक औषधालय	5	2004
8.	प्रति शैया जनसंख्या	1489	2001

9.	प्रति चिकित्सालय जनसंख्या	499761	2001
----	---------------------------	--------	------

तालिका संख्या 4.6 से स्पष्ट होता है कि 1951 की तुलना में राजस्थान में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार एवं प्रगति हुई है परन्तु फिर भी राजस्थान इस दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है तथा भारत में इसका 13वां स्थान है।

राज्य में प्रति डॉक्टर जनसंख्या लगभग 9307 हैं जो कि भारतीय स्तर 2610 से बहुत अधिक है। इस ओर भी राज्य सरकार ने विशेष प्रयास किये हैं और कई विशेष स्वास्थ्य योजनाएं प्रारम्भ की हैं। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय मलेरिया रोग उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान एवं भ्रमणशील चिकित्सालय आदि।

मेडिकेयर रिलीफ योजना के अन्तर्गत निर्धन परिवारों का चयन करके 25 लाख से अधिक परिवारों को मेडिकेयर रिलीफ कार्ड वितरित किये गये हैं जिससे उन्हें निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त होती है। महिलाओं की चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि हेतु राजलक्ष्मी बॉण्ड तथा विकल्प योजना को प्रभावी बनाया जा रहा है।

बोध प्रश्न -03

1. 2001 में राजस्थान में शिशु मृत्यु दर कितनी है।
2. राज्य में राष्ट्रीय स्तर के चलाये जा रहे किसी एक स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम का नाम लिखिए।
3. राज्य में 2001 में जन्म दर का मूल्य क्या है ?
4. चिकित्सा सुविधाओं के अपर्याप्त होने का प्रमुख कारण क्या है ?

4.5 राजस्थान में पोषण (Nutrition Status in Rajasthan)

भारत में व्यापक निर्धनता के कारण अधिकांश जनसंख्या कुपोषण का शिकार है। यद्यपि इसके लिए पर्याप्त आँकड़े नहीं हैं परन्तु फिर भी भारत में प्रति व्यक्ति औसत कैलोरी की मात्रा 2496 है तथा निर्धन जनसंख्या में यह औसत 1500 कैलोरी से भी कम है। प्रति दिन उपभोग की गई प्रोटीन की मात्रा 59 ग्राम है जो कि निर्धन जनसंख्या में मात्र 30 ग्राम है। राज्यों की स्थिति भी लगभग इसी प्रकार की है। स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा विभिन्न राज्यों में Nutrition Divisions स्थापित किए गये हैं जो पोषण के स्तर का अध्ययन करते हैं। इस दृष्टि से राजस्थान भी खराब स्थिति में है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या कमजोर एवं दुर्बल है। राज्य में लोगों को पर्याप्त पोषक आहार प्राप्त नहीं होता है। गर्भवती महिलाएं तथा बच्चे कुपोषण के अधिक शिकार हैं। कुपोषण के कारण कई बच्चों की अकाल मृत्यु हो जाती है। महिलाएं कमजोर होने के कारण उनकी सन्तान भी काफी कमजोर होती है। 70 प्रतिशत बच्चों का वजन सामान्य से नीचे है। राजस्थान में गरीबी, बेकारी, अशिक्षा तथा सामाजिक पिछड़ेपन के कारण राज्य के 60 प्रतिशत परिवार कुपोषण के शिकार हैं जिसका प्रमुख कारण पर्याप्त पोषण न मिलना है। शहरों की तुलना में गांवों में तथा अनुसूचित जाति व जनजाति में यह समस्या अधिक है। शिशुओं का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता। भूखमरी,

आवश्यक पौष्टिक तत्वों की कमी, स्वच्छ पेयजल का अभाव आदि विभिन्न प्रकार की समस्याएं आम बात हैं।

सरकारी प्रयास - राजस्थान सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनता को स्वस्थ रखने के लिए उपयुक्त पोषाहार प्रदान करने के प्रयास कर रही है। विभिन्न राष्ट्रों तथा अन्तरराष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से भी निर्धन एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। 1974 में पहली बार राष्ट्रीय नीति के अन्तर्गत बच्चों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया और उन्हें राष्ट्र की सर्वोपरि महत्वपूर्ण सम्पदा के रूप में मान्यता दी गई उनके लिए पोषाहार पर भी ध्यान दिया गया। अतः पोषाहार पर आठवीं योजना में 34.90 करोड़ रुपये तथा नवीं योजना में 125.5 करोड़ रुपये व्यय किये गये। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा DWACRA योजना चलाई जा रही है। राज्य के सभी विकास खण्डों पर 35000 आँगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। इनके माध्यम से 6 वर्ष से कम आयु के 27 लाख बच्चों तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को अनुपूरक पोषण प्रदान किया जा रहा है। आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जाँच की व्यवस्था भी है।

महिलाओं और निर्धन बच्चों को निःशुल्क विटामिन ए की गोलियां बांटी जाती हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं को आयरन और फौलिक एसिड की दवाओं का भी निःशुल्क वितरण किया जाता है। वर्तमान में 32 जिलों की 237 पंचायत समितियों के विकास खण्डों तथा 20 शहरी खण्डों में एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 2005-06 में पोषाहार कार्यक्रम से 35.71 लाख महिलाओं और बच्चों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पोषाहार योजना के अन्तर्गत स्कूल जाने वाले बच्चों को दोपहर के भोजन में दूध, दलिया, फल आदि का वितरण किया जाता है। शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दृष्टि से भी सरकार ने विशेष प्रयास किये हैं। पेयजल समस्या के स्थायी समाधान हेतु 2400 करोड़ रुपये की वृहद् पेयजल योजनाएं स्वीकृत कर लागू की गई हैं। फ्लोराइड प्रभावित 1067 आवासीय स्थानों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 34 योजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है।

राजस्थान में पोषण के लिए किये गये सरकारी प्रयास अभी भी अपर्याप्त हैं। 26 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। अतः इस ओर तीव्र प्रयासों की आवश्यकता है तभी राज्य कुपोषण के चंगुल से बाहर आ पायेगा।

4.6 सारांश (Summary)

प्रत्येक अर्थव्यवस्था का विकास तीन महत्वपूर्ण संसाधनों पर निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधन, पूंजीगत संसाधन तथा मानवीय संसाधन। इन सबमें से भी मानवीय संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक मात्र सक्रिय साधन है साथ ही यह साध्य और साधन दोनों है। मानव संसाधन विकास के महत्वपूर्ण सूचक हैं-साक्षरता, स्वास्थ्य एवं पोषण। राजस्थान मानव संसाधन विकास की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ी अवस्था में है। भारत में साक्षरता की दर 2001 की जनगणना के अनुसार 64.84 है जबकि राजस्थान में यह दर 60.41 है। यद्यपि विभिन्न

सरकारी प्रयासों जैसे शिक्षाकर्मों योजना गुरुमित्र योजना शिक्षा आपके द्वार, साक्षरता मिशन आदि के द्वारा साक्षरता में प्रगति हुई है परन्तु फिर भी अभी भी यहां की साक्षरता दर अपेक्षाकृत कम है तथा महिला साक्षरता में राज्य पिछड़ा है तथा 23 वें स्थान पर है।

राजस्थान की जनसंख्या को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। इस दृष्टि से भी राजस्थान अभी भी अन्य राज्यों की तुलना में बहुत पीछे है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार ने इन सुविधाओं में वृद्धि के प्रयास किये हैं। इनमें से प्रमुख कार्यक्रम हैं- राजस्थान में 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान आदि। इसके बावजूद भी राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं मात्रा एवं गुणवत्ता (Quantity and Quality) दोनों ही दृष्टि से सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती।

मानव संसाधन के तीसरे सूचक पोषण की दृष्टि से भी राजस्थान अच्छी स्थिति में नहीं है। राजस्थान में अधिकांश जनसंख्या निर्धनता के स्तर के नीचे है और कुपोषण का शिकार है। स्वच्छ पेयजल का अभाव पर्याप्त मात्रा में भोजन की उपलब्धि न होना, आवश्यक मात्रा में कैलोरी प्राप्त न होना आदि यहां के प्रमुख लक्षण हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति और भी खराब है। गर्भवती महिलाएं तथा बच्चे भी कुपोषण का शिकार हैं। राजस्थान में अन्तराष्ट्रीय संगठनों की सहायता से पोषण की सुविधाओं के लिए कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। राज्य के सभी विकास खण्डों पर आंगनबाड़ी केन्द्र तथा एकीकृत बाल विकास योजनाएं चल रही हैं। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि यद्यपि राज्य सरकार मानव संसाधन के विकास के महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है परन्तु वे राज्य की जनसंख्या की तुलना में अपर्याप्त है तथा उसमें और तीव्र गति से प्रयास करने की आवश्यकता है।

4.7 शब्दावली (Glossary)

जनसंख्या का घनत्व

(Density of Population)- : जनसंख्या के घनत्व से अभिप्राय प्रति वर्ग कि.मी. निवासियों की संख्या से होता है।

साक्षरता दर (Literacy Rate)- : 7 वर्ष की आयु से अधिक जनसंख्या के साथ साक्षर व्यक्तियों का अनुपात है।

शिशु मृत्यु दर

(Infant Mortality Rate) : एक वर्ष की आयु से पहले मरने वाले शिशुओं की दर है।

जन्म दर (Birth Rate) : प्रति वर्ष प्रति हजार जीवित शिशुओं के जन्म की संख्या।

मृत्यु दर (Death Rate) : प्रति वर्ष प्रति हजार मृत व्यक्तियों की संख्या

4.8 सन्दर्भ ग्रन्थ (Reference)

मिश्रा एवं पुरी, (2005), 'भारतीय अर्थव्यवस्था' हिमालय पब्लिशिंग हाउस, देहली, मुम्बई एवं नागपुर।

बी. एल. ओझा, (2005) "भारतीय अर्थव्यवस्था" आदर्श प्रकाशन, जयपुर।
लक्ष्मी नारायण नाभूरामका "भारतीय अर्थव्यवस्था" लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन आगरा।
Ruddar Datt and KPM., Sundaram 2006, "Indian Economy" S. Chand & Company, New Delhi.
Government of India "Economic Survey 2002-03".
Government of India "Census Indian 2001".
एम.एल. छीपा शंकर लाल शर्मा, 'राजस्थान की अर्थव्यवस्थाएं' जयपुर पब्लिशिंग हाऊस जयपुर।
"आर्थिक समीक्षा" 2004-2005
बढ़ाना, मेहरा एवं अग्रवाल 'राजस्थान की अर्थव्यवस्था', नाकोडा पब्लिशिंग हाऊस जयपुर।
लक्ष्मी नारायण नाभूरामका, 'राजस्थान की अर्थव्यवस्था' कॉलेज बुक हाऊस जयपुर।

4.9 अभ्यासार्थ प्रश्न (Unit-end Questions)

1. मानव संसाधन का अर्थ बताते हुए राजस्थान में मानव संसाधन विकास पर प्रकाश डालिए।
2. राजस्थान में साक्षरता पर एक लेख लिखिए।
3. मानव विकास सूचक की दृष्टि से राजस्थान में स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थिति को स्पष्ट कीजिए तथा सरकारी प्रयासों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
4. राजस्थान पोषण की दृष्टि से पिछड़ा राज्य है। इसको स्पष्ट करते हुए इस दिशा में किये गये प्रयासों को स्पष्ट कीजिए।

इकाई 5

जनसंख्या का व्यावसायिक ढाँचा (Occupational Structure of the Population)

इकाई की रूपरेखा

- 5.0 उद्देश्य
- 5.1 प्रस्तावना
- 5.2 व्यावसायिक ढाँचे का अर्थ
- 5.3 कार्यशील जनसंख्या
 - 5.3.1 मुख्य श्रमिक
 - 5.3.2 सीमान्त श्रमिक
 - 5.3.3 गैर श्रमिक
- 5.4 मुख्य श्रमिकों का व्यावसायिक वितरण
 - 5.4.1 कृषि क्षेत्र
 - 5.4.2 उद्योग क्षेत्र
 - 5.4.3 सेवा क्षेत्र
- 5.5 क्षेत्र विशेष में महत्वपूर्ण परिवर्तन
- 5.6 आर्थिक विकास और व्यावसायिक ढाँचा
- 5.7 सारांश
- 5.8 शब्दावली
- 5.9 सन्दर्भ ग्रन्थ
- 5.10 अभ्यासार्थ प्रश्न

5.0 उद्देश्य (Objectives)

व्यवसायिक ढाँचा इस बात की जानकारी देता है कि कितने लोग उत्पादन कार्य में लगे हैं और कितने लोग उन पर आश्रित हैं। अतः जनगणना के अन्तर्गत कुल जनसंख्या में सक्रिय अथवा कार्यशील जनसंख्या का अनुपात एवं उसका विभिन्न व्यवसायों में वर्णन महत्वपूर्ण है।

प्रस्तुत इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप समझ सकेंगे कि :

- व्यवसायिक ढाँचे का क्या अर्थ है?
- कार्यशील जनसंख्या किसे कहते हैं?
- मुख्य श्रमिकों का व्यावसायिक वितरण किस प्रकार का है?
- क्षेत्र विशेष में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं?
- आर्थिक विकास और व्यवसायिक ढाँचा किस प्रकार सम्बन्धित है?

5.2 प्रस्तावना (Introduction)

कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात भिन्न-भिन्न राज्यों में तथा एक ही राज्य में अलग अलग समय पर भिन्न-भिन्न पाया जाता है। उसका मुख्य कारण यह है कि यह अनुपात अनेक तत्वों पर निर्भर करता है जैसे कि जनसंख्या की वयमूलक रचना, प्रत्याशित आयु कार्य के प्रति लोगों का दृष्टिकोण रोजगार के अवसरों की उपलब्धि आदि। ये सब बातें हर स्थान व समय में एक जैसी नहीं होती। फलस्वरूप श्रमिक संख्या के अनुपात में अन्तर होता है और उसमें समय-समय पर परिवर्तन भी होता रहता है। किसी देश की श्रम-शक्ति व आर्थिक विकास के स्तर के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध पाया जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में श्रमशक्ति वहाँ की कुल जनसंख्या का एक भाग होती है जिसमें रोजगार प्राप्त तथा बेरोजगार दोनों तरह के लोग सम्मिलित होते हैं। श्रम शक्ति पर काम में भाग लेने की दर (Work participation rate) का प्रभाव पड़ता है।

5.2 व्यावसायिक ढाँचे का अर्थ (Meaning of Occupational Structure)

जिस ढंग से किसी देश या क्षेत्र की कार्यशील जनसंख्या विभिन्न व्यवसायों या उद्योगों में लगी होती है, वह उस स्थान का व्यावसायिक ढाँचा कहलाता है। कार्यशील जनसंख्या के व्यावसायिक ढाँचे अथवा उद्योगवार वितरण के अध्ययन से किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादिता, स्वरूप व स्तर के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलती है। भिन्न-भिन्न व्यवसायों में उत्पादिता का स्तर भिन्न-भिन्न होता है। अतः कार्यशील जनसंख्या के विभिन्न व्यवसायों में वितरण को देखकर इस अर्थव्यवस्था की सम्पूर्ण उत्पादिता का और इस प्रकार इसके स्तर एवम् विकास के चरण का मोटा अनुमान लगाया जा सकता है। व्यावसायिक ढाँचे में हो रहे परिवर्तन इस बात का भी थोड़ा बहुत बोध कराते हैं कि इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों या पहलुओं, जैसे कि सरकार की आर्थिक क्रियाएँ, उत्पादन का पैमाना व तकनीक, व्यवसाय संगठन के रूप, शहरीकरण, लोगों का आर्थिक व सामाजिक कोटियों में विभाजन आदि में किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं।

5.3 कार्यशील जनसंख्या (Working Population)

कार्यशील जनसंख्या के अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि श्रम शक्ति का अर्थ समझ लिया जाय। श्रम शक्ति से अभिप्राय समस्त शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों के आर्थिक रूप से सक्रिय व्यवसायों में लगे हुये व्यक्तियों से होता है जिसमें 14 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम की समस्त जनसंख्या सम्मिलित होती है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एवं 60 वर्ष से अधिक के व्यक्ति काम नहीं करते हैं। वास्तव में वे कार्य करते हैं परन्तु उन्हें श्रमशक्ति का भाग नहीं माना गया है। इसके साथ ही 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे यदि शिक्षा से जुड़े हैं अर्थात् विद्यार्थी हैं तो उन्हें भी श्रमशक्ति का भाग नहीं माना जाता। इसी प्रकार श्रमशक्ति में गृहिणियों को भी सम्मिलित नहीं किया जाता। श्रम शक्ति

के सभी सक्षम व्यक्ति वास्तव में कार्य नहीं करते हैं। श्रम शक्ति में से कितने लोग काम करते हैं यह सहभागिता दर (Participation Rate) पर निर्भर करता है। उँची सहभागिता दर का अभिप्राय यह है कि अधिक लोग काम करना चाहते हैं। विकासशील देशों में पुरुष सहभागिता दर उँची होती है जबकि महिला सहभागिता दर कम होती है क्योंकि महिलाओं को घर के काम-काज देखने होते हैं। शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ महिला सहभागिता दर तेजी से बढ़ रही है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सहभागिता दर की गणना नहीं की जाती है। वास्तव में रोजगार एवं बेरोजगार की सही-सही पहचान करना भी कठिन कार्य है। गरीब देश में व्यक्ति लम्बे समय तक रोजगार की तलाश नहीं कर सकता। इसलिए जो भी छोटा-मोटा काम कहीं भी मिल जाय वह करने को तत्पर रहता है।

कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात भिन्न-भिन्न राज्यों में तथा एक ही राज्य में अलग अलग समय पर भिन्न-भिन्न पाया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि यह अनुपात अनेक तत्वों पर निर्भर करता है जैसे कि प्रत्याशित आयु कार्य के प्रति लोगों का दृष्टिकोण, रोजगार के अवसरों की उपलब्धि आदि। सारणी संख्या 5.1 में कार्यशील जनसंख्या के प्रतिशत को बताया गया है

सारणी - 5.1

कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात

क्रम संख्या	विवरण	जनगणना वर्ष			
		1971	1981	1991	2001
1.	कार्यशील जनसंख्या का अनुपात-कुल जनसंख्या से	31.24	36.6	39.0	42.1

स्रोत : विभिन्न वर्षों के Statistical Abstract; Rajasthan, DES, Jaipur

सारणी 5.1 से स्पष्ट है कि कुल जनसंख्या में से कार्यशील जनसंख्या का अनुपात लगातार बढ़ रहा है। 1971 में यह खपत 31.2 प्रतिशत था जो 2001 की जनगणना में बढ़कर 42.1 हो गया है।

तालिका से हालाँकि बढ़त की प्रवृत्ति नजर आती है लेकिन भिन्न भिन्न जनगणनाओं में श्रम की परिभाषा बदलती रही है अतः अन्तर स्वभाविक है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ श्रम की श्रेणी स्थायी नहीं है। इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। एक समय वह खेती करता है। दूसरे समय वह गाँव के पास किसी कारखाने में काम करता है तो कभी शहर में रोजगार की तलाश में ईट, गारा, मिट्टी ढोता है। इस प्रकार इनकी सही गणना सम्भव नहीं है। फिर भी सहभागिता दर के सम्बन्ध में यह मोटे तौर पर चित्र अवश्य प्रस्तुत करता है।

राज्य की कुल स्त्री जनसंख्या का 21.15 प्रतिशत कार्यशील थी। कार्यशील स्त्री जनसंख्या में से 66.6 प्रतिशत कृषि, 15.8 प्रतिशत कृषिहर श्रमिक, 3.2 प्रतिशत घरेलू उद्योगों तथा शेष 14.6 प्रतिशत अन्य व्यवसायों व सेवाओं में कार्यरत थी। राज्य की कार्यशील

जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण अर्थव्यवस्था के स्वरूप को प्रकट करता है। सारणी संख्या-5.2 में मुख्य श्रमिक सीमान्त श्रमिक एवम् गैर श्रमिक के आँकड़े दिए गए हैं।

सारणी संख्या - 5.2

राजस्थान के श्रमिकों का वर्गीकरण

(प्रतिशत में)

वर्गीकरण	जनगणना वर्ष					
	1991			2001		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
मुख्य श्रमिक	31.62	32.94	27.18	30.86	32.26	26.29
सीमान्त श्रमिक	7.25	9.10	0.99	11.25	13.68	3.27
गैर श्रमिक	61.13	57.96	71.83	57.89	54.06	70.44

स्रोत : Source Facts About Rajasthan विभिन्न वर्ष DES, Jaipur

5.3.1 मुख्य श्रमिक

मुख्य श्रमिक उनको माना गया है जिन्होंने वर्ष में 183 दिन या 6 माह व अधिक समयावधि के लिए आय अर्जित करने हेतु कोई उत्पादन कार्य किया है। इसके विपरीत सीमान्त श्रमिकों से तात्पर्य उन श्रमिकों से है जिन्होंने उक्त अवधि से कम अवधि के लिए कार्य किया है। सारणी-5.2 से स्पष्ट है कि 1991 जनगणना के आधार पर मुख्य श्रमिकों का प्रतिशत 31.62 था जो मामूली घटकर 2001 में 30.86 प्रतिशत रह गया। कुल में 1991 में ग्रामीणों का हिस्सा 32.94 था जो 2001 में घटकर 32.26 प्रतिशत रह गया। इसमें भी नगण्य गिरावट दर्ज की गई है। शहरी क्षेत्रों में मुख्य श्रमिकों का प्रतिशत 1991 की जनगणना में 27.18 प्रतिशत था जो 2001 में गिरकर 26.29 प्रतिशत रह गया। इस प्रकार मुख्य श्रमिकों का हिस्सा 1991 की तुलना में 2001 में गिरा ही है।

5.3.2 सीमान्त श्रमिक

सीमान्त श्रमिकों का सापेक्षिक हिस्सा 1991 की जनगणना की तुलना में 2001 में सभी श्रेणियों में बढ़ा है। सीमान्त श्रमिक 1991 जनगणना के आधार पर कुल के रूप में 7.25 प्रतिशत थे जो बढ़कर 2001 में 11.25 प्रतिशत हो गए। सीमान्त श्रमिकों में शहरी श्रमिकों का अंश लगभग 1 प्रतिशत था जो 2001 में बढ़कर 3.3 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार ग्रामीणों का प्रतिशत हिस्सा 9.10 से बढ़कर 2001 में 13.7 प्रतिशत हो गया।

5.3.3 गैर श्रमिक

जहाँ तक गैर श्रमिकों का प्रश्न है इसमें भी दो जनगणना वर्षों के दौरान गिरावट ही दर्ज की गई है। 1991 में गैर श्रमिकों का प्रतिशत 61.1 था जो घटकर 2001 में 57.9 प्रतिशत रह गया। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रतिशत 58 था जो 2001 में घटकर 54 प्रतिशत रह गया। शहरी क्षेत्रों में यह हिस्सा 71.8 प्रतिशत था जो 2001 में घटकर 70.4

प्रतिशत रह गया। तालिका से निष्कर्ष निकलता है गैर श्रमिकों का प्रतिशत घटा है जबकि सीमान्त श्रमिकों का बढ़ा है।

बोध प्रश्न -01

1. व्यावसायिक ढाँचे का क्या अर्थ है ?
2. कार्यशील जनसंख्या में विद्यार्थियों एवं गृहणियों को सम्मिलित किया जाता है। (सही/गलत)
3. 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्यशील जनसंख्या का भाग माना जाता है (सही/गलत)
4. वर्ष 2001 में वर्ष 1991 की तुलना में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात बढ़ा है। क्यों?
5. भारतीय श्रमिक की अस्थायी प्रकृति के लिए कौन-कौन से तत्व उत्तरदायी है?
6. मुख्य श्रमिक किसे माना गया है?
7. सहभागिता दर किसे कहते हैं?

5.4 मुख्य श्रमिकों का व्यावसायिक वितरण

मुख्य श्रमिकों को उनके व्यवसाय के अनुसार विस्तृत वर्गीकरण सारणी संख्या 5.3 में बताया गया है -

सारणी 5.3

मुख्य श्रमिकों का व्यावसायिक वितरण (प्रतिशत में)

व्यावसायिक वितरण	जनगणना वर्ष		
	1971	1981	1991
(A) कृषि क्षेत्र	76.7	75.8	70.6
(1+2+3)			
(1) किसान	64.9	64.5	58.5
(2) खेतिहर मजदूर	9.3	8.5	10.0
(3) पशुपालन, वन, मत्स्य, उद्यान आदि	2.5	2.8	1.8
(B) उद्योग क्षेत्र	8.4	10.4	10.9
(2+3+4)			
(4) खान एवं खनन	0.4	0.7	1.0
(5) विनिर्माण, विधायन, सेवा व मरम्मत	6.7	8.0	7.5
(6) निर्माण कार्य	1.3	1.7	2.4
(C) सेवा क्षेत्र	14.9	13.8	18.5
(7+8+0)			
(7) व्यापार एवं वाणिज्य	4.4	4.4	6.4
(8) परिवहन, संचार एवं भण्डारण	2.0	2.1	2.4
(9) अन्य सेवाएं	8.5	7.3	9.7
कुल	100.00	100.00	100.00

स्रोत : राजस्थान के 1971 के आँकड़ों के लिए Report of the committee on unemployment May 1993 P 344 तथा 1981 के लिए Census of India 198, Series 18, Rajasthan Part II, Special Report and Table based on 5 percent sample date P-77 का उपयोग किया गया है। 1991 के लिए Census Deptt. ने आँकड़े उपलब्ध कराए हैं।

5.4.1 कृषि क्षेत्र

राजस्थान राज्य में कुल श्रमिकों का विभिन्न औद्योगिक श्रेणियों के अनुसार वितरण सारणी 5.3 में दिखाया गया है।

(1) कृषक

एक व्यक्ति को खेतिहर या कृषक कहेंगे यदि वह नियोक्ता के रूप में लगा हुआ है तथा अपनी स्वयं की भूमि पर, सरकार की भूमि पर या निजी व्यक्तियों की या संस्था की भूमि पर कार्य करता है और इसके बदले में उसे नकद के रूप में या वस्तुओं (Kind) में या उत्पादन में हिस्सा के रूप में भुगतान प्राप्त होता है।

(2) कृषि श्रमिक

वह व्यक्ति जो दूसरों की भूमि पर मजदूरी के लिए कार्य करता है। वह मजदूरी उसे नकद के रूप में या फिर वस्तुओं (Kind) के रूप में मिल सकती है।

(3) पशु पालन, वन उद्योग आदि

जो व्यक्ति पशुपालन में लगे हैं जैसे भेड़, बकरी, घोड़ा सुअर, बतक पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन आदि में लगे हैं उन्हें पशुपालन के अन्तर्गत सम्मिलित करते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति पोधे उगाने, वानिकी, मत्स्य पालन में लगे हैं, भी इसी श्रेणी में आते हैं।

इन तीनों श्रेणियों को मिलाने से कृषि क्षेत्र बनता है। सारणी 5.3 से स्पष्ट है कि 1971 में कृषि व सहायक क्रियाओं में राज्य में 76.7 प्रतिशत तक श्रमिक लगे हुए थे जो 1981 में कुछ गिरकर 75.8 प्रतिशत हो गए, 1991 में यह फिर गिरकर 70.6 प्रतिशत रह गया। लेकिन कृषि क्षेत्र में भी यदि देखें तो स्पष्ट होता है कि किसान का प्रतिशत तो 1971 तथा 1981 में लगभग स्थिर है लेकिन 1991 में यह घटकर 58.8 प्रतिशत रह गया है। यानी कृषक का स्तर गिरा है। जहाँ तक खेतिहर मजदूरों का प्रश्न है, इसमें कुछ गिरावट ही आयी है। 1971 में इसका प्रतिशत 9.3 था जो गिरकर 1981 में 8.5 प्रतिशत ही रह गया। लेकिन 1991 में यह पुनः बढ़कर 10 प्रतिशत हो गया। रही बात वन उद्योग, पशु पालन आदि की तो इसमें अवश्य मामूली सा सुधार दिखायी देता है। यह 1971 में 25 प्रतिशत था जो बढ़कर 1981 में 2.8 हो गया लेकिन 1991 में यह पुनः घटकर 1.8 प्रतिशत रह गया। इस प्रकार यदि सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र को लें तो इसका व्यवहार सम्पूर्ण भारत के व्यावसायिक ढाँचे से मेल खाता है।

व्यवसाय की दृष्टि से राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का स्थान महत्वपूर्ण तो अवश्य है लेकिन इसकी स्थिति बहुत असन्तोषजनक है। इसका मोटा अनुमान इस बात से

लगाया जा सकता है कि राज्य की लगभग तीन चौथाई, कार्यशील जनसंख्या इस क्षेत्र में लगी होने के बावजूद भी वह क्षेत्र निर्यात योग्य आधिक्य प्राप्त नहीं करता है। एक ओर राज्य की खेती इतनी पिछड़ी हुई है, दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के उद्योगों और सेवाओं के अभाव में राज्य के लोग अधिकाधिक संख्या में कृषि क्षेत्र में लगे रहते हैं। यहाँ तक कि इनमें से कुछ लोग तो छिपे बेरोजगार ही हैं। अतः स्पष्ट है कि राज्य का वर्तमान व्यावसायिक ढाँचा बहुत असन्तुलित एवं एकांगी है।

5.4.2 उद्योग क्षेत्र

उद्योग क्षेत्र में जिन श्रमिकों को सम्मिलित करते हैं उनका वर्गीकरण खनन् व उत्खनन्, छोटे बड़े उद्योग तथा निर्माण कार्य में किया जाता है।

(1) खनन् एवम् उत्खनन्

वे व्यक्ति जो विभिन्न प्रकार की खदानों में कार्य करते हैं जैसे कोयला, लिग्नाइट, ताँबा, क्रूड, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सोना चाँदी आदि को इस श्रेणी में रखा जाता है। इसी प्रकार जो खनन् कार्य करते हैं जैसे पत्थर, मिट्टी आदि खोदने के कार्य में लगे हैं उन श्रमिकों को भी इसी श्रेणी में सम्मिलित करते हैं।

(2) विनिर्माण आदि

इसको दो भागों में बाँटा जाता है (अ) गृह निर्माण, तथा (ब) अन्य उद्योग।

(अ) गृह उद्योग गृह उद्योग के अन्तर्गत उन उद्योगों को सम्मिलित करते हैं जो परिवार के मुखिया द्वारा या परिवार के सदस्यों द्वारा अपने स्वयं के मकान में या ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में चलाए जाते हैं लेकिन ये उद्योग पंजीकृत उद्योग के रूप में नहीं चलाए जाते हैं।

(ब) अन्य उद्योग ये उद्योग उत्पादन, प्रोसेसिंग, मरम्मत आदि के कार्य सम्पन्न करते हैं। इसमें सुरक्षा सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, धार्मिक एवम् कल्याणकारी कार्यों को सम्मिलित करते हैं।

(3) निर्माण

वे सभी व्यक्ति जो निम्न प्रकार के निर्माण तथा मरम्मत के कार्यों में लगे हैं इस श्रेणी में आते हैं - भवन, सड़क, रेल, टेलीग्राफ, टेलीफोन आदि।

सारणी 5.3 से स्पष्ट है कि उद्योग क्षेत्र में लगे श्रमिकों का अनुपात प्रदेश में 1971 की जनगणना में 8.4 था जो बढ़कर 1981 में 10.4 हो गया और 1991 में बढ़कर 10.9 प्रतिशत हो गया। खनन् व उद्योगों में मिलाकर 7 प्रतिशत से बढ़कर 8.7 प्रतिशत हो गये हैं। लेकिन 1991 में यह 8.5 प्रतिशत रहा। राज्य जबकि एक ओर अपनी प्रगति का ढिंढोरा पीट रहा है वहीं इतना निम्न प्रतिशत राज्य के विकास की पोल खोल रहा है।

5.4.3 सेवा क्षेत्र

सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत हम (1) व्यापार व वाणिज्य (2) परिवहन एवम् संचार, तथा (3) अन्य सेवाओं को सम्मिलित करते हैं।

(1) व्यापार एवम् वाणिज्य

वे सभी व्यक्ति जो थोक व खुदरा व्यापार तथा व्यावसायिक क्रियाएँ जैसे वित्तीय, रीयल इस्टेट एवम् व्यापारिक एवम् विधि सेवाओं में लगे हैं इसके अन्तर्गत सम्मिलित किए जाते हैं।

(2) यातायात, संग्रहण एवम् संचार

किसी भी प्रकार के यातायात जैसे सड़क, रेल, पानी तथा हवाई क्षेत्र में लगे हैं तथा संग्रहण वेयर हाउसिंग एवम् संचार जैसे डाक, तार, टेलिफोन में लगे हैं इस श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं।

(3) अन्य सेवाएँ

इस श्रेणी में उन सभी श्रमिकों को सम्मिलित किया जाता है जो बिजली, गैस, जल तथा सार्वजनिक प्रशासन में लगे हैं।

राजस्थान राज्य में 1971 में कार्यशील जनसंख्या का 14.9 प्रतिशत इस क्षेत्र में लगा हुआ था जो घटकर 1981 में 13.8 प्रतिशत हो गया। लेकिन 1991 में यह बढ़कर 18.5 प्रतिशत हो गया है। व्यापार व वाणिज्य में परिवर्तन नजर आता है। यही स्थिति परिवहन व संचार क्षेत्र में मिलती है। अन्य सेवाओं के क्षेत्र में कोई प्रवृत्ति नहीं मिलती है।

इस प्रकार 1991 में कृषि व सहायक क्रियाओं में श्रम शक्ति का अनुपात 1981 की तुलना में लगभग 5 प्रतिशत कम हुआ है, खनन व उद्योगों में यह 0.5 प्रतिशत बढ़ा है तथा सेवा क्षेत्र में लगभग 5 प्रतिशत बढ़ा है।

1991 में राजस्थान में श्रम शक्ति व व्यवसायिक वितरण में 1981 की तुलना में जो परिवर्तन आया है, वह एक सही दिशा में होने वाला परिवर्तन माना जा सकता है। इससे राज्य में कृषि के अलावा अन्य क्रियाओं की प्रगति झलकती है। आशा है आगामी वर्षों में राज्य के औद्योगिक विकास की यह प्रवृत्ति और जोर पकड़ेगी।

5.5 क्षेत्र विशेष में महत्वपूर्ण परिवर्तन

(Important Changes in Selected Areas)

जैसा कि हमने देखा है यद्यपि समग्र रूप में राज्य के व्यवसायिक ढाँचे के सम्बन्ध में मूलभूत परिवर्तन होते दिखाई नहीं देते हैं, फिर भी यदि हम किसी क्षेत्र के कुछ उप-विभागों पर दृष्टि डालें तो कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेंगे। उदाहरण के लिए, विभिन्न प्रकार के आधुनिक कारखानों में लगे श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है। यह इस बात का संकेत है कि राज्य नयी वस्तुओं के उत्पादन एवम् आधुनिक तकनीक के अपनाने की दिशा में बढ़ रहा है। इसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण सेवाओं के सम्बन्ध में भी रोजगार बढ़ा है जैसा कि शिक्षा, चिकित्सा, बैंक व्यवसाय, रेल परिवहन, संचार, बिजली आदि। इनसे आधुनिकीकरण की दिशा में थोड़ी बहुत प्रगति का बोध होता है। श्रमिक संख्या में हो रही तीव्र वृद्धि को देखते हुए इन उप-क्षेत्रों में हो रहे ये परिवर्तन इतने तेज या अधिक नहीं हैं कि इनके प्रभाव से सारे व्यवसायिक ढाँचे में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो पायेगा।

5.6 आर्थिक विकास और व्यावसायिक ढाँचा

(Economic Development and Occupational Structure)

व्यावसायिक ढाँचे के सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय बात यह है कि आर्थिक विकास के साथ व्यवसाय की दृष्टि से, कृषि का महत्व गिरता जाता है और उद्योग व सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ता जाता है। जैसे-जैसे कोई देश आर्थिक प्रगति करता है, वैसे-वैसे उस देश में सामान्य तौर पर कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिकों का अनुपात घटता जाता है और उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में यह अनुपात बढ़ता जाता है। अनेक देशों के आर्थिक विकास के साथ यह बात स्पष्ट रूप से दिखायी देती है।

आर्थिक विकास के साथ व्यवसायिक ढाँचे में इस प्रकार के परिवर्तन होने के कारणों को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है

- (1) आर्थिक विकास के फलस्वरूप जब लोगों की आय बढ़ती है, तब अनाज के लिए मांग में उतनी तेजी से वृद्धि नहीं होती। इसका कारण यह है कि, अनाज के सम्बन्ध में मांग की आय-लोच इकाई से कम होती है। इसके विपरीत विकास के प्रभाव से खेती में अधिक पूँजी और तकनीकी जानकारी का इस्तेमाल होने लगता है। इसके कारण कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की उत्पादिता तथा प्रति हैक्टर उत्पादिता में अपेक्षाकृत भारी वृद्धि होने लगती है। फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की कुल आवश्यकता घट जाती है। इस प्रकार आर्थिक विकास के साथ कृषि कार्य में लगी कार्यशील जनसंख्या का अनुपात गिरने लगता है।
- (2) दूसरी ओर आर्थिक विकास के दौरान उद्योगों और सेवाओं के क्षेत्र में श्रमिकों का अनुपात बढ़ता जाता है। ऐसा होने का कारण स्पष्ट है। सेवाओं तथा औद्योगिक पदार्थों के लिए मांग की आय लोच प्रायः इकाई से अधिक होती है। इस कारण आर्थिक विकास के फलस्वरूप जब लोगों की आय बढ़ती है, तब विभिन्न प्रकार की सेवाओं और औद्योगिक वस्तुओं की मांग बड़ी तेजी से बढ़ने लगती है। यहाँ भी तकनीकी प्रगति एवम् अधिक मात्रा में पूँजी के प्रयोग से उत्पादिता में वृद्धि होती है लेकिन उत्पादिता में वृद्धि की अपेक्षा मांग में अधिक और तेजी के साथ वृद्धि होती है। इस कारण इन क्षेत्रों में श्रम के लिए मांग तेजी से बढ़ती है। इस क्षेत्र में अन्य अनेक आकर्षण भी होते हैं। यहाँ लोगों को रोजगार के श्रेष्ठतर अवसर उपलब्ध होते हैं। आमतौर पर मजदूरी भी अधिक मिलती है, कार्य नियमित होता है, कार्य की दशाएँ भी प्रायः अच्छी व अनुकूल होती हैं तथा आधुनिक जीवन की अनेक महत्वपूर्ण सुविधाएँ आसानी से लोगों को मिल जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप लोग खेती को छोड़कर उद्योग और सेवा क्षेत्र में कार्य करने लगते हैं। इस प्रकार एक सीमा तक आर्थिक विकास के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में श्रमिकों का अनुपात घटता जाता है और उद्योग व सेवाओं में अनुपात बढ़ता जाता है।

व्यवसायिक ढाँचे में इस प्रकार के परिवर्तन होने के सम्बन्ध में यह बात महत्वपूर्ण है कि आर्थिक विकास के साथ उद्योग और सेवा क्षेत्र की ओर जो श्रम का अन्तरण होता है, वह मूलरूप से आर्थिक विकास का परिणाम होता है, न कि कारण।

बोध प्रश्न -02

1. आर्थिक विकास के साथ व्यावसायिक ढाँचे में क्या परिवर्तन देखे जाते हैं ?
2. आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की आवश्यकता क्यों घट जाती है।

लेकिन भारत और राजस्थान के सन्दर्भ में हम कह सकते हैं कि विकास का रास्ता यह नहीं है। याने कृषि क्षेत्र से हटाकर जनसंख्या को गैर कृषि क्षेत्र में लगाने से समस्या का समाधान नहीं है। डा. वी. के. आर. वी. राव प्रो० ए. एम. खुसरो ने बताया कि भविष्य में कृषि से हटे लोगों को हटाने के बजाय इसमें ही अधिक लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। इस प्रकार जनसंख्या को कृषि से हटाकर गैर कृषि कार्यों की तरफ ले जाने की बजाय इसे कृषि में अधिक उत्पादक कार्य देना होगा। मोटे तौर से अभी हमें कुछ समय तक कृषि क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों की ओर कार्यशील जनसंख्या के स्थानान्तरण के बिना आर्थिक विकास को चलाना होगा।

5.7 सारांश (Summary)

राज्य की जनसंख्या का वह भाग जो उत्पादक गतिविधियों में संलग्न होता है एवं आय सृजन करता है कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है। सामान्यतः यदि कार्य सहभागिता दर अधिक होती है तो कार्यशील जनसंख्या अनुपात ऊँचा होता है। इसका अभिप्राय यह है कि निर्भर जनसंख्या - बच्चे, बूढ़े, विद्यार्थी, गृहणियां आदि की संख्या कम है। समय-समय पर व्यावसायिक वितरण परिवर्तन होता रहता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राज्य में कृषि एवं पशुपालन ही एक मात्र व्यवसाय था एवं उद्योगों, विनिर्माण, बैंकिंग, बीमा, यातायात, सेवा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में नियोजित संख्या नगण्य थी। वर्तमान समय में न केवल व्यावसायिक वितरण में विविधता आई है बल्कि व्यवसाय में लगने वाली जनसंख्या का प्रतिशत भी बढ़ा है। प्रस्तुत इकाई में इन्हीं प्रवृत्तियों का विस्तृत विवरण दिया गया है। सामान्यतः कृषि से उद्योग अथवा सेवाक्षेत्र में जनसंख्या का पलायन आर्थिक विकास का द्योतक माना जाता है। राजस्थान के सन्दर्भ में यह कहाँ तक सही है यह अभी कहना सम्भव नहीं है।

5.8 शब्दावली (Glossary)

व्यावसायिक ढाँचा	:	Occupational Structure
कृषि क्षेत्र	:	Agricultural Sector (Primary Sector)
खनन एवं उत्खनन	:	Mining & quarrying
कृषि श्रमिक	:	Agricultural Labour
गृह उद्योग	:	Cottage Industries

5.9 सन्दर्भ ग्रन्थ (References)

1. डा० मोहन सिंहल : 'राजस्थान की अर्थव्यवस्था'

2. लक्ष्मीनारायण नाभूरामका. 'राजस्थान की अर्थव्यवस्था'
 3. आर्थिक समीक्षा - 'राजस्थान 2007-08'
 4. Statistical Abstract Rajasthan
 5. Some facts about Rajasthan
-

5.10 अभ्यासार्थ प्रश्न (Unit-end Questions)

1. राजस्थान राज्य के वर्तमान व्यावसायिक ढाँचे का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। समय के साथ इसमें क्या कोई परिवर्तन हुए हैं?
2. योजनाबद्ध आर्थिक विकास के बावजूद राज्य के व्यावसायिक ढाँचे में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके पीछे क्या कारण रहे हैं?
3. राजस्थान के व्यावसायिक ढाँचे में आप किस प्रकार का परिवर्तन लाने की पेशकश करेंगे? तर्क सहित उत्तर दीजिए।
4. आर्थिक विकास के साथ व्यावसायिक ढाँचे में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं? इन परिवर्तनों के कारण बताइये।

इकाई - 06

प्राकृतिक संसाधन - खनन एवं खनिज, वन भूमि एवं जल (Natural Resources, Mines and Minerals, Forest, Land and Water)

इकाई की रूपरेखा

- 6.0 उद्देश्य
- 6.1 प्रस्तावना
- 6.2 संसाधन का अर्थ एवं महत्व
- 6.3 संसाधनों के प्रकार
 - 6.3.1 मानवीय संसाधन
 - 6.3.2 प्राकृतिक संसाधन
- 6.4 खनन एवं खनिज संसाधन
- 6.5 खनिजों का वर्गीकरण
- 6.6 राजस्थान में खनिज संसाधन
- 6.7 राजस्थान में खनिज भण्डार
- 6.8 प्रमुख खनिजों का वितरण एवं उत्पादन
- 6.9 राजस्थान वन भूमि एवं वन संसाधन
- 6.10 जल संसाधन
 - 6.10.1 जल स्रोत/जल संसाधन
 - 6.10.2 राजस्थान की प्रमुख नदियां
 - 6.10.3 अरब सागर में गिरने वाली नदियां
 - 6.10.4 बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां
- 6.11 राजस्थान की झीलें
 - 6.11.1 खारे पानी की झीलें
 - 6.11.2 मीठे पानी की झीलें
- 6.12 सारांश
- 6.13 शब्दावली
- 6.14 सन्दर्भ ग्रन्थ
- 6.15 अभ्यासार्थ प्रश्न

6.0 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई को पढ़ने के उपरान्त आप :

- समझ सकेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं एवं यह कितने प्रकार के होते हैं?
- जान सकेंगे कि खनन एवं प्रमुख खनिज संसाधन कौन-कौन से हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं एवं राजस्थान में कौनसे खनिज बहुतायत में मिलते हैं?
- राजस्थान के वन-क्षेत्र एवं विभिन्न प्रकार के वनों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- राज्य के प्रमुख जल स्रोतों का अध्ययन करेंगे एवं इसकी प्रमुख नदियों एवं झीलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।

6.1 प्रस्तावना (Introduction)

प्राकृतिक संसाधन वातावरण की कुल दशाओं के योग एक भाग है। वातावरण के इस महत्वपूर्ण घटक का उपयोग उत्पादन की प्रक्रिया में सामाजिक, भौतिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। मानव द्वारा जीवन यापन एवं रहन-सहन में भौतिकवादी दृष्टिकोण अपनाये जाने के कारण संसाधनों का अविवेकपूर्ण विदोहन किया जाना आज चिन्ता का विषय बन गया है। अनेक जैविक एवं अजैविक संसाधनों का आश्चर्यजनक रूप से हास हो चुका है। यदि इस गति से संसाधनों का हास होता रहा तो निकट भविष्य में मानव जीवन ही नहीं अपितु समस्त जैविक संसार का व्यक्तित्व खतरे में पड़ जायेगा। मानव का व्यक्तित्व बचाये रखने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाय, बिरले संसाधनों का संरक्षण किया जाय तथा आवश्यकता के अनुसार उनका समुचित सदुपयोग किया जाय जिससे भावी पीढ़ियों के लिए संसाधन सतत रूप से उपलब्ध होते रहें।

प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों के सम्बन्ध में जैसे उनकी उपलब्ध मात्रा, प्रकार एवं वितरण आदि से संबन्धित जानकारी प्राप्त न कर ले तब तक उनके उपयोग एवं संरक्षण के बारे में कार्य योजना नहीं बनाई जा सकती। प्रस्तुत इकाई का मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों जैसे खनिज, वनस्पति एवं जल के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जाये जिससे योजनाबद्ध तरीके से उनका समुचित मात्रा में आवश्यकतानुसार मानव कल्याण एवं उन्नति के लिए उनका विदोहन एवं उपयोग किया जा सके।

6.2 संसाधन का अर्थ एवं महत्व

(Meaning and Importance of Resources)

संसाधन शब्द को अंग्रेजी भाषा में 'Resources' कहते हैं। जो 'Re+source' से मिलकर बना है। 'Re' शब्द का अर्थ दीर्घअवधि से है तथा 'source' का अर्थ है साधन। अर्थात् संसाधन वे स्रोत हैं जिनपर मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विकास के लिए दीर्घ अवधि तक निर्भर रहता है। समाज विज्ञान कोष (Encyclopedia of Social Sciences) के अनुसार 'संसाधन मानवीय पर्यावरण के वे पक्ष हैं जिनके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सुविधा होती है। तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है।' प्रसिद्ध भू-वैज्ञानिक ई. डब्लू. जिम्मरसेन के अनुसार - 'संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती हैं एवं उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती हैं।'

साधारण शब्दों में संसाधन प्रकृति द्वारा प्रदान किया हुआ वह स्रोत है जिसके द्वारा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति अंशतः या पूर्णतः होती है। प्रकृति में सैकड़ों प्राकृतिक पदार्थ पाये जाते हैं किन्तु उन सबको संसाधन नहीं कहा जा सकता है। ये तत्व तभी संसाधन बन पाते हैं जब इनका उपयोग मानवीय ज्ञान तथा उसकी क्षमता से होता है। मनुष्य की बौद्धिक एवं सांस्कृतिक क्षमता के आधार पर ही संसाधन का महत्व निर्धारित होता है। स्पष्ट है कि संसाधन की संकल्पना मानवीय उपयोगितासे सम्बद्ध है। इसका अभिप्राय यह है कि तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक दशाओं में परिवर्तन होने के साथ-साथ संसाधनों में भी परिवर्तन होते रहते हैं।

प्रकृति का कोई पदार्थ केवल उसी समय संसाधन बनता है जब वह किन्हीं मानवीय आवश्यकताओं को पूरी करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। जैसे भू-गर्भ में कोयला एवं पेट्रोल आदि के भण्डार करोड़ों वर्षों से विद्यमान रहे परन्तु जब मनुष्य ने इनका प्रयोग ईंधन के रूप में किया तब ही से ये पदार्थ आर्थिक संसाधन कहलाने लगे। इस प्रकार कोई भी तत्व मानव की आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयोग किये जाने के कार्य द्वारा संसाधन बन जाता है। कोयले का कोई पिण्ड यदि संसाधन है तो वह अपनी आकृति, रंग, गठन आदि के कारण नहीं है वरन् मानव की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करने के कारण है। मानव शक्ति ही वास्तविक शक्ति है जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विभिन्न रूपों में करती है।

6.3 संसाधनों के प्रकार (Types of Resources)

किसी प्रदेश में उपलब्ध प्राकृतिक तत्वों के अतिरिक्त वहां निवास करने वाले मानव एवं उसकी संस्तुति भी महत्वपूर्ण संसाधन होता है। इस दृष्टि से संसाधनों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।

- (1) मानवीय संसाधन
- (2) प्राकृतिक संसाधन

6.3.1 मानवीय संसाधन

बिना मानव के प्राकृतिक संसाधनों का कोई महत्व नहीं होता है। मानव ही वह संसाधन है जो अपने वातावरण में परिवर्तन कर उसमें उपलब्ध पदार्थों को अपनी आवश्यकतानुसार उपयोग में लाता है। उसी के ज्ञान एवं परिश्रम से आज विश्व में कहीं कृषि की जाती है तो कहीं खनिजों का विदोहन कर उद्योगों का विकास किया जाता है।

6.3.2 प्राकृतिक संसाधन

प्राकृतिक संसाधन वातावरण की कुल दशाओं के योग का एक भाग है। वातावरण के तत्व अथवा तत्वों का प्रयोग उत्पादन की प्रक्रिया में सामाजिक सांस्कृतिक एवं भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। मानव ने अपनी संस्कृति एवं तकनीकी ज्ञान का विकास करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक तत्वों का उपयोग जितनी मात्रा और अवस्थाओं तक कर लेता है उसी मात्रा और अवस्था तक यह तत्व संसाधन बन जाते हैं। प्रमुख प्राकृतिक संसाधन हैं- खनिज, वनस्पति, जल प्रवाह, ज्वार भाटा, सौर ऊर्जा, मृदा, पत्थर आदि।

6.4 खनन एवं खनिज संसाधन (Mining and Mineral Resources)

जीव एवं वनस्पति के अतिरिक्त जो भी पदार्थ धरातल अथवा भू-गर्भ से प्राप्त होता है वह खनिज पदार्थ कहलाता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं लाभार्थ हेतु भूमि से खनिज पदार्थों की प्राप्ति का कार्य खनन कहलाता है। खनिजों के अनेक गुण धर्म (Properties) होते हैं जैसे- रवेदार, कठोर, घनत्व, रंग, पारदर्शिता आदि-आदि।

6.5 खनिजों का वर्गीकरण (Classification of Minerals)

खनिजों को उनके गुण धर्म के आधार पर तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।

- (1) धात्विक खनिज (Metallic Minerals)
- (2) अधात्विक खनिज (Non-Metallic Minerals)
- (3) खनिज ईंधन (Mineral Fuel)

(1) धात्विक खनिज किसी प्रदेश के आर्थिक विकास में वहां उपलब्ध होने वाले खनिजों का काफी महत्व होता है। यांत्रिक युग का सूत्रपात धात्विक खनिजों के फलस्वरूप ही हुआ है। इस श्रेणी के खनिजों में लोहा, ताम्बा, जस्ता, टिन, एल्युमिनियम, सोना, चांदी आदि प्रमुख हैं।

(2) अधात्विक खनिज इस वर्ग के खनिजों में चूना पत्थर, संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट, गंधक, अभ्रक, जिप्सम, हीरा, पन्ना, नीलम आदि खनिज आते हैं।

(3) खनिज ईंधन जिन खनिजों का उपयोग ऊर्जा/शक्ति के उत्पादन में प्रमुख योगदान होता है वह खनिज ईंधन कहलाता है जैसे कोयला, खनिज तेल एवं गैस, यूरेनियम, थोरियम आदि।

6.6 राजस्थान में खनिज संसाधन (Minerals Resources in Rajasthan)

राजस्थान में अनेक प्रकार के खनिज उत्पादन की दृष्टि से देश में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रदेश में लगभग 42 प्रकार के प्रमुख खनिज एवं 23 प्रकार में गौण खनिजों का उत्पादन होता है। खनिजों की बहुलता एवं विविधता के कारण राज्य को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। भूगर्भिक एवं धरातलीय संरचना में विविधता के कारण अनेक प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं। राज्य के मध्यवर्ती भाग में विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला "अरावली पर्वत माला" विस्तृत है। यह क्षेत्र मुख्यतः धातुई एवं अधातुई खनिजों के उत्पादन में अग्रणीय है। प्रदेश का पश्चिमी मरूस्थलीय क्षेत्र खनिज तेल, गैस, लिगनाईट कोयला, चूना पत्थर, जिप्सम, टंगस्टन तथा नमक आदि प्रमुख उत्पाद है।

प्रदेश कई खनिज उत्पादन में धनी है तथा उत्पादन की दृष्टि से देश में अपना एकाधिकार रखता है। जस्पर, वोलेस्टोनाइट, जिंक का उत्पादन तो देश का शतप्रतिशत करता है। इसी प्रकार फ्लूराइट, जिप्सम, संगमरमर, एसवेस्टोज, सोपस्टोन, चांदी, रॉकफास्फेट आदि का उत्पादन देश में होने वाले कुल उत्पादन का लगभग 90 प्रतिशत करता है। फास्फेट,

केल्साईट, बालूपत्थर, फेल्स्पार आदि खनिजों का उत्पादन देश में होने कुल उत्पादन का 70 प्रतिशत के लगभग करता है। राजस्थान कुछ खनिजों जैसे लोहा, अयस्क, उत्तम प्रकार का कोयला, बाक्साईट, मैंगनीन, कोरोमाईट खनिज तेल आदि के उत्पादन की दृष्टि से काफी गरीब है।

6.7 राजस्थान में खनिज भण्डार (Minerals Stocks in Rajasthan)

खनिज जमाव की दृष्टि से अनेक खनिज पदार्थों के सुरक्षित भण्डार की दृष्टि से यह प्रदेश देश में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किये हुए है जैसा कि सारणी संख्या 6.1 से स्पष्ट है।

सारणी - 6.1

सम्पूर्ण भारत एवं राजस्थान में उपलब्ध प्रमुख खनिज भण्डार

(मात्रा 10 लाख टन में)

क्रम संख्या	खनिज	भारत	राजस्थान	देश में उपलब्ध कुल भण्डार का राज्य में प्रतिशत
1.	एस्बेस्टोन	21.73	13.19	60.69
2.	बांटोनाइट	530.6	423.5	79.82
3.	केल्साईट	22.57	12.1	52.28
4.	तांबा अयस्क	1397.4	668.5	47.94
5.	फेल्स्पार	90.8	56.2	61.8
6.	सीसा जस्ता अयस्क	522.6	468.5	89.6
7.	जिप्सम	1236.8	1006.8	81.39
8.	अभ्रक	0.394	0.202	51.29
9.	संगमरमर	1792.6	1122.4	62.61
10.	सिल्वर अयस्क	244.6	204.3	83.53
11.	सोपस्टोन	312.33	157.2	50.32
12.	वोलास्टोनाईट	20.2	18.2	90.15
13.	टंगस्टन अयस्क	87.3	23.9	27.28
14.	रॉकफास्फेट	305.3	95.9	31.42
15.	फ्लूराईट	20.16	5.24	25.9
16.	लिंगनाईट	38274.3	4235.3	11.2

स्रोत : इंडियन मिनेरल ईयर बुक 2006


उपर्युक्त सारणी से कि यह प्रदेश अलौह धातुई खनिजों के भण्डार की दृष्टि से देश का धनी प्रदेश कहा जा सकता है लेकिन लोह धातु एवं शक्ति के साधन जैसे उत्तम प्रकार का कोयला एवं खनिज तेल की दृष्टि से यह गरीब प्रदेशों की श्रेणी में आता है।

6.8 प्रमुख खनिजों का वितरण एवं उत्पादन

(Production and Distribution of Main Minerals)

मानचित्र 6.1 में वर्णित निम्नलिखित धात्विक एवं अधात्विक तत्व प्रदेश में पाये जाते

हैं।



मानचित्र 6.1

(1) धात्विक खनिज (Metallic Minerals)

• ताम्बा (Copper)

यह खनिज प्रदेश में प्राचीन काल (ताम्रयुग) से ही निकाला जाता रहा है। अतलौह धातुओं से उपलब्ध यह महत्वपूर्ण खनिज है। ताम्बा अयस्क में धातुई अंश 3.6 प्रतिशत तक पाया जाता है। वर्ष 1973 में ताम्बे का उत्पादन 263.8 हजार टन के लगभग हुआ था जो बढ़कर 1982 में 616.4 हजार टन और 2006-07 में 1002.8 हजार टन हो गया। मूल्य की

दृष्टि से राज्य में लगभग 250 लाख रुपये का उत्पादन होता है। भू-सर्वेक्षण के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि राज्य में ताम्बा अयस्क के 6680 लाख टन के भण्डार उपलब्ध हैं जो देश के कुल भण्डार का 46 प्रतिशत हैं।

राज्य में प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में खेतड़ी-सिंघाना क्षेत्र, नीम का थाना क्षेत्र, खोहदरीबा क्षेत्र, पुर-बेनेड़ा दरीबा आदि क्षेत्र प्रमुख हैं।

(i) **खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र** इस क्षेत्र का विस्तार सीकर और झुंझून् जिले के खेतड़ी, सिंघाना और रघुनाथ गांव के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। यह क्षेत्र 80 किलोमीटर लम्बा और 3.2 से 5 कि.मी. चौड़ा विस्तृत है। यह राज्य का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है यहां लगभग 9 करोड़ टन ताम्बा अयस्क के भण्डार हैं।

(ii) **नीम का थाना क्षेत्र** यह क्षेत्र सीकर और झुंझून् जिलों में नीम का थाना से रघुनाथ गढ़ तक 60 किलोमीटर की लम्बाई में विस्तृत है। यहां लगभग 120 लाख टन ताम्बा भण्डार होने का अनुमान है।

(iii) **खोह दरीबा क्षेत्र** अलवर से 48 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में दरीबा की पहाड़ियों में विस्तृत है। यहां लगभग 70 लाख टन ताम्बा अयस्क के भण्डारों का अनुमान है।

(iv) **पुर-बेनेड़ा दरीबा क्षेत्र** भीलवाड़ा जिले के पुर एवं दरीबा क्षेत्रों में विस्तृत है। यहां 34 कि.मी. पट्टी में लगभग 40 लाख टन ताम्बा अयस्क के भण्डार हैं।

(v) **अन्य क्षेत्र** उदयपुर जिले में देबारी, सलूमबर, रेलमगरा, भीम तथा देलवाड़ा आदि गांवों के क्षेत्रों में पाया जाता है। इसी प्रकार अलवर जिले के थानागाजी, कुशलगढ़ तथा चुरू जिले के बीयासर, जयपुर जिले के रूपाली आदि स्थानों पर पाया जाता है। इंगरपुर, कोटा और बीकानेर जिलों में इसका उत्पादन किया जाता है।

• **सीसा और जस्ता सांद्र (Lead and Zinc Ore)**

यह प्रदेश भारत के कुल उत्पादन का 20 प्रतिशत सीसा और 99 प्रतिशत जस्ता (Concetrated) का उत्पादन करता है। यही नहीं देश में पाये जाने वाले कुल भण्डार का लगभग 90 प्रतिशत राजस्थान में ही उपलब्ध है। देश में उत्पादन से अधिक मांग होने के कारण काफी मात्रा में आयात करना पड़ता है।

प्रमुख उत्पादन क्षेत्र में जावर, राजपुरा दरीबा, आगूचा-गुलाब पुरा आदि प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं।

(i) **जावर क्षेत्र** यह क्षेत्र उदयपुर से 40 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में स्थित है तथा राज्य का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में मोचिया मगरा, बरोड़ मगरा जावरमाला पहाड़ियां आदि प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। यहां प्रतिदिन 300-400 टन धातु का उत्पादन होता है। उदयपुर से 15 कि.मी. की दूरी पर देवारी नामक स्थान पर जस्ता शोधक संयन्त्र (Zinc Smelter) स्थित है।

(ii) राजपुरा दरीबा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित राजपुरा-दरीबा क्षेत्र राज्य का दूसरा बड़ा एवं महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। यहां के मिश्रित सांद्र में जस्ता, सीसा, चांदी और ताम्बा प्राप्त किया जाता है।

(iii) आगूचा गुलाबपुरा क्षेत्र भीलवाड़ा जिले के आगूचा एवं गुलाबपुरा क्षेत्रों में भी इसके उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

अन्य क्षेत्रों में इंगरपुर जिले के घुंघराव मांडों, बांसवाड़ा जिले में बरडालिया तथा सिरोही जिले में जोपार ओर तुरगी स्थानों से सीसा और जस्ता के भण्डार पाये जाते हैं। सवाई माधोपुर जिले के जयपुर-सवाई माधोपुर रेलवे लाईन के समीप तथा अलवर जिले के गुढा किशोरी दास आदि क्षेत्रों में भी सीसा और जस्ता के प्रचुर भण्डार पाये जाते हैं।

प्रदेश में प्रतिवर्ष सीसा और जस्ता का उत्पादन 50 लाख टन होता है। राज्य में सीसा-जस्ता धातु के विपुल भण्डार उपलब्ध हैं। राज्य में लगभग 4680 लाख टन अनुमानित भण्डार हैं जो देश में पाये जाने वाले कुल भण्डार का 90 प्रतिशत भाग है।

- **टंगस्टन**

यह सामरिक महत्व का खनिज है। भारतीय खनिज ब्यूरो द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण द्वारा 1959 में नागौर जिले के डेगाना, भाकरी नामक स्थानों पर भारी मात्रा में टंगस्टन के भण्डारों का पता लगा। इस धातु का उपयोग बिजली के बल्ब, अस्त्र-शस्त्र बनाने के काम में किया जाता है। इस्पात को कड़ा करने में इसका उपयोग होता है। प्रदेश का डेगाना क्षेत्र टंगस्टन के उत्पादन में राज्य का ही नहीं अपितु भारत का भी प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। यहां 230.42 लाख टन टंगस्टन के भण्डार उपलब्ध हैं जो देश के कुल भण्डारों का 27.28 प्रतिशत है। टंगस्टन का उत्पादन प्रतिवर्ष लगभग 45 टन होता है।

- **मैंगनीज**

औद्योगिक दृष्टि से इस खनिज का महत्व काफी अधिक है। यह सभी उद्योगों का आधार खनिज कहलाता है। इसका उपयोग इस्पात बनाने, रंग-रोगन, बैटरी, रंगीन काँच, चीनी मिट्टी के बर्तन, उर्वरक, जलयान, वायुयान आदि बनाने के उपयोग में लिया जाता है। यह धातु बांसवाड़ा, उदयपुर, अलवर आदि जिलों में पाया जाता है। राज्य में अन्य राज्यों की तुलना में उत्पादन काफी कम होता है। वर्ष 2006-07 में इसका उत्पादन 690.7 हजार टन था।

- **बेरिलियम**

यह खनिज एल्यूमिनियम का सिलीकेन है। प्रदेश में बेरिलियम उत्तम प्रकार का प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। इसका उपयोग अणु शक्ति में होता है। अतः यह सामरिक महत्व का खनिज है इसका उत्पादन उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, सीकर, टोंक और अलवर जिलों में होता है। इसका वार्षिक उत्पादन लगभग 10 लाख टन है।

- **चांदी**

चांदी बहुमूल्य एवं आभूषणों के उपयोग में लाया जाने वाला धातु है। यह सीसा और जस्ता अयस्क के साथ प्राप्त होता है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र उदयपुर जिले का जावर क्षेत्र है। प्रति टन सीसा एवं जस्ता अयस्क से 25.3 एवं 5.6 औंस चांदी प्राप्त की जाती है। प्रतिवर्ष

चांदी 80 लाख टन के लगभग प्राप्त की जाती है। संग्रहित भण्डार की दृष्टि से इसके लगभग 2040 लाख टन हैं। देश में कुल उपलब्ध भण्डार का 63 प्रतिशत भाग राज्य में पाया जाता है।

(2) अधात्विक खनिज (Non-Metallic Minerals)

• अभ्रक (Mica)

अभ्रक बहुमूल्य एवं महत्वपूर्ण खनिज है। राजस्थान देश का तीसरा बड़ा उत्पादक राज्य है तथा देश के कुल उत्पादन 20 प्रतिशत राज्य द्वारा प्राप्त होता है। वर्ष 2006-07 में राज्य में अभ्रक का उत्पादन 70 हजार टन था। प्रदेश में अभ्रक उत्पादन के मुख्यतः क्षेत्र भीलवाड़ा एवं उदयपुर जिले ही प्रमुख हैं। ये दोनों जिले मिलकर राज्य का 75 प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन करते हैं। अन्य उत्पादक जिलों में जयपुर, टोंक, अजमेर, सीकर, पाली आदि जिलों में अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। देश के कुल उपलब्ध भण्डार का 51 प्रतिशत प्रदेश में उपलब्ध है।

• जिप्सम (Gypsum)

प्रदेश का पश्चिमी उष्ण मरूस्थलीय क्षेत्र इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। यह रसायनिक उर्वरक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, गंधक का तेजाब बनाने एवं विभिन्न रंग बनाने के उपयोग में लाया जाता है। देश का 90 प्रतिशत जिप्सम राजस्थान से ही प्राप्त होता है। वर्ष 2006-07 में इसका उत्पादन 3672 हजार टन के लगभग हुआ था जिसका मूल्य 14201.6 लाख रुपये था। संचित राशि की दृष्टि भी राज्य का देश में महत्वपूर्ण स्थान है। यहां की कुल संचित राशि का 81 प्रतिशत पाया जाता है। प्रदेश के प्रमुख उत्पादक जिले हैं - गंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली तथा जोधपुर आदि प्रमुख हैं। अकेला बीकानेर जिला राज्य का 19 प्रतिशत जिप्सम उत्पादन करता है। संचित भण्डार की दृष्टि से नागौर का देश में प्रमुख स्थान है। यहां देश की कुल संचित राशि का लगभग 2/3 भण्डार उपलब्ध है।

• रॉकफास्फेट

इस खनिज का उपयोग प्रमुखतः रसायनिक खाद बनाने में आता है। यह खनिज उदयपुर जिले के झामर कोटड़ा, दाकन कोटड़ा, भीण्डर, सीसमा आदि क्षेत्रों तथा जैसलमेर जिले के बिरमानिया क्षेत्र में पाया जाता है। उदयपुर क्षेत्र इसके उत्पादन में अग्रणीय हैं। यह देश का सर्वाधिक रॉकफास्फेट का उत्पादन करता है। यहां लगभग 55 करोड़ टन के भण्डार उपलब्ध हैं। जैसलमेर जिले के बिरमानिया तथा फतहगढ़ क्षेत्रों में रॉकफास्फेट के विपुल भण्डार पाये जाते हैं। यहां लगभग 50 लाख टन के सुरक्षित भण्डार उपलब्ध हैं। वर्ष 2006-07 में 1303 हजार टन के लगभग इसका उत्पादन किया गया था। सुरक्षित भण्डार की दृष्टि से प्रदेश में देश की कुल संचित राशि का 35 प्रतिशत भण्डार पाया जाता है।

• नमक (Salt)

प्राकृतिक नमक के उत्पादन में राज्य का स्थान सर्वोपरि है। राज्य के आन्तरिक जल प्रवाह क्षेत्र की झीलों में सांभर, डीडवाना, लूणकरणसर, पंचभद्रा, फलौदी आदि प्रमुख हैं। यहां प्राकृतिक वाष्पीकरण विधि से नमक का उत्पादन किया जाता है। नमक का उपयोग दवाइयों,

रसायन, कागज बनाने, रंग बनाने, चमड़ा रमने, सोड़ा एश, कास्टीक सोड़ा तथा खाने के उपयोग में प्रयुक्त होता है।

- **फ्लोराइट (Flourite)**

यह राज्य देश का लगभग 95 प्रतिशत फ्लोराइट उत्पादन करता है यहां उत्तम किस्म का फ्लोराइट पाया जाता है। इसका उपयोग रसायन, सिरेमिक उद्योग में विशेष रूप से किया जाता है। इसके अतिरिक्त सीमेंट, तापरोधी ईंटे, कार्बनयुक्त विद्युत तार, तथा कीट नाशक आदि दवाइयों में किया जाता है। इसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में इंगरपुर का माण्डव की पाल क्षेत्र प्रमुख है। यहां 150 लाख टन के लगभग भण्डार है। यह क्षेत्र देश में ही नहीं अपितु फ्लोराइट के उत्पादन में एशिया का भी प्रमुख क्षेत्र है। वर्ष 2006-07 में 6570 हजार टन के लगभग इसका उत्पादन था जिसका मूल्य 280 लाख रूपये था।

- **संगमरमर (Marble)**

संगमरमर के उत्पादन की दृष्टि से देश में राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है। यह देश का लगभग 62 प्रतिशत संगमरमर उत्पादन करता है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में नागौर, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, जैसलमेर, सीकर, अलवर, जालोर आदि जिले प्रसिद्ध हैं। नागौर जिले का मकराना क्षेत्र विश्व विख्यात है। यहां कई सदियों से संगमरमर निकालने का कार्य चल रहा है। वर्ष 2006-07 में राज्य में संगमरमर का उत्पादन लगभग 7650 हजार टन था।

राज्य में अन्य अलौह धातुओं के उत्पादन एसबेस्टोज. घीया पत्थर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, स्लेट, चीनी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, डोलोमाइट, केल्साइट आदि प्रमुख हैं। सारणी संख्या 6.2 में राज्य में प्रमुख खनिजों के उत्पादन तथा उससे प्राप्त राशि का विवरण दिया गया है।

(3) शक्ति के साधन (Power Resources)

शक्ति के साधनों की दृष्टि से राज्य काफी गरीब है। खनिज तेल एवं उत्तम प्रकार के कोयले का अभाव है। प्रदेश के पश्चिमी भागों में लिग्नाईट कोयला मिलता है जिसका उपयोग मुख्यतः बिजली के उत्पादन में किया जाता है। तेल एवं गैस के खोज का कार्य पिछले तीन दशक से पश्चिमी भागों में चल रहा है। अनेक कुएं खोदे गये लेकिन खनिज तेल की दृष्टि से आशातीत सफलता नहीं मिली है। प्राकृतिक गैस के महत्वपूर्ण भण्डार अवश्य प्राप्त हुए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि सम्भवतः निकट भविष्य में आशातीत सफलता प्राप्त हो जाय।

- **लिग्नाईट कोयला**

लिग्नाईट कोयला राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी भागों में पाया जाता है। इसमें मात्र 55 प्रतिशत से भी कम कार्बन अंश पाया जाता है अतः उत्तम प्रकार के कोयले की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इसका मुख्य उपयोग घरेलू कार्यों- ईंट पकाने, छोटे-छोटे कारखानों में ईंधन तथा ताप विद्युत उत्पादन में लाया जाता है। इसके मुख्यतः उत्पादन क्षेत्र बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, और नागौर जिले हैं जहां यह पाया जाता है। बीकानेर जिले में यह पलाना, गुरहा, भडवानिया तथा नरसिंगपुर आदि क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है। इस जिले में पिछले 60 वर्षों से लिग्नाईट कोयला निकाला जाता है। यहां प्रतिवर्ष लगभग 60 हजार टन कोयला निकाला

जाता है। ताप विद्युत उत्पादन में इसका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। सर्वेक्षण के आधार पर यहां लगभग 65 करोड़ टन से अधिक लिग्नाइट के भण्डार होने के अनुमान हैं। बाड़मेर क्षेत्र अपेक्षाकृत लिग्नाइट के भण्डार में धनी है यहां लगभग 60 करोड़ टन उपलब्ध होने योग्य सुरक्षित भण्डार है। यहां कोयले का उत्पादन कपूरडी जातियां, जोगेश्वरतल, मादका आदि क्षेत्रों से निकाला जाता है।

सारणी 6.2

राजस्थान में मुख्य खनिज उत्पादन(2006-2007)

क्र.सं.	खनिज	उत्पादन (हजार टन)	मूल्य (लाख ₹)	राजस्व प्राप्त (हजार रुपयों में)
1.	तांबा	1002.8	25069.8	95933.0
2.	सीसा एवं जस्ता	5771.9	44128.6	5244973.8
3.	केल्साइट	107.9	322.2	9868.4
4.	चायना क्ले	595.4	2077.7	17315.7
5.	डोलोमाइट	115.5	1455.3	14125.1
6.	फेल्सपार	464.7	885.1	27167.9
7.	फ्लोराइट	6.6	28.8	407.2
8.	जिप्सम	3672.1	14201.7	211195.2
9.	लिग्नाइट	588.5	8453.1	39733.7
10.	चूना पत्थर	31574.7	37942.1	1391966.9
11.	अभ्रक	701.1	24.8	120.8
12.	रॉक फास्फेट	1303.1	15636.4	409969.0
13.	सोपस्टोन	698.5	4638.7	84999.6
14.	मैंगनीज	4.5	69.7	194.0
15.	चाँदी	776602.3	-	-
16.	बालू क्ले	892.9	4911.1	22617.8
17.	क्वार्ट्ज़	551.4	962.1	21337.1
18.	वालेस्टोनाइट	128.9	1119.6	10750.9
19.	संगमरमर	7847.8	60819.9	1251068.5

स्रोत : निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान, राजस्थान, उदयपुर।

नागौर जिले में कोयला मेड़ता रोड, भोकाला इन्दावर आदि स्थानों से प्राप्त किया जाता है। इस क्षेत्र में लगभग 9 करोड़ टन के सुरक्षित भण्डार होने का अनुमान है।

राज्य में लिग्नाइट का कुल 42350.35 लाख टन के भण्डार उपलब्ध हैं जो देश में उपलब्ध लिग्नाइट के भण्डार का मात्र 11 प्रतिशत है। प्रदेश में इसका उत्पादन प्रतिवर्ष 800 हजार टन के लगभग होता है।

- खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस

खनिज तेल एवं गैस के उत्पादन की दृष्टि से यह प्रदेश काफी गरीब है। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्रों में खोज के कार्य चल रहे हैं उम्मीद है आशातीत परिणाम प्राप्त होंगे। गैस के विपुल भण्डारों का पता चला है जिसका उपयोग शक्ति के उत्पादन, उद्योगों एवं घरेलू कार्यों में किया जावेगा। पश्चिमी क्षेत्र में 28600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खोज कार्य चल रहे हैं जिससे ज्ञात हुआ है कि इस क्षेत्र में लगभग 4800 लाख टन खनिज तेल के भण्डार सुरक्षित हैं तथा गैस के 1,17,900 लाख घन फुट के भण्डार सुरक्षित हैं जिन्हें उपलब्ध किया जा सकता है।

उत्पादन क्षेत्र

- (1) बीकानेर जिले में तूवारीवालाल से बघेवाला तक के 13 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में लगभग 35 करोड़ टन तेल के भण्डार होने का अनुमान है।
- (2) बाड़मेर जिले में सांचोर क्षेत्र में कोलबड - मिथेन सी.बी.एम. गैस के इतने अथाह भण्डारों का पता चला है कि इससे राज्य की सम्पूर्ण नगरीय जनसंख्या को आगामी 360 वर्षों तक घरेलू गैस उपलब्ध कराई जा सकती है। साथ ही 3500 मेगावाट विद्युत भी पैदा की जा सकती है।
- (3) जैसलमेर जिले में सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। रामगढ़, खुमालिया, लोणेंवाल आदि क्षेत्रों में खुदाई 1955 से ही चल रही है। भारतीय प्राकृतिक गैस कमीशन तथा फ्रेंच विशेषज्ञों के सामूहिक प्रयासों से ज्ञात हुआ है कि इस क्षेत्र में लगभग 140 करोड़ तेल एवं 50 लाख घन मीटर गैस के भण्डार उपलब्ध हैं। इसमें से लगभग 54 करोड़ 22 लाख घनमीटर तेल एवं गैस के दोहन की पूर्ण सम्भावना है। प्राप्त हो रहे सर्वेक्षण के नतीजों से यह आशा की जा सकती है कि तेल एवं गैस के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भविष्य उज्ज्वल होने की पूर्ण आशा है।

6.9 राजस्थान वन भूमि एवं वन संसाधन

(Forest and Forest Resources in Rajasthan)

वन भूमि एवं वन संसाधन

वन प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक ऐसा संसाधन है जो आदिकाल से ही मानव जीवन, सभ्यता, संस्तुति एवं क्रियाकलापों तथा आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता आ रहा है। वनस्पति की उपस्थिति मानव और प्रकृति में एक पारिस्थितिक संतुलन बनाये रखती है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पारिस्थितिक संतुलन के लिए क्षेत्र विशेष का एक तिहाई क्षेत्र वनों के अन्तर्गत अपेक्षित है। परन्तु आज के बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं पाश्चात्य उपभोगतावादी जीवन शैली के कारण वनों का काफी ह्रास हुआ है। इससे सम्पूर्ण वातावरण प्रदूषित एवं असंतुलित होकर मानव के व्यक्तित्व के लिए एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। यही कारण है कि आज विश्व के प्रत्येक देश के पर्यावरणविद् वैज्ञानिक; सामाजिक कार्यकर्ता एवं राजनेता आदि वनों के विकास एवं संवर्धन के लिए चिन्तित हैं।

राजस्थान वनों के विस्तार एवं उपलब्ध वनस्पति के दृष्टिकोण से काफी पिछड़ा हुआ राज्य है। आज राज्य में कुल क्षेत्रफल के 9 प्रतिशत से भी कम क्षेत्र वनों के अन्तर्गत है जो

अपेक्षा से काफी कम है। राज्य में प्रतिव्यक्ति वन क्षेत्रफल केवल 0.06 हैक्टेयर ही है जब कि देश का यह क्षेत्रफल 0.2 हैक्टेयर प्रतिव्यक्ति है। राज्य की कार्यशील जनसंख्या का केवल 0.4 प्रतिशत भाग वन व्यवसाय में लगा हुआ है।

राज्य में वनों के विकास, उनके संवर्धन एवं संरक्षण के लिए समुचित प्रयासों का अभाव रहा फलस्वरूप इनका निरन्तर हास होता गया। 12 मई, 1952 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति का निर्धारण कर देश के कुल क्षेत्रफल के 32 प्रतिशत भाग पर वनों का विकास करने की नीति बनाई गई। उसी के परिणाम स्वरूप राजस्थान में भी वनों के संरक्षण और विकास का कार्य किया जाने लगा। अभी तक राज्य में अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाये।

राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग कि.मी. के लगभग है इसमें से केवल 31,902 वर्ग कि.मी. क्षेत्र वनों के अन्तर्गत आता है जो कुल क्षेत्रफल का केवल 9.32 प्रतिशत ही है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में वनों का क्षेत्रफल भिन्न-भिन्न है। सारणी संख्या 6.3 में कुछ जिलों के अन्तर्गत वन क्षेत्रों का प्रतिशत दर्शाया गया है।

सारणी 6.3

वनों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत

क्र.सं	जिला	वन के अंतर्गत क्षेत्रफल (प्रतिशत में)
1.	सिरोही	31.1
2.	उदयपुर, राजसमंद	29.4
3.	कोटा एवं बांरा	28.8
4.	सवाई माधोपुर, करौली	27.6
5.	बूंदी	26.7
6.	बाड़मेर	1.5
7.	जोधपुर	1.3
8.	नागौर	1.25
9.	जैसलमेर	1.1
10	चुरू	0.5

उपर्युक्त सारणी में दर्शाये गये विभिन्न जिलों में पाये जाने वाले वन क्षेत्र के अनुपात से स्पष्ट है कि यह प्रदेश वनों की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है और वनों का समुचित विकास नहीं हुआ है। केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित वन नीति के अनुसार राज्य में वनों का क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का 33 प्रतिशत होना चाहिए। घोषित वन नीति के अनुसार राज्य में आरक्षित वनों के लिए कुल उपलब्ध क्षेत्रफल लगभग 39 प्रतिशत आरक्षित है जहां पशुओं के चरने, लकड़ी काटने आदि की स्वीकृति नहीं दी जाती। लगभग 50 प्रतिशत वन क्षेत्र सुरक्षित वनों के अन्तर्गत आता है जहां जैविक दबाव (मनुष्य एवं पशु) बहुत अधिक पाया जाता है। वर्गीकृत वन क्षेत्र मुख्यतः मरूस्थलीय भागों में है। इन्दिरा गांधी नहर के आने से इस क्षेत्र में वनों का विकास निरन्तर होता जा रहा है।

सारणी 6.4

वनों का वर्गीकरण (शासकीय दृष्टि से)

क्र.सं	वर्गीकरण	क्षेत्रफल (लाख हैक्टेयर में)	प्रतिशत
1.	आरक्षित वन (Reserved Forest)	12.3	38.6
2.	सुरक्षित वन (Protected Forest)	16.1	50.1
3.	अवर्गीकृत वन (Unclassified)	3.5	11.1
	कुल योग	31.9	100 प्रतिशत

प्रदेश वन अभयारण्यों की दृष्टि से धनी है। राज्य में कुल 27 अभयारण्य पाये जाते हैं जिनमें कुल वन भूमि का 25 प्रतिशत क्षेत्र आरक्षित है।

राजस्थान में वन एवं वन क्षेत्रों के विकास न होने के निम्न कारण हैं :

प्रदेश सरकार द्वारा वनों के संरक्षण एवं विस्तार की दृष्टि से किसी ठोस नीति का अभाव एवं वनों की तरफ समुचित ध्यान नहीं देना। भारत सरकार द्वारा 1988 की संशोधित वननीति का मुख्य उद्देश्य वनों का हास को रोक कर उनके संरक्षण, संवर्धन एवं सुरक्षा का कार्य करना है। संशोधित वन नीति के मुख्य लक्ष्य निम्न हैं:

1. पारिस्थितिकीय संतुलन के संरक्षण और पुनः स्थापना द्वारा पर्यावरण स्थायित्व को बनाये रखना।
 2. प्राकृतिक सम्पदा का संरक्षण।
 3. भूमि कटाव एवं मृदा अपरदन पर नियंत्रण।
 4. राज्य के मरुस्थलीय क्षेत्रों तथा तटवर्ती क्षेत्रों में रेत के टीलों के विस्तार को रोकना।
 5. व्यापक वृक्षारोपण एवं सामाजिक वानिकी द्वारा वनों का विकास।
 6. ग्रामीण और आदिवासी जनसंख्या के लिए ईंधन की लकड़ी, पशु चारा छोटी-छोटी वन उपजें उपलब्ध कराना।
 7. वन उत्पादकों के सही उपयोग को बढ़ावा देना तथा लकड़ी का अनुकूल विकल्प खोजना।
- इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वर्तमान में वनों पर पड़ रहे मानवीय एवं पशुओं के दबाव को न्यून करने हेतु जनसाधारण विशेषकर महिलाओं में जागरूकता पैदा करना जिससे वनों के हास पर नियंत्रण किया जा सके।

6.10 जल संसाधन (Water Resources)

पृथ्वी पर जीवन को बनाये रखने के लिए वायु के बाद जल का ही स्थान है। समस्त प्राणी जगत के लिए 'जल ही जीवन' वाली कहावत पूर्णरूपेण चरितार्थ है। आज मानव जीवन का विकास और समृद्धि देखने को मिल रही है, जल की उपलब्धता एवं उपयोगिता के फलस्वरूप ही है। जल पीने और सिंचाई के अतिरिक्त औद्योगिक, विद्युत उत्पादन, मनोरंजन आदि साधनों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अत्यन्त आवश्यक है। निरन्तर जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक विकास एवं बदलती हुई जीवन शैली के कारण दिन प्रतिदिन जल की मांग बढ़ती जा रही है, परिणाम स्वरूप यह प्राकृतिक सम्पदा धीरे-धीरे दुर्लभ होती जा रही है।

6.10.1 जल स्रोत / जल संसाधन

जल संसाधन की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान देश के अन्य राज्यों की तुलना में काफी गरीब है। राजस्थान का धरातल अरावली पर्वतमाला द्वारा पश्चिमी मरुस्थलीय तथा पूर्वी जल ग्रहण क्षेत्र दो भागों में बंटा हुआ है। पूर्वी क्षेत्र का जल यमुना नदी में व पश्चिमी क्षेत्र का जल अरब सागर में गिरता है। पश्चिमी क्षेत्र में औसतन 310 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है जो देश में न्यूनतम है तथा दूसरी ओर पूर्वी क्षेत्र में 700 मिलीमीटर वर्षा होती है जो देश के अन्य अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों जितनी ही है। राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 10 वां भाग है, लेकिन जन प्रवाह का केवल एक प्रतिशत भाग ही इस प्रदेश में बहता है। भूमिगत जल की दृष्टि से भी स्थिति उत्साहवर्धक नहीं है। देश के कुल भू-जल संसाधनों का मात्र 3.5 प्रतिशत भाग ही इस राज्य में उपलब्ध है। राज्य के 33 जिलों में से 13 जिले जो कि इसके कुल क्षेत्रफल का लगभग 62 प्रतिशत है, वह शुष्क मरुस्थली प्रदेश हैं। इस प्राकृतिक सम्पदा को मद्देनजर रखते हुए इसके संरक्षण एवं उपयोग का समुचित प्रबन्धन करने की अत्यन्त आवश्यकता है।

राजस्थान के जल स्रोत

नदियां, तालाब, झीलें, वर्षा जल (संचित पोखरों और तालाबों), कुएं, एवं भूमिगत जल। जल संसाधनों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है।

- (1) सतह जल संसाधन
- (2) भू-जल संसाधन

सतह जल संसाधन

राजस्थान में आन्तरिक और बाहरी साधनों से कुल 29.28 मिलियन एकड़ फीट (MAF) पानी ही उपयोग में लाया जा सकता है। इसमें से 15.86 मिलियन एकड़ फीट जल आन्तरिक साधनों के अन्तर्गत है। इसमें से केवल 8.19 मिलियन एकड़ फीट (MAF) का ही उपयोग हो रहा है शेष 13.42 मिलियन एकड़ फीट (MAF) जल सतही जल के अन्तर्गत आता है।

6.10.2 राजस्थान की प्रमुख नदियां

(i) बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां

चम्बल नदी

सम्पूर्ण प्रदेश में चम्बल नदी ही एक मात्र नदी है जो वर्ष भी प्रवाहित होती है। यह मध्य प्रदेश में महु के पास विध्यांचल पर्वत माला से निकलती है तथा 325 कि.मी. बहने के बाद चौरासीगढ़ के निकट यह नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में 135 कि.मी. प्रवाहित होने के बाद पालीया के पिनाहट तक यह राजस्थान एवं मध्यप्रदेश के मध्य 241 कि.मी. सीमारेखा बनाती है। उद्गम स्थल से 965 कि.मी. बहने के पश्चात उत्तर प्रदेश में मुरादगंज के पास यमुना में मिल जाती है। राजस्थान राज्य में इसका कुल अपवाह क्षेत्र 19500 वर्ग कि.मी. है। राजस्थान व मध्यप्रदेश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। राजस्थान में इस पर गांधीसागर जवाहर सागर, राणाप्रताप सागर व कोटा बैराज के निर्माण से

5.6 लाख हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है तथा 3.68 लाख किलोवाट जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है।

प्रदेश की प्रमुख नदियों का अपवाह क्षेत्र एवं उपलब्ध जल की मात्रा सारणी संख्या 6.5 द्वारा दर्शाई गई है।

सारणी 6.5

प्रमुख नदियों का अपवाह

क्र. संख्या	नदी क्रम	अपवाह क्षेत्र (हजार कि.मी.)	संभावित उपलब्ध जल कि मात्रा (लाख घन मीटर)
1.	चम्बल	22.6	15300
2.	लूनी	33.1	2630
3.	बनास	49.5	13700
4.	माही	22.7	16000
5.	बाण गंगा	6.6	960
6.	साबरमती	2.7	1100
7.	गम्भीरी	4.8	1060
8.	सूकड़ी	0.9	2550
9.	योग	143.4	57700

बनास नदी

बनास नदी उदयपुर जिले में स्थित कुम्भलगढ़ के निकट से निकलती है। पहले यह वर्षभर बहती थी लेकिन कुछ वर्षों से यह वर्ष में 5-6 महिनें ही प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदियों में बड़च, कोठारी, मांशी खारी आदि मुख्य नदियां हैं। इसकी कुल लम्बाई 480 कि.मी. है। सवाई माधोपुर के पास चम्बल में मिल जाती है। बीसलपुर के समीप इस पर बांध बनाया गया है। टोंक जिले की लगभग 70,000 हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है तथा अजमेर, टोंक जिलों में पीने के पानी के लिए पानी की भी पूर्ति की जाती है। इस योजना द्वारा जयपुर नगर की पानी पहुँचाने की योजना पर कार्य चल रहा है।

कोठारी नदी

कोठारी नदी उदयपुर जिले में दिवेर की पहाड़ियों से निकलकर 145 कि.मी. प्रवाहित होने के पश्चात् भीलवाड़ा के पास बनास नदी में मिल जाती है। माण्डलगढ़ से 8 कि.मी. की दूरी पर मेजा बांध बनाया गया है जिससे भीलवाड़ा जिले की 10 हजार हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। इस बांध से भीलवाड़ा नगर को पीने के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है।

गम्भीरी नदी

बड़च की सहायक नदी है। इसका अपवाह क्षेत्र 4865 वर्ग कि.मी. है जिसमें लगभग 263 मिलियन घन मीटर जल प्राप्त होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र चित्तौड़गढ़ जिला है।

बेड़च नदी

इसका उद्गम स्थल गोगुन्दा की पहाड़ियां है। यह नदी उदयपुर में आयड़ के नाम से जानी जाती है तथा उदयसागर के बाद यह बेड़च के नाम से पुकारी जाती है। 190 कि.मी. बहने

के बाद चित्तौड़गढ़ के आगे बीगोद के पास बनास में मिल जाती है। अन्य नदियों में पार्वती, खारी, कालीसिंध, बाणगंगा आदि प्रमुख नदियां हैं।

उपर्युक्त सभी नदियों का जल यमुना नदी एवं गंगा नदी के द्वारा बंगाल की खाड़ी में जाता है।

(ii) अरब सागर में गिरने वाली नदियां

लूनी नदी

लूनी नदी अजमेर के पास आनासागर से निकलकर 330 कि.मी. की दूरी पार करती हुई रन ऑफ कच्छ में समा जाती है। इस नदी के अन्तर्गत राजस्थान के समस्त अपवाह क्षेत्र का लगभग 10.40 प्रतिशत भू-भाग आता है। इसका कुल अपवाह क्षेत्र 34866.40 वर्ग कि.मी. है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में लालरी, गुहिया, बांडी, सुकरी जंवाई, मीठड़ी, सरस्वती, जोजरी और सागाई प्रमुख नदियां हैं।

माही नदी

इसका उद्गम स्थल मध्यप्रदेश के अमरोठ जिले में स्थित है। राजस्थान में यह बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों में बहती हुई गुजरात में खंभ्मात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुल लम्बाई 580 कि.मी. है। बांसवाड़ा के पास सिंचाई एवं जल विद्युत प्राप्ति के लिए एक बांध का निर्माण किया गया है। इस नदी घाटी योजना से प्रतिवर्ष राजस्थान एवं गुजरात की लगभग 8-8 लाख हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। इससे 23 करोड़ 16 लाख 7 हजार विद्युत इकाई का उत्पादन किया जाता है।

सोम नदी

उदयपुर जिले के ऋषभदेव नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। वेणेश्वर मानक स्थान पर माही से मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों में जोखिम, गोमती और सारनी हैं।

जोजरी नदी

यह नदी नागौर जिले के दक्षिणी भाग से निकलती है। जोधपुर के दक्षिण से होती हुई बाड़मेर जिले में सिवाणा के उत्तर में लूनी से मिल जाती है। इसकी कुल लम्बाई 150 कि.मी. है। अन्य नदियों में पश्चिमी बनास, लीलड़ी, बाड़ी, सूकड़ी आदि मुख्य नदियां हैं।

6.11 राजस्थान की झीलें (Lakes in Rajasthan)

राजस्थान में दो प्रकार की झीलें पाई जाती हैं (1) खारे पानी की झीलें तथा (2) मीठे पानी की झीलें। यहां पर कृत्रिम एवं प्राकृतिक दोनों ही प्रकार की झीलें पाई जाती हैं।

6.11.1 खारे पानी की झीलें

राजस्थान में अधिकांश झीलें आन्तरिक जल प्रवाह प्रणाली के अन्दर आती हैं। इनमें छोटी-छोटी नदियां जल लाकर भर देती हैं।

सांभर झील यह देश में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह जयपुर-जोधपुर रेलमार्ग पर जयपुर से 70 कि.मी. पश्चिम में है। समुद्र तल से इसकी ऊँचाई 300-400 मीटर तक है। इस झील का अपवाह क्षेत्र चार जिलों जयपुर, अजमेर, नागौर एवं सीकर है। इस झील का आन्तरिक

प्रवाह क्षेत्र लगभग 5702.6 वर्ग कि.मी. है। यह 60 कि.मी. लम्बी और 2-5 कि.मी. चौड़ी है। यह झील नमक का प्रमुख स्रोत है। इस झील के 4 मीटर की गहराई तक लगभग 350 लाख टन नमक के भण्डार हैं।

पंचभद्रा झील बाड़मेर जिले में पंचभद्रा नामक स्थान में स्थित यह खारे पानी की झील 25 वर्ग कि. मी. क्षेत्र पर विस्तृत है। ग्रीष्म ऋतु में वाष्पीकरण की अधिकता से झील में नमक की परतें जम जाती हैं।

लूनकरणसर झील बीकानेर जिले में लूनकरणसर नामक स्थान पर स्थित खारे पानी की झील है। इससे नमक प्राप्त होता है।

डीडवाना झील नागौर जिले में डीडवाना के पास यह खारे पानी की झील स्थित है। यह 4 कि.मी. लम्बी और 3-6 कि.मी. चौड़ी है।

6.11.2 मीठे पानी की झीलें

राजस्थान में मीठे पानी की झीलें हैं जो निम्नलिखित हैं :

जयसमन्द झील उदयपुर से दक्षिण-पूर्व में 51 कि.मी. दूरी पर स्थित है। अपने आकार के कारण एशिया में इसका स्थान दूसरे नम्बर पर आता है। इसका क्षेत्रफल 55 वर्ग कि.मी. है। झील पर बना हुआ बांध 381.61 मीटर लम्बा तथा 35 मीटर उँचा है। 1800 वर्ग कि.मी. से इस झील में पानी एकत्रित होता है। इसको डैंजर झील के नाम से भी जाना जाता है। इस झील में छोटे बड़े टापू हैं जिन पर बस्तियां बसी हुई हैं। इसके जल का उपयोग सिंचाई एवं उदयपुर नगर के लिए पीने के पानी के उपयोग में लाया जाता है। इस झील का निर्माण 1685 में राजा जयसिंह जी द्वारा करवाया गया था।

राजसमन्द झील सन् 1682 में कांकरोली में महाराणा राजसिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। गोमती नदी आकर इसमें गिरती है। यह झील 65 कि.मी. लम्बी और 3 कि.मी. चौड़ी है। इससे सिंचाई की जाती है।

पिछोला एवं फतहसागर झीलें ये दोनों झीलें उदयपुर नगर में स्थित हैं। पर्यटन एवं नगर को पीने के पानी की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। विश्व प्रसिद्ध लेक पेलेस होटल पिछोला झील में स्थित है।

आनासागर झील अजमेर में यह झील स्थित है। सन् 1137 में पृथ्वीराज चौहान के पितामह श्री आनाजी ने इसका निर्माण करवाया था।

उपर्युक्त झीलों के अतिरिक्त राजस्थान में अनेक मीठे पानी की झीलें हैं इनमें से प्रमुख हैं-अलवर-जयपुर मार्ग पर स्थित सिलिसेढ़ झील, कोलायत झील (बीकानेर), पुष्कर झील आदि।

भू-जल संसाधन

राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल व सिंचाई की समस्या के समाधान हेतु भू-जल का विकास काफी महत्वपूर्ण है। राजस्थान के दक्षिण-पूर्वी भाग भूगर्भिक जल की मात्रा की दृष्टि से पर्याप्त है। यहां पानी की सतह उँची है। साधारणतया 15.80 मीटर गहराई पर पानी मिल जाता है। इस क्षेत्र में चरस, रहट, नलकूपों तथा कुओं से सिंचाई की जाती है। इस क्षेत्र में वर्षा

की मात्रा भी पर्याप्त है। प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी मरूस्थली क्षेत्रों में स्थित जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, पाली आदि जिलों में भूमिगत जल की अथाह राशि विद्यमान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस प्रकार जहां इन्दिरा गांधी नहर का पानी नहीं पहुँच पाता वहां सिंचाई भूमिगत जल द्वारा सम्भव है। सिंचाई विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार इस क्षेत्र में भूगर्भिक जल अनुमानतः 149 लाख एकड़ फीट पानी के भण्डार हैं।

भू-जल की उपलब्धि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में समान नहीं है। यह परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। अनुमानतः भूगर्भ में जितना जल उपलब्ध है उसका 50 प्रतिशत भाग ही उपयोग में लिया जा रहा है। वर्ष 1991 में किये गये सर्वेक्षण के आधार पर राज्य के 237 विकास खण्डों में से 81 विकास खण्ड काली श्रेणी (Dark Category) में तथा 31 विकास खण्ड भूरी श्रेणी (Grey Category) में पाये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि इन क्षेत्रों में पानी की सतह काफी नीची चली गई है इसलिए राज्य में भूमिगत जल का उपयोग अधिक सावधानी से करने की आवश्यकता है।

6.12 सारांश (Summary)

संसाधन वे स्रोत हैं जिन पर मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विकास के लिए दीर्घकाल तक निर्भर करता है। संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है - मानवीय संसाधन एवं प्राकृतिक संसाधन। जीव एवं वनस्पति के अतिरिक्त जो भी संसाधन भूमि के गर्भ से प्राप्त होता है वह खनिज पदार्थ कहलाता है। खनिजों को उनके गुणधर्म के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया जाता है (अ) धात्विक खनिज (ब) अधात्विक खनिज (स) खनिज ईंधन। राजस्थान का खनिज उत्पादन की दृष्टि से देश में महत्वपूर्ण स्थान है यहां लगभग 42 प्रकार के प्रमुख खनिज व 23 प्रकार के गौण खनिजों का उत्पादन होता है। खनिजों की उपलब्धता एवं बहुलता के कारण राज्य को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। इस इकाई में राज्य में उपलब्ध प्रमुख खनिज भण्डारों वन साधनों एवं जल संसाधनों का विस्तृत विवरण दिया गया है।

6.13 शब्दावली (Glossary)

मानवीय संसाधन	Human Resources
प्राकृतिक संसाधन	Natural Resources
खनिज संसाधन	Mineral Resources
धात्विक खनिज	Metallic Mineral
अधात्विक खनिज	Non-Metallic Mineral
खनिज ईंधन	Mineral Fuel
जल संसाधन	Water Resources
वन संसाधन	Forest Resources
आरक्षित वन	Reserved Forest
सुरक्षित वन	Protected Forest

6.14 सन्दर्भ ग्रन्थ (References)

1. भल्ला, आर.एन. (1985) राजस्थान का भूगोल, कुलदीप पब्लिकेशन, अजमेर।
2. चौहान, तेज सिंह, (1994) राजस्थान का भूगोल, विज्ञान प्रकाशन, जोधपुर।
3. कौशिक, एस. डी., गौतम, अल्का (1999), संसाधन भूगोल, राजस्थान संस्करण, रस्तौगी पब्लिकेशन्स मेरठ।
4. मिश्रा, एस.डी. (1967) Revers of India, NBT, New Delhi
5. मिश्रा वी.सी. (1967) Geography of Rajasthan India Book House, New Delhi.
6. निगम, महेश एवं तिवारी, अनिल कुमार, (1993) राजस्थान का भूगोल, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
7. श्रीवास्तव, प्रेम कुमार (सम्पादक) राजस्थान ज्ञानकोष, शिवा पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, उदयपुर।
8. शर्मा, एच.एस. एवं शर्मा, एम.एल. (2001) राजस्थान का भूगोल, पंचशील प्रकाशन, जयपुर।
9. Indian Mineral Year Book 2006
10. Mines and Geology Deptt. Udaipur, Major Mineral Statistics 2007-08
11. www.Census of India.net

6.5 अभ्यासार्थ प्रश्न (Unit-end Questions)

1. संसाधन किसे कहते हैं ? संसाधनों के प्रकारों एवं महत्व पर प्रकाश डालिए।
2. राजस्थान में उपलब्ध खनिजों का वर्गीकरण करते हुए उनके महत्व का वर्णन कीजिए।
3. राज्य में पाये जाने वाले धातु एवं अधातु खनिजों के वितरण एवं उत्पादन पर प्रकाश डालिए।
4. राजस्थान में शक्ति के संसाधनों की उपलब्धि की दृष्टि से प्रदेश के औद्योगिक विकास पर प्रकाश डालिए।
5. राजस्थान में उपलब्ध वन भूमि एवं वन संसाधनों का मूल्यांकन कीजिए।
6. स्थलीय जल संसाधनों के स्रोतों पर प्रकाश डालते हुए इनके विविध उपयोगों का वर्णन कीजिए।
7. राजस्थान में वनों की निराशाजनक स्थिति की व्याख्या कीजिए। राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में वनों के महत्व को स्पष्ट कीजिए।

सकल घरेलू उत्पाद एवं उसकी प्रवृत्ति
(Gross State Domestic Product and its Trends)

इकाई की रूपरेखा

- 7.0 उद्देश्य
- 7.1 प्रस्तावना
- 7.2 राज्य घरेलू उत्पाद की अवधारणा
 - 7.2.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद
 - 7.2.2 शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद
 - 7.2.3 प्रति व्यक्ति आय
 - 7.2.4 राज्य घरेलू उत्पत्ति में संरचनात्मक परिवर्तन
- 7.3 राज्य घरेलू उत्पत्ति संमको के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी
- 7.4 राज्य घरेलू उत्पत्ति की मुख्य प्रवृत्तियां
 - 7.4.1 प्रचलित मूल्यों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति एवं प्रति व्यक्ति आय
 - 7.4.2 स्थिर कीमतों पर राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पादन प्रति व्यक्ति आय
 - 7.4.3 योजनानुसार शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय
 - 7.4.4 शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति के ढांचे अथवा क्षेत्रवार अंशदान में परिवर्तन
 - 7.4.5 योजना काल में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति के ढांचे में परिवर्तन
- 7.5 राजस्थान में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति में वृद्धि के लिए सुझाव
- 7.6 सारांश
- 7.7 शब्दावली
- 7.8 सन्दर्भ ग्रन्थ
- 7.9 अभ्यासार्थ प्रश्न

7.0 उद्देश्य (Objectives)

जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है, उसी प्रकार एक राज्य के स्तर पर राज्य घरेलू उत्पत्ति का अनुमान लगाया जाता है। इसमें एक राज्य में एक वर्ष के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाली आय का अनुमान लगाना होता है। जैसे राजस्थान की घरेलू उत्पत्ति में राज्य में कृषि, पशु पालन, वन, मछली, खनन, विनिर्माण, निर्माण कार्य, विद्युत, परिवहन, व्यापार, बैंकिंग प्रशासन आदि क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाली वार्षिक आय का अनुमान लगाया जाता है। राज्य घरेलू उत्पत्ति के अनुमान से राज्य की आर्थिक प्रगति का अनुमान लगाया जाता है तथा इसकी तुलना अन्य राज्यों व समस्त भारत की आर्थिक प्रगति से की जाती है।

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप समझ सकेंगे कि :

- राज्य घरेलू उत्पाद की अवधारणा क्या है?
- राज्य घरेलू उत्पत्ति समकों के सम्बन्ध में आप आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- राज्य घरेलू उत्पत्ति की मुख्य प्रवृत्तियां क्या रही हैं? एवं इसमें वृद्धि कैसे की जा सकती

7.1 प्रस्तावना (Introduction)

प्रत्येक अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की अवधारणा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। इसकी सहायता से अर्थव्यवस्था के आर्थिक निष्पादन को आसानी से समझा जा सकता है। राष्ट्रीय आय के लिए राष्ट्रीय लाभांश या राष्ट्रीय उत्पाद शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था के लोगों का आर्थिक कल्याण भौतिक वस्तुओं की उपलब्धि और उपभोग आदि पर निर्भर करता है। इसलिए अर्थशास्त्री, प्रशासक एवं राजनीतिज्ञ इस बात में रुचि रखते हैं कि किसी निश्चित अवधि (एक वर्ष) में उनके देश अथवा राज्य में वस्तुओं एवं सेवाओं का कितना उत्पादन हुआ है। राष्ट्रीय आय सरल शब्दों में सम्पूर्ण देश की आय है, इसके विपरीत, राज्य आय एक विशिष्ट राज्य की आय है। इसको हम राज्य घरेलू उत्पादन के रूप में भी लेते हैं।

7.2 राज्य घरेलू उत्पाद की अवधारणा

(Concept of State Domestic Product)

भारत में संघीय शासन प्रणाली है। जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उत्पाद के अनुमान लगाये जाते हैं ठीक उसी प्रकार विभिन्न राज्यों के आर्थिक निष्पादन को मापने के लिए राज्य घरेलू उत्पत्ति का माप होता है। राज्य घरेलू उत्पाद राज्य के आर्थिक विकास को मापने के महत्वपूर्ण सूचकांकों में से एक है। विभिन्न राज्यों के राज्य घरेलू उत्पत्ति का अनुमान लगाकर उनकी तुलना करते हैं, उनमें संरचनात्मक परिवर्तनों का अनुमान करते हैं, उनकी क्षेत्रीय/वैयक्तिक विषमता का मान करते हैं तथा अन्य कई आर्थिक निर्णय प्रक्रियाओं में सहायता करते हैं। इस प्रकार राज्य घरेलू उत्पाद, राज्य की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं व समर्पित सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्यों को प्रदर्शित करते हैं।

राज्य आय की अवधारणा के सम्बन्ध में निम्न बातें ध्यान देने योग्य हैं :

1. राष्ट्रीय आय की तरह राज्य आय भी वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का निरन्तर चलने वाला एक प्रवाह है। इसका आशय किसी एक समय पर वस्तुओं के उपलब्ध स्टॉक से नहीं, बल्कि किसी समय-अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह से है।
2. राष्ट्रीय आय की तरह राज्य आय में भी सब प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की बाजार कीमतें शामिल की जाती हैं, चाहे वे किसी प्रकार की हों। लेकिन एक वस्तु की कीमत को एक ही बार गिना जाता है।
3. राष्ट्रीय आय की ही तरह चूँकि इसका सम्बन्ध भी वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह से है, इसलिए इस अवधारणा के साथ समय की अवधि जुड़ी रहती है। यह अवधि

साधारणतया एक वर्ष की गिनी जाती है। एक वर्ष का समय न तो बहुत छोटा होता है और न ही बहुत बड़ा। साथ ही एक वर्ष की अवधि में देश की सब ऋतुएं आ जाती हैं और उत्पादन पर इनका जितना प्रभाव पड़ना होता है, पड़ लेता है।

इस प्रकार राष्ट्रीय आय का सम्बन्ध एक देश की आय से होता है जबकि राज्य आय जैसा कि इसका नाम है विशिष्ट राज्य की आय से होता है। विभिन्न राज्यों की आय तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की आय मिलकर देश की कुल राष्ट्रीय आय बनती है। राजस्थान राज्य घरेलू उत्पत्ति की निम्न अवधारणाओं का अनुमान लगाया जाता है।

7.2.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (Gross State Domestic Product)

एक वर्ष की अवधि में मूल्य हास का बिना प्रावधान किये हुए किसी राज्य की अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत समस्त वस्तुओं एवं समर्पित सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। माना कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में किसी वर्ष में $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन हो रहा है। इन अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य क्रमशः P_1, P_2, \dots, P_n है। तो राजस्थान की सकल राज्य घरेलू उत्पत्ति (GSDP) होगी-

$$GSDP = X_1P_1 + X_2P_2 + \dots + X_nP_n$$

$$\text{या } GSDP = \sum_{i=1}^n X_iP_i$$

यहां \sum जोड़ का निशान है।

$i = 1, 2, 3, \dots, n$ वस्तुओं एवं सेवाओं की संख्या।

राज्य घरेलू उत्पत्ति दो तरह से मापी जाती है।

(अ) राज्य घरेलू उत्पत्ति प्रचलित कीमतों पर

(ब) राज्य घरेलू उत्पत्ति स्थिर कीमतों पर

प्रचलित कीमतों पर राज्य घरेलू उत्पत्ति का आकलन करते समय अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा को वस्तुओं व सेवाओं की प्रचलित कीमतों से गुणा किया जाता है जबकि स्थिर कीमतों पर उत्पत्ति का अनुमान लगाते समय वस्तुओं व सेवाओं की मात्रा को किसी निश्चित वर्ष की कीमतों से गुणा कर प्राप्त करते हैं।

7.2.2 शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (Net State Domestic Product)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद में से मूल्य हास की राशि के समायोजन के बाद जो कुछ बचता है उसे शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यह भी प्रचलित एवं स्थिर कीमतों पर होती है। सूत्र के रूप में-

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) = (सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) - (मूल्य हास D)

7.2.3 प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income)

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में जनसंख्या का भाग देकर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाती है। सूत्र के रूप में-

$$\text{PCI प्रति व्यक्ति आय} = \frac{\text{NSDP}}{\text{Pop}} =$$

प्रति व्यक्ति आय की अवधारणा भी स्थिर व प्रचलित मूल्यों पर मापी जाती है। प्रति व्यक्ति आय, राज्य की अर्थव्यवस्था को वास्तविक व तुलनात्मक रूप से मापने हेतु काम में ली जाती है। यह राज्यों में क्षेत्रीय विषमताएं मापने का भी एक उपकरण है। योजना आयोग, वित्त आयोग तथा नीति निर्धारक प्रति व्यक्ति आय के समकों की सहायता से विभिन्न राज्यों को केन्द्र से दी जाने वाली सहायता अनुदान तथा कर आदि में राज्य के हिस्से को निर्धारित करते हैं।

7.2.4 राज्य घरेलू उत्पत्ति में संरचनात्मक परिवर्तन [Structural Changes in State Domestic Product (SDP)]

दीर्घकाल के लिए राज्य घरेलू उत्पत्ति को स्थिर मूल्य पर प्राप्त कर अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तन ज्ञात किये जा सकते हैं। इसके लिए अर्थव्यवस्था को मोटे तौर पर तीन भागों में विभाजित किया जाता है।

- (a) **प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector)** इसमें कृषि, पशुपालन, वन मछली-पालन व खनन को सम्मिलित किया जाता है।
- (b) **द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector)** इस क्षेत्र में विनिर्माण (Manufacturing) पंजीकृत तथा अपंजीकृत, निर्माण कार्य (Construction), विद्युत, गैस तथा जल-पूर्ति को शामिल किया जाता है।
- (c) **तृतीयक या सेवा क्षेत्र (Tertiary Sector)** इसके अन्तर्गत सेवा क्षेत्र की सभी आर्थिक क्रियाएं शामिल की जाती हैं जैसे परिवहन के साधन - रेल, सड़क, संग्रहण, संचार, व्यापार, होटल, बैंकिंग, बीमा, वास्तविक सम्पदा (Real State), सार्वजनिक प्रशासन व अन्य सेवाएं।

इन तीनों क्षेत्रों के दीर्घकालीन समकों के आधार पर (स्थिर मूल्यों पर) अर्थव्यवस्था के ढाँचे में होने वाले परिवर्तन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में से कुल राज्य घरेलू उत्पाद में किसका प्रतिशत हिस्सा घट रहा है, किसका बढ़ रहा है तथा किसका स्थिर है।

बोध प्रश्न -01

1. राज्य घरेलू उत्पाद की अवधारणा को समझाइए।
2. अन्तर स्पष्ट कीजिए (1) स्थिर चर (2) प्रवाह चर
3. शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कैसे ज्ञात करेंगे।
4. प्रतिव्यक्ति आय कैसे निकली जाती है ?

5. चालू कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद व स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में क्या अन्तर है।

7.3 राज्य घरेलू उत्पत्ति संमकों के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी

राजस्थान में इन संमकों के सम्बन्ध में अनुमान लगाने की प्रक्रिया 1954-55 से प्रारम्भ हो गयी थी। राज्य घरेलू उत्पत्ति के ये अनुमान प्रचलित भावों तथा स्थिर भावों दोनों पर लगाये गये थे। राज्य घरेलू उत्पाद की यह सीरीज (श्रृंखला) 1959-60 तक चलती रही। इसके पश्चात आधार वर्ष बदलकर 1960-61 कर दिया गया तथा संशोधित श्रृंखला 1978-79 तक प्रकाशित कर दी गई। 1979 में 1970-71 के भावों के आधार पर पुनः सांख्यिकी संगठन ने 1980-81 के भावों के आधार पर वर्ष पर एक नयी श्रृंखला जारी की गयी थी। 1993-94 के मूल्यों के आधार पर एक नयी श्रृंखला जारी की गयी थी। वर्तमान में 1999-2000 के मूल्यों पर आधारित श्रृंखला प्रचलन में है।

राज्य घरेलू उत्पत्ति के संमकों में प्रायः धनात्मक प्रवृत्ति देखने को मिलती है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद या शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर दो राज्यों की तुलना उचित नहीं है क्योंकि उनकी जनसंख्या अलग-अलग होती हैं इसलिए प्रति व्यक्ति आय समंक से तुलना करना उचित होता है। परन्तु जब प्रति व्यक्ति आय समंक प्रचलित कीमतों पर हो तो यह समंक आर्थिक निष्पादन की सही तस्वीर पेश नहीं करता है। प्रचलित कीमतों पर अनुमानित सभी अवधारणाओं में मुद्रास्फीति का प्रभाव सम्मिलित होता है।

7.4 राज्य घरेलू उत्पत्ति की मुख्य प्रवृत्तियां

(Main Trends of State Domestic Products)

7.4.1 प्रचलित मूल्यों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति एवं प्रति व्यक्ति आय

प्रचलित मूल्यों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति एवं प्रति व्यक्ति आय नीचे दी गयी सारणी संख्या 7.1 में दर्शायी गयी है।

सारणी संख्या 7.1

NSDP व प्रतिव्यक्ति आय (प्रचलित मूल्यों पर)

(At Current Price)

क्र. संख्या	वर्ष	शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति (करोड़ रुपयों में)	प्रतिव्यक्ति आय (रुपयों में)
1.	1954-55	400	233
2.	1960-61	559	284
3.	1970-71	1637	645
4.	1980-81	5467	1619
5.	1990-91	22768	5220

6.	2000-01	72766	12897
7.	2001-02	80880	14165
8.	2002-03	76605	13128
9.	2003-04	98236	16507
10.	2004-05	100196	16515
11.	2005-06 (P)	106982	17306
12.	2006-07 (Q)	122829	19512
13.	2007-08 (A)	138184	21565

स्रोत : आर्थिक समीक्षा 2007-2008 तथा State Domestic Product Rajasthan 1999-2000 से 2006-07 DES. Sept. 2007 व पूर्व में प्राप्त सूचनाएँ

उपर्युक्त सारणी 7.1 से स्पष्ट है कि 1954-55 में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति प्रचलित कीमतों पर 400 करोड़ थी जो 2007-08 में बढ़कर 138184 करोड़ हो जाने का अनुमान है। इस तरह 53 वर्षों में यह 345 गुना बढ़ गई हैं। प्रति व्यक्ति भी इस दौरान 233 रूपयों से बढ़कर 21565 रूपये हो गयी है। इस तरह इस समक में 92 गुना वृद्धि हुई है। इस तरह हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति में काफी वृद्धि हुई है।

2006-07 में प्रचलित मूल्यों पर राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति 122829 करोड़ रूपये तथा प्रतिव्यक्ति आय 19512 रूपये रही। 2006-07 में राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति पिछले वर्ष की तुलना में 14.8 प्रतिशत बढ़ी तथा प्रति व्यक्ति आय 12.7 प्रतिशत बढ़ी। 2007-08 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर चालू कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति में 2006-07 की तुलना में 12.5 प्रतिशत तथा प्रति व्यक्ति आय में 10.5 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

7.4.2 स्थिर कीमतों पर राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद व प्रति व्यक्ति आय

सारणी संख्या 7.2 में स्थिर कीमतों पर राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद व प्रति व्यक्ति आय को दर्शाया गया है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है अब राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति के आँकड़े 1999-2000 के स्थिर मूल्यों पर उपलब्ध किए जाने लगे हैं।

सारणी संख्या 7.2

NSDP व प्रतिव्यक्ति आय (स्थिर मूल्यों पर)

(1999-2000 के मूल्यों पर)

क्र. संख्या	वर्ष	शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति (करोड़ रूपयों में)	प्रतिव्यक्ति आय (रूपयों में)
1.	1980-81	20937	6200
2.	1990-91	47218	10825
3.	2000-01	71764	12840
4.	2001-02	79936	13933

5.	2002-03	70333	12054
6.	2003-04	92712	15579
7.	2004-05	89500	14752
8.	2005-06 (P)	90625	14660
9.	2006-07(Q)	15420	97073
10.	2007-08(A)	104189	16260

स्रोत : पूर्वोद्धृत संदर्भ

सारणी संख्या 7.2 से स्पष्ट है कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर (1999-2000) 1980-81 में 20937 करोड़ रुपये था जो बढ़कर 2007-08 में 104189 हो जाने का अनुमान है। इस तरह यह वृद्धि 5 गुना है। इसी दौरान प्रति व्यक्ति आय 6200 रुपये से बढ़कर 16260 रुपये हो गई है। यह वृद्धि 2.6 गुना है। सारणी से पता चलता है कि स्थिर कीमतों 1999-2000 पर 2006-07 के शीघ्र अनुमानों (Quick Estimates) के आधार पर राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति में पिछले वर्ष की तुलना में 7.1 प्रतिशत तथा प्रति व्यक्ति आय में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2007-08 के अग्रिम अनुमानों में ये वृद्धियां क्रमशः 7.3 प्रतिशत तथा 5.4 प्रतिशत आंकी गयी हैं।

7.4.3 योजनानुसार शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय

सारणी संख्या 7.3 में भारत तथा राजस्थान की आय की वृद्धि दरों की योजनानुसार तुलना की गई है। राजस्थान की शुद्ध घरेलू उत्पाद तथा भारत की शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति की चक्रवृद्धि दरों की तुलना करने पर तो राजस्थान की आर्थिक क्षमता पर सन्तोष व्यक्त किया जा सकता है। तृतीय नवीं तथा दसवीं एक वर्षीय योजनाओं को छोड़कर राजस्थान की शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति की वृद्धि दर भारत की शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति की वृद्धि दर से अधिक रही। चौथी व सातवीं पंचवर्षीय योजना में तो दोनों अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक निष्पादन में काफी अन्तर रहा है।

सारणी संख्या 7.3

योजनानुसार शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रतिव्यक्ति आय (स्थिर मूल्यों पर)

(चक्रवृद्धि दर प्रतिशत में)

क्र. सं.	अवधि	शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति (राजस्थान) NSDP	शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति भारत (NNP) 1999-2000 के मूल्यों पर	प्रतिव्यक्ति आय (रुपयों में)	
				राजस्थान	भारत
1.	तृतीय योजना (1961-66)	1.4	2.6	1.0	0.4
2.	वार्षिक योजना (1966-69)	0.8	3.9	3.0	1.6
3.	चतुर्थ योजना (1969-74)	7.1	3.1	3.8	0.8

4.	पंचम योजना (1974-79)	5.2	4.9	2.2	2.6
5.	वार्षिक योजना (1979-80)	14.5	6.0	16.9	8.2
6.	छठी योजना (1980-85)	5.9	5.4	3.0	3.1
7.	सातवीं योजना (1985-90)	7.1	5.5	4.5	3.3
8.	वार्षिक योजना (1990-92)	10.3	3.1	7.9	1.0
9.	आठवीं योजना (1992-97)	7.8	6.7	5.2	4.5
10.	नवीं योजना (1997-2002)	4.8	5.3	2.2	3.3
11.	दसवीं योजना (2002-07)	6.0	7.8	3.9	6.1

स्रोत : भारत के लिए Economic Survey 2007-08 p A-4 or राजस्थान के लिए Draft Eleventh Five Year Plan 2007-12 vol. p 1.5 or Economic Review 2007-08 (GOR)

* 1993-94 के मूल्यों पर (राजस्थान के लिए प्रारम्भ)

विशेष : NSDP के आँकड़े 1980-81 के मूल्यों पर सातवीं योजना तक तथा भारत में NDP के समान आँकड़े 1999-2000 के मूल्यों पर दिये गये हैं। अतः तुलना करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए। राज्य की दसवीं योजना के लिए NSDP के आँकड़े 1999-2000 के मूल्यों पर लिए गए हैं।

सारणी 7.3 से स्पष्ट है कि योजना काल में राजस्थान में सर्वाधिक विकास की वार्षिक दर आठवीं योजना में (7.8 प्रतिशत) रही। तृतीय योजना में यह मात्र 1.4 प्रतिशत रही थी। भारत वर्ष के सन्दर्भ में सर्वाधिक विकास की दर दसवीं योजना में 7.8 प्रतिशत प्राप्त की गई। प्रति व्यक्ति विकास की दर 6.1 प्रतिशत भी इसी योजना में प्राप्त हुई थी। किसी भी योजनावधि में औसत वार्षिक वृद्धि दर उस योजना में किसी एक वर्ष की सामान्य वृद्धि या असामान्य गिरावट से अत्यधिक मात्रा में प्रभावित हो सकती है।

7.4.4 शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति के ढांचे अथवा क्षेत्रवार अंशदान में परिवर्तन

सारणी संख्या 7.4 में 1970-71 से 2007-08 तक की अवधि के लिए राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति के ढांचे के परिवर्तन की जानकारी दी गई है। हम पहले ही बता चुके हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि व सहायक उद्योग, वन, मछली, व खनन शामिल होते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण, विद्युत, गैस, और जल-पूर्ति तथा निर्माण कार्य सम्मिलित होते हैं। तृतीयक क्षेत्र में परिवहन संग्रहण, व्यापार बैंकिंग, बीमा स्थावर सम्पदा व सार्वजनिक प्रशासन व अन्य सेवाएं सम्मिलित होती हैं।

सारणी 7.4

NSDP क्षेत्रवार प्रतिशत अंश

क्र. सं	वर्ष	प्राथमिक क्षेत्र	द्वितीयक क्षेत्र	तृतीयक क्षेत्र
1.	1970-71	57.5	16.4	26.1
2.	1980-81	47.8	19.5	32.7
3.	1990-91	43.5	20.8	35.7

4.	2000-01	32.7	22.1	45.2
5.	2001-02	36.9	20.2	42.9
6.	2002-03	28.6	23.9	47.5
7.	2003-04	38.9	20.3	40.8
8.	2004-05	34.9	21.1	44.0
9.	200506 (P)	33.6	21.2	45.2
10.	200607 (Q)	34.4	21.0	44.6
11.	200708 (A)	35.0	20.5	44.5

स्रोत : आर्थिक समीक्षा 2007-08 DES तथा इसके पूर्व अंक

विशेष : 1970-71 से 1990-91 के लिए आधार वर्ष 1993-94 तथा बाद के लिए 1999-2000

7.4.5 योजना काल में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति के ढांचे में परिवर्तन

सारणी संख्या 7.4 से स्पष्ट है कि योजना काल में NSDP के क्षेत्रवार अंशदान में काफी परिवर्तन हुए हैं। प्राथमिक क्षेत्र का अंशदान 1970-71 में 57.5 प्रतिशत (1993-94 के भावों पर) था जो घटकर 2007-08 में 35.0 प्रतिशत (1999-2000 के भावों पर) रह जाने का अनुमान है। इस अवधि में द्वितीयक क्षेत्र का अंश 16.4 प्रतिशत से बढ़कर 20.5 प्रतिशत हो गया। इसके विपरीत तृतीयक क्षेत्र का अंश 26.1 प्रतिशत से बढ़कर 44.5 प्रतिशत हो जाने के अनुमान है। इससे सिद्ध होता है कि राज्य की आय में सेवा क्षेत्र का योगदान तेजी से बढ़ा है। इसी प्रकार द्वितीयक क्षेत्र का योगदान बड़ा है लेकिन प्राथमिक क्षेत्र का योगदान निश्चित रूप से तेजी से घटा है।

राज्य घरेलू उत्पाद में उतार-चढ़ाव का प्रभाव क्षेत्रानुसार अंशदान में होने वाले उतार चढ़ाव में स्पष्टतः लक्षित होता है। इसका कारण कृषि या प्राथमिक क्षेत्र के अंशदान में होने वाले निरन्तर परिवर्तन हैं। सापेक्षिक क्षेत्रवार अंशदान मोटे तौर पर कृषि उत्पादन द्वारा प्रभावित होने से अच्छी फसल वाले वर्ष प्राथमिक क्षेत्र को बढ़त तथा खराब फसल वाले वर्ष इसमें कमी दर्शाते हैं। परिणामस्वरूप खराब फसल वाले वर्षों में द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र के अंश में वृद्धि नजर आती है। राज्य घरेलू उत्पाद का अधिक स्थिर घटक विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र है। इनमें अच्छी वृद्धि दरें प्राप्त हुई हैं। तृतीयक क्षेत्र की वृद्धि में मुख्य रूप से सरकारी और अर्द्धसरकारी संस्थाओं (बैंक व बीमा क्षेत्र) की बढ़ती हुई गतिविधियों के कारण होती है। यह वृद्धि कुछ सीमा तक सन्तोष का कारण हो सकती है क्योंकि इससे यह तथ्य सामने आता है कि राजस्थान ने अपनी अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत आधारभूत ढांचे के बहुत से अन्तरालों को कम करने का कार्य किया है। दीर्घकालीन परिपेक्ष्य में यह वृद्धि बहुत कुछ भ्रमात्मक ही होगी क्योंकि इसका सीधा सम्बन्ध उत्पादन से नहीं है।

बोध प्रश्न -02

1. राज्य घरेलू उत्पत्ति की गणना के लिए कौन से वर्ण पर आधारित मूल्य श्रृंखला प्रचलित है।
2. वर्ष 2007-08 में घरेलू उत्पाद व प्रतिव्यक्ति आय के आँकड़े दीजिए।
3. राज्य में NSDP में कितने गुणा वृद्धि हुई है।
4. प्रतिव्यक्ति आय में स्थिर कीमतों पर कितनी वृद्धि हुई है।
5. राज्य में सर्वाधिक विकास दर NSDP किस योजना में प्राप्त हुई।

7.5 राजस्थान में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति (NSDP) में वृद्धि के लिए सुझाव

राज्य घरेलू उत्पाद के उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन शीघ्रता से परिलक्षित हो रहे हैं। प्राथमिक क्षेत्र कृषि का NSDP में अंश निरन्तर कम हो रहा है परन्तु आज भी इसका सबसे अधिक योगदान है। द्वितीयक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र में पंजीकृत एवं अपंजीकृत दोनों तरह के उद्योगों का योगदान बढ़ रहा है, परन्तु अपंजीकृत उद्योगों का योगदान पंजीकृत से अधिक है जिससे राज्य के अनौपचारिक क्षेत्र (Informal Sector) या ग्रामीण लघु व कुटीर उद्योग एवं नियोजन आदि की महत्ता झलकती है। सेवा क्षेत्र में व्यापार, होटल व रेस्टोरेंट, बैंकिंग व बीमा, लोक प्रशासन, वास्तविक सम्पत्ति व आवास स्वामित्व आदि का NSDP में योगदान निरन्तर बढ़ रहा है। इसलिए विकास की व्यूह रचना में इन क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि की विवेकपूर्ण, वैज्ञानिक तथा स्थानीय साधनों व तकनीक पर आधारित रोजगारोमुख योजना बनायी जाये तो निश्चित रूप से राज्य की NSDP में तीव्र गति से वृद्धि होगी व निकट भविष्य में विकसित राज्यों की श्रेणी में पहुँच सकेगा।

7.6 सारांश (Summary)

किसी अर्थव्यवस्था के लोगों का आर्थिक कल्याण भौतिक वस्तुओं की उपलब्धि एवं उनके उपयोग के स्तर पर निर्भर करता है। आर्थिक कल्याण में वृद्धि के लिए राजस्थान सरकार ने राज्य के भौतिक वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के स्तर को बेहतर बनाने के प्रयास किए हैं। राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल को प्रदर्शित करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद की गणना वर्तमान कीमतों पर अथवा स्थिर कीमतों पर की जाती है। सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य हास की राशि घटा कर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है। राजस्थान के घरेलू उत्पाद क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं। पिछले वर्षों में घरेलू उत्पाद में निरन्तर वृद्धि हुई है। राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का भाग कम हुआ है जबकि द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी में मामूली बढ़त दर्ज की गई है। तृतीयक क्षेत्र अथवा सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी में नब्बे के दशक में तेजी से वृद्धि हुई किन्तु बाद में यह लगभग स्थिर बनी हुई है।

7.7 शब्दावली (Glossary)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

Gross State Domestic Product

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद	Net State Domestic Product
घिसावट व्यय	Depreciation Charges
प्राथमिक क्षेत्र	Primary Sector
द्वितीयक क्षेत्र	Secondary Sector
तृतीयक क्षेत्र	Tertiary Sector

7.8 सन्दर्भ ग्रन्थ (References)

1. डॉ. मोहन सिंहल : 'राजस्थान की अर्थव्यवस्था'
 2. "आर्थिक समीक्षा 2007-08 (राजस्थान)"
 3. "Statistical Abstract-Rajasthan"
 4. "Some Facts About-Rajasthan"
 5. लक्ष्मीनारायण नाभूरामका : 'राजस्थान की अर्थव्यवस्था'
-

7.9 अभ्यासार्थ प्रश्न (Unit-end Questions)

1. राज्य घरेलू उत्पाद की विभिन्न अवधारणाओं को समझाइये। इसकी मुख्य प्रवृत्तियां बताइये।
2. 'राज्य घरेलू उत्पाद' से आप क्या समझते हैं? राजस्थान के राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति एवं बनावट का वर्णन कीजिए।
3. राजस्थान के राज्य घरेलू उत्पाद की प्रमुख प्रवृत्तियों को बताते हुए यह बताइये कि राज्य में इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है?
4. निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो-
 - (अ) राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्तियां
 - (ब) राज्य घरेलू उत्पादन बढ़ाने के उपाय
 - (स) राज्य आय में प्राथमिक, विनिर्माण व सेवाक्षेत्र का योगदान

कृषि भू-उपयोग एवं फसल प्रारूप (Agriculture Land Utilization and Cropping Pattern)

इकाई की रूपरेखा

- 8.0 उद्देश्य
- 8.1 प्रस्तावना
- 8.2 कृषि भू-उपयोग तथा फसल प्रारूप का महत्व
 - 8.2.1 कृषि भू-उपयोग का बदलता स्वरूप
 - 8.2.2 कृषि भू-उपयोग की वर्तमान स्थिति
- 8.3 राजस्थान में फसलों का प्रारूप
 - 8.3.1 फसल प्रारूप का अर्थ
 - 8.3.2 फसल प्रारूप में परिवर्तन
 - 8.3.3 फसल प्रारूप की प्रमुख विशेषताएं
- 8.4 राजस्थान की प्रमुख फसलें
 - 8.4.1 खाद्यान्न फसलें - उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन
 - 8.4.2 व्यापारिक फसलें - उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन
- 8.5 सारांश
- 8.6 शब्दावली
- 8.7 संदर्भ ग्रंथ
- 8.8 अभ्यासार्थ प्रश्न

8.0 उद्देश्य (Objectives)

राजस्थान की अर्थव्यवस्था अभी भी एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है जहां 1960-61 में राज्य की कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों से शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में लगभग 57 प्रतिशत भाग प्राप्त होता था वहां 2003-04 में 1999-2000 के स्थिर मूल्यों पर कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में भाग घटकर लगभग 38.9 प्रतिशत हो गया जबकि 2007-2008 में घटकर 34.97 प्रतिशत ही रहने का अनुमान है। राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत भाग अभी भी जीविकोपार्जन हेतु कृषि एवं पशुपालन जैसी सहायक गतिविधियों पर निर्भर है। मानसून पर अत्यधिक निर्भरता के कारण राज्य में कुल बोया जाने वाला क्षेत्रफल मानसून में कमी-वृद्धि के साथ-साथ कम-अधिक होता रहता है। अतः कृषि भू-उपयोग तथा फसलों का प्रारूप भी समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप बदलता रहता है।

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप समझ सकेंगे कि :

- राजस्थान में भू-उपयोग में योजनाकाल में क्या परिवर्तन आए हैं?

- राजस्थान में कौन-कौन सी फसलें मुख्य रूप से बोई जाती हैं,
- फसल प्रारूप में समय के साथ-साथ क्या परिवर्तन आ रहे हैं? एवं
- फसल प्रारूप की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

8.1 प्रस्तावना (Introduction)

प्रस्तुत इकाई में राज्य में कृषि भू-उपयोग का तथा कृषि फसलों के प्रारूप का महत्व बताते हुए कृषि भू-उपयोग की बदलती स्थिति तथा वर्तमान अवस्था पर प्रकाश डाला गया है। इसके उपरान्त राज्य में कृषि फसलों के प्रारूप का अर्थ स्पष्ट करते हुए राज्य में प्रमुख खाद्यान्न फसलों एवं व्यापारिक फसलों के लिए आवश्यक तत्वों, उत्पादन क्षेत्रों, उत्पादन मात्रा तथा विभिन्न फसलों के प्रारूप में होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डाला गया है।

8.2 कृषि भू-उपयोग तथा फसल प्रारूप का महत्व (Importance of Land Utilisation and Cropping Pattern)

राजस्थान की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में कृषि भू-उपयोग एवं फसल प्रारूप का विशेष महत्व है जो निम्नलिखित विवरण से उजागर होता है।

1. **राजस्थान की 70 प्रतिशत जनसंख्या के जीविकोपार्जन का प्रमुख आधार** राज्य की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में कृषि एवं पशुपालन आदि क्रियाओं से अपना जीविकोपार्जन करती है। यह उनकी आय तथा रोजगार का प्रमुख आधार है।
2. **घरेलू उत्पाद का प्रमुख स्रोत** राजस्थान में कृषि राज्य के घरेलू उत्पाद का प्रमुख स्रोत है जहां 1960-61 में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों से राज्य के घरेलू उत्पाद में लगभग 57 प्रतिशत भाग प्राप्त होता था वह यद्यपि 2006-08 में घटकर 35 प्रतिशत रह गया है फिर भी यह जीविकोपार्जन का मुख्य आधार है।
3. **खाद्यान्नों को आपूर्ति एवं आत्मनिर्भरता** राज्य में कृषि फसलों में खाद्यान्नों की प्रधानता के कारण जहां 1950-51 में खाद्यान्नों के अभाव से त्रस्त था। योजनाबद्ध विकास के पिछले वर्षों में खाद्यान्नों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि से राज्य खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि खाद्यान्न आपूर्ति में बचत वाला राज्य बन कर अन्य राज्यों को खाद्यान्न आपूर्ति करने में सक्षम हो गया है। 2003-04 में खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन 180 लाख टन तथा 2007-08 में 155 करोड़ टन अनुमानित है।
4. **रोजगार का आधार** कृषि, पशुपालन एवं डेयरी आदि राज्य की जनसंख्या के रोजगार का भी प्रमुख स्रोत है। राज्य की 70 प्रतिशत जनसंख्या का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार का आधार कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र ही है।

5. औद्योगिक कच्चे माल की आपूर्ति का प्रमुख स्रोत कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों द्वारा उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति भी सम्भव हुई है। राज्य में कृषि आधारित उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति कृषि से ही सम्भव होती है।
6. सरकारी आय का प्रमुख स्रोत कृषि से सरकार को विभिन्न करों तथा भू-राजस्व से आय प्राप्त होती है। जहां 1996-97 में राज्य सरकार को भू-राजस्व से केवल 31.55 करोड़ रुपये प्राप्त हुए वहां 2007-08 के बजट अनुमान के अनुसार भू-राजस्व से लगभग 100 करोड़ रुपये आय का अनुमान है। इसके अलावा कृषि जन्य उपजों पर करों से भी सरकार को आय प्राप्त होती है।
7. परिवहन, व्यापार एवं संचार में महत्व कृषि की समृद्धि में परिवहन, व्यापार एवं संचार साधनों के विकास एवं समृद्धि में मदद मिलती है।
8. सामाजिक एवं राजनैतिक महत्व राज्य में कृषि आधारित जनसंख्या का बाहुल्य होने से उनका राजनैतिक महत्व भी बढ़ता जा रहा है। सभी राजनैतिक दल उनके हितों की नीतियों और विकास कार्यों आदि पर ध्यान देते हैं।
9. उद्योगों का विकास एवं समृद्धि भी कृषि की समृद्धि से जुड़ा है उपभोक्ता के रूप में कृषकों को खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि उपकरणों एवं यन्त्रों की मांग के साथ-साथ कई अन्य उपभोक्ता सामान की मांग पर उद्योगों का विकास एवं समृद्धि निर्भर है।

8.2.1 कृषि भू-उपयोग का बदलता स्वरूप

कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण राजस्थान में भू-उपयोग का विशेष महत्व है। जहां 1950-51 में राज्य में कुल रिपोर्टिंग भूमि क्षेत्रफल 342.8 लाख हैक्टेयर था वह 2005-06 में घटकर 342.66 लाख हैक्टेयर ही रह गया। बोया गया सकल कृषिगत क्षेत्र 1951-52 के 97.5 लाख हैक्टेयर से बढ़कर लगभग 216.99 लाख हैक्टेयर हो गया। वन क्षेत्र भी इस अवधि में 11.6 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 2005-06 में 26.75 लाख हैक्टेयर होने का अनुमान है। इसी प्रकार कृषि योग्य खाली पड़ी व्यर्थ भूमि तथा परती भूमि में भी काफी कमी हुई है जैसा आगे सारणी 8.1 से स्पष्ट है।

सारणी - 8.1

राजस्थान में भू-उपयोग का बदलता स्वरूप

क्र.स.	भूमि का वर्गीकरण	कुल रिपोर्टिंग भूमि क्षेत्र					
		1951-52 लाख हैक्टेयर	रिपोर्टिंग क्षेत्र का भाग	1999-2000 लाख हैक्टेयर	रिपोर्टिंग क्षेत्र का भाग	2005-2006 लाख हैक्टेयर	रिपोर्टिंग क्षेत्र का भाग
1.	कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल	342.8	100%	342.6	100%	342.66	100%
2.	वन क्षेत्र	11.6	3.4%	25.8	7.5%	26.75	7.81%
3.	कृषि के लिए अप्राप्य क्षेत्र	89.8	26.2%	60.3	17.5%	18.23	5.32%

4.	कृषि योग्य खाली पड़ी व्यर्थ भूमि	90.0	26.3%	49.9	14.6%	45.90	13.4%
5.	परती भूमि	58.3	17%	51.5	15%	24.39	7.12%
6.	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	93.1	27.1%	155.1	45.3%	168.36	49.13%
7.	एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र	4.4	1.3%	37.8	11%	48.63	14.19%
8.	सकल कृषिगत क्षेत्र(6+7)	97.5	28.4%	129.9	56.3%	216.99	63.33%

Source: Some facts about Rajasthan 2001, 2007 White paper on Economic Development of Raj.

8.2.2 राजस्थान में कृषि भू-उपयोग को वर्तमान स्थिति

उपर्युक्त सारणी 8.1 से स्पष्ट है कि राज्य में सकल कृषिगत क्षेत्र 2005-2006 में 216.99 लाख हैक्टेयर था जो 1951-55 के सकल कृषिगत क्षेत्र के मुकाबले दुगने से अधिक था। 2005-2006 में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 168.36 लाख हैक्टेयर था जो कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का लगभग 49.13 प्रतिशत था जबकि एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र 48.63 लाख हैक्टेयर था जो रिपोर्टिंग क्षेत्र का लगभग 14.2 प्रतिशत भाग था। इस प्रकार 1951-55 के मुकाबले शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग दुगना तथा एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र 11 गुना अधिक हो गया। पर्यावरण संरक्षण के प्रति बढ़ती जागरूकता एवं सरकारी प्रयासों से वन क्षेत्र 2005-06 में 26.75 लाख हैक्टेयर 1951-55 के औसत वन क्षेत्र के मुकाबले सवा दो गुना हो गया है। कृषि योग्य खाली पड़ी व्यर्थ भूमि तथा परती भूमि काफी कम रह गई है।

8.3 राजस्थान में फसलों का प्रारूप (Cropping Pattern in Rajasthan)

राज्य की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में फसलों का प्रारूप भूमि की प्रकृति, उपलब्धता, मौसम की अनुकूलता, सिंचाई की सुविधा तथा बाजार मूल्यों आदि घटकों पर निर्भर करता है।

8.3.1 फसल प्रारूप का अर्थ (Meaning of Cropping Pattern)

फसल प्रारूप का अभिप्राय एक निश्चित समयावधि में बोई जाने वाली विभिन्न फसलों के बारे में उपयुक्त वैकल्पिक निर्णय लेकर प्रत्येक फसल के बोये जाने वाले भू-क्षेत्र का निर्धारण करने से हैं। इसी के परिणामस्वरूप फसल प्रारूप में किया जाने वाला प्रत्येक परिवर्तन फसलों के अन्तर्गत बोये जाने वाले भू-क्षेत्र में भी घटत-बढ़त का कारण बनता है। खरीफ की फसलों में मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल, मूंगफली आदि के लिए कितना-कितना भू-क्षेत्र बोया जाना है ठीक उसी प्रकार रबी की फसलों- गेहूँ, जौ, चना, सरसों, राई, अलसी आदि फसलों के अन्तर्गत बोये जाने वाले भू-क्षेत्र का निर्धारण करना होता है। यह निर्धारित करते समय उपलब्ध भू-क्षेत्र के साथ-साथ बाजार की मांग, भूमि की उपयुक्तता सिंचाई की सुविधा आदि कई बातों को ध्यान में रखा जाता है।

8.8.2 राजस्थान में फसल प्रारूप में परिवर्तन

(Change in Cropping Pattern of Rajasthan)

योजनाबद्ध विकास के पिछले 6 दशकों में फसलों के प्रारूप में समय और परिस्थितियों के अनुरूप कई बदलाव आये हैं। जहां प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में राज्य के लगभग 77 प्रतिशत भू-क्षेत्र में खाद्यान्न फसलें बोई जाती थी और व्यापारिक फसलें केवल 23 प्रतिशत भू-क्षेत्र में बोई जाती थी वहां 1999-2000 में खाद्यान्न फसलों के अन्तर्गत बोया गया क्षेत्र घटकर केवल 57 प्रतिशत रह गया जबकि व्यापारिक फसलों के अन्तर्गत भू-क्षेत्र बढ़कर 43 प्रतिशत होने का अनुमान है। यह बदलाव 2005-06 के फसल प्रारूप में भी दृष्टिगोचर होता है जिसके अन्तर्गत दालों के अन्तर्गत भू-क्षेत्र बढ़ कर 16 प्रतिशत तथा तिलहनों के अन्तर्गत बढ़कर 24.35 प्रतिशत तक पहुँचने का अनुमान है। साग-सब्जियों के अन्तर्गत भी क्षेत्र बढ़ रहा है। फसल प्रारूप में परिवर्तन की झलक निम्नांकित सारणी 8.2 में दर्शाई गई है।

सारणी- 82

राजस्थान में फसल प्रारूप में परिवर्तन

फसलें	1951-55 में औसत प्रतिशत क्षेत्र	1999-2000 में औसत प्रतिशत क्षेत्र	2005-06 में औसत प्रतिशत क्षेत्र
(i) अनाज फसलें	56.00	44.00	41.67
(ii) दाल फसलें	21.00	13.00	16.08
A खाद्यान्न फसलें (i+ii)	77.00	57.00	57.75
(अ) तिलहन फसलें	6.20	12.80	24.35
(ब) कपास	1.70	2.00	2.02
(अ) अन्य फसलें	15.10	28.20	15.88
B व्यापारिक फसलें (अ+ब+स)	23.00	43.00	42.25

Source: Some facts about Rajasthan Agriculture Statistics of Raj., 1999.

खाद्य तेलों दालों एवं खाद्यान्न की बढ़ती कीमतों की फसल प्रारूप में परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मानसून में कमी-वृद्धि भी फसल प्रारूप में परिवर्तन लाता है। राजस्थान में फसल प्रारूप की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं।

8.3.3 फसल प्रारूप की प्रमुख विशेषताएं

(Main Features of Cropping Pattern in Rajasthan)

राजस्थान में फसल प्रारूप की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं।

1. **खाद्यान्न फसलों का प्रभुत्व बरकरार** राज्य के फसल प्रारूप में यद्यपि खाद्यान्न फसलों का क्षेत्रफल 77 प्रतिशत से घटकर 57.75 प्रतिशत रह गया है फिर भी अनाजों एवं दालों की फसलों का प्रभुत्व बरकरार है।

2. **दालों को फसलों का बढ़ता महत्व** राज्य में भी दालों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण दालों की फसलों का क्षेत्र फिर वृद्धि की ओर है। यद्यपि 1951-52 के मुकाबले दालों की फसलों का क्षेत्र 21 प्रतिशत से घटकर 16 प्रतिशत रह गया है फिर भी दालों की फसलों का महत्व बढ़ता जा रहा है।
3. **व्यापारिक फसलों का बढ़ता क्षेत्र** खाद्य-तेलों की निरन्तर बढ़ती कीमतों और लोगों के खान-पान में साग-सब्जियों की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण राज्य में व्यापारिक फसलों - तिलहनों, साग-सब्जियों, कपास, गन्ना आदि नकद फसलों की ओर रुचि बढ़ी है। परिणाम स्वरूप मूंगफली, सोयाबीन, सरसों की फसलों की फसलों का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। जहां 1951-55 के दौरान औसत प्रतिशत क्षेत्र केवल 6.2 प्रतिशत था वह बढ़कर 2005-06 में लगभग चार गुना (24.35 प्रतिशत) हो गया है।
4. **अन्य फसलों के प्रति बढ़ता रुझान** राज्य में कपास, गन्ना, साग-सब्जी, फल, अदरक, मसालों आदि के प्रति रुझान बढ़ने से इन सभी फसलों के क्षेत्र में वृद्धि का रूख है। कपास का प्रतिशत क्षेत्र 1.7 प्रतिशत से बढ़कर 2.02 प्रतिशत हो गया है।

8.4 राजस्थान की प्रमुख फसलें (Major Crops)

राजस्थान में उष्ण जलवायु मानसून की निर्भरता, सिंचाई सुविधाओं के अभाव तथा मिट्टी की बनावट में भिन्नता के कारण अलग-अलग क्षेत्रों में कई प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। कम वर्षा, कम उपजाऊ तथा सिंचाई के साधनों के अभाव वाले क्षेत्रों में प्रायः मोटे अनाज - ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, दालें एवं तिलहन की फसलें प्रमुख हैं जबकि सिंचित एवं पर्याप्त वर्षा तथा उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्रों में चावल, गेहूँ, कपास आदि फसलें प्रमुख हैं। राज्य में प्रमुख कृषि फसलों को मोटे रूप में दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।

(अ) खाद्यान्न फसलें (Food Crops) इनमें गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, चावल, मक्का, चना आदि फसलें प्रमुख हैं।

(ब) व्यापारिक फसलें (Commercial Crops) इनके अन्तर्गत तिलहन फसलें - मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, राई, अलसी, तिल, बिनोला आदि हैं जबकि अन्य व्यापारिक फसलें - कपास, गन्ना, तम्बाकू, अफीम आदि हैं।

8.4.1 खाद्यान्न फसलें - उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन

(1) गेहूँ (Wheat)

यह राजस्थान की रबी की मुख्य फसल है। इसके लिए उपजाऊ दोमट मिट्टी तथा 50 से 60 सेन्टीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों की जरूरत होती है। बुआई के समय तापमान 10 डिग्री तथा पकने के समय तापमान 15 से 20 डिग्री उपयुक्त रहता है। गेहूँ के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र पूर्वी तथा दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, एवं धौलपुर जिले हैं जिनमें गेहूँ उत्पादन का 30 प्रतिशत भाग तथा दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में कोटा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ बून्दी, उदयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, पाली एवं अजमेर जिले आते हैं जहां से गेहूँ उत्पादन का लगभग 50

प्रतिशत भाग प्राप्त होता है। प्रमुख उत्पादक जिला गंगानगर है जहां राज्य के गेहूँ का लगभग 17 प्रतिशत भाग प्राप्त होता है।

उत्पादन मात्रा में निरन्तर बढ़ने की प्रवृत्ति है जहां 1950-51 में गेहूँ का वार्षिक उत्पादन केवल 6.8 लाख टन था वह बढ़कर 1999-2000 में 67.32 लाख टन तथा 2007-08 में बढ़कर 72.22 लाख टन होने का त्वरित अनुमान है।

(2) जौ (Barley)

यह भी रबी की फसल है। इसके लिए 15 से 18 डिग्री सेन्टीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। शुष्क एवं बालू मिश्रित मिट्टी वाले क्षेत्रों में भी पैदा होता है। आजकल जौ का उपयोग शराब बनाने में भी होने लगा है। जौ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, पाली, उदयपुर, गंगानगर, झुंझुनू एवं सीकर जिले हैं। जौ का वार्षिक उत्पादन जहां 1999-2000 में लगभग 3.65 लाख टन था वह बढ़कर 2007-08 में 9.4 लाख टन पहुँचने का अनुमान है।

(3) ज्वार (Jawar)

राज्य में ज्वार मोटा अनाज निर्धन लोगों का प्रमुख भोजन रहा है तथा ज्वार के डंठल पशुओं का चारा है यह उष्ण कटिबन्धीय खरीफ फसल है। इसके लिए 30 से 100 सेन्टीमीटर वर्षा, 20 से 23 सेन्टीग्रेड तापमान तथा कम उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती है। ज्वार के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र राजस्थान के कोटा, झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर जिलों के 51 प्रतिशत क्षेत्र में लगभग 17 प्रतिशत उत्पादन होता है। इसके अलावा राज्य के बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बून्दी, नागोर, टोंक एवं जयपुर जिलों में भी ज्वार बोया जाता है।

ज्वार का उत्पादन 1950-51 में केवल 1.6 लाख टन था वह बढ़कर 1999-2000 में 5.5 लाख टन तथा 2007-08 में बढ़कर लगभग 5.8 लाख टन होने की सम्भावना है।

(4) बाजरा (Bajra)

मोटे अनाजों में यह खरीफ की फसल है इसके लिए शुष्क जलवायु 15 डिग्री से 20 डिग्री सेन्टीग्रेड तापमान तथा 40 से 50 सेन्टीमीटर वर्षा उपयुक्त रहती है। यह कम उपजाऊ भूमि में भी पैदा होता है। उत्पादन क्षेत्र मुख्य रूप से राजस्थान के रेगिस्तानी जिले, जोधपुर, बाड़मेर, चूरू, जालोर, बीकानेर तथा पाली हैं। राज्य के अन्य जिलों- जयपुर, भरतपुर, अलवर एवं सवाई माधोपुर में भी बाजरा पैदा होता है।

बाजरे का वार्षिक उत्पादन पिछले वर्षों में तेजी से बढ़ा है जहां 1990-91 में उत्पादन 25 लाख टन था वह बढ़कर 2003-04 में 66.5 लाख टन पहुँच गया। 2007-08 में उत्पादन केवल 29.91 लाख टन रहने का अनुमान है।

(5) मक्का (Maize)

मोटे अनाज में मक्का भी खरीफ की मुख्य फसल है। इसके लिए 21 से 27 सेन्टीग्रेड तापमान तथा दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। मक्का किसानों का भोजन होने के साथ-साथ

स्टार्च, ग्लूकोज, एल्कोहल आदि बनाने में काम आता है। मक्का उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, इंगरपुर, तथा झालावाड़ एवं अजमेर जिले हैं। मक्का का उत्पादन भी पिछले वर्षों में बढ़ा है जहां 1950-51 में उत्पादन 1.6 लाख टन था वह 1990-91 में 13 लाख टन तथा 2007-08 में बढ़कर 15.58 लाख टन होने का अनुमान है।

(6) चना (Gram)

रबी की यह दलहन की मुख्य फसल राज्य के प्रायः सभी जिलों में पैदा की जाती है। इसके लिए हल्की बलुई मिट्टी उपयुक्त रहती है और फसल के लिए औसत तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री सेन्टीग्रेड उपयुक्त रहता है। इसके लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता रहने से शुष्क खेती भी होती है। राज्य में चने का उपयोग दाल व बेसन से अनेक भोज्य पदार्थ बनाने व पशुओं को दाना खिलाने में होता है। चना उत्पादन का मुख्य क्षेत्र गंगानगर जिला है और यहां कुल उत्पादन का लगभग 43 प्रतिशत भाग पैदा होता है। अन्य उत्पादक क्षेत्र चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, बून्दी, जयपुर, अलवर, भरतपुर एवं चूरू जिले हैं।

राज्य में चने का उत्पादन घटता-बढ़ता रहता है। जहां 1990-91 में चने का उत्पादन 19 लाख टन था वह घटकर 1999-2000 में 6.78 लाख टन किन्तु 2007-08 में बढ़कर 12.11 लाख टन होने की सम्भावना है।

(7) दालें (Pulses)

राजस्थान में दालों की अन्य मुख्य फसलें मोठ, उड़द, मूंग एवं अरहर हैं। इनमें मूंग, उड़द और मोठ खरीफ की फसलें हैं जबकि अरहर एवं चना रबी की। दालें हमारे भोजन में प्रोटीन खनिज लवणों एवं ऊर्जा का प्रमुख स्रोत मानी जाती हैं। दालों के उत्पादन के लिए शुष्क तथा अर्द्ध-शुष्क जलवायु उपयुक्त रहता है और ये कम वर्षा वाले भागों में भी पैदा की जा सकती है। मूंग एवं मोठ उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चूक, सीकर, झुंझुनू एवं जयपुर जिले हैं। जोधपुर जिला दालों के उत्पादन में राज्य में प्रथम स्थान रखता है जबकि अरहर उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र पूर्वी राजस्थान के बून्दी, कोटा झालावाड़ एवं भरतपुर जिले तथा उड़द उत्पादन के मुख्य क्षेत्र चित्तौड़गढ़, उदयपुर एवं सिरौही जिले हैं।

राजस्थान में दालों का वार्षिक औसत उत्पादन लगभग 20 से 30 लाख टन रहता है। जहां रबी मौसम में दालों का कुल उत्पादन 10 से 15 लाख टन रहता है वहां खरीफ दालों का उत्पादन 7 से 10 लाख टन रहता है। उत्पादन में काफी घटत-बढ़त होती रहती है। जहां 1983-84 में दालों का कुल उत्पादन लगभग 17 लाख टन था वह 1997-98 में बढ़कर 26.4 लाख टन जबकि 2007-08 में 22.8 लाख टन रहने की सम्भावना है।

8.4.2 व्यापारिक फसलें - उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन (Commercial Crops)

राजस्थान में मुख्य नकदी एवं व्यापारिक फसलें तिलहन, कपास, गन्ना एवं तम्बाकू है इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

1. तिलहन (Oil Seeds)

नकदी फसलों में तिलहन का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान में तिलहन की मुख्य फसलें - मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, राई, अलसी, तिल एवं बिनोला हैं। राज्य में तिलहनों से प्राप्त तेल खाने, वनस्पति घी, साबुन बनाने में काम आता है जबकि खली का प्रयोग खाद, पशु आहार एवं विदेशों में निर्यात के लिए किया जाता है।

राजस्थान में तिलहनों के उत्पादन क्षेत्रों में जहां मूंगफली उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, भरतपुर एवं झालावाड़ जिले हैं वहां सरसों व राई के प्रमुख क्षेत्र अलवर, भरतपुर, जालोर, गंगानगर एवं नागौर जिले हैं जिनमें कुल उत्पादन का लगभग 75 प्रतिशत भाग पैदा होता है। अलसी के उत्पादन क्षेत्रों में कोटा, सवाई माधोपुर तथा झालावाड़ जिले हैं, सोयाबीन उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र बून्दी, कोटा, बारां, झालावाड़ एवं चित्तौड़गढ़ जिले हैं। छुट-पुट पैदावार अन्य जिलों में भी होती है। राज्य में सभी प्रकार के तिलहनों का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। जहां 1990-91 में तिलहनों का कुल उत्पादन लगभग 23.6 लाख टन था वह बढ़कर 2006-07 में 51.67 लाख टन तथा 2007-08 में 55.93 लाख टन होने का अनुमान है।

2. कपास (Cotton)

राजस्थान में कपास की फसल एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। कपास का रेशा सूती वस्त्र बनाने में काम आता है जबकि इसका बीज-बिनोला पशु आहार एवं वनस्पति तेल बनाने में काम आता है। कपास एक उष्णकटिबन्धीय पौधा होने से इसके लिए 20 डिग्री से 30 डिग्री सेन्टीग्रेड तापमान तथा 50 से 100 सेन्टीमीटर वर्षा उपयुक्त रहती है। इसके लिए आद्रता युक्त चिकनी काली मिट्टी उपयुक्त रहती है। कपास के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले हैं जहां राज्य के कुल उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत भाग उत्पन्न होता है जबकि देशी कपास उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एवं झालावाड़ जिलों में पैदा होता है जबकि मालवी कपास के मुख्य क्षेत्र कोटा, बून्दी, झालावाड़ एवं बांसवाड़ा जिले हैं।

राज्य में कपास का वार्षिक उत्पादन 9 से 12 लाख गांठें हैं। कपास का उत्पादन भी घटता-बढ़ता रहता है जहां 1999-2000 में कपास का उत्पादन 9.8 लाख गांठें था वह 2002-2003 में घटकर 2.52 लाख गांठें रह गया। पुनः 2005-2006 में बढ़कर 8.8 लाख गांठें तथा 2007-08 में बढ़कर 9.93 लाख गांठें रहने का अनुमान है।

3. गन्ना (Sugarcane)

राज्य में गन्ना गुड़, खण्डसारी एवं चीनी बनाने के साथ-साथ इसका रस पीने के काम आता है। इसकी फसल के लिए औसत तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री सेन्टीग्रेड तथा वर्षा का औसत 125 से 160 सेन्टीमीटर उपयुक्त रहता है। उत्पादन के लिए दोमट, काली एवं चिकनी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। फसल को बार-बार पानी देने की आवश्यकता होती है। अतः सिंचाई सुविधा जरूरी है। राजस्थान के प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र गंगानगर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा एवं बून्दी जिले हैं जहां कुल उत्पादन का लगभग 75 प्रतिशत भाग पैदा

होता है। गन्ना उत्पादन का प्रमुख जिला बून्दी है। इसके अलावा कुछ अन्य सिंचाई वाले जिलों में भी गन्ना पैदा किया जाता है।

राजस्थान में गन्नें का उत्पादन भी घटता-बढ़ता रहता है जहां 1990-91 में गन्नें का उत्पादन 12 लाख टन था वह घटकर 2003-04 में केवल 3.1 लाख टन तथा 2006-07 में बढ़कर 6.3 लाख टन रहा। 2007-06 में गन्नें का उत्पादन 4.57 लाख टन रहने की सम्भावना है।

4. तम्बाकू (Tobacco)

राज्य में तम्बाकू धूम्रपान हेतु बीड़ी-सिगरेट व खाने के काम में आता है। यह उष्ण कटिबन्धीय पौधा है इसके लिए 15 डिग्री से 40 डिग्री सेन्टीग्रेड तापमान तथा 50 से 100 सेन्टीमीटर वर्षा और कच्छारी एवं बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। इसकी खेती प्रायः ढालू एवं पठारी भागों में की जाती है।

तम्बाकू के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र राजस्थान में सवाई माधोपुर, अलवर, झुंझुनू जयपुर, नागौर, चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर जिले हैं जहां कुल उत्पादन का लगभग 85 प्रतिशत भाग पैदा होता है। कुछ उत्पादन भरतपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जालोर, जोधपुर, सीकर एवं झालावाड़ जिलों में भी होता है।

राज्य में तम्बाकू का वार्षिक उत्पादन निरन्तर घटता जा रहा है जहां 1980-81 में उत्पादन 1975 टन था वह घटकर 1990-91 में 1600 टन तथा 2004-05 में घटकर 800 टन रह गया।

8.5 सारांश (Summary)

राजस्थान में कृषि भू-उपयोग का विशेष महत्व है और उसका बदलता स्वरूप राज्य में कुल फसलों का क्षेत्र 1950-51 के मुकाबले दोगुने से अधिक हो गया है जहां 1950-51 में फसलों का सकल क्षेत्र 97.5 लाख हैक्टेयर था और कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का लगभग 28.4 प्रतिशत भाग था वह बढ़कर 2004-05 में क्रमशः 216.99 लाख हैक्टेयर तथा 63.33 प्रतिशत हो गया है। वन क्षेत्र भी लगभग सवा दो गुना हो गया है। राज्य में फसल प्रारूप में काफी बदलाव आया है फिर भी खाद्यान्न फसलों की प्रधानता बरकरार है। दालों तथा तिलहनों की फसलों का क्षेत्र एवं उत्पादन काफी बढ़ गया है। प्रमुख खाद्यान्न फसलें गेहूँ, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा एवं चना है जबकि व्यापारिक फसलों में तिलहनों, कपास, गन्ना एवं तम्बाकू हैं। सबके उत्पादन में कुछ फसलों को छोड़कर वृद्धि का रुख है।

8.6 शब्दावली (Glossary)

भू-उपयोग	Land Utilisation
कृषि के लिए अप्राप्य	Land put to non- agriculture uses
परती भूमि	Fallow Land
सकल फसली क्षेत्र अथवा सकल कृषिगत क्षेत्र	Gross Cropped area

शुद्ध कृषिगत क्षेत्र	Net Cropped area
फसल प्रारूप	Cropping Pattern
खाद्यान्न फसलें	Food Crops
व्यापारिक फसलें	Commercial Crops

8.7 संदर्भ ग्रन्थ (References)

- बी.एल. ओझा, (2008), "राजस्थान की अर्थव्यवस्था"
 - Some Facts about Rajasthan-2007, Directorate of Economics & Statistics, Rajasthan, Jaipur.
 - आर्थिक समीक्षा-2007-08. आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
 - लक्ष्मीनारायण नाथूरामका, "राजस्थान की अर्थव्यवस्था"
 - डॉ. भल्ला, राजस्थान का सामान्य ज्ञान।
-

8.8 अभ्यासार्थ प्रश्न (Unit-end Questions)

1. राजस्थान में कृषि भू-उपयोग के बदलते स्वरूप पर प्रकाश डालिए।
2. राजस्थान में भू-उपयोग एवं फसल प्रारूप का क्या महत्व है?
3. फसल-प्रारूप का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए तथा राजस्थान में प्रमुख फसलों पर प्रकाश डालिए।
4. राजस्थान में कृषि फसलों के प्रारूप की विशेषताएं बताइये तथा प्रमुख खाद्यान्न एवं व्यापारिक फसलों का विवेचन कीजिए।

इकाई -9

पशुपालन, डेयरी विकास कार्यक्रम, भेड़ एवं बकरी पालन की समस्याएं

(Animal Husbandry, Dairy Development Programmes and Problems of Sheep and Goat Husbandry)

इकाई की रूपरेखा

- 9.0 उद्देश्य
- 9.1 प्रस्तावना
- 9.2 राजस्थान में पशुपालन का महत्व
- 9.3 राजस्थान में पशुधन और उसमें वृद्धि
- 9.4 पशुधन विकास में समस्याएँ
 - 9.4.1 पशुधन विकास के सरकारी प्रयास एवं उपलब्धियाँ
- 9.5 राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम
 - 9.5.1 डेयरी विकास की प्रगति एवं वर्तमान स्थिति
 - 9.5.2 डेयरी विकास की समस्याएँ एवं भावी संभावनाएँ
- 9.6 राजस्थान में भेड़ एवं बकरा-बकरी पालन का महत्व
 - 9.6.1 भेड़ एवं बकरी पालन के प्रमुख जिले
 - 9.6.2 भेड़ एवं बकरा-बकरी की प्रमुख नस्लें
 - 9.6.3 भेड़-बकरी पालन की समस्याएँ
 - 9.6.4 सरकार द्वारा भेड़-बकरा-बकरी समस्याओं के निराकरण के प्रयास एवं उपलब्धियाँ तथा भेड़-बकरी पालन समस्याओं के समाधान के सुझाव
- 9.7 सारांश
- 9.8 शब्दावली
- 9.9 सन्दर्भ ग्रन्थ
- 9.10 अभ्यासार्थ प्रश्न

9.0 उद्देश्य (Objectives)

राजस्थान भारत का पशुधन सम्पन्न राज्य है। पशुपालन से राजस्थान की अकाल सूखे एवं प्राकृतिक विपदाओं से त्रस्त अर्थव्यवस्था को विकास के मार्ग पर अग्रसर करने तथा पशुपालन को कृषि के सहायक उद्योग के रूप में विकसित कर कृषकों को पूर्ण रोजगार एवं

अतिरिक्त आय अर्जन का अवसर उपलब्ध करने के उद्देश्य से पशुपालन व्यवसाय महत्वपूर्ण है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप :

- जान सकेंगे कि राजस्थान में पशुपालन का क्या महत्व है?
- राजस्थान में पशुधन के विकास के लिए अब तक किए गए सरकारी प्रयासों एवं उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- राज्य में डेयरी विकास कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे।
- राज्य में भेड़-बकरी पालन कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति, समस्याएं एवं सरकारी प्रयासों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

9.1 प्रस्तावना (Introduction)

प्रस्तुत इकाई में राजस्थान में पशुधन की सम्पन्नता और उसके महत्व को देखते हुए पशुधन विकास पर प्रकाश डाला गया है। दूसरे भाग में राज्य में डेयरी विकास कार्यक्रम, उसकी प्रगति तथा उसके सामने आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिये सरकारी प्रयासों के साथ-साथ डेयरी विकास की भावी संभावनाओं पर प्रकाश डाला गया है। इस इकाई के तीसरे भाग में राजस्थान के मरूस्थली क्षेत्रों में भेड़ तथा बकरा-बकरी पालन के महत्व को देखते हुए राज्य के भेड़-बकरी पालन के प्रमुख जिलों में इस पशुधन के आकार-प्रकार के साथ-साथ उनके विकास के प्रयासों, उपलब्धियों एवं समस्याओं को दूर करने के समाधान ढूँढने का प्रयास है। राज्य में पशुपालन, भेड़ तथा बकरी पालन राज्य के लोगों को पूर्ण-रोजगार, अतिरिक्त आय अर्जन तथा जीवन-यापन की बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सकता है।

9.2 राजस्थान में पशुपालन का महत्व

(Importance of Animal Husbandry in Rajasthan)

अकालों, सूखे एवं प्राकृतिक विपदाओं से त्रस्त राजस्थान की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में और खास तौर से राज्य के रेगिस्तानी शुष्क एवं अर्द्ध-शुष्क इलाकों में पशुपालन का विशेष महत्व है। पशुपालन उस क्षेत्र के लोगों की उदरपूर्ति और रोजगार का आधार होने के साथ आय अर्जन का प्रमुख स्रोत भी है। राजस्थान में पशुपालन का महत्व निम्नलिखित तथ्यों से उजागर होता है।

- **कृषि में शक्ति का साधन** - राजस्थान में पशुधन बैल, भैंस, ऊँट, घोड़े, खच्चर आदि हल चलाने, कुओं से पानी खींचने, बोझा ढोने, बेलगाड़ी खींचने में शक्ति के साधन हैं।
- **पशुओं से प्राप्त कई उत्पाद** - राज्य में पशुपालन से कई उत्पाद प्राप्त होते हैं जैसे गोबर खाद एवं ईंधन की पूर्ति करता है। भेड़ों के उन से कम्बल, नमदे बनाये जाते हैं। दुधारू पशुओं से प्रतिवर्ष 90 से 95 लाख टन पौष्टिक दूध, घी, मक्खन प्राप्त होता है। पशुओं का मांस, चमड़ा व हड्डियां भी आय अर्जन का महत्वपूर्ण स्रोत है।

- **रोजगार** - कृषि एवं पशुपालन एक दूसरे के पूरक एवं आश्रित कार्य हैं। पशुपालन अकाल एवं सूखे के समय पूरक रोजगार प्रदान करता है तथा अपूर्ण रोजगार की अवस्था में पूर्ण रोजगार उपलब्ध करता है।
- **पौष्टिक आहार की पूर्ति** - पशुपालन से मांस, दूध, अण्डे, चर्बी आदि से पौष्टिक आहार की पूर्ति होती है।
- **अकाल एवं सूखे के समय बीमा कार्य** - प्राकृतिक विपदाओं के समय जब कृषि से आय नहीं होती है तब जीवन व्यापन करने लायक आय प्रदान कर पशुपालन बीमा का कार्य करता है। रोजगार आदि आय प्रदान कर संकट से बचाता है।
- **राज्य के घरेलू उत्पाद का महत्वपूर्ण स्रोत** - पशुपालन राज्य के घरेलू उत्पाद का महत्वपूर्ण स्रोत भी है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन का लगभग 9 प्रतिशत योगदान प्राप्त होता है।

9.3 राजस्थान में पशुधन और उसमें वृद्धि

(Cattle Wealth in Rajasthan and its Growth)

पिछले 53 वर्षों में राजस्थान के पशुधन में तीव्रगति से वृद्धि हुई है। अब राज्य में 1951 के मुकाबले पशुधन दुगुने से अधिक है जैसा निम्नांकित सारणी 9.1 से स्पष्ट है -

सारणी 9.1

राजस्थान में पशुधन में तीव्र वृद्धि (1951-2003)

(संख्या लाखों में)

विवरण	1951	1972	1997	2003
चौपाये (Cattle)	107.9	124.7	121.4	108.5
भैंस- भैंसे (Baffaloes)	30.5	45.9	97.7	104.1
भेड़े (Sheeps)	53.9	85.6	145.8	100.5
बकरा- बकरियाँ (Goats)	55.6	121.6	169.7	168.1
ऊँट (Camel)	3.4	7.5	6.7	5.0
अन्य पशु (Other Animal)	4.0	3.5	5.2	5.2
कुल योग (Total)	255.2	388.8	546.5	491.4

Source: White Paper on Economic Development some facts about Rajasthan, 2007

सारणी 9.1 से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में पशुओं की सर्वाधिक संख्या 1997 की पशुगणना में 546.55 लाख थी जो 2003 की पशुगणना में घटकर 491.4 लाख ही रह गई। प्रमुख पशु नस्लों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

- (1) **गाय-बैल** - 2003 की पशुगणना के अनुसार राज्य में गाय-बैलों की संख्या 108.53 लाख थी जो भारत की कुल संख्या का लगभग 8 प्रतिशत है। नागौरी गायें और नागौरी बैल नागौर क्षेत्र में, राठी नस्ल की गायें गंगानगर एवं जैसलमेर क्षेत्र में, सांचोर क्षेत्र

की साँचोरी गायें, झालावाड़, इंगरपुर, बांसवाडा जिलों में मालवी नस्ल की गायें तथा चूरू, बीकानेर, गंगानगर और सीकर क्षेत्रों में हरियाणवी गायें प्रसिद्ध है।

- (2) **भैंसे (Female Buffaloes):** अधिक दूध प्राप्ति के लिए राजस्थान में भैंसे पाली जाती है। 2003 की पशुगणना के अनुसार राज्य में भैंसों की संख्या लगभग 92.88 लाख है। मुरीह नस्ल की प्रसिद्ध भैंसें अलवर, भरतपुर, जयपुर, कोटा एवं बूंदी जिलों में पाली जाती है जो प्रतिदिन 10 से 12 किलोग्राम दूध देती है। भैंसों (Female Buffaloes) की संख्या लगभग 11.25 लाख के लगभग है इनका उपयोग जोतने, वाहन खींचने में होता है। माँस के लिए भी पाले जाते हैं।
- (3) **भेड़ें (Sheeps)** राजस्थान में 2003 की पशुगणना के अनुसार लगभग 100.54 लाख भेड़ें हैं। भारत की कुल भेड़ों की संख्या लगभग 22 प्रतिशत राजस्थान के मरु क्षेत्रों में हैं। इनसे ऊन, माँस और चमड़ा प्राप्त होता है। राज्य में भेड़ों से लगभग 200 लाख किलोग्राम ऊन तथा 68 हजार टन माँस प्रतिवर्ष प्राप्त होता है। जहां राज्य के बीकानेर और गंगानगर क्षेत्रों में नाली नस्ल की भेड़ें पाली जाती है वहां मगरा नस्ल की भेड़ें नागौर, पाली और बीकानेर में पाली जाती है। इसके अलावा कई अन्य नस्लें भी पाली जाती हैं।
- (4) **बकरे - बकरियाँ (Goats)** राजस्थान के मरुस्थली एवं शुष्क एवं अर्द्ध शुष्क जिलों में बकरा-बकरी अधिक पाले जाते हैं। इनमें सिरोही, अलवरी, जमनापुरी नस्ल की बकरियाँ अधिक दूध देती है। बकरों का मांस और बकरा-बकरियाँ के बाल कम्बल, दरियां और नमदे बनाये जाते हैं। राज्य में इनकी 2003 की पशुगणना के अनुसार राज्य में बकरा-बकरियों की कुल संख्या 168.1 लाख के करीब थी।
- (5) **ऊँट (Camel) :** राजस्थान में रेगिस्तान का जहाज कहलाने वाला ऊँट राज्य में परिवहन, हल जोतने एवं सिंचाई करने में सहायक है। आज कल ऊँटों की सवारी राज्य में प्रतियोगिताओं में पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है। राज्य में ऊँटों की संख्या लगभग 4.98 लाख है और संख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत के 65 प्रतिशत ऊँटों पर आधिपत्य है। इनमें 16 प्रतिशत बाड़मेर क्षेत्र और 14 प्रतिशत गंगानगर क्षेत्र में हैं।
- (6) **अन्य पशु (Other Animals)** राजस्थान में अन्य कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं जिनमें घोड़े गधे एवं टट्टूओं की संख्या लगभग 1.7 लाख है और ये सवारी, माल ढोने एवं वाहन खींचने में काम आते हैं। जोधपुर, जालौर और बाड़मेर के मालानी घोड़े प्रसिद्ध है। राज्य में सुअर भी मांस, चर्बी एवं बालों के लिए पाले जाते हैं जिनकी संख्या 3.38 लाख है। पाले जाने वाले कुत्तों की संख्या लगभग 23.71 लाख है।

9.4 पशुधन विकास की प्रमुख समस्याएं

(Main Problems of Live-Stock Development)

राजस्थान में पशुधन विकास में कई समस्याएं सामने आती हैं जिनमें प्रमुख समस्याएं संक्षेप में इस प्रकार हैं -

- (i) **पशुओं की घटिया नस्ल** - यद्यपि राज्य पशुधन की संख्या की दृष्टि से सम्पन्न है किन्तु गुणवत्ता की दृष्टि से पशुओं की घटिया नस्ल के कारण उनकी उत्पादकता पंजाब, हरियाणा और अन्य विकसित राज्यों के मुकाबले काफी कम है।
- (ii) **पशुओं की बीमारियां** - राज्य में पशुओं में कई प्रकार के संक्रामक रोग फैलते रहते हैं और पशुपालक निर्धनता एवं अज्ञानता के कारण इन संक्रामक रोगों से पशुओं को बचा नहीं पाते जिससे अकाल मृत्यु एवं उत्पादकता में कमी की समस्या आती है।
- (iii) **पशुपालकों की निर्धनता एवं अज्ञानता** - राज्य के अधिकांश पशुपालक न केवल निर्धन हैं वरन् अज्ञानी भी हैं। परिणामस्वरूप पशुओं के समुचित विकास, पौष्टिक आहार, बीमारी में उपयुक्त चिकित्सा सुविधा नहीं जुटा पाते और न सरकारी योजनाओं का लाभ ले पाते हैं।
- (iv) **व्यावसायिक दृष्टिकोण का अभाव** - राज्य में पशुपालन एक सहायक धन्धे के रूप में लिया जाता है अतः पशुपालकों में पशुपालक के प्रति व्यावसायिक दृष्टिकोण नहीं होने से ऊँची लागत एवं कम लाभ की समस्या बनी रहती है। पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के सक्रिय प्रयास नहीं होते।
- (v) **सरकारी कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता का अभाव** - राज्य में पशुपालकों में व्याप्त अज्ञानता के कारण न तो उनमें पशुपालन विकास सम्बन्धी सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी है और न लाभ लेने का उत्साह एवं रुचि। अतः उन्हें लाभान्वित करने के लिये प्रचार-प्रसार तथा जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।
- (vi) **अनार्थिक पशुओं को समस्या** - राज्य में अनार्थिक पशुओं-बूढ़े, बीमार तथा कम उत्पादकता वाले पशुओं की समस्या भी विकट है। अनार्थिक पशुओं से छुटकारा पाने का प्रयास नहीं होता और उनका भारी भार उठाना पड़ता है।
- (vii) **पौष्टिक आहार एवं चारे को समस्या** - पशुपालकों की निर्धनता एवं अज्ञानता के कारण पशुओं को उन्नत, पौष्टिक एवं अधिक उत्पादकता वाला आहार नहीं मिलता उससे पशुपालकों को समुचित लाभ नहीं मिलता।

इन समस्याओं के निराकरण एवं पशुधन के समुचित विकास में सरकार का योगदान जरूरी है।

9.4.1 पशुधन विकास के सरकारी प्रयास एवं उपलब्धियां

(Govt. efforts for Live-Stock Development and Achievements)

राजस्थान में पशुधन की भूमिका एवं महत्व के मद्देनजर राज्य सरकार ने पशुपालन विकास के लिए कई प्रभावी कदम उठाये हैं जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं -

- (i) **सार्वजनिक क्षेत्र में पशुधन विकास पर बढ़ता व्यय** - राज्य में सरकार पशुधन विकास हेतु पंचवर्षीय योजनाओं में अधिकाधिक व्यय करती रही है। जहां दूसरी योजना में व्यय 1.25 करोड़ रूपया था वह नौवीं योजना में 124.3 करोड़ रूपये पहुँचने का अनुमान है। ग्यारहवीं योजना में यह व्यय चार गुणा तक बढ़ने की संभावना है।
- (ii) **पशु चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार** - राज्य में पशुओं में होने वाली बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिये सरकार ने पशु-चिकित्सा सुविधाओं का यथा संभव विस्तार किया है। जहां 1950-51 में राज्य में सभी प्रकार के चिकित्सा केन्द्रों की संख्या मात्र 147 थी उनकी संख्या 2007-08 तक बढ़ाकर 3560 कर दी है। जिसमें 14 पाली क्लिनिक, 175 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, 1260 पशु चिकित्सालय, 285 पशु औषधालय एवं 1827 उपकेन्द्रों के माध्यम से पशु स्वास्थ्य एवं उन्नत नस्ल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
- (iii) **गौसंवर्धन कार्यक्रम और गोपाल योजना** - राज्य में गाय-बैलों की नस्ल सुधार हेतु जहां 50 से अधिक गो-संवर्धन केन्द्र कार्यरत हैं और थापरवार नस्ल के सांडों के विकास हेतु 1964 के जैसलमेर जिले के वादन गांव में फार्म स्थापित किया गया है वहां दूसरी और गोपाल योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित युवकों को पशुओं को सन्तुलित आहार, कृत्रिम गर्भाधान, पशुओं की देखभाल की आधुनिक तकनीक, औषधियों के उपयोग, नकारा पशुओं के बन्ध्याकरण आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- (iv) **पशुपालन अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण** - राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिये बीकानेर एवं सूरतगढ़ में भेड़ अनुसन्धान केन्द्रों के अलावा राज्य में 8 और भेड़ अनुसन्धान केन्द्र खोले गये हैं। जयपुर और बीकानेर में पशुचिकित्सा महाविद्यालय प्रशिक्षण देते हैं। विदेशी नस्ल के पशुओं को भी परीक्षण के तौर पर विकसित किया जा रहा है।
- (v) **कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना** - राज्य में प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना करने से आज राज्य में 300 से अधिक ऐसे केन्द्र कार्यरत हैं। उन्नत नस्ल के कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ाया है।
- (vi) **पशुधन के जीवन जोखिम से गोपालकों को बीमा सुरक्षा** - राज्य में पशुधन के जीवन जोखिम से सुरक्षा हेतु तीन बीमा योजनाएं - कामधेनु, गोपालक एवं गोरक्षक बीमा योजनाएं लागू की गई हैं जिनसे दिसम्बर 2007 तक 1.5 लाख गोपालकों तथा 44 हजार गायों का बीमा करने के साथ-साथ 2.93 लाख भेड़ों तथा 1.3 लाख भेड़ पालकों का बीमा किया गया है।

- (vii) **पशु-प्रजनन नीति पशु** - प्रजनन नीति में संशोधन कर राज्य में देशी गौ और भैंस वंश के संरक्षण का प्रयास उल्लेखनीय है।
- (viii) **पशुपालकों के प्रशिक्षण शिविर तथा प्रदर्शनियां** - पशुपालकों के प्रशिक्षण शिविर तथा प्रदर्शनियों का आयोजन कर उन्हें नवीनतम आधुनिक तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

9.5 राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम

(Dairy Development Programme in Rajasthan)

राजस्थान दुधारू पशुओं की संख्या एवं डेयरी विकास के अनुकूल जलवायु की दृष्टि से भाग्यशाली है। यहां प्रति 100 व्यक्तियों के पीछे भैंसों और गायों का औसत क्रमशः 10 और 27 है जो अखिल भारतीय औसत से क्रमशः तीन गुना और 5 गुना है। दूध का वार्षिक औसत उत्पादन भी भारत के औसत से लगभग दुगुना है। योजनाबद्ध विकास के पिछले 56 वर्षों में दूध का उत्पादन 1951 के 15 लाख रुपये से बढ़कर 2007 में लगभग 95 लाख टन हो गया है।

राजस्थान में 2003 की पशुगणना के अनुसार गाय-बैलों की संख्या 97.70 लाख है जो भारत के कुल दुधारू पशुओं का लगभग 9 प्रतिशत है और राज्य में दूध का उत्पादन भारत के कुल उत्पादन का केवल 7 प्रतिशत ही है। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य में डेयरी विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर श्वेत क्रांति ला दी है।

राज्य में दूध का वार्षिक उत्पादन लगभग 95 लाख टन है जिसमें 48 प्रतिशत गायों से, 40 प्रतिशत भैंसों से तथा 12 प्रतिशत भेड़-बकरियों से प्राप्त होता है। उसमें से 40 प्रतिशत दूध का प्रयोग पीने में, 9 प्रतिशत दही बनाने में 10 प्रतिशत घी बनाने तथा 4 प्रतिशत मावा बनाने और शेष मिठाइयों के काम आता है।

9.5.1 राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम की प्रगति एवं वर्तमान स्थिति

(Progress of Dairy Development Programme and present position in Rajasthan)

भारत सरकार द्वारा 1970 में श्वेत-क्रांति शुरू करने से राजस्थान में भी दूध उत्पादन में वृद्धि हेतु 1974 में डेयरी विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। इस महत्वाकांक्षी योजना को मूर्तरूप देने तथा राज्य के अतिरिक्त दूध को अन्य राज्यों में विपणन की संभावना को देखते हुए 1975 में राजस्थान डेयरी विकास निगम की स्थापना की गई। चौथी योजना अवधि में डेयरी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहकारिता के आधार पर दूध बाहुल्य क्षेत्रों के उत्पादकों को जिला स्तर पर संगठित करने तथा स्थानीय क्षेत्रों से ग्रामीण दूध उत्पादकों से दूध संग्रहण किया जाने लगा। अमूल डेयरी पैटर्न पर राज्य स्तरीय शीर्ष संगठन के रूप में राजस्थान कॉपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना की गई। संग्रहित दूध के भण्डारण एवं संकलन हेतु डेयरी संयंत्रों एवं अवशीतन केन्द्रों की स्थापना की गई और राज्य सरकार ने अन्तरराष्ट्रीय विकास संघ

(International Development Association) सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (Drought Prone Area Programme) तथा राज्य योजना के अन्तर्गत वित्तीय साधन जुटाये।

श्वेत क्रांति (White Revolution) का दूसरा चरण 1981 में शुरू हुआ जो ऑपरेशन फ्लड द्वितीय (Operation Flood-II) के नाम से जाना जाता है। विश्व बैंक (World Bank) की सहायता से राज्य के राजस्थान डेयरी विकास निगम की देखरेख में राज्य के 6 जिलों में दूध उत्पादन बढ़ाने, उसके संग्रहण भण्डारण एवं समुचित विपणन व्यवस्था के साथ साथ अच्छी नस्ल के दुधारू पशुओं के विकास पर ध्यान दिया गया।

श्वेत क्रांति का तीसरा चरण ऑपरेशन फ्लड - तृतीय के नाम से 1985 में प्रारम्भ हुआ। यह राज्य के सभी जिलों में राजस्थान कॉर्पोरेटिव डेयरी फेडरेशन के अन्तर्गत चलाया गया और राज्य के लगभग 4 लाख दूध उत्पादक सदस्य इसकी परिधि में आ गये। 2000-01 तक औसत दूध संकलन 7.8 लाख लीटर प्रति दिन था।

राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम अमूल पद्धति पर सहकारिता के आधार पर राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। राजस्थान कॉर्पोरेटिव डेयरी फेडरेशन की देखरेख में राज्य की 9951 दूध सहकारी समितियों के लगभग 6.4 लाख दूध उत्पादक सदस्य लाभान्वित हो रहे हैं। 2005 के फरवरी माह में एक दिन में 20.28 लाख लीटर रिकार्ड दूध संग्रहण किया जबकि 2006-07 में दूध का औसत संग्रहण कॉर्पोरेटिव डेयरी फेडरेशन ने उत्तर भारत में दूध संग्रहण एवं विपणन में प्रथम स्थान पर रहा। उसके अन्तर्गत कार्यरत डेयरियां 30 हजार व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार तथा 30 हजार व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करा रहा है। डेयरी विकास कार्यक्रम से दूध उत्पादन में वृद्धि की झलक निम्न सारणी 9.2 से लगती है -

सारणी 9.2

राजस्थान में दूध उत्पादन वृद्धि (1951-2007)

(लाख टन)

विवरण	1951	1984-85	1990-91	2006-07
दूध उत्पादन	15	35	43	93.76

स्रोत : आर्थिक समीक्षा, राजस्थान 2007-08 एवं अन्य स्रोतों के संकलन

डेयरी विकास कार्यक्रम की प्रगति का अवलोकन राज्य के कॉर्पोरेटिव डेयरी फेडरेशन के अन्तर्गत कार्यरत 14 डेयरी संयंत्रों, 25 अवशीतन केन्द्रों की क्षमता क्रमशः 15 लाख लीटर एवं 5 लाख लीटर दूध प्रतिदिन है।

सारणी 9.3

डेयरी सम्बन्धित मुख्य क्रियाकलापों की उपलब्धियां

क्रम संख्या	विवरण	इकाई	लक्ष्य 2007-08	उपलब्धियां दिसंबर 2007 तक
1.	दुग्ध संकलन	लाख किलोग्राम	16.39	12.27

		प्रति दिन		
2.	दुग्ध विपणन	लाख लीटर प्रति दिन	13.36	12.38
3.	पशु आहार विपणन	हजार मैट्रिक टन	227	183
4.	कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान	हजार संख्या	474	407
5.	प्राथमिक दूध सहकारी समितियां	हजार संख्या	10.50	102

स्रोत : आर्थिक समीक्षा, राजस्थान 2007-08

राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम से राज्य के लगभग 6.4 लाख दूध उत्पादकों को प्रतिदिन 2 करोड़ रुपये का भुगतान कर लाभान्वित किया जा रहा है। लोगों को पौष्टिक आहार, उत्पादकों को अच्छा मूल्य एवं सहायक रोजगार तथा राज्य के अतिरिक्त उत्पादन को अन्य राज्यों में विपणन की व्यवस्था लाभप्रद सिद्ध हुई है।

9.5.2 राजस्थान में डेयरी विकास की समस्याएं एवं भावी सम्भावनाएं

(Problems and Future Possibilities of Dairy Development in Rajasthan)

यद्यपि राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम की प्रगति काफी सन्तोषजनक रही है फिर भी इसके सामने कई समस्याएं हैं जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं -

- (i) दुधारू पशुओं की हीन दशा एवं अकाल मृत्यु : गाय, बकरियों और भैंसों की संख्या अधिक है किन्तु उनमें अधिकांश कमजोर, बीमार और चिकित्सा के अभाव में अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं अतः उन्हें पौष्टिक आहार, उचित चिकित्सा और गोपालकों के उचित प्रशिक्षण पर जोर होना चाहिए। पशु बीमा भी आवश्यक है।
- (ii) दूध का औसत उत्पादन नीचा - राजस्थान में दुधारू पशुओं का दूध का औसत वार्षिक उत्पादन अखिल भारतीय स्तर के मुकाबले बहुत कम है। जहां भारत में प्रति गाय दूध का औसत उत्पादन 210 किलोग्राम एवं भैंस का 504 किलोग्राम वार्षिक है वहां राजस्थान में यह क्रमशः व 160 और 400 किलोग्राम ही है। डेन्मार्क हॉलैण्ड और अमेरिका के औसत वार्षिक उत्पादन का केवल 5 प्रतिशत ही है। अतः दुधारू पशुओं की उन्नत नस्ल और अधिक दूध देने वाले पशुओं के विकास उन्हें पौष्टिक आहार और समय पर चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- (iii) दूध संकलन एवं परिवहन लागत ऊंची - दूर-दूर गांवों में फैले छोटे-छोटे दूध उत्पादकों से दूध का संकलन कर उसे अवशीतन और विपणन केन्द्रों पर पहुँचाने में समय और परिवहन पर भारी व्यय करना पड़ता है जिससे लागत बढ़ती है। इसके लिए सस्ते एवं शीघ्रगामी परिवहन साधनों के साथ-साथ उत्पादन केन्द्रों की समीपता का प्रयास जारी है।

- (iv) **दूध का उचित मूल्य न मिल पाना** - जब दूध उत्पादकों को दूध का उचित मूल्य नहीं मिलता तो दूध उत्पादन वृद्धि की प्रेरणा नहीं रहती। अतः उत्पादकों को दूध के उचित मूल्यों की व्यवस्था जरूरी है।

राजस्थान में डेयरी विकास की प्रबल सम्भावनाएं

राजस्थान दुधारू पशुओं की संख्या की दृष्टि से तथा उपयुक्त जलवायु होने से डेयरी विकास का भविष्य उज्ज्वल है। राज्य में दूध का बढ़ता उत्पादन और पड़ोसी राज्यों में विपणन की भावी संभावनाओं से काफी प्रेरणा मिलती है। दूध के उत्पादों की बढ़ती बिक्री और उचित मूल्य की प्राप्ति डेयरी उद्योग के भावी विकास का संकेत है। दूध से अनेक उत्पाद- छाछ, आइसक्रीम, पाउडर, श्रीखण्ड, पनीर, मिठाइयाँ, मादा आदि बनाकर पशुपालकों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है।

9.6 राजस्थान में भेड़-बकरा-बकरी पालन को आवश्यकता एवं महत्व (Importance and need of Sheep and Goats Husbandry in Rajasthan)

राजस्थान में 2003 की पशुगणना के अनुसार राज्य में भेड़ों की संख्या 100.54 लाख तथा बकरा-बकरी की संख्या 168.1 लाख के करीब है। इस प्रकार दोनों की संख्या कुल मिलाकर 268 लाख से अधिक है जो राज्य के पशुधन का लगभग 55 प्रतिशत है। राज्य के मरूस्थली एवं सूखे क्षेत्रों की झाड़ियों व कटीले पेड़ों के पत्तों पर गुजर करने वाले ये पशु वहां के लोगों के रोजगार तथा आय का प्रमुख स्रोत हैं और अकाल के समय उन्हें बीमा सी सुरक्षा प्रदान करते हैं। भेड़-बकरी पालन का महत्व संक्षेप में इस प्रकार है

- (i) **दूध उत्पादन** - भेड़-बकरी पालन से राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 15 से 17 लाख टन दूध का उत्पादन होता है जो राज्य के कुल दूध उत्पादन का लगभग 18 प्रतिशत है।
- (ii) **मांस उत्पादन** - राजस्थान में भेड़-बकरी पालने से प्रतिवर्ष लगभग 68 हजार टन मांस की प्राप्ति होती है। जिसकी बिक्री से भेड़-बकरी पालकों को लगभग 180 से 200 करोड़ रुपये वार्षिक आय होती है।
- (iii) **ऊन उत्पादन** - राजस्थान में भारत की कुल भेड़ों का लगभग 25 प्रतिशत भाग है फिर भी देश के कुल ऊन उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत भाग राजस्थान से प्राप्त होता है। उन का वार्षिक उत्पादन राज्य में 200 लाख किलोग्राम है।
- (iv) **खालें, खाद एवं हड्डियां** - भेड़-बकरी पालन से जहां उनके जीवन काल में उपयोगी खाद प्राप्त होती है वहां मृत्युपरान्त खालें, चमड़ा एवं हड्डियां भेड़-बकरी पालकों को लगभग 60 लाख खालें तथा कई टन हड्डियों की बिक्री से आय प्राप्त होती है।
- (v) **मरूस्थली सूखे क्षेत्रों में रोजगार एवं आय का स्रोत** - राजस्थान के लगभग 61 प्रतिशत क्षेत्र में फैले विशाल रेगिस्तानी 12 जिलों में भेड़-बकरी पालन रोजगार एवं आय का

प्रमुख आधार है। राज्य के लगभग 25 लाख परिवार भेड़-बकरी पालन में कार्यरत रहकर आय अर्जित करते हैं।

- (vi) **अकाल एवं सूखे के समय बीमा सुरक्षा** - राज्य में अकाल एवं सूखे की समस्या निरन्तर बनी रहने के कारण कंटीली झाड़ियों एवं पेड़ों की पत्तियों पर गुजर बसर करने वाली भेड़-बकरियां पशुपालकों को ऐसे संकट के समय रोजगार एवं आय प्रदान कर बीमा सी सुरक्षा प्रदान करती है।

9.6.1 भेड़-बकरी पालन के प्रमुख जिले

राजस्थान में भेड़-बकरियों की सर्वाधिक संख्या राज्य के 12 मरूस्थली शुष्क एवं अर्द्ध शुष्क जिलों में है और इसी कारण ये जिले भेड़-बकरी पालन के प्रमुख क्षेत्र हैं। यह निम्न सारणी 9.4 से स्पष्ट है।

सारणी 9.4

राजस्थान में भेड़-बकरी पालन के प्रमुख जिले

(पशु गणना - 1997 के आधार पर)

क्र.सं.	जिला	भेड़ों की संख्या लाख में	बकरा-बकरियों की संख्या लाख में	भेड़-बकरियों की कुल संख्या लाख में
1.	बाड़मेर	15.12	18.68	33.80
2.	नागौर	11.71	10.89	22.60
3.	जोधपुर	15.60	12.96	28.56
4.	पाली	13.69	6.05	19.74
5.	जैसलमेर	12.08	8.93	21.00
6.	बीकानेर	11.48	6.42	17.90
7.	जालोर	7.10	4.67	11.77
8.	चुर	6.42	8.36	14.78
9.	जयपुर	3.48	6.94	10.42
10	गंगानगर	3.51	3.01	6.52
	कुल योग (1 से 10 तक)	100.20	86.91	187.10
11.	भीलवाड़ा	8.45	7.06	15.51
12.	उदयपुर	2.44	8.50	10.94

Source: Basic Statistics of Rajasthan, 1999.

सारणी 9.4 से स्पष्ट है कि राजस्थान के पश्चिमी मरूस्थलीय जिलों में भेड़-बकरियों की संख्या लगभग 187 लाख होने से ये ही उनके पालन के प्रमुख क्षेत्र हैं। वहां की जलवायु,

वातावरण एवं वनस्पति व भेड़-बकरी पालन के अनुकूल है। भीलवाड़ा एवं उदयपुर जिलों में भी क्रमशः 15.5 लाख एवं 11 लाख भेड़-बकरियां होने से उनमें भी इसके पालन पर जोर है।

9.6.2 भेड़ों की प्रमुख नस्लें एवं उनके पालन के क्षेत्र

राजस्थान में भेड़ों की कई नस्लें हैं उनमें 3116 प्रमुख नस्लें हैं - नाली, मगरा, शेखावटी, मारवाड़ी, जैसलमेरी, मालपुरी, सोनाली एवं बागड़ी पूगल नस्ल भी भारत-पाक सीमा के आस-पास के क्षेत्रों में पाई जाती है।

- (i) **नाली नस्ल** - इस नस्ल की भेड़ें लम्बे रेशे वाली और सर्वाधिक उन उत्पादन वाली होती है। इनकी संख्या लगभग 3.5 से 4 लाख के करीब है। इसके पालन क्षेत्र गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं बीकानेर जिले हैं।
- (ii) **मगरा नस्ल** - राजस्थान में इस नस्ल की लगभग 5 लाख भेड़ें जैसलमेर, बीकानेर और नागौर जिलों में पाली जाती है और छोटे रेशे की उन प्राप्त होती है।
- (iii) **शेखावटी-चोकला नस्ल** - इस नस्ल की राज्य में लगभग 20 लाख भेड़ें शेखावटी क्षेत्र के झुन्झुनु, सीकर एवं चूरू जिलों में पाली जाती है और इनसे प्रति भेड़ लगभग 1 से 2 किलो अच्छी किस्म की ऊन प्रतिवर्ष प्राप्त होती है।
- (iv) **मारवाड़ी नस्ल** - राज्य में लगभग 50 प्रतिशत भेड़ें इसी नस्ल की है और मारवाड़ के जोधपुर, पाली, बाड़मेर नागौर आदि क्षेत्रों में पाली जाती है। इनसे औसत उन उत्पादन 1-2 किलोग्राम वार्षिक है।
- (v) **जैसलमेरी नस्ल** - राज्य में नस्ल की लगभग 6 लाख भेड़ें जैसलमेर और जोधपुर के पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों में पाली जाती है। इनका औसत उन उत्पादन 2 से 3.5 किलोग्राम वार्षिक है।
- (vi) **मालपुरी नस्ल** - इस नस्ल की भेड़ें राजस्थान के टोंक एवं जयपुर जिलों में लगभग 20 लाख है। उन उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता है।

9.6.3 राजस्थान में भेड़-बकरी पालन की प्रमुख समस्याएं

(Main Problem of Sheep and Goat Husbandry in Rajasthan)

राजस्थान में यद्यपि भेड़-बकरी पालन का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है और उनकी संख्या भी काफी है किन्तु कई समस्याओं के कारण भेड़-बकरी पालन की प्रगति में बाधाएं उत्पन्न होती है। प्रमुख समस्याएं संक्षेप में इस प्रकार हैं -

- (i) **भेड़-बकरी पालकों की गरीबी** - यह सबसे बड़ी समस्या है जिसके कारण न तो भेड़-बकरी पालक उनको पौष्टिक आहार एवं चिकित्सा उपलब्ध करा पाते हैं और न उनकी नस्ल सुधार और विकास में धन निवेश कर सकते हैं।
- (ii) **पालकों की अशिक्षा एवं अज्ञानता** - अधिकांश भेड़-बकरी पालक गरीब होने के साथ-साथ अशिक्षित और नवीन तकनीक से अनभिज्ञ एवं अज्ञानी भी हैं। परिणामस्वरूप सरकारी कार्यक्रमों का लाभ नहीं ले पाते।

- (iii) **भेड़-बकरियों में संक्रामक रोगों की समस्या** - यह समस्या भी बड़ी विकट है। पालकों की गरीबी, अशिक्षा और अज्ञानता से यह समस्या और अधिक विकराल होकर भेड़-बकरियों की अकाल मृत्यु का कारण बनती है।
- (iv) **पौष्टिक आहार एवं उत्तम चरागाहों का अभाव** - राज्य में भेड़-बकरियां कंटीली झाड़ियों एवं पेड़-पौधों की पत्तियों एवं फलियों को खाकर जीवन यापन करती हैं। यहां तक कि कई बार अकाल एवं सूखे के समय पड़ोसी राज्यों में पलायन करना पड़ता है और झगड़े होते हैं। उत्तम चरागाहों का अभाव एवं पालकों की गरीबी में पौष्टिक आहार की कमी उनकी कम उत्पादकता का कारण बनी हुई है।
- (v) **ऊन एवं बाल काटने की दोषपूर्ण रीति** - भेड़ों की ऊन उतारने और बकरा-बकरियों के बाल काटने की परमपरागत दोषपूर्ण ढंग से उत्पादन में कमी तथा वर्गीकरण में कठिनाइयां आती हैं।
- (vi) **भेड़-बकरियों की उन्नत नस्लों का अभाव** - पालकों की गरीबी, अशिक्षा एवं अज्ञानता के कारण ये लोग भेड़-बकरियों की उन्नत नस्लों तथा प्रजनन की वैज्ञानिक विधियों से कृत्रिम गर्भाधान के प्रति भी उदासीन रहते हैं। अतः भेड़ों और बकरियों की उत्पादकता नीची है।
- (vii) **भेड़-बकरी उत्पादों के विपणन और उचित मूल्य की समस्या** - भेड़-बकरी पालकों में संगठन का अभाव तथा सहकारिता के आधार पर संगठित होने के प्रति उदासीनता, अज्ञानता से उनको अपने उत्पादों के विक्रय में समस्या आती है और संगठित न होने से उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता।

9.6.4 भेड़-बकरी पालन के विकास एवं समस्याओं के निराकरण के प्रयास-उपलब्धियां एवं सुझाव-

राज्य में अर्थव्यवस्था में भेड़-बकरी पालन की महती भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने उसकी समस्याओं के निराकरण हेतु कई प्रभावी कदम उठाये हैं जिनमें निम्न उल्लेखनीय हैं :

- (i) **भेड़-बकरी पालकों की गरीबी निवारण कार्यक्रम** - राज्य सरकार ने भेड़-बकरी पालकों के गरीबी निवारण हेतु कई कार्यक्रम हाथ लिये हैं। जिनमें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, सहकारिता के आधार पर संगठन, बैंकों से ऋण स्वास्थ्य, उत्पादों के उचित मूल्य दिलाना आदि।
- (ii) **भेड़-बकरियों के रोग निवारण** - इसके लिये जहां एक और चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया गया है वहां भेड़-बकरियों का टीकाकरण व संक्रामक रोगों से सुरक्षा की व्यापक सुविधाएं प्रदान की जाती है। राज्य में लगभग सभी पशु चिकित्सा एवं औषधालय, स्वास्थ्य केन्द्र भेड़-बकरियों के रोग निवारण में संलग्न है। भेड़ों को रिन्डरपेस्ट बीमारी से बचाने के लिये लगभग व 14 केन्द्र खोले गये हैं। 153 लाख भेड़ों को कृमिनाशक दवाइयां और 34 लाख भेड़ों का टीकाकरण मुख्य है।

- (iii) **उन्नत नस्ल के भेड़-बकरियों की व्यवस्था** - राज्य में भेड़-बकरियों की उन्नत नस्ल के लिये जहां बीकानेर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ एवं कोडमदेसर में अच्छी नस्ल के नर मेंढ़ों एवं बकरों से गर्भाधान की व्यवस्था की है और लगभग 70 हजार भेड़ों को विदेशी एवं संकर मेंढ़ों से गर्भित कराया गया है वहां दूसरी ओर भेड़ प्रजनन के 17 जिला केन्द्र, 142 विस्तार केन्द्र और 40 गर्भाधान केन्द्र कार्यरत हैं। इन सुविधाओं में और वृद्धि भेड़-बकरी पालकों के प्रशिक्षण पर जोर देना चाहिये।
- (iv) **चरागाहों एवं पौष्टिक आहार की व्यवस्था** - राज्य सरकार ने इन्दिरा गाँधी नहरी क्षेत्र में उन्नत चारा उत्पादन हेतु मोहनगढ़ फार्म के साथ-साथ कई जगहों पर चरागाहों की व्यवस्था की है वहां साथ-साथ पालकों को पौष्टिक आहार के लिये बैकों से अल्पकालीन ऋण और सहकारिता के माध्यम से उचित मूल्य पर पौष्टिक आहार विपणन की व्यवस्था की है। इस दिशा में और सक्रियता लाने की आवश्यकता है।
- (v) **भेड़-बकरी अनुसंधान केन्द्रों को स्थापना** - राज्य सरकार ने भेड़-बकरी अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देने के लिये भेड़ प्रजनन एवं उन अनुसंधान के आठ केन्द्र स्थापित किये हैं। नस्ल सुधार और भेड़-बकरियों के लिए उत्तम पौष्टिक आहार की पूर्ति के लिए और अधिक अनुसंधान की जरूरत है।
- (vi) **भेड़-बकरी पालकों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रदर्शनियों का आयोजन** - राज्य के भेड़-बकरी पालकों को उन्नत तकनीक और रोग नियंत्रण के उपायों, नस्ल सुधार आदि के लिये सरकार द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षण शिविर एवं प्रदर्शनियां आयोजित की जाती है। इसमें अधिक तेजी लानी चाहिए।
- (vii) **सहकारिता के आधार पर संगठित करने के प्रयास** - सरकार द्वारा पशु-पालकों को सहकारिता के आधार पर संगठित करने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। फिर भी उनमें जागरूकता का अभाव एवं उदासीनता बनी हुई है। इसके लिए सरकार को उचित प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देना चाहिये।
- (viii) **भेड़-बकरी उत्पादों के विपणन एवं उचित मूल्य की व्यवस्था** इसके अन्तर्गत भेड़-बकरी पालकों के लिये अधिकाधिक क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के गठन एवं संचालन के प्रयास जारी है इससे उन्हें ऋण, पशु आहार, दवाइयां तथा उचित मूल्य मिलना संभव हुआ है। इस दिशा में प्रगति बहुत धीमी है और अधिक प्रयास किये जाने चाहिये।
- (ix) **शिक्षा प्रसार पर जोर** - राज्य में शिक्षा प्रसार के सभी अभियान चालू हैं पर पशु-पालकों की उदासीनता है उसे दूर करना चाहिये।

9.7 सारांश (Summary)

राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशुपालन की महत्ती भूमिका है। यह रोजगार का आधार, आपदा स्रोत, डेयरी विकास का आधार, मरुक्षेत्रों के अकाल एवं सूखे भागों में बीमा सुरक्षा तथा राज्य की घरेलू उत्पत्ति का मुख्य स्रोत है। राज्य के पशुधन से प्रतिवर्ष लगभग 95 लाख टन दूध, 70 हजार टन माँस, भेड़ों से 200 लाख किलोग्राम ऊन और कई टन उत्तम खाद हड़्डियां

तथा मूल्यवान खालें-चमड़ा उपलब्ध होता है। इसके लिये उनके सामने समस्याओं को दूर करने के लिये सरकारी प्रयास महत्वपूर्ण रहे हैं। राज्य में डेयरी उद्योग का विकास संभव हुआ है। भेड़ों-बकरियों एवं अन्य पशुओं की रोकथाम के लिये राज्य में 13 पोलिक्लिनिक, 1435 पशुचिकित्सालय, 265 औषधालय एवं 1827 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। नस्लसुधार एवं अनुसंधान पर बल है फिर भी राज्य की आवश्यकताओं को देखते हुए और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

9.8 शब्दावली (Glossary)

पशुपालन	(Animal Husbandry)
भेड़-बकरी पालन	(Sheep and Goat Husbandry)
डेयरी विकास कार्यक्रम	(Dairy Development Programme)
कृत्रिम गर्भाधान	(Artificial dissemination)
अनुसंधान	(Research)
भेड़ें	(Sheep)
बकरा-बकरी	(Goats)

9.9 सन्दर्भ ग्रन्थ (References)

1. आर्थिक समीक्षा, राजस्थान 2007-08
2. Some Facts about Rajasthan 2007.
3. राजस्थान की अर्थव्यवस्था - बी.एल. ओझा
4. राजस्थान की अर्थव्यवस्था - नाथूरामका एल.एन.
5. राजस्थान का सामान्य परिचय - डा. भल्ला
6. राजस्थान-एक परिचय

9.10 अभ्यासार्थ प्रश्न (Unit-end Questions)

1. राजस्थान में पशुधन पर टिप्पणी लिखिए।
2. राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्व एवं भूमिका समझाइए।
3. राजस्थान में पशुधन विकास के सरकारी प्रयत्नों तथा विकास में प्रमुख बाधाओं का विश्लेषण कीजिए।
4. राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम की प्रगति एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए उसकी समस्याओं के समाधान के सुझाव दीजिए।
5. राजस्थान में भेड़-बकरी पालन की आवश्यकता एवं महत्व क्या है?
6. राजस्थान में भेड़-बकरी पालन के मुख्य जिले और उनके पालकों की मुख्य समस्याएं बताइये तथा सरकार द्वारा भेड़-बकरी पालन की समस्याओं के निराकरण के प्रयत्नों की समीक्षा कीजिए।
7. राजस्थान में श्वेत क्रांति पर लेख लिखिए।

इकाई - 10

मुख्य सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं (Major Irrigation and Power Projects)

इकाई की रूपरेखा

- 10.0 उद्देश्य
- 10.1 प्रस्तावना
- 10.2 राजस्थान में सिंचाई की आवश्यकता एवं महत्व
 - 10.2.1 राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन
- 10.3 राजस्थान में सिंचाई साधनों से सिंचित क्षेत्रफल
- 10.4 प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं एवं व्यय
- 10.5 पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई विकास
- 10.6 सिंचाई परियोजनाओं के विकास में बाधाएं एवं समाधान के सुझाव
- 10.7 राजस्थान में विद्युत शक्ति की आवश्यकता एवं महत्व
 - 10.7.1 राजस्थान में उर्जा के प्रमुख साधन
 - 10.7.2 राजस्थान में विद्युत विकास की प्रमुख परियोजनाएं
 - 10.7.3 पंचवर्षीय योजनाओं में उर्जा विकास पर व्यय
- 10.8 राजस्थान में उर्जा विकास की प्रगति एवं वर्तमान स्थिति
 - 10.8.1 राजस्थान में विद्युत उत्पादन, क्रय एवं वितरण की वर्तमान स्थिति
 - 10.8.2 राजस्थान में विद्युत विकास की समस्याएं एवं समाधान के सुझाव
- 10.9 सारांश
- 10.10 शब्दावली
- 10.11 सन्दर्भ ग्रन्थ
- 10.12 अभ्यासार्थ प्रश्न

10.0 उद्देश्य (Objectives)

राजस्थान में भारत के भू-भाग का लगभग 10.4 प्रतिशत क्षेत्र है और 5.5 प्रतिशत जनसंख्या किन्तु जल संसाधनों का केवल 1.04 प्रतिशत भाग ही है। यहां अनिश्चित, अनियमित एवं अपर्याप्त मानसून के कारण हर दूसरे साल में अकाल एवं सूखे की समस्या के होते हुए राजस्थान की 70 प्रतिशत कृषि आधारित जनसंख्या के आय एवं रोजगार की व्यवस्था हेतु सिंचाई की महती आवश्यकता है। राज्य के उद्योगों एवं कृषि विकास के लिए विद्युत शक्ति का अभाव खलता है ऐसी विषम परिस्थितियों में जब "जल ही जीवन है" और "विद्युत शक्ति विकास का आधार" के राज्य के समग्र विकास के लिये सिंचाई, एवं विद्युत शक्ति

विकास परियोजनाओं का विश्लेषण इस इकाई का प्रमुख उद्देश्य है। इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप :

- राज्य में सिंचाई की आवश्यकता एवं महत्व से परिचित हो सकेंगे,
- राज्य की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे; एवं
- राज्य के प्रमुख उर्जा परियोजनाओं की प्रगति एवं वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त करेंगे।

10.1 प्रस्तावना (Introduction)

राजस्थान में कृषि एवं औद्योगिक विकास के लिये सिंचाई एवं विद्युत शक्ति परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए सिंचाई के विभिन्न साधनों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। राज्य में योजनाबद्ध विकास के दौरान सिंचाई एवं विद्युत शक्ति परियोजनाओं के सरकारी प्रयासों एवं उपलब्धियों का विश्लेषण करने के साथ-साथ उनकी समस्याओं और समाधान के सुझावों का भी समावेश किया गया है। राज्य में सिंचाई एवं विद्युत शक्ति परियोजनाओं की भावी संभावनाओं पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है।

10.2 राजस्थान में सिंचाई की आवश्यकता एवं महत्व

(Need and Importance of Irrigation in Rajasthan)

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसके अन्तर्गत भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.4 प्रतिशत क्षेत्र है किन्तु जल संसाधनों का केवल 1.04 प्रतिशत भाग है अतः जल संसाधनों का अत्यन्त अभाव राज्य की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था की 70 प्रतिशत जनसंख्या के लिये आय एवं रोजगार की समस्या उत्पन्न कर देता है। मानसून की अनिश्चितता अपर्याप्तता एवं अनियमितता कृषि के विकास में अवरोध उत्पन्न करने के साथ-साथ अकाल एवं सूखे की समस्याएं सामने लाती है। राज्य के सिंचाई की महती आवश्यकता निम्न तथ्यों से उजागर होती है।

- (1) **कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था** राजस्थान की अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है राजस्थान की 70 प्रतिशत जनसंख्या आय एवं रोजगार के लिये कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है अतः सिंचाई के अभाव में कृषि आधारित जनसंख्या के जीविकोपार्जन की कल्पना मुश्किल है।
- (2) **मानसूनी वर्षा पर निर्भरता** राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी भारत की भांति मानसूनी वर्षा पर निर्भर है और मानसूनी वर्षा केवल जून से अक्टूबर तक ही रहती है, अतः वर्षा ऋतु के अलावा अन्य ऋतुओं की फसलों के लिये सिंचाई आवश्यक हो जाती है।
- (3) **मानसून की अनिश्चितता, अपर्याप्तता एवं अनियमितता** राजस्थान में भी मानसून अनिश्चित और अपर्याप्त होने तथा अनियमितता की स्थिति में कृषि फसलों को सूखने से बचाने के लिये सिंचाई जरूरी हो जाती है।
- (4) **विशेष फसलों को अधिक पानी की आवश्यकता** कुछ फसलों जैसे - धान, गन्ना, जूट, साग-सब्जियों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है।

- (5) **बहु-फसल (Multi-cropping)** कार्यक्रम की सफलता भी बहुत कुछ सिंचाई पर निर्भर है क्योंकि एक से अधिक बार फसलें पैदा करना सिंचाई के अभाव में संभव नहीं है।
- (6) **अकाल एवं सूखे से छुटकारा** सिंचाई सुविधाएं राज्य को सूखे एवं अकाल के भय से छुटकारा दिलाकर अकाल के समय में भी उत्पादन आय एवं रोजगार का अवसर प्रदान करती है।
- (7) **गहन कृषि और अधिक उत्पादकता** सिंचाई से गहन कृषि (Intensive Cultivation) का मार्ग प्रशस्त होता है और समय-समय पर सिंचाई सुविधा मिलने से कृषि उत्पादकता [Productivity) में वृद्धि और सुधार संभव होता है।
- (8) **कृषि क्षेत्र में विस्तार की संभावना बढ़ना** राजस्थान का लगभग 61 प्रतिशत भू-भाग सिंचाई के अभाव में मरुभूमि के रूप में 12 जिलों में फैला है। सिंचाई द्वारा उसे लहलहाते खेतों में परिवर्तित कर राजस्थान में कृषि क्षेत्र का विस्तार संभव है जिसे इंदिरा गाँधी नहर, नर्मदा नहर से राज्य में कृषि क्षेत्र विस्तार संभव हो रहा है।
- (9) **आय एवं रोजगार में वृद्धि** - सिंचाई साधनों के विकास से राज्य की जनता को आय और रोजगार दोनों में वृद्धि का लाभ मिलता है।
- (10) **सरकारी आय में वृद्धि** सिंचाई साधनों के विकास से जब कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। कृषि क्षेत्र का विस्तार होता है तो सरकार को कृषि उत्पादों पर करों से आय तथा कृषि भूमि विस्तार से आय प्राप्त होती है।
- (11) **आर्थिक समृद्धि एवं समुचित विकास में मदद** सिंचाई सुविधाओं की वृद्धि से उत्पादन, आय, रोजगार और उत्पादकता में वृद्धि से आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है तथा कृषि एवं उद्योगों के सन्तुलित एवं समुचित विकास में मदद मिलती है।

10.2.1 राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन (Main sources of Irrigation in Rajasthan)

राजस्थान में भूमि की संरचना, धरातल तथा पानी की उपलब्धता की भिन्नता के कारण राज्य के विभिन्न भागों में अलग-अलग सिंचाई साधनों का विकास हुआ है। राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र लगभग 78 से 85 लाख हैक्टेयर है उसमें कुएं सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। कुओं से राज्य के लगभग 30 से 35 लाख हैक्टेयर में सिंचाई होती है। सिंचाई का दूसरा प्रमुख साधन नहरें हैं जिनसे राज्य के 24 लाख से 26 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। सिंचाई का तीसरा प्रमुख साधन ट्यूब वेल (नलकूप) है जिनसे राज्य के लगभग 23 से 25 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। जबकि तालाबों से 82 से 85 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। इस प्रकार सिंचाई के इन प्रमुख साधनों से राज्य के विभिन्न जिलों में उनके महत्व और सिंचित क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :

- (1) **कुएं (Wells)** राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं हैं और कुओं से राज्य के लगभग 30 से 35 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई होती है जो राज्य के सिंचित क्षेत्र का लगभग 38.6 प्रतिशत भाग है।

कुओं से सिंचाई मुख्यतः उन क्षेत्रों में होती है जहां भौगोलिक दशाएं इसके अनुकूल हैं तथा जलस्तर ऊंचा है। यही कारण है कि राज्य के अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर एवं जयपुर जिलों में कुएं सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। जहां 1951-52 में कुओं द्वारा सिंचित क्षेत्र केवल 6 लाख हैक्टेयर था वह 2005-06 में 30.15 लाख हैक्टेयर हो गया।

- (2) **नहरें (Canals)** राजस्थान में सिंचाई का दूसरा प्रमुख साधन नहरें हैं। राज्य के लगभग 24 से 27 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में नहरों से सिंचाई होती है जो कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 30 प्रतिशत भाग है। राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रों में श्रीगंगानगर, बीकानेर, भरतपुर कोटा एवं बूँदी जिले प्रमुख हैं। जहां 1951-52 में नहरों से सिंचित क्षेत्र केवल 2.24 लाख हैक्टेयर था वह 2005-06 में बढ़कर 23.52 लाख हैक्टेयर पहुंच गया है जो लगभग 10 गुणा अधिक है।

इन्दिरा गाँधी नहर पश्चिमी रेगिस्तानी जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा उन सूखे जिलों को लहलहाते है खेतों में परिवर्तित करने का सफल प्रयास है।

- (3) **नलकूप (Tubewells)** राजस्थान में नलकूप सिंचाई का महत्वपूर्ण साधन बनते जा रहे हैं। राज्य के पश्चिमी जिलों में जहां वर्षा का औसत बहुत कम है और भूमिगत जलस्तर 30 मीटर से 150 मीटर तक गहराई पर नीचा है विद्युत सुविधा उपलब्ध है तथा नलकूप खोदना लाभप्रद है जैसे बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर आदि जिलों में नलकूपों से सिंचाई होती है। जहां 1950-51 में नलकूपों से सिंचित क्षेत्र लगभग 82 से 84 हजार हैक्टेयर था वहां 2005-06 में बढ़कर 22.8 लाख हैक्टेयर होने का अनुमान है जो सकल सिंचित क्षेत्र का लगभग 29.14 प्रतिशत है।

- (4) राजस्थान के दक्षिणी एवं दक्षिणी-पूर्वी भागों में जहां पहाड़ी क्षेत्रों में धरातल उबड़-खाबड़ है, कठोर चट्टानी भू-भाग है जिसमें पानी नहीं सोखता वहां वर्षा का पानी रोक कर तालाबों में भर जाता है इसका उपयोग सिंचाई में किया जाता है। राज्य में ऐसे लगभग 450 जलाशय हैं और उनसे सिंचित क्षेत्र वर्षा में घटत-बढ़त के साथ-साथ घटता-बढ़ता रहता है।

राजस्थान से तालाबों से सिंचाई के प्रमुख क्षेत्र भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बूँदी और पाली जिले हैं। इसके अलावा बांसवाड़ा, झुंजरपुर, अजमेर, बांरा, कोटा, टोंक, सवाई माधोपुर एवं जयपुर जिलों में भी तालाबों से सिंचाई की जाती है। राजस्थान में तालाबों से कुल सिंचित क्षेत्र में तालाबों की भूमिका निरन्तर गिरती जा रही है क्योंकि नहरों कुओं और नलकूपों से सिंचित क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। 1950-51 में तालाबों से कुल सिंचित क्षेत्र लगभग 82 हजार हैक्टेयर था वह 2005-06 में भी केवल 82.8 हजार हैक्टेयर था जो कुल सिंचित क्षेत्र का केवल 1 प्रतिशत भाग था।

(5) **अन्य स्रोत (Other Source)** राजस्थान में सिंचाई के अन्य कम महत्वपूर्ण स्रोतों में नदी-नालों में एकत्रित पानी को सिंचाई में काम लिया जाता है। रहट, ढकली अथवा मानवीय श्रम द्वारा पानी खींच कर सिंचाई की जाती है। राजस्थान में 1950-51 में अन्य स्रोतों द्वारा लगभग 17 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी वहां 2005-06 के दौरान अन्य स्रोतों से सिंचित क्षेत्र बढ़कर 89.82 हजार हैक्टेयर होने का अनुमान है। जो कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 1.15 प्रतिशत भाग है। इस प्रकार सिंचाई की दृष्टि से इस स्रोत का महत्व भी काफी कम है।

10.3 राजस्थान में सिंचाई साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल

राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल की प्रगति की झलक निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट होती है।

सारणी 10.1

राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधनों द्वारा सकल सिंचित क्षेत्रफल

(लाख हैक्टेयर में)

क्रम संख्या	विवरण	1950-51	1980-81	1999-2000	2005-06
1.	कुएं एवं नलकूप	6.84	18.74	44.84	52.93
2.	नहरें	2.24	9.41	23.19	23.52
3.	तालाब	0.82	1.12	0.81	0.83
4.	अन्य साधन	0.17	0.56	0.50	0.898
	कुल सिंचित क्षेत्रफल	10.07	29.83	69.34	78.18

स्रोत: आर्थिक समीक्षा 2001-02, 2007-08, Facts about Rajasthan etc.

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि राजस्थान में कुओं एवं नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल सर्वाधिक 52.93 लाख हैक्टेयर है जो सकल सिंचित क्षेत्रफल 78.18 लाख हैक्टेयर का लगभग 67.7 प्रतिशत भाग है इसमें कुओं द्वारा सिंचित क्षेत्रफल 30.15 लाख हैक्टेयर तथा नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल 22.78 लाख हैक्टेयर है।

नहरों द्वारा सकल सिंचित क्षेत्रफल 23.52 लाख हैक्टेयर है जो कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30.08 प्रतिशत भाग है।

तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल लगभग 83 हजार हैक्टेयर पर स्थिर है और कुल सिंचित क्षेत्रफल का केवल 1.06 प्रतिशत है। इस प्रकार अन्य स्रोतों से सिंचित क्षेत्र 1950-51 के 17 हजार हैक्टेयर से बढ़कर लगभग 90 हजार हैक्टेयर हो गया है किन्तु कुल सिंचित क्षेत्रफल में उसका भी भाग 1.15 प्रतिशत नगण्य सा है।

10.4 राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं (Main Irrigation Projects of Rajasthan)

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व कुछ राजा-महाराजाओं ने अपने स्तर पर बड़े जलाशयों का निर्माण करवाया अथवा नहरों का निर्माण करवाकर सिंचाई की व्यवस्था की। इनमें उदयपुर जिले

में जयसमन्द, गोमती नदी पर राजसमन्द बून्दी जिले में स्वरूप सागर पाली जिले में सरदार समन्द डूंगरपुर में एडवर्ड सागर, भीलवाड़ा जिले में उम्मेद सागर, चित्तौड़गढ़ जिले में भोपाल सागर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगासिंह जी ने 1927 में फिरोजपुर के हसैनीवाला स्थान पर सतलज नदी से निकाली गई गंगनहर का निर्माण करवाया। फिरोजपुर से शिवपुर तक 137 किलोमीटर लम्बी मुख्य नहर तथा राज्य में 1280 किलोमीटर लम्बी शाखाओं से 1.5 लाख भूमि में सिंचाई उपलब्ध कराता है।

भरतपुर नहर पश्चिमी यमुना से निकाली गई आगरा नहर के पास 28 किलोमीटर लम्बी है जिसमें 16 किलोमीटर उत्तरप्रदेश में है। मुख्य नहर तथा उपशाखाओं की कुल लम्बाई 64 किलोमीटर है तथा 11 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई सुविधा प्रदान करता है।

योजना बद्ध विकास के अन्तर्गत निर्मित मुख्य सिंचाई परियोजनाओं में निम्नलिखित परियोजनाएं उल्लेखनीय हैं :

(A) राजस्थान की अन्तरराज्यीय बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाएं (Inter-State Multipurpose River Velly Projects of Rajasthan) इन परियोजनाओं का निर्माण कई उद्देश्यों की पूर्ति एक साथ करने की प्रेरणा से कई राज्यों के पारस्परिक सहयोग से हुआ है। इन परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन, सिंचाई, मछली पालन, पर्यटन स्थल, बाढ़ नियंत्रण, चरागाह एवं वृक्षारोपण आदि कई उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है।

(i) भाखड़ा नांगल परियोजना : पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्य की यह संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। इसके लिए सतलज नदी पर होशियारपुर जिले के भाखड़ा नामक गांव के समीप 222 मीटर उँचा बांध और दो बड़े विद्युत गृह, नांगल पर 25.5 मीटर उँचा बांध तथा दो विद्युत गृह के साथ 46 किलोमीटर नांगल हाइड्रल चैनल 1104 किलोमीटर लम्बी मुख्य नहर तथा 3360 किलोमीटर लम्बी शाखा नहरों का निर्माण शामिल है। इस पर कुल व्यय 238 करोड़ रुपये में राजस्थान का हिस्सा 22 करोड़ रुपये रहा है।

भाखड़ा नांगल परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता 14.6 लाख हैक्टेयर में राजस्थान का हिस्सा 2.3 लाख हैक्टेयर है जिससे श्री गंगानगर जिले में सिंचाई सुविधा का विस्तार हुआ है और राज्य के बीकानेर, श्री गंगानगर, चूरू, झुन्झुनु, सीकर आदि जिलों में विद्युत उपलब्ध हुआ है।

(ii) व्यास परियोजना व पोंग बांध - पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों की यह संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना सतलज, रावी एवं व्यास नदियों के जल संसाधनों का उपयोग करने के लिए दो चरणों में निर्मित की गई है। प्रथम चरण में लैंक व्यास सतलज पंजाब राज्य के पन्डोह के समीप भाखड़ा नांगल बांध के ऊपर एक बांध दो 12-12 किलोमीटर लम्बी सुरंगों, हाइड्रल चैनल, 165-165 मेगावाट क्षमता के बार विद्युत गृह और दो विद्युत "हॉ" की गुंजाइश शामिल है। द्वितीय चरण में 133 मीटर उँचा बांध

व्यास नदी पर पोंग बांध के नाम से बनाया गया है जिस पर 24 लाख किलोवाट क्षमता का एक विद्युत गृह और विद्युत गृहों की गुंजाइश है। राजस्थान को इस परियोजना से 150 मेगावाट विद्युत प्राप्त तथा इन्दिरा गांधी नहर को स्थाई रूप से जल आपूर्ति की व्यवस्था है।

(iii) चम्बल परियोजना - यह बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना मध्यप्रदेश तथा राजस्थान सरकार की 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी की परियोजना है इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य विद्युत उत्पादन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, मछली पालन, पौधारोपण, भूमि कटाव रोक तथा पेयजल व्यवस्था आदि है। यह चम्बल नदी के विशाल जल संसाधन को विनाश से विकास की ओर मोड़ने का एक संयुक्त प्रयास है जिसे तीन चरणों में पूरा किया गया है।

प्रथम चरण (First stage) प्रथम चरण के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के तत्कालीन मन्दसौर जिले के रामपुरा-मानपुरा पठारों के बीच चम्बल नदी पर गांधी सागर बांध, 23-23 मेगावाट क्षमता के पांच विद्युत गृह कोटा सिंचाई बांध तथा उसकी दांयी-बांयी दो नहरों का निर्माण शामिल है। इससे दोनों राज्यों को लगभग 5-6 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई तथा 115 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता उपलब्ध हुई है।

द्वितीय चरण (Second stage) द्वितीय चरण में चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा नामक स्थान पर 42 मीटर उँचा एवं 1100 मीटर तथा राणाप्रताप सागर बांध चम्बल नदी पर बनाया गया है जिस पर 43-43 मेगावाट क्षमता के चार विद्युत गृह तथा चम्बल बांध के विद्युत गृहों के पानी की निकासी हेतु भूमिगत सुरंग का निर्माण शामिल है।

तृतीय चरण (Third stage) इस परियोजना के तृतीय चरण में कोटा जिले के बोराबास नामक स्थान पर कोटा बैराज से व 8 किलोमीटर ऊपर चम्बल नदी पर 45 मीटर उँचा एवं 440 मीटर लम्बा जवाहर सागर बांध तथा 33-33 मेगावाट क्षमता के तीन विद्युत गृहों का निर्माण शामिल है। कुल विद्युत क्षमता 99 मेगावाट है।

तीन चरणों में पूरी इस परियोजना पर कुल व 30 करोड़ रुपये व्यय को मध्यप्रदेश तथा राजस्थान सरकारों ने बराबर अर्थात् 65-65 करोड़ रुपये वहन किये हैं। इस परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 3.86 लाख किलोवाट तथा सिंचाई क्षमता 5.6 लाख हैक्टेयर है। राजस्थान के बून्दी एवं कोटा जिलों को सिंचाई का लाभ मिल रहा है।

इसके अतिरिक्त चम्बल के राणा प्रताप सागर बांध पर रावतभाटा में राजस्थान अणुशक्ति परियोजना (RAPP) से चार इकाइयों से कुल 940 मेगावाट विद्युत क्षमता की सुविधा मिली है।

चम्बल परियोजना के तहत ही इक्कीस जलोत्थान सिंचाई परियोजनाओं पर लगभग 40 करोड़ रुपये व्यय से 38 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल कमाण्ड एरिया में सिंचित होने का अनुमान है।

(iv) माही बजाज सागर परियोजना - राजस्थान एवं गुजरात सरकार की यह संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है इस पर क्रमशः 45.55 प्रतिशत व्यय वहन की व्यवस्था है।

इस परियोजना पर प्रारम्भ में 397 करोड़ रुपये व्यय का अनुमान था पर अब संशोधित अनुमान 1265 करोड़ रुपये है जिसमें से दिसम्बर 2007 तक 880 करोड़ रुपये व्यय किया जा चुका है। परियोजना के अन्तर्गत (i) बांसवाड़ा से लगभग 16 किलोमीटर दूरी पर बोरखेड़ा गांव के समीप माही नदी पर बांध का निर्माण (ii) लीलावती पर 45-45 मेगावाट विद्युत क्षमता के दो विद्युत गृह (iii) हेमपुरा गांव के समीप 25-25 मेगावाट क्षमता के दो विद्युत गृह तथा (iv) 104 किलोमीटर लम्बी नहरों का निर्माण शामिल है। मार्च 2007 तक 880 करोड़ रुपये व्यय कर 83.6 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। सम्पूर्ण कार्य पूरा होने पर 104 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन क्षमता तथा 89 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

(B) राजस्थान की वृहद सिंचाई परियोजनाएं (Major Irrigation Projects of Rajasthan)

वृहद सिंचाई परियोजनाओं से अभिप्राय उन परियोजनाओं से है जिनमें कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र (Culturable command Area) 10 हजार हैक्टेयर से अधिक होता है। राजस्थान की वृहद सिंचाई परियोजनाओं में निम्नलिखित 7 परियोजनाएं प्रमुख हैं -

- (1) **इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (Indira Gandhi Canal Project)** - पश्चिमी राजस्थान के बहुत बड़े रेगिस्तानी भूभाग को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराकर लहलहाते खेतों में परिवर्तित करने तथा वहां के निवासियों एवं पशुओं को पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विश्व की सबसे बड़ी इस नहर प्रणाली के प्रमुख निर्माण कार्यों में (i) राजस्थान फीडर (ii) राजस्थान मुख्य नहर (iii) नहर की 9 शाखाओं एवं 21 उपशाखाओं का निर्माण (iv) लिफ्ट नहरों तथा (v) लघु विद्युत गृहों का निर्माण शामिल किया गया है।
 - (i) **राजस्थान फीडर (Rajasthan Feeder)** 204 किलोमीटर लम्बी यह नहर पंजाब में व्यास और सतलज नदियों के संगम पर बने हरिके बांध से इन्दिरा गांधी नहर को पानी की आपूर्ति के लिए बनाई गई है। इसका काम प्रथम चरण में पूरा हो गया है।
 - (ii) **राजस्थान मुख्य नहर (Rajasthan Main Canal)** राजस्थान फीडर से जुड़ी यह मुख्य नहर 445 किलोमीटर लम्बी है इसका निर्माण कार्य 1986 में पूरा हो चुका है।
 - (iii) **9 शाखाओं, 21 उप शाखाओं तथा कई वितरक नहरों** की कुल प्रस्तावित लम्बाई 9413 किलोमीटर के विरुद्ध 8081 किलोमीटर शाखाओं एवं वितरक नहरों का कार्य पूरा हो चुका है।
 - (iv) **सात लिफ्ट नहरें (Seven Lift Canals)** इन्दिरा गांधी नहर का पानी ऊँचे एवं सुदूर भू-भागों में पहुंचाने के लिए सात लिफ्ट नहरे क्रमशः कंवरसेन लिफ्ट नहर, गजनेर लिफ्ट नहर, पोकरण लिफ्ट नहर, बांगड़सर लिफ्ट नहर तथा कोलायत लिफ्ट नहर शामिल है।

(v) **लघु विद्युत गृह** - आधुनिक तकनीक पर आधारित 13-13 मेगावाट क्षमता के दो लघु विद्युत गृह अनूपगढ़ एवं सूरतगढ़ शाखाओं पर बनाये जाने की योजना है।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का परिचय - इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर दिसम्बर 2007 तक कुल मिलाकर 3166.18 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं जिसमें प्रथम चरण में 444.03 करोड़ रुपये तथा दूसरे चरण में 2722.15 करोड़ रुपये व्यय हुआ है।

इन्दिरा गांधी परियोजना के संभावित लाभ

इस परियोजना का उद्देश्य रावी एवं व्यास नदियों के लगभग 76 लाख एकड़ फुट पानी का उपयोग राजस्थान के श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, हनुमानगढ़ एवं चूरू आदि रेगिस्तानी जिलों की लगभग 19.63 लाख हैक्टेयर भूमि को प्रतिवर्ष सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना तथा उन जिलों की अभावग्रस्त जनता एवं पशुओं के पानी की व्यवस्था करना है। दिसम्बर 2007 तक 16.1 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कंवरसेन लिफ्ट नहर से बीकानेर शहर तथा 99 गांवों को पेयजल, गंधली-साहेबा लिफ्ट योजना से चूरू जिले के 175 गांवों, मुख्य नहर वाया जोधपुर लिफ्ट नहर से जोधपुर शहर और जैसलमेर को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

परियोजना के पूर्ण होने पर पश्चिमी राजस्थान के आठ जिलों के लगभग 1.8 करोड़ निवासियों उद्योगों एवं विद्युत उत्पादन केन्द्रों को पानी उपलब्ध होगा। सिंचाई सुविधा के कारण राजस्थान में प्रतिवर्ष 2000 से 3000 करोड़ रुपये मूल्य का अतिरिक्त कृषि उत्पादन, 19.63 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई, कमाण्ड एरिया विकास से रोजगार में वृद्धि, सरकार को आय तथा सीमा सुरक्षा एवं औद्योगीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा।

(2) **बीसलपुर परियोजना** - टोंक जिले के टोडारायसिंह कस्बे से लगभग 13 किलोमीटर दूर गांव बीसलपुर के पास बनास नदी पर बांध का कार्य 1986-87 में शुरू हुआ इस परियोजना का उद्देश्य 6 बड़े शहरों जयपुर, अजमेर, ब्यावर, टोंक तथा केकड़ी के साथ-साथ रास्ते में आने वाले कस्बों गांवों को पेयजल उपलब्ध कराना तथा टोंक जिले की 81.8 हजार हैक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई करना है। परियोजना की संशोधित लागत मार्च 2000 की कीमतों पर 657.91 करोड़ रुपये अनुमानित है जिसमें से मार्च 2008 के अन्त तक लगभग 686 करोड़ रुपये व्यय कर 81.8 हजार हैक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता विकसित की जा चुकी है। विस्थापितों के पुनर्वास हेतु कुल 111 कालोनियों का विकास लक्ष्य के मुकाबले 100 कालोनियां पूर्ण रूप से विकसित की जा चुकी है और शेष 11 का कार्य जुलाई 2008 तक पूरा होने की आशा है।

(3) **नर्मदा परियोजना** - राजस्थान तथा गुजरात राज्य की इस संयुक्त वृहद योजना के अन्तर्गत नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण तथा उससे नहरों के द्वारा दोनों राज्यों में सिंचाई की व्यवस्था करना है। इसकी कुल अनुमानित लागत 548 करोड़ रुपये है। इस परियोजना से राजस्थान के जालौर जिले के 76 गांवों के लगभग

74 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लक्ष्य पूरा होगा। 2007-08 में राजस्थान में नहरों में पानी आ चुका है।

- (4) **सिद्धमुख परियोजना** - इस वृहद परियोजना में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के 1981 के समझौते के अनुसार रावी-व्यास नदियों के अतिरिक्त पानी (surplus water) के उपयोग हेतु नांगल हेड वर्क्स से नहरों द्वारा लाया गया पानी श्रीगंगानगर जिले की भादरा एवं नोहर तहसीलों, चूरु जिले की सादुलपुर एवं तारानगर तहसीलों के लगभग 337 हजार हैक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इसकी अनुमानित लागत व 103 करोड़ रहने की संभावना है। इसमें यूरोपीय आर्थिक समुदाय का आर्थिक सहयोग रहा है।
- (5) **नोहर परियोजना** - यह वृहद परियोजना भी रावी-व्यास नदियों के अतिरिक्त पानी का उपयोग करने हेतु यूरोपीय आर्थिक सहयोग के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही है। इस पर 40.6 करोड़ रुपये व्यय से श्रीगंगानगर जिले की नोहर तहसील के लगभग 13663 हैक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई क्षमता का अनुमान है।
- (6) **जाखम परियोजना** - इस वृहद परियोजना के अन्तर्गत नये प्रतापगढ़ जिले के अन्नूपपुरा गांव के समीप जाखम नदी पर 5 हजार क्यूबिक फीट जल संग्रह क्षमता का बांध बनाया गया है और मुख्य बांध के 13 किलोमीटर आगे पिकअप बांध से दो मुख्य नहरें हैं। दायी नहर 23.8 किलोमीटर तथा बायीं नहर 39.9 किलोमीटर है। इस परियोजना पर 60.25 करोड़ रुपये व्यय कर उदयपुर जिले की धरियावद तहसील के 104 गांवों तथा प्रतापगढ़ तहसील के तीन गांवों की लगभग 23.5 हजार हैक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी।
- (7) **गुडगांव नहर एवं औखला जलाशय** - ये दोनों एक ही परियोजना के दो अंग हैं। गुडगांव नहर से भरतपुर जिले की लगभग 28.2 हजार हैक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है।

(C) राजस्थान को मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ (Medium Projects of Rajasthan)

मध्यम सिंचाई परियोजना से आशय उस परियोजना से है जिसमें कृषि कमाण्ड क्षेत्र (Culturable Command Area) 2 हजार से 10 हजार हैक्टेयर के बीच होता है। इस दृष्टि से राजस्थान में मुख्य मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

सारणी 10.2

राजस्थान की मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ

परियोजना	नदी जिस पर बांध निर्माण	जिला	सिंचाई क्षमता लाख हैक्टेयर	लाभान्वित जिले
जवाई बाँध	जवाई	पाली	41	पाली, जालोर
मेजा बाँध	कोठारी	भीलवाड़ा	10	भीलवाड़ा
पांचना बाँध	पाँच नदियों का संगम	सवाई माधोपुर	10	सवाई माधोपुर
सोम कमला बाँध	सोम-कमला नदी संगम	डुंगरपुर	14	डुंगरपुर
मोरेल बाँध	मोरेल	सवाई माधोपुर	8.6	सवाई माधोपुर, दौसा

सोम-कागदर बाँध	सोम-कागदर संगम	उदयपुर	6.84	उदयपुर
बिलास बाँध	बिलास	कोटा	2.5	कोटा

(D) राजस्थान की लघु सिंचाई परियोजनाएं (Minor Irrigation Projects of Rajasthan)

लघु सिंचाई परियोजनाओं से अभिप्राय उन परियोजनाओं से है जिनका कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र (Culturable Command Area) 2 हजार हैक्टेयर से कम है। राज्य में ऐसी कई छोटी-छोटी परियोजनाओं को पूरा कर सिंचाई का लाभ लिया जा रहा है तथा 56 लघु सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

10.5 पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सिंचाई विकास (Development of Irrigation during Plans)

राजस्थान में सिंचाई साधनों की महत्ती आवश्यकता एवं उनके नितान्त अभाव को देखते हुए राज्य सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई साधनों के विकास पर काफी व्यय किया है। प्रथम योजना में सिंचाई विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई तथा बाद के छठी योजना तक सिंचाई विकास पर कुल सार्वजनिक व्यय का 26 प्रतिशत से अधिक भाग खर्च किया गया। उसके बाद यद्यपि कुल व्यय बढ़ा है किन्तु राज्य के कुल सार्वजनिक व्यय का भाग निरन्तर घटता हुआ 22 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत तक आ गया है जैसा सारणी 10.3 से स्पष्ट है -

सारणी 10.3

राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर सार्वजनिक क्षेत्र का व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

योजना	सार्वजनिक क्षेत्र का कुल व्यय	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर व्यय	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण व्यय का भाग (प्रतिशत में)
प्रथम	54.15	31.31	57.8
द्वितीय	102.74	27.86	27.2
तृतीय	212.70	87.88	41.3
तीन वार्षिक योजनाएं 1966-69	136.8	46.6	34.1
चतुर्थ	308.79	105.26	34.09
पंचम	857.62	271.17	31.6
छठी	2120.25	547.08	25.8
सातवीं	3106.18	690.51	22.23
आठवीं	11998.97	1836.19	15.3
नवम	19566.82	2259.65	11.55
दसवीं	33735.14	3774.71	11.19
ग्यारहवीं (प्रस्तावित)	71731.98	7302.06	10.18

स्रोत : आर्थिक समीक्षा 2007-08, सारणी 11

योजनाबद्ध विकास के 1951-52 से 2006-07 तक के पिछले 56 वर्षों में राजस्थान में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर सार्वजनिक क्षेत्र में कुल 10144 करोड़ रुपये व्यय किया जा चुका है। उसके परिणामस्वरूप सकल सिंचित क्षेत्रफल 11.7 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 2006-07 में 78.2 लाख हैक्टेयर पहुंच गया है जो 1950-51 के मुकाबले 6.5 गुणा है। योजना काल में सिंचित क्षेत्रफल में 66.5 लाख हैक्टेयर की वृद्धि सराहनीय है जैसा सारणी 10.4 से स्पष्ट है -

सारणी 10.4
राजस्थान में सकल सिंचित क्षेत्रफल में प्रगति
(लाख हैक्टेयर में)

वर्ष	सकल सिंचित क्षेत्रफल	सकल सिंचित क्षेत्रफल कुल कृषिगत क्षेत्रफल का भाग (प्रतिशत में)
1950-51	11.7	12
1960-61	20.8	14.9
1970-71	24.5	14.7
1980-81	37.5	21.6
1990-91	46.5	24.0
1999-2000	69.34	35.8
2006-07	78.18	36.0

स्रोत : Agricultural Statistics of Rajasthan, आर्थिक समीक्षा राजस्थान सरकार 2007-08 एवं अन्य

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि यद्यपि राजस्थान में सकल सिंचित क्षेत्रफल 11.7 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 78.2 लाख हैक्टेयर हो गया है फिर भी सकल सिंचित क्षेत्रफल कुल कृषिगत क्षेत्रफल का केवल 36 प्रतिशत भाग ही है अब भी कृषिगत क्षेत्रफल का लगभग 64 प्रतिशत भाग मानसूनी वर्षा पर ही आश्रित है।

सिंचाई क्षमता में विस्तार करने के लिए वर्ष 1988-89 में केन्द्र समर्थित परियोजना "मिलियन वेल स्कीम" (Million Well Scheme-MWS) राजस्थान में भी लागू की गई। प्रारम्भ में यह 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना' (NREP) की एक सहायक परियोजना के रूप में प्रारम्भ की गई बाद में जब "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना" (NREP) एवं "ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना" (RLEGP) को मिलाकर अप्रैल, 1989 में 'जवाहर रोजगार योजना' (JRY) प्रारम्भ की गई तब भी "मिलियन बैल स्कीम" जे.आर.वाई. की सहायक परियोजना के रूप में दिसम्बर, 1995 तक चलती रही। MWS एक अलग योजना के रूप में 1 जनवरी, 1999 से प्रारम्भ की गई व 1999 तक चली। इस योजना का प्रचलित नाम "जीवन-धारा" योजना था। इस परियोजना में अन्य लघु सिंचाई परियोजनाओं को भी सम्मिलित किया गया। 1999 में "स्वर्ण जयन्ति ग्राम स्वरोजगार योजना" (SGSY) प्रारम्भ होने के बाद

“जीवन-धारा” योजना बन्द हो गई। सुजाता सिंह द्वारा वर्ष 2000 में किए गए एक सर्वेक्षण में यह तथ्य सामने आया कि जीवनधारा योजना में खोदे गए 74 प्रतिशत कुएं पूरे किये गए जबकि 10.76 प्रतिशत पर काम चालू था एवं 15.17 प्रतिशत कुएं फैल हो गए। कुएं पूरे होने का अभिप्राय सफलता से नहीं है बाद में कई कुएं सूख गए। 1988-89 से 1998-99 तक कुल 77398 कुओं के लक्ष्य के मुकाबले 57539 कुएं पूरे हुए। यह योजना कुओं में पानी की कमी के कारण असफल रही व कई किसान कर्ज के बोझ में दब गए।

10.6 सिंचाई विकास की बाधाएं एवं समाधान के सुझाव

(Problems of Irrigation Development and suggestions for their solution)

यद्यपि योजनाबद्ध विकास के दौरान सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर लगभग 10144 करोड़ रुपये व्यय कर सकल सिंचित क्षेत्रफल को 11.7 लाख हैक्टेयर से बढ़ाकर 78.2 लाख हैक्टेयर कर दिया है फिर भी कुल कृषित क्षेत्रफल का केवल 36 प्रतिशत ही सिंचित हो पाया है और 64 प्रतिशत अभी भी वर्षा पर निर्भर है अतः अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है किन्तु उसमें कई समस्याएं/बाधाएं हैं उन्हें दूर करने की आवश्यकता है।

- (1) **वित्तीय साधनों की कठिनाई** - राज्य सरकार के वित्तीय साधन सीमित हैं और सिंचाई योजनाओं की लागत में निरन्तर वृद्धि हो रही है इसके लिए दोनों में तालमेल बैठाने की समस्या है।

इस समस्या का समाधान राज्य को अधिक साधन जुटाने, विदेशी सहयोग लेने तथा केन्द्र से अधिक सहायता का सहारा लेना चाहिए।

- (2) **सिंचाई परियोजनाओं की बढ़ती लागत** - देश में बढ़ती मुद्रा स्फीति के कारण सिंचाई परियोजनाओं की लागत निरन्तर बढ़ती जा रही है जिससे पूरा करने में अनावश्यक विलम्ब हो जाता है।

इसके लिए सरकार को सीमेन्ट, लोहा और बढ़ती मजदूरी पर प्रभावी नियंत्रण करना चाहिए।

- (3) **जल के कुशल प्रबन्धन की समस्या** - जल संसाधनों की सीमितता और सिंचाई एवं पेयजल के लिए बढ़ती आवश्यकता के मद्देनजर जल संसाधनों के दुरुपयोग एवं फिजूल खर्च पर नियंत्रण हेतु कुशल जल प्रबन्धन की आवश्यकता है।

- (4) **सिंचाई क्षमता के पूरे-पूरे उपयोग की समस्या** - सिंचाई परियोजनाओं की सिंचित क्षमता का वित्तीय साधनों, वितरक नहरों अथवा जल-विवाद आदि समस्याओं से पूरा-पूरा उपयोग नहीं हो पाता अतः सरकार को इस समस्या के समाधान पर पूरा-पूरा ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

- (5) **जलाधिक्य की समस्या** - कई सिंचाई परियोजनाओं से पानी का रिसाव होता रहता है अथवा कृषक खेतों में नहरों से अत्यधिक जल प्रवाहित कर देते हैं जिससे भूमि क्षारयुक्त, उर्वरा शक्ति में कमी तथा फसलें खराब होने की समस्या आती है। इस

समस्या का समाधान जल के उपयोग में सावधानी तथा जलाधिक्य की उचित निकासी व्यवस्था में निहित है।

- (6) **अन्तरराज्यीय विवाद-** कई बार जल के बंटवारे पर विभिन्न राज्य सरकारों के बीच विवाद उत्पन्न होते रहते हैं जैसे रावी-व्यास के पानी बंटवारे में पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के बीच विवाद बड़ी समस्या बना है। ऐसे विवाद राज्य के पड़ोसी राज्यों से फिर उठ सकते हैं।

अतः राष्ट्रहित में ऐसे विवादों का निपटारा शीघ्रता एवं बिना राजनैतिक दबाव के किया जाना चाहिए

- (7) **पर्यावरण सुरक्षा की समस्या -** जिस राज्य में पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूकता नहीं है सिंचाई बाँधों नहरों आदि के निर्माण में जन आन्दोलनों की समस्या आती है। अतः पर्यावरण संरक्षण और सिंचाई साधनों के विकास में जनसहयोग व विकास कार्यो एवं पर्यावरण सुरक्षा में सामन्जस्य बैठाने का प्रयास करना चाहिए।

- (8) **भ्रष्टाचार. लालफीता शाही एवं राजनैतिक पक्षपात** भी सिंचाई परियोजनाओं के विकास में विलम्ब और लागत में वृद्धि को जन्म देते हैं अतः बिना राजनैतिक पक्षपात के भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण और लालफीता शाही पर रोक लगाना चाहिए।

- (9) **अनावश्यक विलम्ब -** कभी-कभी साधनों के अभाव, अन्तरराज्यीय जल विवाद, राजनैतिक पक्षपात आदि के कारण कई बार परियोजनाओं के पूरा करने में अनावश्यक विलम्ब हो जाता है जैसे राज्य की इन्दिरा गांधी नहर के निर्माण में काफी विलम्ब हुआ है। अतः समयबद्ध निर्माण पर जोर होना चाहिए।

10.7 राजस्थान में विद्युत-शक्ति की आवश्यकता एवं महत्व

(Need and Significance of Power in Rajasthan)

यंत्रीकरण के इस आधुनिक युग में विद्युत शक्ति एक अनिवार्य आवश्यकता है। यह आर्थिक विकास एवं औद्योगिकरण का प्रमुख आधार है। जीवन स्तर में सुधार और रोजगार सृजन की शक्ति है। इस परिप्रेक्ष्य में अन्य देशों की भांति राजस्थान में भी विद्युत शक्ति की आवश्यकता एवं महत्व निम्न तथ्यों से उजागर होती है -

- (i) आधारभूत संरचना विकास में विद्युत शक्ति का सर्वोच्च स्थान है क्योंकि इसके अभाव में तीव्र विकास की कल्पना निरर्थक है।
- (ii) औद्योगिकरण का आधार - उद्योगों का संचालन विद्युत शक्ति के अभाव में असंभव है क्योंकि मशीनों का संचालन विद्युत शक्ति के बिना संभव नहीं है। राजस्थान में औद्योगिकरण में विद्युत शक्ति का अभाव सबसे बड़ी बाधा है।
- (iii) कृषि विकास के लिए भी सिंचाई के लिए ट्यूबवेल तथा कुओं से पानी खींचने अथवा लिफ्ट सिंचाई विद्युत शक्ति आवश्यक है।
- (iv) परिवहन एवं संचार साधनों का विकास भी विद्युत शक्ति के बिना अधूरा है। विद्युत संचालित वाहनों की कल्पना विद्युत शक्ति से साकार होती है।

- (v) रोजगार - विद्युत शक्ति से अर्थव्यवस्था का विकास रोजगार वृद्धि में सहायक है तथा विद्युत उत्पादन वितरण प्रसारण में भी कई लोगों को रोजगार मिलता है।
- (vi) सरकारी आय का स्रोत - विद्युत शक्ति से जहां एक ओर सरकार को प्रत्यक्ष रूप में आय प्राप्त होती है वहां दूसरी ओर उद्योग कृषि एवं परिवहन साधनों के विकास से उन पर लगाये करों से आय प्राप्त होती है।
- (vii) जीवन स्तर में सुधार - विद्युत शक्ति विकास के कारण देश के आर्थिक विकास में तेजी लोगों की आय और उपभोग में वृद्धि कर लोगों के जीवन स्तर में सुधार आता है।

10.7.1 राजस्थान में ऊर्जा के साधन

भारत की भांति राजस्थान में भी शक्ति के साधनों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :

- (A) परम्परागत ऊर्जा स्रोत (Conventional Energy Sources) इसके अन्तर्गत कोयला गैस तथा खनिज तेल से उत्पन्न (i) थर्मल पावर (Thermal Power) (ii) जल विद्युत (Hydro-electric Power) (iii) अणु शक्ति (Nuclear Power) का समावेश होता है।
- (B) गैर-परम्परागत स्रोत (Non-Conventional Sources) इसके अन्तर्गत लकड़ी, गोबर, बायोगैस पवन ऊर्जा (Wind Power) सौर-ऊर्जा (Solar Energy) तथा निर्धूम चूल्हा आदि का समावेश होता है। पुनः सृजित किये जा सकने के कारण इन्हें नवीनीकरण योग्य ऊर्जा स्रोत (Renewable Sources of Energy) भी कहा जाता है।

10.7.2 राजस्थान में विद्युत विकास की प्रमुख परियोजनाएं

(Main Power Projects of Rajasthan)

वर्तमान राजस्थान की निर्माण प्रक्रिया के प्रारम्भ होने से पहले 1950-51 में राजस्थान में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता केवल 8 मेगावाट थी और राज्य की केवल 42 बस्तियां ही विद्युतीकृत थीं। योजनाबद्ध विकास के लिए विद्युत शक्ति की बढ़ती मांग को देखते हुए राज्य में विद्युत विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई और विद्युत विकास की कई परियोजनाएं प्रारम्भ की गईं जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-

अध्ययन की दृष्टि से इन परियोजनाओं को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है -

(A) साझेदारी हिस्सा परियोजनाएं - इसके अन्तर्गत उन परियोजनाओं को सम्मिलित किया जाता है जो राजस्थान को अपने हिस्से की विद्युत क्षमता प्रदान करती हैं। ये परियोजनाएं इस प्रकार हैं-

- (1) भाखड़ा नांगल परियोजना - इस बहुउद्देशीय नदी-घाटी परियोजना में उत्पादित विद्युत क्षमता में राजस्थान को पूर्व निर्धारित प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होता है।

- (2) व्यास नदी परियोजना की दो विद्युत इकाईयां - देहर तथा पोंग से भी राजस्थान को अपना हिस्सा प्राप्त होता है।
- (3) मध्यप्रदेश में चम्बल नदी पर गांधी सागर जल विद्युत परियोजना से उत्पादित विद्युत क्षमता को हिस्सा राजस्थान को मिलता है।
- (4) मध्यप्रदेश के सतपुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट से प्राप्त विद्युत शक्ति का हिस्सा भी मित्रता है।

इन चारों साझेदारी वाली परियोजनाओं एवं स्वयं की परियोजनाओं से राजस्थान की दिसम्बर 2007 तक अधिष्ठापित क्षमता 4000 मेगावाट थी जिसमें जल विद्युत क्षमता लगभग 1012 मेगावाट, तापीय विद्युत क्षमता 2545 मेगावाट तथा गैस विद्युत क्षमता 4435 मेगावाट थी।

(B) राज्य को आवंटित क्षमता (Alloted Capacity) वाली परियोजनाएं - इसके अन्तर्गत वे परियोजनाएं शामिल हैं जिनसे राजस्थान को अन्य राज्यों में स्थापित विद्युत परियोजनाओं से आवंटित क्षमता प्राप्त होती है :

- (1) सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट - उत्तरप्रदेश की इस विद्युत परियोजना की अधिष्ठापित क्षमता 2050 मेगावाट में से राजस्थान को 15 प्रतिशत आवंटित क्षमता है।
- (2) रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट - राष्ट्रीय थर्मल पावर निगम की उत्तरप्रदेश स्थित इस परियोजना की कुल 100 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता में राजस्थान की आवंटित क्षमता 9.5 प्रतिशत है।
- (3) नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना - उत्तरप्रदेश की नरोरा विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 470 मेगावाट है उसमें राजस्थान को आवंटित क्षमता 9.6 प्रतिशत है।
- (4) औरैया गैस विद्युत परियोजना - उत्तरप्रदेश में स्थित इस परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 652 मेगावाट में से राजस्थान को आवंटित क्षमता 9.2 प्रतिशत है।
- (5) अन्ता गैस पावर परियोजना - राजस्थान के कोटा जिले के अन्ता कस्बे में राष्ट्रीय थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा संचालित इस परियोजना की उत्पादन क्षमता 415 मेगावाट में राजस्थान को आवंटित क्षमता 19.8 प्रतिशत है।
- (6) राजस्थान अणुशक्ति परियोजना (RAPP) - राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में रावतभाटा नामक स्थान पर कनाडा सरकार के सहयोग से स्थापित इस परियोजना की 200-200 मेगावाट की दो प्रारम्भिक इकाइयों तथा 220-220 मेगावाट की दो बाद में स्थापित इकाइयों के कारण कुल उत्पादन क्षमता 840 मेगावाट है जिसमें राजस्थान का हिस्सा 100 प्रतिशत आवंटित है।

दिसम्बर 2007 तक राजस्थान को उपरोक्त परियोजनाओं में आवंटित विद्युत क्षमता 1813.18 मेगावाट थी जिसमें थर्मल विद्युत क्षमता 657.58 मेगावाट, जल विद्युत क्षमता

465.5 मेगावाट, गैस विद्युत क्षमता 221.10 मेगावाट तथा परमाणु विद्युत क्षमता 469 मेगावाट है।

(C) राजस्थान सरकार के स्वयं के स्वामित्व वाली विद्युत परियोजनाएं

इस श्रेणी में राज्य सरकार के स्वयं के स्वामित्व वाली विद्युत परियोजनाओं का समावेश है और ये परियोजनाएं इस प्रकार हैं :-

- (1) कोटा थर्मल पावर स्टेशन (KTPS) राजस्थान के कोटा में स्थापित इस परियोजना के तीन चरणों में 6 इकाइयों की कुल विद्युत क्षमता 1045 मेगावाट है जिसमें प्रथम चरण में दो इकाइयां 110-110 मेगावाट विद्युत क्षमता की 1983 में चालू हुईं दूसरे चरण की दो इकाइयों की विद्युत उत्पादन क्षमता $2 \times 210 = 420$ मेगावाट 1988 और 1989 में चालू तीसरे चरण की दो इकाइयां पहली 210 मेगावाट 1994 में चालू और दूसरी इकाई 195 मेगावाट क्षमता की है।
- (2) चम्बल परियोजना में राणा प्रताप सागर के चार विद्युत गृहों की उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट तथा जवाहर सागर के तीन विद्युत गृहों की उत्पादन क्षमता 99 मेगावाट है। इस प्रकार दोनों की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 271 मेगावाट है।
- (3) माही जल विद्युत परियोजना - राज्य के बांसवाड़ा जिले में इस परियोजना के अन्तर्गत 45-45 मेगावाट की दो इकाइयां तथा 25-25 मेगावाट की दो इकाइयां इस प्रकार चारों इकाइयों की विद्युत उत्पादन क्षमता 140 मेगावाट है।
- (4) सूरतगढ़ थर्मल पावर परियोजना - इसकी पांच इकाइयों की विद्युत उत्पादन क्षमता का लाभ राजस्थान को मिल रहा है और छठी इकाई निर्माणाधीन है।
- (5) 10 मिनी जल विद्युत परियोजनाएं - राज्य की विभिन्न नहरों पर निर्मित की गई हैं और इनमें विस्तार किया जा रहा है।
- (6) निर्माणाधीन परियोजनाएं - राज्य में विद्युत आपूर्ति बढ़ाने हेतु निम्न मुख्य विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं -
 - (i) धौलपुर गैस प्रोजेक्ट - चरण I
 - (ii) गिरल लिग्नाइट प्रोजेक्ट-चरण II
 - (iii) छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट-चरण III
 - (iv) कोटा थर्मल पावर यूनिट VII
 - (v) सूरतगढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट VI
- (7) मथानियां में सौर मिश्रित चक्रीय विद्युत गृह परियोजना - जोधपुर जिले के मथानियां गांव के पास विश्व बैंक, जर्मनी, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के संयुक्त सहयोग से लगभग 950 करोड़ रुपये की लागत को इस परियोजना से 140 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है। यह मन्द गति से चल रहा है।
- (8) पवन ऊर्जा की दो परियोजनाएं क्रमशः जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ जिलों में प्रयोगात्मक दौर में कार्यरत है।

10.7.3 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान ऊर्जा विकास पर व्यय

(Expenditure on Energy Development during Plans)

राजस्थान सरकार ने राज्य में विद्युत विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान काफी धन व्यय किया है जो सारणी 10.5 से स्पष्ट है -

सारणी 10.5

राजस्थान में ऊर्जा विकास परिव्यय

योजना	विद्युत विकास पर व्यय (राशि करोड़ रुपये में)	सार्वजनिक क्षेत्र में कुल व्यय का भाग
प्रथम योजना	1.24	2.3 %
द्वितीय योजना	15.15	14.7 %
तृतीय योजना	39.36	18.5 %
वार्षिक योजनाएं 1966-69	46.82	34.24 %
चतुर्थ योजना	93.98	30.4 %
पांचवी योजना	248.97	29 %
छठी योजना	566.14	26.6 %
सातवी योजना	921.77	29.7 %
वार्षिक योजनाएं 1979-80, 1990-92	722.24	29.5 %
आठवी योजना	3253.90	27.12 %
नौवी योजना	5258.06	26.52 %
दसवी योजना	10461.41	31.01 %
ग्यारहवी योजना (प्रस्तावित)	25006.75	35.7 %

स्रोत : आर्थिक समीक्षा 2007-11, सारणी 11

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि राजस्थान में योजनाबद्ध विकास के पिछले 57 वर्षों में ऊर्जा विकास पर लगभग 27150 करोड़ रुपये 1951-52 से 2007-08 तक व्यय किया जा चुका है और ग्यारहवी योजना में 25606.75 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान है।

10.8 राजस्थान में ऊर्जा विकास की प्रगति एवं वर्तमान स्थिति

(Progress and present position of Energy

Development in Rajasthan)

राजस्थान में ऊर्जा विकास की महती आवश्यकता को मद्देनजर विद्युत विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। जिससे योजना काल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं। जहां 1950-51 में राज्य में विद्युत उत्पादन क्षमता केवल 8 मेगावाट थी और केवल 42 बस्तियां विद्युतीकृत थी वहां 2006-07 के अन्त तक विद्युत उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता

6089.43 मेगावाट तथा दिसम्बर 2007 तक 6335.33 मेगावाट पहुंच गई है। विद्युतीकृत बस्तियों की संख्या भी बढ़कर 36041 तथा लगभग 7.7 लाख कुओं को ऊर्जीकृत किया जा चुका है। राज्य में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम (RREC) के द्वारा 2007 तक 490.5 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता तथा पांच बायोमास संयंत्रों से 46.3 मेगावाट क्षमता स्थापित की जा चुकी है। इसे सारणी 10.6 में विद्युत विकास की प्रगति स्पष्ट है।

सारणी 10.6

योजनाओं के दौरान विद्युत विकास

विवरण	1950-51	1973-74	1984-85	1990-91	2007-08
1. विद्युत उत्पादन क्षमता (मेगावाट)	8	432	1751	2720	6335
2. विद्युतीकृत बस्तियां	42	5935	20271	27063	36041

स्रोत : आर्थिक समीक्षा - राजस्थान सरकार 2007-08 एवं अन्य दिसम्बर 2007 तक

10.8.1 राजस्थान में विद्युत उत्पादन, क्रय एवं वितरण की वर्तमान स्थिति

राजस्थान में 2007 के अन्त तक विद्युत उत्पादन क्षमता 6335.33 मेगावाट हो गई है और प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 324 यूनिट पहुंचने का अनुमान है। राज्य में विद्युतीकृत बस्तियों की संख्या 36041 तथा ऊर्जीकृत कुओं की संख्या लगभग 7.7 लाख पहुंच गई है।

राजस्थान में राज्य विद्युत मण्डल को पाँच राज्य विद्युत निगमों में बदल दिया गया है और उत्पादन, प्रसारण हेतु एक-एक तथा वितरण हेतु 3 कम्पनियाँ कार्यरत हैं :

1. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
2. राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
3. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
4. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
5. जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

राजस्थान में विद्युत उत्पादन, क्रय एवं खपत की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है -

सारणी 10.7

विद्युत उत्पादन क्रय एवं खपत

(करोड़ यूनिट में)

क्र. संख्या	विवरण	2006-07	2007-08
1.	शुद्ध उत्पादन	306.83	285.16
2.	क्रय	2938.65	2371.61
3.	कुल उत्पादन	3245.5	2656.8
4.	कुल खपत	3068.05	2499.35

स्रोत : आर्थिक समीक्षा राजस्थान सरकार 2007-08

राज्य में कुल 70.34 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को लगभग 3068 करोड़ यूनिट विद्युत उपलब्ध कराया जा रहा है।

10.8.2 राजस्थान में विद्युत विकास की समस्याएं तथा समाधान के सुझाव

(Problems of Power Development in Rajasthan and suggestions for solution)

राजस्थान में विद्युत विकास को यद्यपि सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है किन्तु उसके विकास में कई वित्तीय राजनैतिक एवं प्राकृतिक बाधाएं हैं जिनको दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

- (1) वित्तीय साधनों की समस्या : राज्य के सीमित वित्तीय साधन तथा विद्युत परियोजनाओं के लिये भारी वित्तीय साधनों की आवश्यकता एक बड़ी समस्या है। इसके लिए विदेशी निवेशों को प्रोत्साहन, केन्द्रीय सहायता तथा निजी सहभागिता को आकर्षित किया जाना चाहिए। भारतीय योजना आयोग द्वारा 90,000 करोड़ रुपये का विद्युत फण्ड स्थापित करने का प्रस्ताव स्वागत योग्य है।
- (2) विद्युत परियोजनाओं की बढ़ती लागत - देश में मुद्रा स्फीति के बढ़ते दबाव के कारण विद्युत परियोजनाओं की लागत निरन्तर बढ़ती जा रही है और ऊँची लागतों के कारण उपलब्ध सीमित साधनों से विद्युत परियोजनाओं में अनावश्यक विलम्ब की समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिये सरकार द्वारा मुद्रा स्फीति पर प्रभावी नियंत्रण किया जाना चाहिए।
- (3) विद्युत परियोजनाओं में विलम्ब की समस्या - विद्युत परियोजनाओं के लिए भारी मात्रा में वित्तीय साधनों की आवश्यकता तथा वित्तीय साधनों की सीमितता, साथ ही बढ़ती लागतों से समस्या और विकट होने से विद्युत योजनाओं में अनावश्यक विलम्ब हो जाता है। इसके लिये सरकार को समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्याप्त साधन जुटाकर परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का प्रयास करना चाहिए।
- (4) राजनैतिक हस्तक्षेप एवं विवादों की समस्या - विद्युत परियोजनाओं के स्थान चयन उत्पादन क्षमता तथा परस्पर विवादों में राजनैतिक हस्तक्षेप समस्या बन जाता है। क्षेत्रीय विषमताएं और जनआक्रोश की भी समस्या आती है। इसके लिए विद्युत परियोजनाओं में तकनीकी विशेषज्ञों और राजनेताओं में परस्पर सहयोग होना चाहिए।
- (5) भ्रष्टाचार की समस्या - अन्य परियोजनाओं की भांति विद्युत परियोजनाओं के निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार निरन्तर बढ़ता जा रहा है उससे न केवल निर्माण की गुणवत्ता प्रभावित होती है वरन सीमित साधनों का बड़ा हिस्सा रिश्वत में बंटने से परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं होती और लागत बढ़ती है। इसके लिए भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण एवं निगरानी आवश्यक है।
- (6) झगड़े, मारपीट एवं प्रदर्शनों की समस्या - विद्युत उत्पादन तप होने अथवा नियमित विद्युत आपूर्ति न होने पर लोगों में आक्रोश बढ़ता है, प्रशासन से झगड़े एवं मारपीट की समस्या होती है। अतः जनसहयोग तथा परस्पर वार्ता से समस्या को सुलझाया जाना चाहिए।

(7) कम वर्षा प्राकृतिक आपदा आदि की समस्या भी रहती है उसका कुशल प्रबन्धन जरूरी है।

10.9 सारांश (Summary)

राजस्थान में योजनाबद्ध विकास के दौरान सिंचाई एवं विद्युत की महती आवश्यकता के मद्देनजर काफी धन व्यय कर सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं को पूरा किया गया है। इसके परिणामस्वरूप राजस्थान में सकल सिंचित क्षेत्रफल 11.7 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 78.18 लाख हैक्टेयर हो गया है। इसी प्रकार विद्युत की उत्पादन क्षमता 1950-51 के 8 मेगावाट से बढ़ाकर 2007-08 के दिसम्बर 2007 तक 6335.33 मेगावाट कर दी है। राज्य में विद्युतीकृत बस्तियों की संख्या भी 42 से बढ़कर 36041 हो गई है। सिंचाई परियोजनाओं में चम्बल, इन्दिरा गांधी नहर, माही परियोजना, नर्मदा परियोजना, बिसलपुर परियोजना जैसी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं या कार्य प्रगति पर है। राज्य में विद्युत क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाएं - भाखड़ा नांगल, चम्बल परियोजना, माही परियोजना, कोटा में थर्मल पावर की इकाइयां रावतभाटा में अणुशक्ति परियोजना आदि के अलावा छबड़ा थर्मल और अन्ता में गैस परियोजनाएं सूरतगढ़ में लिग्नाईट थर्मल पावर की इकाइयां विद्युत विकास की महत्वपूर्ण कड़ियां हैं। इन सबके बावजूद राज्य में 64 प्रतिशत कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है। राज्य विद्युत आपूर्ति के लिये दूसरे राज्यों पर निर्भर रहता है। विद्युत शक्ति का अभाव खलता है। अतः ग्यारहवीं योजना में आत्म निर्भरता की ओर अग्रसर होने का प्रयास सराहनीय है।

10.10 शब्दावली (Glossary)

ऊर्जा	Energy
परियोजना	Project
बहु फसल	Multiple cropping
कुएँ	Wells
नलकूप	Tubewells
तालाब	Tanks
नहरें	Canals
जलाधिक्य	Water logging
सौर ऊर्जा	Solar Energy
पवन ऊर्जा	Wind Energy
बाधाएं	Hurdels
समस्याएं	Problems
समाधान	Solution

10.11 सन्दर्भ ग्रन्थ (References)

1. Government of Rajasthan, Five Year Plans

2. बी.एल. ओझा, राजस्थान की अर्थव्यवस्था
 3. राजस्थान सरकार, आर्थिक समस्या - 2007-08
 4. Some facts about Rajasthan
 5. डा. भल्ला, राजस्थान का सामान्य ज्ञान
 6. नाधूरामका एल.एन., राजस्थान की अर्थ व्यवस्था
 7. Basic Statistics of Rajasthan, DSER.JP
-

10.12 अभ्यासार्थ प्रश्न (Unit-end Questions)

1. राजस्थान में सिंचाई की आवश्यकता एवं महत्व बताते हुए सिंचाई को मुख्य परियोजनाओं का विवेचन कीजिए।
2. योजनाबद्ध विकास के दौरान राजस्थान में सिंचाई विकास की विवेचना कीजिए तथा उसकी मुख्य बाधाओं को दूर करने के सुझाव दीजिए।
3. राजस्थान की सिंचाई के प्रमुख साधनों का विवरण देते हुए योजनाओं के दौरान उनकी प्रगति पर प्रकाश डालिए।
4. राजस्थान में विद्युत शक्ति का क्या महत्व है और विद्युत शक्ति विकास की प्रमुख परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं?
5. राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं में विद्युत विकास की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
6. राजस्थान में विद्युत विकास के प्रमुख परियोजनाओं की विवेचना कीजिए।

औद्योगिक विकास : औद्योगिक निर्यात
(Industrial Development: Industrial Exports)

इकाई की रूपरेखा

- 11.0 उद्देश्य
- 11.1 प्रस्तावना
- 11.2 औद्योगिक विकास की विशेषताएं
 - 11.2.1 राज के घरेलू उत्पाद में औद्योगिक आय का अंशदान व
 - 11.2.2 कुल रोजगार में उद्योगों का हिस्सा
 - 11.2.3 औद्योगिक क्षेत्र में वस्तु संरचना
- 11.3 राजस्थान के प्रमुख उद्योग
 - 11.3.1 सूती वस्त्र उद्योग
 - 11.3.2 चीनी उद्योग
 - 11.3.3 सीमेंट उद्योग
 - 11.3.4 कांच उद्योग
 - 11.3.5 ऊन उद्योग
 - 11.3.6 नमक उद्योग
 - 11.3.7 रासायनिक उद्योग
 - 11.3.8 इंजिनियरिंग उद्योग
 - 11.3.9 ग्वार गम उद्योग
 - 11.3.10 वनस्पति घी व तेल उद्योग
- 11.4 औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण
- 11.5 राजस्थान की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का महत्व
- 11.6 राज्य की औद्योगिक नीति
- 11.7 1998 की औद्योगिक नीति की मुख्य विशेषताएं
- 11.8 सारांश
- 11.9 शब्दावली
- 11.10 सन्दर्भ ग्रन्थ
- 11.11 अभ्यासार्थ प्रश्न

11.0 उद्देश्य (Objectives)

क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है लेकिन औद्योगिक विकास में इसकी गणना पिछड़े राज्यों में की जाती है। औद्योगिकरण आज के युग का मूलभूत

आधार है। सभी देश औद्योगिकरण की ओर अग्रसर हो रहे हैं क्योंकि औद्योगिक विकास राष्ट्रीय प्रगति की सम्पन्नता का आधार ही नहीं बल्कि उसे आर्थिक विकास का मापदण्ड भी माना जाता है। औद्योगिक विकास द्वारा भारत में उपलब्ध श्रम संसाधनों का पूर्णतया उपयोग करके राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय को बढ़ा सकता है। आर्थिक विकास से परम्परागत अर्थव्यवस्था में व्याप्त अवरोधों को समाप्त करके राष्ट्र की आर्थिक व सामाजिक प्रगति को नई दिशा दी जाती है। औद्योगिक विकास राष्ट्र के विकास में व्यापक भूमिका का निर्माण करता है और व्यापक रूप से औद्योगिकरण आर्थिक प्रगति व उँचे जीवन स्तर की पूँजी है। औद्योगिकरण पूँजी के गहन व व्यापक उपयोग द्वारा एक ऐसी श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया उत्पन्न करता है जो प्रति इकाई उत्पादन में अधिक पूँजी के उपभोग के कारण प्रति श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि होती है, और इसके कारण प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के कारण बचत करने की क्षमता में वृद्धि होती है जो पूँजी निर्माण को प्रोत्साहित करती है और इससे वापिस औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है।

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप समझ सकेंगे कि

- राज्य के औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं एवं राज्य की आय में इसका कितना योगदान है?
- राजस्थान के प्रमुख उद्योगों की क्या स्थिति है? एवं,
- राज्य सरकार की उद्योगों को बढ़ावा देने के संबंध में क्या नीति है?

11.1 प्रस्तावना (Introduction)

इस इकाई में राजस्थान के औद्योगिक विकास का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके विकास की समस्याएं एवं औद्योगिक नीति का भी विवेचन किया गया है। प्रस्तुत इकाई के खण्ड 11.2 में राज्य के औद्योगिक विकास की विशेषताओं पर चर्चा की गई है। इसी प्रकार खण्ड 11.3 में राज्य के प्रमुख बड़े उद्योगों का वर्णन किया गया है। खण्ड 11.4 में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण दिए गये हैं। खण्ड 11.5 में औद्योगिक विकास के महत्व पर चर्चा की गयी है और खण्ड 11.6 में राज्य की औद्योगिक नीति का विवेचन किया गया है। 11.7 में औद्योगिक नीति की विशेषताएं दी गयी हैं तथा 11.8 में सारांश दिया गया है। अंत में शब्दावली, सन्दर्भ ग्रन्थ की सूची एवं अभ्यासार्थ प्रश्न दिये गये हैं।

11.2 औद्योगिक विकास की विशेषताएं

(Characteristics of Industrial Development)

11.2.1 राज्य के घरेलू उत्पाद में औद्योगिक आय का अंशदान

आजकल औद्योगिक क्षेत्र को व्यापक अर्थ में द्वितीयक क्षेत्र के बराबर माना जाने लगा है। इसमें खनन, विनिर्माण तथा विद्युत, गैस और जलापूर्ति के साथ-साथ कमी-कभी निर्माण कार्यों को भी इसमें शामिल किया जाता है। राज्य के औद्योगिक उत्पादन में पंजीकृत, विनिर्माण

क्षेत्र का अंशदान तो निरन्तर बढ़ रहा है लेकिन गैर पंजीकृत क्षेत्र के विनिर्माण के अंशदान में गिरावट झलक रही है।

सारणी 11.1

1980 से 2004-05 तक राज्य की शुद्ध धरेला उत्पत्ति में योगदान (1993-94 के मूल्यों पर)
(प्रतिशत में)

क्र.सं.	विवरण	198081	199091	200001	200405
(i)	खनन व पत्थर निकालना	1.25	1.24	2.13	2.30
(ii)	विनिर्माण	11.04	11.04	10.74	10.68
	(अ) पंजीकृत	3.65	5.77	5.92	5.87
	(ब) गैर पंजीकृत	7.39	5.27	4.82	4.80
(iii)	विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति	0.76	1.44	3.05	2.49
	कुल	13.05	13.72	15.92	15.47

इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा राजस्थान की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति में वर्ष 1980-81 में 13.1 प्रतिशत था और 1990-91 में मामूली बढ़ोतरी हुई वर्ष 2004-05 में यह अंशदान बढ़कर 15.5 प्रतिशत हो गया। यह अंशदान भारतीय स्तर पर 2004-05 में लगभग 25 प्रतिशत रहा। इस प्रकार राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन का अंशदान राजस्थान की सकल घरेलू उत्पत्ति में काफी कम रहा। सारणी संख्या 11.1 से स्पष्ट झलक रहा है कि पंजीकृत विनिर्माण इकाइयों के अंशदान में वृद्धि हो रही है और गैर पंजीकृत में कमी हो रही है।

11.2.2 कुल रोजगार में उद्योगों का हिस्सा

राज्य की विकास नीति में निर्धनता उन्मूलन व श्रम के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए रोजगार के अवसर को बढ़ाना एक प्रमुख तत्व रहा है। निजी क्षेत्र में 1990 से पहले रोजगार नहीं बढ़ रहा लेकिन उदारीकरण के बाद इसमें वृद्धि हो रही है। भारत की तुलना में राजस्थान में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में कुल रोजगार कम है।

सारणी 11.2

सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में रोजगार

(लाख संख्या में)

वर्ष	राजस्थान			अखिल भारत		
	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग
1984	7.66	1.90	9.56	168.69	73.75	242.14
1985	7.90	1.93	9.83	172.09	73.09	245.78
1999	10.18	2.58	12.76	194.15	86.98	281.13
2000	9.94	2.52	12.46	193.14	86.46	279.60
2001	9.55	2.47	12.02	191.38	86.52	277.84
2002	9.48	2.48	11.96	187.73	84.32	272.89
2003	9.34	2.44	11.78	185.80	84.21	270.06
2004	9.28	2.45	11.73	181.97	82.46	264.43

2005	9.45	2.52	11.97	-	-	-
2006	9.52	2.65	12.17	-	-	-
2007up to June (07)	9.52	2.69	12.21	-	-	-

11.2.3 औद्योगिक क्षेत्र में वस्तु संरचना

आधारभूत वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं तथा उपभोक्ता वस्तुएं वाले उद्योगों में राजस्थान में रोजगार पाने वाले व्यक्तियों व इन उद्योगों द्वारा जोड़े गए मूल्यों में भी काफी परिवर्तन हो रहा है आधारभूत वस्तुओं व मध्यवर्ती वस्तुओं का अंशदान बढ़ा है, पूँजीगत वस्तुओं व उपभोक्ता वस्तुओं दोनों में यह कम हुआ है।

सारणी 11.3

राज्य में फैक्ट्री क्षेत्र में विभिन्न औद्योगिक श्रेणी का योगदान

क्र.सं.	उद्योगों की श्रेणी	रोजगार में अंश (प्रतिशत में)		जोड़े गए मूल्य में अंश (प्रतिशत में)	
		1970	1980-81	1970	1980-81
1.	आधारभूत उद्योग	30.0	34.6	39.0	51.4
2.	पूँजीगत उद्योग	21.5	14.3	18.8	15.5
3.	मध्यवर्ती उद्योग	5.4	15.6	2.8	9.0
4.	उपभोक्ता उद्योग	43.1	35.5	39.4	24.1
	कुल	100.0	100.0	100.0	100.0

उद्योगों का उपयोग के आधार पर वर्गीकरण

इस प्रकार राजस्थान में सभी प्रकार के उद्योग उपयोग आधारित इकाइयों द्वारा मापे जाते हैं राजस्थान में उद्योगों के उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार राज्य के सभी उद्योगों को निम्न बार श्रेणियों में रखा जा सकता है।

1. आधारभूत उद्योग
2. मध्यवर्ती वस्तुओं के उद्योग
3. पूँजीगत वस्तुओं के उद्योग
4. उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग

इनका वर्गीकरण का आगे संक्षिप्त में वर्णन दिया गया है।

1. आधारभूत उद्योग

राजस्थान में इस श्रेणी में सीमेन्ट, रासायनिक, लोहा-इस्पात व कीटनाशक, ताम्बा, पीतल, एल्यूमिनियम, जस्ता अन्य अलौह धातुएं व नमक उद्योग आदि चल रहे हैं।

- **सीमेन्ट उद्योग** राजस्थान में सीमेन्ट के कई बड़े कारखाने लगे हुए हैं सीमेन्ट के कारखाने सवाईमाधोपुर, लाखेरी, चित्तोडगढ़, उदयपुर, निम्बाहेड़ा, ब्यावर, कोटा, गोटन (नागौर) खारिया-खंगार (जोधपुर) में चल रहे हैं। राज्य में कई मिनी सीमेन्ट प्लांट लगाये गये थे लेकिन वर्तमान में इसमें से अधिकांश बन्द हो गये हैं।
- **रासायनिक उद्योग** रासायनिक उद्योगों में राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, डीडवाना, जो सोडियम सल्फेट व सोडियम सल्फाइड का उत्पादन करते हैं। कोटा का श्रीराम उद्योग

सल्फेट व फर्टिलाइज्ड फास्फेट, बून्दी एल्केलाइज्ड एम्प्लाइज एण्ड केमिकल लिमिटेड अलवर में चल रहे हैं। डीडवाना, सांभर में नमक का उत्पादन होता है। धौलपुर का कारखाना राजस्थान एवं एक्सप्लोजिब्स केमिकल लिमिटेड विस्फोटक बनाता है। उदयपुर में जस्ता गलाने का संयम देबारी लेदान्ता तथा खेतड़ी में ताम्बा गलाने का संयन्त्र लगा हुआ है। झूंगरपुर में माडा की पाल पर फ्लोसपार बेनिफिशियन प्लांट लगा हुआ है जो फ्लोसपार बनाता है जो इस्पात बनाने के काम आता है।

2. पूँजीगत वस्तुओं के उद्योग

इस श्रेणी में औद्योगिक मशीनरी, विद्युत कम्प्यूटर, रेफ्रिजरेटर, एयर कण्डिशनर व रोगन आदि बनाने के कारखाने आते हैं। इस वर्ग में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (अजमेर), इन्स्ट्रुमेन्टेशन (कोटा) नेशनल इंजिनियरिंग इण्डस्ट्री (जयपुर) सिमको फैक्ट्री (भरतपुर) तथा अशोक लिमिटेड (अलवर) में कारखाने चल रहे हैं।

3. मध्यवर्ती वस्तुओं के उद्योग

इस श्रेणी में कॉटन जिनिंग क्लीजिंग, ब्लीचिंग, सूती वस्त्रों की छपाई व रंगाई, ब्लीचिंग तथा उन की सफाई व चमड़े की रंगाई व तैयारी, टायर ट्यूब, पेण्ट व वार्निश आदि आते हैं इसके अलावा पानी व बिजली के मीटर जयपुर में बनाये जाते हैं तथा कांकरोली (उदयपुर) में ऑटोमोबाइल टायर ट्यूब जे.के. का कारखाना चल रहा है।

4. उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग

राज्य के कई उद्योग सूती व सिन्थेटिक वस्त्र बनाते हैं। चीनी, गुड़, वनस्पति घी व वनस्पति तेल, साबुन, साईकिल के पुर्जे, जूते, स्कूटर, मोपेड, उनी माल, बीड़ी आदि उपभोक्ता वस्तुओं को बनाते हैं।

साधनों के आधार पर वर्गीकरण

उद्योगों को साधनों के आधार भी विभाजित किया जाता है इनको निम्न चार भागों में बांटा गया है।

1. **कृषि आधारित व फूड प्रोसेसिंग उद्योग** इस वर्ग में कृषि आधारित उद्योगों में खाद्य पदार्थ, दूध, मांस पदार्थ शामिल किये जाते हैं लेकिन संकीर्ण अर्थों में इस वर्ग में कच्चे पदार्थ के माल भी शामिल किया जाते हैं जैसे सूती वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग, तिलहनपर आधारित वनस्पति घी व तेल, साबुन उद्योग, गुड़, खांडसारी, चीनी उद्योग, कॉटन जिनिंग, प्रोसेसिंग फैक्ट्रियाँ, बेकरी, कॉन्वेन्सरी उद्योग आदि। इस प्रकार के उद्योगों में पाली की मेहन्दी व बांसवाड़ा का आम पापड़, बीकानेर का पापड़ भुजिया, नागौर की मैथी, पुष्कर के गुलाब के फूल आदि शामिल किये जाते हैं।
2. **वन आधारित उद्योग** इस श्रेणी में गोन्द, रबड़, राल, फर्नीचर, लकड़ी के हस्तशिल्प सामान शामिल किये जाते हैं।
3. **पशु आधारित उद्योग** इसमें उन, दूध से बने पदार्थ, चमड़ा, खालें, हड्डियां व मांस आदि से सम्बन्धित कारखाने शामिल किये जाते हैं।

4. **खनिज पदार्थ आधारित उद्योग** इसमें इस्पात, मशीनरी, परिवहन का सामान, धातु से बनी वस्तुएं जैसे इस्पात का बना फर्नीचर, मोटर साइकिल आदि शामिल किये जाते हैं। इसके अलावा ताम्बा, जस्ता आदि को भी इसमें शामिल किया जाता है।

सारणी 11.4

राजस्थान में साधन आधारित उद्योगों की संख्या का परिवर्तन

क्र.सं.	उद्योगों की श्रेणी	1989-90 में इकाइयों की संख्या	कुल का प्रतिशत	1997-98 में इकाइयों की संख्या	कुल का प्रतिशत
1.	साधन आधारित उद्योग	1276	39.4	1575	35.6
	(i) कृषि व पशुधन आधारित	61	1.9	96	2.2
	(ii) वन आधारित	347	10.7	618	13.9
	(iii) खनिज आधारित	612	18.9	930	21.0
2.	उपभोक्ता माल के उद्योग	216	6.7	305	6.9
3.	उत्पादक माल के उद्योग	443	13.7	525	11.8
4.	सामान्य इंजिनियरिंग उद्योग	82	2.5	149	3.4
5.	रासायन उद्योग	55	1.7	43	1.0
6.	छपाई व प्रकाशन उद्योग	129	4.0	173	3.9
7.	विद्युत व रोशनी पावर गैस	14	0.4	15	0.3
8.	वाटर वर्क्स	3235	100.0	4429	100.0

सारणी 11.5

प्रमुख उद्योगों का उत्पादन

क्र.सं.	वस्तु का नाम	इकाई लाख टन	1971	2004	2005
1.	सीमेंट	लाख टन	14.0	90.0	93.0
2.	यूरिया	लाख टन	2.6	3.60	4.02
3.	सुपरफास्फेट	लाख टन	0.45	1.60	0.88
4.	बालबियरिंग	लाख टन	73.0	3.24	3.86

बोध प्रश्न -01

1. औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहते हैं। (सही/गलत)
2. औद्योगिक क्षेत्र में कौन-कौन से क्षेत्र आते हैं?
3. भारत की तुलना में राजस्थान में निजी क्षेत्र में रोजगार कम है अथवा अधिक।
4. औद्योगिक क्षेत्र का वस्तु आधारित वर्गीकरण में कौन-कौनसी श्रेणियां बनाई गई हैं?

5. औद्योगिक क्षेत्र को साधन आधारित वर्गीकरण में कौन-कौनसी श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

11.3 राजस्थान के प्रमुख उद्योग (Major Industries in Rajasthan)

11.3.1 सूती वस्त्र उद्योग

राजस्थान में ब्यावर शहर में पहली सूती वस्त्र मिल सन् 1889 में दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना सेठ दामोदर व्यास ने की। सन् 1906 में यहीं पर आदित्य मिल की स्थापना हुई। सन् 1938 में भीलवाड़ा में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल तथा 1942 में पाली में महाराजा उम्मेद मिल्स लिमिटेड की स्थापना हुई। 1946 में गंगानगर में सार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड की स्थापना हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन् 1955 में ब्यावर में महालक्ष्मी लिमिटेड सन् 1956 में कोटा टेक्सटाइल, 1980 में राजस्थान स्पिनिंग व विविंग मिल्स भीलवाड़ा, सन् 1961 में कोटा मिल तथा 1968 में राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी की स्थापना हुई। सन् 1956 में राजस्थान में 11 सूती वस्त्र मिलें थी जो वर्तमान में बढ़कर 41 हो गयी है।

गुलाबपुरा, गंगानगर, हनुमानगढ़ में स्थापित सहकारी कताई मिल तथा गुलाबपुरा की जिनिंग मिल्स को 1 अप्रैल 1993 को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी तथा जिनिंग मिल्स लिमिटेड (स्केनफिड) स्थापित किया गया। राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने कृष्णा मिल्स तथा एडवर्ड मिल को रूग्ण होने पर अपने अधिकार में ले लिया।

राजस्थान में अधिकांशतः नई सूती वस्त्र मिलें राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग लिमिटेड की सहायता से चलायी जा रही है। राजस्थान में यह मिलें न तो कुशलतापूर्वक चल रही हैं और न ही इनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है जिससे यह मिलें अन्य राज्यों की सूती वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं।

महाराजा उम्मेद मिल्स पाली, राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। आदित्य मिल किशनगढ़ दत्त पूंजी की दृष्टि से द्वितीय व आधुनिकतम है। जयपुर की स्पिनिंग मिल्स तृतीय स्थान पर आती है परन्तु कृष्णा मिल्स ब्यावर में सबसे ज्यादा कार्यशील कारीगर है। मेवाड़ मिल्स भीलवाड़ा रूई की खपत की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आती है।

सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान में सबसे बड़े उद्योग के रूप में पनप रहा है लेकिन इसके समक्ष भी कुछ कठिनाइयां आ रही हैं जिसे हल करना आवश्यक है। इस उद्योग के सामने मुख्य समस्याएं कच्चे माल की आपूर्ति, उत्पादन शक्ति कम होना अधिकांश श्रमिक अप्रशिक्षित होना, शक्ति के साधनों की आवश्यकता तथा अनार्थिक इकाइयां व शुष्क जलवायु के अलावा वित्तीय संसाधन व अनुसंधान कर्ताओं की कमी आदि हैं।

11.3.2 चीनी उद्योग

चीनी का प्रथम कारखाना राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में भोपाल सागर शहर में द मेवाड़ शुगर मिल्स की स्थापना सन् 1932 में की गयी। दूसरी चीनी मिल गंगानगर में दी गंगानगर शुगर मिल के नाम से 1937 में प्रारम्भ की गयी जिसे 1 जुलाई 1956 को सार्वजनिक क्षेत्र में ले लिया गया। तीसरी चीनी मिल सहकारी क्षेत्र में स्थापित की गयी। यह मिल बून्दी जिले के केशवराय पाटन में सन् 1965 में स्थापित की गयी। गन्ना इस उद्योग का कच्चा माल है। इसके अलावा ईंधन, चूने का पत्थर और सल्फर की आवश्यकता होती है। राज्य में वर्ष 2001 में 4733 टन चीनी का उत्पादन हुआ जबकि वर्ष 1978 में चीनी का उत्पादन लगभग 41 हजार टन, 1993 में 26 हजार टन एवं वर्ष 2000 में यह 12 हजार टन था।

समस्याएं

1. गन्नें का मूल्य एवं उसका उत्पादन गन्नें की पैदावार अधिक होती है तो इसका मूल्य कम हो जाता है और गन्नें का उत्पादन कम होता है तो इसका मूल्य अधिक हो जाता है इससे चीनी मालिकों को घाटा उठाना पड़ता है। हर वर्ष गन्नें का मूल्य समान नहीं रहता है।
2. चीनी के उत्पादन के लिए सहकारी मूल्य नहीं है तथा इसके लिए कोई सुनिश्चित एवं तर्क संगत नीति भी नहीं है
3. इसके उपयोग से निकलने वाली खोई का उचित उपयोग नहीं होता है तथा इसकी खोई को बेकार फैकना पड़ता है।

11.3.3 सीमेंट उद्योग

राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट का कारखाना 1915 में बून्दी के लाखेरी कस्बे में कलिंग कलेक्शन कम्पनी द्वारा स्थापित किया गया है। इसके उत्पादन में कच्चा माल, चूना पत्थर, जिप्सम व सीमेंट योग्य लाइमस्टोन राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है इसलिए राजस्थान में इसके अधिक से अधिक कारखाने लग रहे हैं और भारत में राजस्थान का सीमेंट में अग्रणी स्थान है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़, सिरोही जैसलमेर, बून्दी, नागौर, झुंझुनू सीकर व अजमेर में इसके कच्चे माल की अच्छी उपलब्धता के कारण राजस्थान के अधिकांश सीमेंट के कारखाने इन्हीं जिलों में स्थित हैं। भारत राज्य का सीमेंट उत्पादन में तीसरा स्थान है। पहला स्थान मध्यप्रदेश व दूसरा स्थान आन्ध्रप्रदेश का है। वर्ष 2001 में सीमेंट का उत्पादन 7936009 टन का उत्पादन किया गया जो 2002 में बढ़कर 8145 हजार टन व 2003 में 8447 हजार टन हो गया। वर्तमान में राज्य की क्षमता लगभग 110 लाख टन प्रतिवर्ष उत्पादन की हो गई है।

सारणी 116

राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन

वर्ष	उत्पादन (लाख टन)
1993	48.1

2001	79.3
2002	81.4
2003	84.4

पूँजी की अधिक आवश्यकता, कम लाभ, कम उत्पादकता तथा सरकार की समुचित नीति का अभाव इस उद्योग की मुख्य समस्याएं हैं। राजस्थान में सीमेन्ट उद्योग के लिए कोयला बाहर से मंगवाना पड़ता है। भारत में सीमेन्ट की मांग बढ़ रही है इसे पूरा करने के लिए मिनी सीमेन्ट कारखाने स्थापित किए गए हैं किन्तु वे बड़ी इकाइयों के सामने टिक नहीं पाते हैं। राज्य में बिजली की कमी भी उद्योग के विकास में बाधक है।

11.3.4 कांच उद्योग

भारत में कांच उद्योग के लिए कच्चा माल बालू, मिट्टी, बालू पत्थर, कार्बोनेट सल्फेट, चूने का पत्थर आदि राजस्थान में जयपुर, धौलपुर, बून्दी आदि में उपलब्ध है। कांच बनाने के अधिकांश कारखाने जयपुर, कोटा, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर व धौलपुर में स्थित हैं।

सिलिका उत्पादन में भी हरियाणा के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान आता है। सिलिका की अच्छी किस्म का परिशोधन संयंत्र लगाकर इसकी किस्म को सुधारा जा सकता है।

11.3.5 ऊन उद्योग

राजस्थान में ऊन का उत्पादन सर्वाधिक होता है। भारत में ऊन के कुल उत्पादन का राजस्थान में लगभग 48 प्रतिशत होता है परन्तु यहां की ऊन का रेशा मोटा एवं खुरदरा होता है इसकी अच्छी किस्म नहीं होती है। राज्य के शुष्क व अर्द्ध शुष्क जिलों में ऊन का उत्पादन अधिक होता है। ऊन के उत्पादन के लिए राज्य में बीकानेर व जोधपुर में कारखाने स्थापित किये गए हैं। इसके अलावा कोटा, नवलगढ़, चुरू व लाडनू में ऊनी वस्त्रों व धागे बनाने के कारखाने लगे हुए हैं। यहां की ऊन के नमदे, दरियां आदि बनती हैं। हाथों से बनाए ऊनी कोट का कपड़ा काफी मजबूत होता है।

अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर गलीचे की ट्रेनिंग देने के लिए बीकानेर में एक केन्द्र स्थापित किया गया है। यहां पर ऊन परीक्षण प्रयोगशाला व औद्योगिक शिक्षा केन्द्र की स्थापना कर शिक्षा दी जा रही है। बीकानेर में ऊन की सबसे बड़ी मंडी है। जोधपुर में स्थापित केन्द्रीय ऊन बोर्ड के उत्पादन की किस्म आदि को सुधार कर ऊन व्यवसाय को और अधिक सशक्तता प्रदान कर रहा है।

11.3.6 नमक उद्योग

राजस्थान नमक का प्रमुख उत्पादक है। राजस्थान में खारी झीलों से नमक बनता है। देश के कुल नमक उत्पादन में राज्य को चौथा स्थान है व झीलों से नमक उत्पादन में इसका भारत में प्रथम स्थान है। राजस्थान में नमक उत्पादन का कुल 70 प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र में है शेष उत्पादन निजी क्षेत्र में होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में नमक के कारखाने सांभर, डीडवाना, पचपदरा तथा निजी क्षेत्र में कुचामन सिटी फलोदी, पोकरण व सुजानगढ़ में लगे हुए

हैं। सांभर झील का स्थान राज्य में सर्वाधिक व महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्रों में है यहां राज्य के कुल नमक उत्पादन का 8.7 प्रतिशत भाग उत्पादित होता है। यहां पर आधुनिक मशीनों से नमक बनाया जाता है।

सांभर में नमक का उत्पादन मार्च से जुलाई के बीच सूर्य वाष्पीकरण विधि से होता है, पानी को गहरी क्यारियों में भर दिया जाता है जिस पर नमक की मोटी परत क्यारियों में दिखने लगती है और इस नमक को क्यार नमक कहते हैं। सांभर में ही दूसरी किस्म का नमक वायु प्रवाह से बनाया जाता है जिसे रेशेदार नमक कहा जाता है।

राजस्थान में सन् 2001 में 18 लाख टन नमक का उत्पादन किया गया।

11.3.7 रासायनिक उद्योग

राजस्थान में उद्योगों का विकास भी हो रहा है। कांच, सूती, रेशमी व ऊनी कपड़ों को बनाने के लिए काम में आने वाले रासायनिक सोडियम सल्फेट डीडवाना में बनाया जाता है। लवणीय जल से पहले सोडियम सल्फेट बनाया जाता है और शेष बचे हुए पानी से शुद्ध नमक बनाया जाता है।

कोटा का श्रीराम फर्टिलाइजर, देबारी में जिंक स्मेल्टर रासायनिक उर्वरक बनाता है। खेतड़ी में कांकर में भी रासायनिक खाद बनाया जाता है और कोटा में भी इसका एक संयन्त्र स्थापित किया गया है।

11.3.8 इंजिनियरिंग उद्योग

राजस्थान में 1943 में जयपुर मेटल्स कारखाने की स्थापना की गयी। राजस्थान में इंजिनियरिंग से सम्बन्धित उद्योगों का विकास तीव्र गति से हो रहा है। इंजिनियरिंग के कई छोटे-बड़े कारखाने अलवर, कोटा, भरतपुर में स्थापित किए गये हैं।

11.3.9 ग्वार गम उद्योग

जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, व सरदार शहर में ग्वार गम बनाने के कारखाने चल रहे हैं। ग्वार के दानों से 28 से 30 प्रतिशत ग्वार गम निकाला जाता है और यह ग्वार गम इवाई उपयोग, कार प्रसाधन, कपड़ा उद्योग या खाद्य पदार्थों में काम लिया जाता है।

11.3.10 वनस्पति घी व तेल उद्योग

भीलवाड़ा में वनस्पति घी बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। राज्य में नौ कारखानों में वनस्पति घी बनाया जाता है। वर्ष 2001 में 29024 टन वनस्पति घी का उत्पादन किया गया। भरतपुर में सरसों से तेल निकालने के कारखाने स्थापित किये गये जैसे इंजन छाप, वीर बालक, कच्ची घानी का तेल आदि।

इन उद्योगों के अलावा राजस्थान में ग्रेनाइट, कीटनाशक. एल्कोहल, फिनायल, फ्लोराइट, गंधक का तेजाब एवं सिरेमिक उद्योग आदि चल रहे हैं।

11.4 औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण

(Causes of Industrial Backwardness)

राजस्थान में खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध हो रहा है लेकिन फिर भी राजस्थान औद्योगिक विकास से पिछड़ा हुआ है। इसके निम्न कारण बताए जाते-

1. **शुष्क जलवायु** राजस्थान की शुष्क जलवायु व अर्द्ध शुष्क जलवायु उद्योगों की स्थापना में बहुत बड़ी रुकावट है। इसके अलावा अरावली पहाड़ियां भी उद्योगों के विकास में बाधक हैं।
2. **जल की कमी** बड़े उद्योगों में पानी की बहुत मात्रा में जरूरत होती है लेकिन राजस्थान में वर्षा कम होती है और राजस्थान में बारहमासी नदियों का अभाव है। पश्चिमी जिलों में शुष्क जलवायु व पानी की कमी उद्योगों के विकास में बहुत बड़ी कठिनाई है।
3. **शक्ति के साधन** राजस्थान में कोयला, जल, विद्युत, पेट्रोलियम व गैस का अभाव है। इनकी पूर्ति अन्तरराज्यीय योजनाओं द्वारा प्राप्त की जा रही है। विद्युत शक्ति भी कम पड़ रही है। जो अन्य राज्यों से राजस्थान खरीद रहा है। इस प्रकार राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए शक्ति का अभाव है।
4. **परिवहन एवं संचार साधनों का अभाव** राजस्थान में संचार साधनों व परिवहन साधनों की निरन्तर प्रगति हो रही है। राजस्थान में मार्च 2008 में 180854 कि.मी. लम्बी सड़के थी इसके बावजूद भी मांग को देखते हुए यह कम है। खनिज व वन क्षेत्रों में सड़कों की काफी कमी है।
5. **वनों का अभाव** राज्य में बनो के अभाव के कारण वन पदार्थों (कच्चे माल) की कमी है।
6. **अपर्याप्त कच्चा माल** औद्योगिक विकास के लिए कच्चा माल आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहा है और अपर्याप्त भी है और इस कच्चे माल की किस्म भी अच्छी नहीं हैं।
7. **सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग की कमी** केन्द्र व राज्य सरकारों ने गत कुछ वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक उद्योग स्थापित नहीं किए गये हैं इसलिए राज्य में औद्योगिक गति धीमी है।
8. **अन्य समस्याएं** राज्य में सीमित बाजार, प्रशिक्षित श्रमिकों का अभाव और बिगड़ते औद्योगिक सम्बन्ध भी औद्योगिक विकास में बाधक हैं।

11.5 राजस्थान को अर्थव्यवस्था में उद्योगों का महत्व

(Importance of Industries Rajasthan's economy)

1. राज्य के घरेलू उत्पाद में उद्योगों का स्थान

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सन् 2006-07 में उद्योगों का 26.14 प्रतिशत अंशदान था। राज्य के घरेलू उत्पाद में कृषि व कृषि में सहायक गतिविधियों की भी महत्वपूर्ण

भूमिका है। सेवा क्षेत्र का भी राज्य के घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान है, राज्य के घरेलू उत्पादन में उद्योगों का बढ़ता अंशदान आर्थिक समृद्धि का द्योतक है।

2. पूंजी विनियोग में वृद्धि

राज्य में राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय कम्पनियों के विनिवेश से राज्य में आर्थिक प्रगति हो रही है। राज्य में इन कम्पनियों इलेक्ट्रॉनिक, रासायनिक, अभियान्त्रिक उद्योगों की स्थापना के लिए राजस्थान का चुना है। इस तरह राज्य में पूंजी विनियोग में वृद्धि हो रही है।

सारणी 11.7

राजस्थान में सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत अंशदान (करोड़ रु)

वर्ष	कृषि क्षेत्र	उद्योग क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	सकल घरेलू उत्पाद का योग
1999-2000	26481.30	21367.94	34870.47	82719.71
	(32.01)	(25.83)	(42.16)	(100.00)
2000-01	24401.84	21319.58	36713.49	82434.91
	(29.60)	(25.86)	(44.54)	(100.00)
2001-02	28944.30	22210.51	39176.50	90331.3
	(32.04)	(24.59)	(43.37)	(100.00)
2002-03	23036.54	23794.69	41718.82	88550.05
	(26.02)	(26.87)	(47.11)	(100.00)
2003-04	36198.52	27694.58	47713.35	111606.45
	(32.43)	(24.82)	(42.75)	(100.00)
2004-05	34191.27	30109.90	50986.35	11528.52
	(29.66)	(26.12)	(44.22)	(100.00)
2005-06 (प्रा.)	36056.43	32969.20	55197.98	124223.61
	(29.03)	(26.54)	(44.43)	(100.00)
200607 (त्व.)	42202.08	37130.57	62702.92	142035.57
	(29.71)	(26.14)	(44.15)	(100.00)
200708 (अ.)	48060.49	40841.51	70613.10	159515.10
	(30.13)	(25.60)	(44.27)	(100.00)

कोष्ठक में दिए गए आँकड़े प्रतिशत में हैं। प्रा-प्रावधानिक अनुमान, त्व- त्वरित अनुमान, अ- अग्रिम अनुमान

3. खनिज भण्डार व पर्यटन स्थानों का समुचित उपयोग

राजस्थान में खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, विविध प्रकार के खनिज, पर्यटन स्थान तथा परम्परागत सांस्कृतिक कार्यक्रमों व परम्पराओं का अधिकतम उपयोग हो रहा है। राज्य में उद्योगों के विकास इनसे प्राकृतिक संसाधनों के कारण कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ी है। इससे उद्योगों को स्थगित करने में मदद मिलती है।

4. राज्य में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि

राज्य में औद्योगिक उत्पादन व निर्यात के कारण राज्य के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है तथा राज्य की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है। औद्योगिक वस्तुओं के निर्यात से राज्य में बचत व विनियोग की मात्रा निरन्तर बढ़ रही है।

सारणी 11.8

राज्य में प्रति व्यक्ति आय (लाखों में)

वर्ष	प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर (1999-2000) के मूल्यों पर)	प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर
2002-03	12054	13128
2003-04	15579	16507
2004-05	14752	16515
2005-06	14660	17306
2006-07 (त्वरित अनुमान)	15420	19515
2007-08 (अग्रिम अनुमान)	16260	21565

बोध प्रश्न -02

1. राज्य के प्रमुख उद्योग कौनसे हैं?
2. राजस्थान के औद्योगिक पिछड़ेपन के क्या कारण हैं?
3. क्या राज्य में पूँजी विनियोग बढ़ रहा है। आँकड़े देकर स्पष्ट कीजिए।
4. कृषि क्षेत्र का योगदान कम हो रहा है। (सही/गलत)
5. सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। (सही/गलत)

11.6 राज्य की औद्योगिक नीति

(Industrial Policy of the State)

राज्य में औद्योगिक विकास के लिए सन् 1978, 1990, 1994 और 1998 में औद्योगिक नीति की घोषणा की गयी। जिसमें उद्योगों के लिए रियायतें, सुविधाओं का वर्णन किया गया है। इस प्रकार की नीतियों में उद्योगों के लिए भूमि का आवंटन, औद्योगिक विकास, वित्तीय प्रेरणाएं, राजकोषीय प्रेरणाएं, विद्युत की उपलब्धता पिछड़े जिलों को सब्सिडी आदि की घोषणा की गई है।

राजस्थान में जून, 1978 में जनता सरकार ने औद्योगिक नीति की घोषणा की। जिसमें उद्योगों की प्राथमिकता, क्षेत्रीय असन्तुलन को कम करना तथा उद्योगों को दी जाने वाली सहायता, तथा बीमार इकाइयों के बारे में प्रावधान किए गए। इस नीति में उद्योगों में प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा व हस्तशिल्प को रखा गया और बाद

उसके बाद में 1 लाख तक पूँजी वाले उद्योग, बाद में 10 लाख तक पूँजी वाले उद्योग तथा बाद में 50 लाख तक पूँजी वाले उद्योग तथा अन्त में बड़े आकार वाले उद्योग रखे गए। क्षेत्रीय प्राथमिकताओं में सबसे पहले गांव फिर अर्द्ध शहरी क्षेत्र तथा अन्त में शहरी क्षेत्र रखे गए।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए राजस्थान प्रबन्धक सेवा श्रमिक बनाने का प्रस्ताव लाया गया। ऐसी औद्योगिक इकाइयां जो कुल उत्पादन का 20 प्रतिशत से कम उत्पादन कर रही हो, और घाटे में चल रही हो तथा जिसने तीन वर्ष से ब्याज व मूलधन नहीं चुकाया गया। ऐसी इकाइयों में बीमार व रूग्ण होने का कारण खोजा जायेगा तथा इसमें ऋण की शर्त आसान बनाई जाएगी। इन इकाइयों से सरकारी खरीद की जाएगी और इसका भुगतान एक माह की भीतर कर दिया जाएगा।

इस औद्योगिक नीति में ग्राम पंचायत की गोचर भूमि को ग्राम पंचायत की सिफारिश पर जिलाधीश रूपान्तरित कर देंगे। किसान को अपनी जमीन पर उद्योग लगाने के लिए उसकी खातेदारी की 500 वर्ग मीटर भूमि को अपने आप रूपान्तरित माना जायेगा। किसी को आदेश देने की जरूरत नहीं है। चावल मिल आदि में बिजली खर्च में 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।

इसी प्रकार सन् 1990 में भारतीय जनता पार्टी व जनता दल सरकार ने दिसम्बर, 1990 में औद्योगिक नीति की घोषणा की गयी और कुछ विशेष उद्योगों को प्रोत्साहन देने की घोषणा की गयी। बड़े व मध्यम पैमाने के उद्योगों को विस्तृत पूँजी के विनियोगों पर 15 प्रतिशत सब्सिडी देने की व्यवस्था की गयी। इस औद्योगिक नीति में बिक्री करों में व्यापक रियायतें घोषित की गयी। कुछ उद्योगों को मशीन खरीददारी पर बिक्री कर के भुगतान की छूट दी गयी। इसके साथ ही चुंगी कर में भी रियायतें दी गयी। इस नीति में औद्योगिक वस्तुओं में विपणन के सम्बन्ध में नयी व्यवस्था की गयी।

राज्य में 1994 में औद्योगिक नीति की घोषणा की गयी जिसमें औद्योगिकरण के विकास के लिए व्यूह रचना तैयार की गयी। इस नीति के उद्देश्यों व व्यूह रचना को कामयाब बनाने के लिए इस नीति में निजी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहन दिया गया। इसमें औद्योगिक कार्यों के लिए भूमि रूपान्तरण की शर्तें आसान बनायी गयी। विद्युत पावर क्षमता को भी बढ़ाया गया। इस नीति में उद्योगों को कर्ज देने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया। निजी क्षेत्र को निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। शत प्रतिशत निर्यात करने वाली इकाइयों को पावर कनेक्शन देने की प्राथमिकता दी गयी।

राजस्थान में जून, 1998 में औद्योगिक नीति की घोषणा की गयी। इस नीति में आधारभूत ढांचे में सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी। उद्योगों की स्थापना व संचालन के लिए औद्योगिक प्रक्रिया व नियमों को सरल बनाया गया। आधारभूत ढांचे के विकास के लिए, विनियोग बोर्ड का पुर्नगठन, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास व विनियोग बोर्ड की स्थापना की गयी। उद्योगों में विकास के लिए राज्य में निजी क्षेत्र के सहयोग से व्यवसायिक केन्द्र स्थापित करने के लिए व्यवस्था की गई। इसके लिए भूमि रीको (RIICO) उपलब्ध करायेगी। आधारभूत क्रियाएं जैसे सड़क, बिजली, जल-पूर्ति आदि तथा सामाजिक आधारभूत संरचनाएं जैसे शिक्षा, आवास, अस्पताल आदि का भी औद्योगिक क्षेत्रों में विकास किया जायेगा।

इस नीति में निजी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना रीको (RIICO) क्षेत्र के दस कि.मी. की परिधि में नहीं की जा सकती थी परन्तु अब यह दूरी घटाकर 5 कि.मी. कर दी गई है। इस नीति में विद्युत क्षमता बढ़ाने के लिए सूरतगढ़ की इकाई का विकास किया जायेगा तथा दो नई इकाइयां चालू की जाएगी। औद्योगिक विकास के लिए निरन्तर बिजली की पूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। बड़े औद्योगिक संस्थानों को बिजली उपभोग में कुछ रियायतें प्रदान की गयीं। इस नीति के अन्तर्गत दूर संचार की सुविधाओं व विश्वसनीय कुशलता को बढ़ाया जायेगा। इस नीति में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्वीकृति अलग-अलग उद्योगों में लेने के बजाय रीको तथा और कई एजेन्सियां इस प्रकार की स्वीकृति ले सकेंगी। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को राजमार्गों से 3 कि.मी. की दूरी के अन्दर संयन्त्र को स्थापित करने की स्वीकृति नहीं मिलेगी। लेकिन अन्य उद्योगों को 1.5 कि.मी. की दूरी से आगे स्थापित करने की स्वीकृति मिल जायेगी। इस नीति में औद्योगिक सम्बन्धों को सुधारने के लिए श्रमिकों के लिए कई व्यवस्थाएं की गयीं और इनके शोषण को रोका जायेगा। इस नीति में 40 हजार वर्ग मीटर तक के भूखण्डों पर भवन निर्माण की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है तथा रीको के भूमि आवंटन को भी सरल किया गया।

इस नीति में निर्यात बढ़ाने के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जायेगा। इसके अन्तर्गत इनलैण्ड कन्टेनर डिपो, जोधपुर, कोटा, जयपुर व उदयपुर में स्थापित किए गये। निर्यात प्रोत्साहन के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय व्यापारिक क्षेत्र की स्थापना की गयी। इसमें क्रेता-विक्रेता इकट्ठे होकर अपनी क्रय-विक्रय की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। शत-प्रतिशत निर्यात इकाइयों के साथ-साथ निर्यातोन्मुखी इकाइयों के साथ 50 प्रतिशत उत्पादन का निर्यात करने वाली इकाइयों को भी प्रोत्साहन एक समान मिलेंगे। नई स्थापित होने वाली व चलने वाली औद्योगिक इकाइयों को बिक्री कर से छूट दी गयी।

इस औद्योगिक नीति में कमजोर वर्ग के उद्यमों को विशेष सहायता व प्रोत्साहन देने की घोषणा की गयी। इसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति वर्ग के लोगों को भूखण्ड आवंटन होने पर कर्ज रियायती ब्याज दर पर मार्जिन मनी में कमी, आवेदन पत्रों की जांच फीस में रियायत, तुरन्त विद्युत कनेक्शन व अन्य कई प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था की गयी।

इस औद्योगिक नीति में महिला उद्यमियों को उपलब्ध सहायता में बढ़ोतरी की गयी। इसमें औद्योगिक भूमि के आवंटन पर विशेष छूट, महिला उद्यमी को प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम करवाने व इन पाठ्यक्रमों में इनकी सीटें आरक्षित करने की अवस्था की गयी।

राज्य में शीघ्र औद्योगिक विकास करने के लिए कुछ विशेष क्षेत्रों में प्रगति तेज करने की व्यवस्था की गयी जैसे गारमेंट्स कपड़े, रत्न आभूषण वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स व दूर संचार, प्रौद्योगिकी, सीमेंट, कांच व सिलिसिक, स्वचालित माच व इनके पूर्ज, जूते व चमड़े, कृषि उत्पाद व प्रसंस्करण आदि के क्षेत्रों में वृद्धि करने पर ज्यादा ध्यान दिया गया। उद्योगों में प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए, इनके उत्पादन, बिक्री, निर्यात, गुणवत्ता सुधार, प्रौद्योगिक प्रगति आदि पर ध्यान केन्द्रित किया गया। इसके साथ-साथ लघु व कुटीर उद्योगों

की तीव्र प्रगति के लिए इनके उत्पादों की बिक्री, तकनीकी सुधार, इनके लिए कच्चे माल आदि की उपलब्धि के प्रयास किया जाएंगे। ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र के विकास में चमड़ा, ऊन व लघु खनिज क्षेत्रों को उत्पादन वृद्धि के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकारी खरीद में इनके लिए 70 प्रतिशत तक कीमत अधिमान जारी रखा जाएगा।

11.7 1998 को औद्योगिक नीति की मुख्य विशेषताएं

(Characteristics of Industrial Policy: 1998)

1. आधारभूत सुविधाओं के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देना।
2. निजी क्षेत्र की सहभागिता पर विशेष ध्यान दिया जाना है।
3. बड़ी परियोजनाओं के लिए आधारभूत एवं विनियोजन मण्डल का विकास किया जाएगा।
4. परियोजना विकास निगम की स्थापना की गयी। इसका प्रमुख उद्देश्य भूमि रूपान्तरण की प्रक्रिया को सरल बनाना है।
5. सिंचित भूमि को उद्योगों के उपयोग में न लेने के लिए अकृषि भूमि की किस्म में परिवर्तन किया जाएगा।
6. ऊर्जा की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए चालू विद्युत परियोजनाओं को समय पर पूर्ण किया जाएगा।
7. कैप्टिव पावर प्लांट नीति की घोषणा की जाएगी।
8. नियोजनमुखी इकाइयों को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (एन) के अन्तर्गत 'पब्लिक यूटिलिटी स्टेट्स' प्रदान किया जाएगा।
9. 31 मार्च, 2003 तक लगाने वाले उद्योगों को 5 साल के लिए बिक्री कर से मुक्ति दी जाएगी
10. निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क (385 एकड़) जयपुर के समान एक पार्क की स्थापना भिवाड़ी में की जाएगी। इसके लिए केन्द्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
11. जयपुर, जोधपुर कोटा और उदयपुर के समान भीलवाड़ा भिवाड़ी और श्रीगंगानगर में इनलैण्ड कन्टेनर डिपो की स्थापना की जा रही है।
12. गलीचा एवं दस्तकारी निर्यातक इकाइयों के लिए जयपुर में कम्प्यूटर एडेड डिजाइन सेन्टर 'वुडनेयर सर्विस सेन्टर' स्थापित किए जाने हैं।
13. लघु उद्योगों का 70 प्रतिशत माल सरकार खरीदेगी।
14. 150 उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में छूट दी जाएगी।
15. औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना राजमार्गों से 150 मीटर की दूरी पर करने का प्रावधान किया गया।

11.8 सारांश (Summary)

राजस्थान प्राकृतिक एवं खनिज साधनों में समृद्ध है। राज्य देश विदेश के कई बड़े उद्योगपतियों की जन्म स्थली है। लेकिन आधारभूत संरचना एवं संसाधनों की कमी के कारण आर्थिक विकास में भारत में दसवें स्थान पर है। राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति में औद्योगिक क्षेत्र का 2004-05 में 15.47 प्रतिशत हिस्सा था लेकिन यह हिस्सा भारतीय हिस्से से बहुत कम है। इस प्रकार राज्य में औद्योगिक विकास बहुत पिछड़ा हुआ है। पिछले पाँच-सात वर्षों से उद्योगों में रोजगार में भी कोई वृद्धि नहीं हुई है। राज्य में आधारभूत वस्तुओं के उद्योग, मध्यवर्ती वस्तुओं के उद्योग, पूँजीगत व उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग का विकास बराबर ढंग से नहीं हो रहा है। राजस्थान में चीनी, सीमेन्ट, कांच, ऊन, नमक, रासायनिक, इंजिनियरिंग एवं ग्वार गम आदि कई महत्वपूर्ण उद्योग चल रहे हैं। परन्तु इनका विकास असमान और वृद्धि दर अपेक्षित है। राज्य के औद्योगिक पिछड़ेपन के मुख्य कारण उचित जलवायु का अभाव, जल की कम मात्रा ऊर्जा के साधनों की कमी, दूरसंचार एवं परिवहन साधनों का अभाव अपर्याप्त कच्चा माल आदि हैं।

राजस्थान में उद्योगों के विकास के लिए 1978 में औद्योगिक नीति की घोषणा की। इसके बाद 1990, 1994 एवं 1998 में औद्योगिक नीतियों की घोषणाएं की गईं। इस प्रकार की उद्योग नीतियों में सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं व रियायतों का प्रावधान किया जाता है। इन नीतियों में उद्योगों में आने वाली मुख्य समस्याओं का निराकरण किया जाता है। इस प्रकार की नीतियों में राजस्थान में आधारभूत सुविधाओं का विकास व निजी क्षेत्र की तरफ अधिक ध्यान दिया गया है। ऊर्जा की उपलब्धि में वृद्धि के लिए कैप्टिव पावर प्लांट नीति की घोषणा की गई। समय-समय पर मिलने वाली सुविधाओं में वृद्धि की गई। औद्योगिक पार्क व सेज तथा इनक्यूबेटर डिपो की स्थापना की गई। इसके अलावा कई विशेष प्रकार की सुविधाएं उद्योगों को दी गईं।

11.9 शब्दावली (Glossary)

आधारभूत वस्तुएं	वे वस्तुएं जिनकी हर वस्तु के उत्पादन में आवश्यकता पड़ती है जैसे-लोहा, इस्पात एवं सीमेन्ट इत्यादि।
सेवाक्षेत्र ऐसा	क्षेत्र जिसमें व्यक्तियों को सेवाएं दी जाती हैं जैसे वकील, चिकित्सालय, चार्टर्ड अकाउटेन्ट आदि (Service Sectors)
पूँजीगत वस्तुएं	ऐसी वस्तुएं जो और अधिक उत्पादन करने के लिए काम आती हैं।

11.10 सन्दर्भ ग्रन्थ (References)

नाभूरामका, लक्ष्मीनारायण (2007) 'राजस्थान की अर्थव्यवस्था' कालेज बुक हाऊस, जयपुर।
आर्थिक समीक्षा, (2007-20008) राजस्थान सरकार, जयपुर।

11.11 शब्दावली (Unit-end Questions)

1. राजस्थान में औद्योगिक विकास की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

2. राज्य में उपयोग आधारित उद्योग पर टिप्पणी लिखिए।
3. राज्य में नई औद्योगिक नीति की विवेचना कीजिए।
4. राज्य में चीनी, सीमेन्ट, नमक, रासायनिक व सूती वस्त्र उद्योगों की प्रगति में आने वाली बाधाओं का वर्णन कीजिए।
5. राज्य में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण बताइये।

इकाई - 12

लघु व कुटीर उद्योग एवं हस्तशिल्प (Small Scale and Cottage industries, Handicrafts)

इकाई की रूपरेखा

- 12.0 उद्देश्य
- 12.1 प्रस्तावना
- 12.2 कुटीर व लघु उद्योगों का अर्थ
 - 12.21 कुटीर उद्योग
 - 12.22 लघु उद्योग
 - 12.23 सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उपक्रम विकास विधेयक 2006
- 12.3 कुटीर एवं लघु उद्योगों की सहायक संस्थाएं
- 12.4 लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्व
- 12.5 लघु उद्योग के विकास हेतु योजना आयोग के अध्ययन के दल की सिफारिशें
- 12.6 राजस्थान में कुटीर व ग्रामोद्योग
 - 12.6.1 खादी उद्योग
 - 12.6.2 हस्तशिल्प उद्योग
- 12.7 कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योगों के विकास के लिए सरकारी प्रयत्न
- 12.8 हाथकर्मा क्षेत्र में मीरा सेठ समिति की सिफारिशें
- 12.9 ग्रामीण उद्योग
- 12.10 ग्रामीण उद्योग के विकास के लिए सरकारी प्रयास
- 12.11 ग्रामीण उद्योगों की समस्या
- 12.12 राजस्थान के लघु उद्योग
 - 12.12.1 पोल्ट्री उद्योग
 - 12.12.2 एल्यूमिनियम उद्योग
 - 12.12.3 सोने-चांदी के आभूषण व बर्तन
 - 12.12.4 वनों पर आधारित उद्योग
 - 12.12.5 कृषि पदार्थों पर आधारित उद्योग
 - 12.12.6 पशु आधारित लघु उद्योग
 - 12.12.7 खनिज पदार्थों पर आधारित उद्योग
- 12.13 सारांश
- 12.14 शब्दावली
- 12.15 सन्दर्भ ग्रन्थ

12.0 उद्देश्य (Objectives)

आधुनिक युग में बड़े उद्योगों का काफी महत्व है लेकिन इसमें लघु उद्योगों का भी कम महत्व नहीं है। लघु उद्योगों का नाम छोटा है लेकिन इनकी उपयोगिता किसी तरह से कम नहीं समझी जानी चाहिए। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों का महत्व बड़े उद्योगों के बराबर होता है और विभिन्न राष्ट्रों में भी इसके महत्व को स्वीकार किया है। विकसित बड़े राष्ट्र ब्रिटेन, अमेरिका एवं जापान ने भी बड़े उद्योगों के साथ छोटे उद्योगों के विकास को महत्व दिया है। इनके लिए विशेष सुविधाएं व रियायतें प्रदान की जाती हैं। वर्तमान औद्योगिक राज्यों में बड़े उद्योगों का प्रसार तेजी से बढ़ रहा है लेकिन आधुनिकीकरण के युग में बेकारी की समस्या बढ़ती जा रही है और इस समस्या से निपटने के लिए कुटीर उद्योगों की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए।

कुटीर व लघु उद्योगों का महत्व राजस्थान में बढ़ रहा है क्योंकि राजस्थान औद्योगिक व कृषि दोनों क्षेत्रों में काफी पिछड़ा हुआ है। कुटीर व लघु उद्योगों के विकास के साथ गांव की भी उन्नति होती है और गांव कस्बे व नगर में बदल जाते हैं। इससे ग्रामीण श्रमिकों का शहरों की तरफ पलायन रूक जाता है। इससे श्रमिक प्रवासन की समस्या भी नहीं होती है। कुटीर व लघु उद्योगों में कम पूँजी का निवेश होता है, इससे राज्य में उपलब्ध पूँजी व श्रमिक दक्षता का भी उचित विदोहन हो जाता है। इन उद्योगों की वितरण लागत कम होती है, इससे उपभोक्ताओं को इन उद्योगों में बनायी गयी वस्तुएं उचित कीमतों पर उपलब्ध हो जाती है।

राजस्थान सरकार ने लघु व कुटीर उद्योगों के विकास के लिए काफी प्रयास किए हैं। सरकार ने लघु उद्योगों की स्थापना व संचालन के लिए अनेक रियायतें दी व दे रही है। इसके लिए लघु उद्योग निगम की स्थापना की गयी तथा वित्तीय साधनों की पूर्ति के लिए राज्य वित्त निगम कार्यरत है। लघु व कुटीर उद्योग राज्य के सभी भागों में फैले हुए हैं और यह विभिन्न स्रोतों व कृषि खनिज वन, पशु व रासायनिक आदि पर निर्भर हैं।

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप :

- जान सकेंगे कि लघु कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योगों से हमारा क्या अभिप्राय है?
- लघु उद्योगों के महत्व से परिचित हो जाएंगे।
- समझ सकेंगे कि लघु उद्योगों के बारे में राजकीय नीति क्या है?
- राज्य के प्रमुख लघु उद्योगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

12.1 प्रस्तावना (Introduction)

इस इकाई में राजस्थान के कुटीर व लघु उद्योगों के विकास का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके विकास की समस्याएं एवं औद्योगिक नीति का भी विवेचन किया गया है। प्रस्तुत इकाई के खण्ड 12.2 में राज्य के कुटीर व लघु उद्योगों- के अर्थ की व्याख्या की गई है। इसी प्रकार खण्ड 12.3 में कुटीर एवं लघु उद्योगों की सहायक संस्थाओं का वर्णन किया गया है। खण्ड 12.4 में कुटीर एवं लघु उद्योगों के महत्व के बारे में बताया गया है। खण्ड

12.5 में लघु उद्योगों के विकास हेतु योजना आयोग के अध्ययन दल की सिफारिशों का विस्तृत वर्णन किया गया है और 12.6 में राजस्थान में कुटीर व ग्रामोद्योग का वर्णन किया गया है। खण्ड 12.7 में कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योगों के विकास के लिए सरकारी प्रयत्नों की व्याख्या की गई है। खण्ड 12.8 में हाथकर्धा क्षेत्र में मीरा सेठ समिति की सिफारिशों का वर्णन किया गया है। खण्ड 12.9 में ग्रामीण उद्योगों के सम्बन्ध में बताया गया है। खण्ड 12.10 में ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए सरकारी प्रयासों का वर्णन किया गया है। खण्ड 12.11 में ग्रामीण उद्योगों की समस्याओं का वर्णन किया गया है। खण्ड 12.12 में राजस्थान में लघु उद्योगों का वर्णन किया गया है। खण्ड 12.13 में कुटीर व लघु उद्योगों के विकास सम्बन्धी कार्यों की समीक्षा अर्थात् सारांश प्रस्तुत किया गया है। अंत में शब्दावली सन्दर्भ ग्रन्थ सूची एवं अभ्यासार्थ प्रश्न दिये गए हैं।

12.2 कुटीर व लघु उद्योगों का अर्थ

(Meaning of Cottage and Small Scale Industries)

12.2.1 कुटीर उद्योग

कुटीर उद्योग ऐसे उद्योगों को कहते हैं जिसमें एक परिवार के सदस्यों द्वारा पूर्ण या अंशकालिक स्तर पर चलाया जाता है। इसमें पूँजी निवेश नाममात्र का होता है। उत्पादन प्रायः हाथ द्वारा ही किया जाता है। परम्परागत ढंग से चलने वाली उत्पादन प्रक्रिया में वेतनभोगी श्रमिक नहीं होते। इस उद्योग पर कारखाना अधिनियम 1948 लागू होता है। कुटीर उद्योगों में नौ अथवा इससे कम श्रमिक आधुनिक स्रोतों के बिना उत्पादन कार्य करते हैं। कुटीर उद्योगों में डेयरी फार्म, मधुमक्खी तथा मुर्गी पालन आदि को सम्मिलित किया जाता है।

12.2.2 लघु उद्योग

लघु उद्योगों का अर्थ ऐसे उद्योगों से है जो घर पर नहीं चलाया जाता है और इसमें पूँजी का निवेश 20 लाख रुपये से ऊपर व 5 करोड़ रुपये से कम होता है। इसमें श्रमिकों की संख्या सीमा निर्धारित नहीं है।

10 हजार से कम जनसंख्या वाले गांव में स्थापित तथा भूमि भवन मशीनरी आदि में प्रत्येक कारीगर या कामगार 15 हजार रुपये से कम स्थिर पूँजी लगाने वाले उद्योग ग्रामोद्योग केन्द्र कहलाते हैं। इन इकाइयों की स्थापना व संचालन आदि के लिए आर्थिक सहयोग राज्य ग्रामोद्योग बोर्ड तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग करते हैं।

लघु उद्योगों पर आबिद हुसैन समिति द्वारा 7 फरवरी, 1997 को दी गयी रिपोर्ट में लघु उद्योगों के अन्तर्गत संयन्त्र व मशीनरी में निवेश की सीमा 60 लाख से बढ़ाकर तीन करोड़ रुपये कर दी गई है।

12.2.3 सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उपक्रम विकास विधेयक, 2006

इस विधेयक के अनुसार लघु उद्योगों में संयन्त्र व मशीनरी के लिए निवेश की सीमा तय की गई है। सूक्ष्म उद्योग उन उद्योगों को कहेंगे जिनमें 25 लाख रुपये से कम की पूँजी लगी हुई है तथा 25 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक की पूँजी वाले उद्योगों को लघु उद्योग कहेंगे। इस अधिनियम में मध्यम उपक्रमों की नयी श्रेणी बनायी गयी है जिसमें संयन्त्र व मशीनरी में निवेश 5 करोड़ रुपये से अधिक व 10 करोड़ रुपये से कम वाले उपक्रम आएंगे।

इस अधिनियम द्वारा सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रुपये से लेकर 2 करोड़ रुपये तक के निवेश की इकाई को लघु उद्योगों के रूप में परिभाषित किया गया तथा 2 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये तक के निवेश वाले उपक्रमों को मध्यम श्रेणी के उपक्रम के रूप में परिभाषित किया गया। लघु व मध्यम श्रेणी के उपक्रमों के विकास हेतु राष्ट्रीय लघु एवं मध्यम उपक्रम बोर्ड (NSMEB) के नये बोर्ड का गठन का प्रस्ताव दिया है। इसमें लघु व मध्यम उपक्रमों की प्रतिस्पर्धात्मकता के प्रोत्साहन हेतु विशेष कोष की स्थापना का प्रस्ताव दिया है।

लघु उद्योगों को राज्य में दो भागों में बांटा है।

1. परम्परागत लघु उद्योग
2. लघु उद्योग

1. परम्परागत लघु उद्योग

इस प्रकार के उद्योग गांव व अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में लगाए जाते हैं इनमें विनियोग भी कम होता है तथा अल्पकालिक रोजगार प्रदान करते हैं, इसमें खादी, हाथ करधा, हस्तकला, नारियल जटा, रेशम एवं ग्रामीण उद्योग शामिल हैं।

2. आधुनिक लघु उद्योग

ऐसे उद्योग शहरों व बड़े औद्योगिक केन्द्रों तथा इनके नजदीकी जगहों पर लगाए जाते हैं, इनमें मशीनें तथा परिष्कृत उत्पादन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इन उद्योगों में शक्ति चालित प्रवाह, मशीन पूर्ण बनाने वाली इकाइयां, इंजिनियरिंग वस्तुएं तथा आधुनिक मशीनों द्वारा उत्पादन करने वाली इकाइयों को शामिल किया जाता है।

12.3 कुटीर एवं लघु उद्योगों की सहायक संस्थाएं

(Institution to Help Small and Cottage Industries)

राजस्थान में कुटीर व लघु उद्योगों के विकास में सहायता करने वाली संस्थाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए आप पाठ्य पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं।

- (i) उद्योग निदेशालय (Directorate of Industries)
- (ii) जिला उद्योग केन्द्र (District Industries Centres)
- (iii) लघु उद्योग सेवा संस्थान (Small Industries Services Institute)
- (iv) राजस्थान राज्य हाथकर्धा विकास निगम (Rajasthan State Handloom Development Corporation)

- (v) राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम (Rajasthan Small Industries Corporation-Rajsico)
- (vi) राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (Rajasthan Khadi and Village Industries Board)
- (vii) राजस्थान वित्त निगम (Rajasthan Financial Corporation-REC)
- (viii) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (RIICO)

12.4 लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्व

(Importance of Small and Cottage Industries)

राजस्थान में कुटीर एवं लघु उद्योगों का योगदान काफी महत्वपूर्ण है जिनको निम्न बिन्दुओं में व्यक्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों को इन बिन्दुओं से संबन्धित विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इसके लिए वे राजस्थान की अर्थव्यवस्था अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था की किसी भी पाठ्य पुस्तक का सहारा ले सकते हैं।

- (i) रोजगार में वृद्धि
- (ii) आर्थिक श्रम व कम पूँजी की स्थिति में उपयुक्त
- (iii) शीघ्र उत्पादन की सुविधा
- (iv) आयात पर कम निर्भरता
- (v) सरल तकनीक कार्य प्रणाली
- (vi) परम्परागत प्रतिभा व कला की रक्षा
- (vii) औद्योगिक समस्याओं का अभाव
- (viii) कृषि पर जनसंख्या के दबाव को कम करना
- (ix) राज्य का सन्तुलित व क्षेत्रीय विकास
- (x) रोजगार की स्थिरता व सुरक्षा, तथा
- (xi) निर्यात में सहायक आदि प्रमुख हैं।

इसके परिणामस्वरूप राज्य की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए है।

बोध प्रश्न -01

1. निम्नांकित का अर्थ समझाइए-

- (i) कुटीर उद्योग (iv) माध्यम (Medium) उद्योग
- (ii) लघु उद्योग (v) परंपरागत लघु वी
- (iii) सूक्ष्म (Tiny) उद्योग (vi) आधुनिक उद्योग

2. क्रिया (Activity)

A अपने जिले के जिला उद्योग केंद्र पर जाकर उनके कार्यों की जानकारी प्राप्त करें।

- B अपने जिले के जिले के राजस्थान वित्त निगम के कार्यालय जाकर वित्त प्रदान करने के बारे में निगम के क्रियाकलापों की जानकारी प्राप्त करें।
- C राज्य के लघु उद्योग का निर्यात की दृष्टि से क्या महत्व है ?

12.5 लघु उद्योग के विकास हेतु योजना आयोग के अध्ययन के दल की सिफारिशें

लघु उद्योगों के विकास के लिए योजना आयोग द्वारा बनायी गयी एस.बी. गुप्ता अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट योजना आयोग के अध्यक्ष को 25 मई, 2001 को प्रस्तुत की जिसकी मुख्य विशेषताएँ निम्न हैं-

इसकी रिपोर्ट में लघु उद्योगों की मौजूदा दो श्रेणियों के स्थान पर तीन श्रेणियों को स्थान दिया जिससे अति लघु (Tiny), लघु (Small) एवं कुटीर (Medium) उद्योगों में बांटने का निर्णय किया। अति लघु इकाइयों की मौजूदा निवेश सीमा 25 लाख रुपये को बरकरार रखा गया। दूसरी लघु श्रेणी के निर्यातों के उद्योगों में ब्राण्ड एवं मशीनरी की सीमा को मौजूदा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने की सिफारिश की। इसके साथ ही गैर निर्यात इकाइयों की सीमा 1 करोड़ रुपये रखने का सुझाव दिया। लघु उद्योग की नई प्रस्तावित मध्यम श्रेणी में निवेश की सीमा 1 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक रखने का सुझाव दिया। लेकिन इसके साथ में यह भी कहा कि इन इकाइयों को लघु इकाइयों में उपलब्ध राजकोषीय एवं नीतिगत समर्थन नहीं प्रदान किए जाए। ये मध्यम इकाइयां केवल प्रोद्योगिकी एवं आधुनिकीकरण से सम्बन्धी सहायता के लिए ही पात्र होगी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि विभिन्न श्रेणियों की निर्धारित निवेश सीमा को हर तीन साल बाद मुद्रास्फीति की दृष्टि से समीक्षा की जानी चाहिए और मुद्रास्फीति की गणना के लिए थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाना चाहिए।

12.6 राजस्थान में कुटीर व ग्रामोद्योग

(Cottage and Village Industries in Rajasthan)

जैसा कि ऊपर वर्णित कुटीर उद्योगों की परिभाषा में कुटीर उद्योगों को पारिवारिक उद्योग कहा जा सकता है जिसमें परिवार के सदस्य मिलकर वस्तुओं का उत्पादन करते हैं ऐसे उद्योग में परिवार या घर का मालिक श्रमिक को मजदूरी पर रख लेता है या मजदूरी देकर काम करवाता है जैसे स्वर्ण-चांदी के आभूषण, कपड़ों की रंगाई व छपाई, सिलाई, गलीचे बनाना आदि। पहले हम खादी व हस्तशिल्प उद्योग का वर्णन करेंगे।

12.6.1 खादी उद्योग

कुटीर उद्योगों में खादी उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक परम्परागत उद्योग है जिसमें अंशकालिक व पूर्णकालिक रोजगार मिलता है इसमें कुछ स्त्रियों को भी काम मिलता है। इस उद्योग में सूती व ऊनी दोनों तरह की खादी वस्त्र उद्योग आते हैं। इसमें 1.5 लाख से अधिक व्यक्तियों को अंशकालिक व पूर्ण रोजगार मिला हुआ है इसलिए रोजगार की दृष्टि से

इसका काफी महत्वपूर्ण स्थान है। उनी खादी में बीकानेरी कम्बल, चौमू के खेस, जैसलमेर की बरड़ी व अन्य स्थानों की रेजी काफी पसन्द की जाती है। आजकल मेरिनों खादी की मांग ज्यादा व फैशन में हैं। उनी खादी में सूती खादी की तुलना में अधिक मुनाफा होता है। राजस्थान में खादी उद्योग का अध्ययन करने वालों का कहना है कि राज्य में खादी संस्थान तो लाभ की स्थिति में है जबकि श्रमिकों को उनकी मेहनत का पूरा प्रतिफल नहीं मिल रहा है। खादी से जुड़ी संस्थाओं के प्रबन्ध में सुधार किया जाना चाहिए। राज्य में खादी व ग्रामोद्योग निगम खादी के अलावा निम्नलिखित ग्रामोद्योग का संचालन भी करता है। घानी का तेल, गुड़, खण्डसारी, साबुन, चमड़ा, मधुमक्खी पालन, चावल की हाथ से कुटाई आदि। वर्ष 2000-2001 में ग्रामीण उद्योगों का उत्पादन मूल्य 464 करोड़ रूपया आंका गया है।

सारणी 12.1

सूती व ऊनी खादी के उत्पादन का मूल्य (1977-78 से 2003-04)

वर्ष	उत्पादन (करोड़ रु में)
1977-78	4.1
1980-81	10.8
1999-2000	34.6
2000-2001	27.1
2003-2004	23.5

सारणी 12.2

खादी उद्योग में रोजगार (वर्ष 1998-99 से 2002-03)

वर्ष	रोजगार (हजार में)
1998-1999	107
1999-2000	98
2000-2001	93
2001-2002	42
2002-2003	57

इस प्रकार खादी का उत्पादन मूल्य निरन्तर बढ़ा है। निरन्तर बढ़ने वाले उत्पादन का मूल्य व खादी अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार खादी उद्यम अच्छा लाभ कमा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ उन उत्पादक, उन काढ़ने व बुनकरों को कठिन परिश्रम की पूरी मजदूरी नहीं मिलती है तथा खादी कर्मचारियों को समय पर पूर्ण वेतन भी नहीं दिया जाता है। खादी उद्योगों में कई प्रकार की अनियमितताएं भरी पड़ी हैं इसलिए खादी संस्थाओं की क्रियाविधि व प्रबन्धन में व्यापक सुधार की आवश्यकता है।

12.6.2 हस्तशिल्प उद्योग

हाथों द्वारा कलात्मक व आकर्षक वस्तुएं बनाना ही हस्तशिल्प कहलाता है। राजस्थान की अनेक परम्परागत वस्तुएं विश्व भर में प्रसिद्ध हैं जिसमें मुख्यतः जैसलमेरी कम्बल, जयपुर के मूल्यवान व अर्द्ध-मूल्यवान रत्न, मीनाकारी व नक्काशी की वस्तुएं, शाहपुरा की फड़ प्रस्तर प्रतिमाएं, मिट्टी के खिलौने, लाख की चूड़ियां, जोधपुर की कशीदाकारी जुतियां, बटवे, बादले, बन्धेज की ओड़नियां, ऊँट की खाल से बनी सजावटी वस्तुएं, कोटा डोरे की साड़ियां, प्रतापगढ़ की सोने पर थेवा कला, उदयपुर के चन्दन व लकड़ी के खिलौने, नाथद्वारा की फड़, पेन्टिंग, मीनाकारी सलमा सितारे व गोटे किनारे से युक्त परिधान, सवाईमाधोपुर की लकड़ी के खिलौने व खस के बने पायदान, डिबिया व पंखिया, सांगानेरी व बगरू की हाथ की छपाई, हाथी दांत का काम आकर्षक लहरिया व चूनरियां, नागौरी जूतियां आदि देश विदेश में हस्तशिल्पों के रूप में अत्यधिक प्रसिद्ध हैं।

बोध प्रश्न -02

1. खादी के उत्पादन मूल्य के वर्ष 1980-81 के आँकड़ों की तुलना वर्ष 2000-2001 के आँकड़ों से कीजिए। बताइए की इन वर्षों में उत्पादन मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है?
2. खादी उद्योग में घटते रोजगार के अवसरों के बारे में चर्चा कीजिए एवं इसके कारणों को लिखिए।
3. अपने क्षेत्र के प्रमुख हस्तशिल्प उद्योगों के नाम लिखिए।

12.7 कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योगों के विकास के लिए सरकार प्रयत्न (Government Policy for Cottage & Small Scale Industries)

राज्य में हस्तशिल्प के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम (राजसीको) कार्य कर रही है। राज्य में समाप्त होती हस्तकलाओं को उन्नत तरीके व नयी तकनीक उपलब्ध करवाकर कई संस्थाओं के माध्यम से इनको बढ़ा रही है। राजसीको हस्तशिल्प कला को कई प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान कर रही है। राजसीको द्वारा राज्य के कई शहरों में गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जा रहे हैं जिसको अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा धन उपलब्ध करवाया जाता है। मोहनगढ़, लूणकरणसर व बीकानेर में गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र कमाण्ड एरिया के अन्तर्गत चलाया जाता है। इसके साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा भी वित्त पोषित गलीचा केन्द्र कई स्थानों पर कार्यरत हैं। राजसीको द्वारा आदिवासियों को प्रशिक्षण देने के लिए आदिवासी प्रशिक्षण केन्द्र ऊमर गांव (उदयपुर), बांसी (चित्तोड़गढ़), उदयपुर में दरी बुनाई तथा सिसाराम (उदयपुर) में फर्नीचर कार्य के लिए कार्यरत है।

हस्तशिल्प वस्तुओं की बिक्री के लिए राजसीको राजस्तरीय एम्पोरियम चलाती है (राजसीको, उदयपुर, माऊण्टआबू तथा जैसलमेर में) उदयपुर शिल्पग्राम, पालशिल्प ग्राम

(जोधपुर) हस्तकला के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कार्यरत है। पाल शिल्पग्राम जोधपुर में बुद्ध शिजनिंग प्लांट भी राजसीको द्वारा ही लगाया गया है। इसमें लकड़ी को सीजन किया जाता है जिससे लकड़ी के फटने की समस्या से निजात मिल सके। इसका संचालन, जोधपुर हैण्डिक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट एसोसियेशन करती है।

राजसीको के 11 शोरूम हैं जिसमें हस्तशिल्प व कुटीर उद्योग की बनी वस्तुओं की बिक्री की जाती है। राज्यस्तरीय उद्योग पूरे भारत में प्रसिद्ध है इनकी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य व अन्य जगहों पर जहां राज्य स्तरीय शोरूम नहीं हैं वहां समय-समय पर निगम प्रदर्शनी लगाकर हस्तशिल्प उत्पादन को बेचती है। राजस्थान हस्तशिल्प व दस्तकारीय कल्याण योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार, रीको, राजस्थान लघु उद्योग निगम ने 1 करोड़ का कोष बनाया। जिससे हस्तशिल्पियों को वित्तीय सहायता देने के लिए रखा गया। इससे ज्यादातर कारीगरों की बीमारियों जैसे टी.बी., कैंसर, कुष्ठरोग, हृदय के वाल्व बदलने, बाइपास सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय सम्बन्धी बीमारियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है। इस निगम द्वारा हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए कारीगरों को सम्मान देने के लिए राज्य स्तर पर पुरस्कृत दिया जाता है जिसमें ताम्रपत्र, अंगवस्त्र, 25 हजार रुपये नकद दिए जाते हैं। यह निगम कारीगरों से हस्तशिल्प की वस्तुएं बिचौलियों नहीं खरीद कर सीधे खरीदता है।

सन् 2007-08 में (दिसम्बर, 2007 तक) 465.23 लाख रुपये के हस्तशिल्प की वस्तुओं की बिक्री हुई जबकि कच्चे माल की बिक्री 13982.89 लाख रुपये की तय की गई। अन्तर्देशीय कण्टनेर डिपो, जयपुर, जोधपुर, भिवाड़ी, भीलवाड़ा व हवाईकारगों, सांगानेर, जयपुर से क्रमशः 467.31 लाख रुपये, 712.85 लाख रुपये, 466.66 लाख रुपये, 45.91 लाख रुपये और 180.30 लाख रुपये का राजस्व दिसम्बर, 2007 तक प्राप्त हुआ।

राज्य में, राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम (रीको) भी हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। रत्न, आभूषणों का क्षेत्र सीतापुर का औद्योगिक एरिया (जयपुर) प्रथम फेस में स्थापित किया है जिसका कार्य प्रगति पर चल रहा है। दिसम्बर, 2007 तक 715.90 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। हस्तशिल्प विकास के लिए रीको जोधपुर के बोरानाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापित करने जा रही है। इस सेज पर दिसम्बर, 2007 तक 1703.08 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं।

राज्य सरकार गृह उद्योगों के विकास व विस्तार के लिए गृह उद्योगों की स्कीम के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र की औरतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई, ड्रेस डिजाइनिंग, कम्प्यूटर, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रशिक्षण देती है। वर्ष 2007-08 में 4175 औरतों को प्रशिक्षण देने के लक्ष्य में से दिसम्बर 2007 तक 4065 औरतों को यह प्रशिक्षण दिया जा चुका था इसके अलावा औद्योगिक शिविर योजना जो कि जिला व पंचायत स्तर पर लोगों को औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण देती है जिसमें दिसम्बर, 2007 तक 155 लोगों को चमड़ा उद्योग का प्रशिक्षण दिया गया।

हाथकर्धा विकास स्कीम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 7 हजार रुपये एवं शहरी क्षेत्रों में 10 हजार रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है। दिसम्बर 2007 तक 198 करधा घर बनाने के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है। हैण्डलूम कारीगरों के लाभ के अतिरिक्त महात्मा गांधी बुनकर बीमा, स्वास्थ्य बीमा और दीनदयाल हाथकर्धा प्रोत्साहन भी कारीगरों को प्रदान किए जाते हैं।

भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय उद्यम विकास बोर्ड व राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड व लघु उद्योग विकास संस्थान लघु उद्योगों से संबन्धित नीति निर्धारण का कार्य करते हैं। लघु उद्योग विकास संस्थान लघु उद्योगों को प्रबन्धकीय व तकनीकी आर्थिक सहायता उपलक्ष करवाता है। लघु उद्योग विकास संस्थान की स्थापना राज्य के उद्यमियों के विभिन्न उद्योगों के समय में जानकारी देने तथा आवश्यक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से की गयी है। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम (UNDP) खादी व ग्रामोद्योग आयोग के संयुक्त प्रयासों से सांगानेर (जयपुर) में हस्तशिल्प के कागज की राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गयी है।

12.8 हाथकर्धा क्षेत्र में मीरा सेठ समिति की सिफारिशें

मीरा सेठ समिति ने हाथकर्धा क्षेत्र उद्धार के लिए अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय मंत्रालय को 31 जनवरी 1997 को सौंप दी थी। जिसकी कुछ प्रमुख सिफारिशें नीचे दी गई हैं-

1. समिति ने हाथकर्धा क्षेत्र के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये राष्ट्रीय हाथकर्धा ऋण कोष बनाने की सिफारिश की थी।
2. इस कोष से गैर तरकारी क्षेत्र के बुनकरों को ऋण देने का सुझाव दिया।
3. बुनकरों को हाथकर्धा खरीदने व हैंकयार्न पर सब्सिडी देने आदि के लिए एक आपदा राहत योजना लागू करने का सुझाव दिया।

12.9 ग्रामीण उद्योग (Rural Industries)

खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड खादी के अलावा गांव में कई और कुटीर उद्योग चलते हैं जैसे घाणी का तेल, गुड़, खण्डसारी, चमड़ा, मिट्टी के बर्तन बनाना, मधुमक्खी पालन, चावल की हाथ से कुटाई आदि। इस ग्रामीण उद्योग में ये आठ उद्योग शामिल किये जाते हैं इनमें से चमड़े व घाणी का तेल का उत्पादन अन्य उद्योगों की तुलना में काफी अधिक होता है।

सारणी 12.3

ग्रामीण उद्योग में उत्पादन का मूल्य (1977-78 से 2003-04)

वर्ष	उत्पादन मूल्य (करोड़ रु में)
1977-78	7.5
1980-81	21.6
1997-98	340.3
1998-99	408.0
1999-2000	450.0
2000-01	463.5

सारणी 12.3 से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण उद्योगों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई है लेकिन 2003-04 में उत्पादन मूल्य में अत्यधिक कमी हुई है।

10 हजार से कम जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित तथा भूमि, भवन, मशीनरी आदि में प्रति कारीगर या कार्यकर्ता 15 हजार से कम स्थिर पूँजी निवेश वाले उद्योग ग्रामोद्योग के अन्तर्गत आते हैं। राज्य ग्रामोद्योग बोर्ड तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग इन इकाइयों की स्थापना व संचालन में तकनीकी व आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं।

12.10 ग्रामीण उद्योग के विकास के लिए सरकारी प्रयास

भारत सरकार ने 1958 में संसद में एक अधिनियम पास करके खादी व ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) की स्थापना की। यह संस्था ग्रामीण क्षेत्रों में कम प्रति व्यक्ति विनियोग के साथ-साथ गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार अवसरों का सृजन करती है। इस संस्था की स्थापना के निम्न उद्देश्य रखे गये-

- (i) गांवों में रोजगार दिलाने का सामाजिक दायित्व
- (ii) ग्रामीण जनता को आत्मनिर्भर बनाना एवं सुदृढ़ ग्रामीण समुदाय भावना उत्पन्न करने का विस्तृत दायित्व।
- (iii) बिक्री योग्य वस्तुओं को उत्पादित करने का आर्थिक दायित्व। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए खादी व ग्रामोद्योग आयोग उद्योगों का विकास करने के लिए निम्नलिखित कार्य करता है।
 - (क) जरूरतमंद संस्थाओं व उद्यमियों को वित्त उपलब्ध करवाना।
 - (ख) इन उद्योगों में कार्य करने वाले एवं कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों का प्रशिक्षण देना।
 - (ग) इस क्षेत्र में शोध एवं विकास को प्रोत्साहित करना।
 - (घ) खादी एवं ग्रामोद्योग वस्तुओं की बिक्री एवं विपणन के लिए आकर्षक योजनाएं लागू करना।

ऊपर लिखे गए कार्य खादी व ग्रामोद्योग आयोग कृषि व ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन किए जाते हैं।

खादी व ग्रामोद्योग अधिनियम, 1987 में संशोधित किया गया। जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण उद्योगों को 7 भागों में विभाजित किया गया है-

1. खनिज आधारित उद्योग।
2. वन आधारित उद्योग।
3. कृषि आधारित एवं खाद्य उद्योग।
4. पॉलीमर एवं रसायन आधारित उद्योग।
5. इंजिनियरिंग एवं गैर परम्परागत ऊर्जा से सम्बन्धित उद्योग। खादी को छोड़कर टेक्सटाइल उद्योग
6. सेवा क्रियाएं

खादी व ग्रामोद्योग आयोग वर्ष 2001-2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने व अनेक विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए निम्न प्रमुख नीतिगत निर्णय लिए गये-

1. ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (REGP) के क्षेत्र का विस्तार किया गया। व्यक्तिगत उद्यमी के लिए परियोजना लागत की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख की गई। इसके साथ ही चयनित 10 राज्यों में स्वयं सहायता से इस रोजगार कार्यक्रम (REGP) को चलाने का निर्णय लिया गया।
2. खादी के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा घोषित खादी के पैकेज को लागू किए जाने को स्वीकृत किया गया तथा खादी कारीगरों के हितार्थ बीमा कम्पनियों द्वारा जनश्री बीमा योजना लागू किया जाना अनुमोदित किया गया।
3. ग्रामोद्योग की वस्तुओं को उचित विपणन तंत्र उपलब्ध करवाने के लिए 'सर्वोदय' नाम ब्राण्ड को अपनाया गया। यह नाम साबुन, शहद, अगरबत्ती एवं आचार आदि के उत्पादन को दिया गया। राजस्थान में खादी व ग्रामीण उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। राजस्थान में दिसम्बर 2007 में खादी व ग्राम उद्योगों की वस्तुओं का उत्पादन क्रमशः 10.92 करोड़ रुपये और 34.59 करोड़ रुपये का हुआ है जबकि इनका लक्ष्य क्रमशः 20 करोड़ रुपये तथा 80 करोड़ रुपये 2007-2008 के अन्तर्गत रखा गया था। दूसरी तरफ इस उद्योग में दिसम्बर 2007 तक 10937 अतिरिक्त व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया एवं 676 इकाइयों की स्वीकृति दी गई। इस उद्योग में नया रोजगार उत्पन्न करने व अन्य गतिविधियों के विकास के लिए 6.30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

सारणी 12.4

ग्रामीण उद्योगों में रोजगार

(लाखों में)

वर्ष	पूर्ण रोजगार	आंशिक रोजगार	कुल योग
1998-99	1.63	1.40	3.03
1999-2000	1.74	1.48	3.22
2000-2001	1.77	1.56	3.33
2001-2002	1.86	1.66	3.52
2002-2003	2.00	1.79	3.79

बोध प्रश्न -03

1. हाथ करधा क्षेत्र में मीरा सेठ समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं?
2. ग्रामीण उद्योगों को कितने भागों में विभाजित किया गया है।

12.11 ग्रामीण उद्योगों की समस्याएं (Problem of Rural Industries)

ग्रामीण उद्योगों में कई समस्याएं पायी जाती हैं जिसमें मुख्यतः माल की बिक्री की समस्या काफी अधिक है। सरकार ने बिक्री में मदद के लिए कई संस्थान खोले हैं। इनके लिए कच्चे माल की भी व्यवस्था की जाती है। सरकार को कुटीर व ग्रामीण उद्योगों के संगठन, तकनीकी, वित्त व्यवस्थाएं विपणन की समुचित व्यवस्था करके इनकी किस्म में सुधार भी किया जाना चाहिए।

12.12 राजस्थान के लघु उद्योग (Small Scale Industries in Rajasthan)

राज्य की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए कुटीर व लघु उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है।

12.12.1 पोल्ट्री उद्योग

पिछले कुछ वर्षों से इन उद्योगों का काफी विस्तार हुआ है लेकिन फिर भी यह छोटे स्तर पर ही है। गिने चुने स्थानों पर ही यह उद्योग चल रहा है, इसका कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में है इसलिए इसमें वृद्धि की काफी सम्भावनाएं हैं।

12.12.2 एल्युमिनियम उद्योग

जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में एल्युमिनियम के खिलौने, बर्तन एवं अन्य वस्तुएं बनायी जाती है। इस उद्योग के विकास की अच्छी सम्भावनाएं हैं। जयपुर का पीतल का काम काफी सुन्दर व विख्यात है। जयपुर, जोधपुर, पाली, भरतपुर व किशनगढ़ में पीतल, स्टील व तांबे के बर्तन बनाने के उपक्रम

12.12.3 सोने-चांदी के आभूषण व बर्तन

राज्य में प्रायः सभी नगरों में सोने-चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं। जयपुर में बर्तन व सोने-चांदी के आभूषणों पर मीने का काम बढ़िया होता है।

12.12.4 वनों पर आधारित उद्योग

- (i) लकड़ी का कार्य लकड़ी के खिलौने बनाने के कारखाने अलवर, उदयपुर व जोधपुर में स्थित है।
- (ii) बांस उद्योग इस उद्योग में टोकरियां, हल्की मेंजे, कुर्सियां आदि बनायी जाती है। ये जयपुर, अजमेर, जोधपुर में बनाई जाती है।

- (iii) कागज बनाना कोटा में स्ट्रा बोर्ड का कारखाना है। राजस्थान में उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा व अजमेर आदि में बांस अथवा घास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के कारण इनमें कागज के कारखाने आसानी से स्थापित किये जाते हैं।
- (iv) बीडी उद्योग राजस्थान में कोटा अजमेर, ब्यावर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा व जोधपुर आदि में तेन्दुए की पत्तियों से बीडी बनायी जाती है। यह काम स्त्रियों द्वारा किया जाता है। बीडी बनाने के छोटे कारखाने यहां लगे हुए हैं। ब्यावर में तंबाकू से सूँघनी बनाने के कारखाने भी हैं।
- (v) कत्था, लाख तथा गोंद उद्योग राजस्थान के वनों में कत्था चित्तौड़गढ़, कोटा, बून्दी, धौलपुर व जोधपुर के जंगलों से प्राप्त किया जाता है। कत्थे के साथ-साथ केटेचिन भी निकलती है जो उबलते पानी में नहीं घुलती है। यह चमड़े व सूती रेशमी कपड़ों की रंगाई व छपाई में काम आती है।

12.12.5 कृषि पदार्थ पर आधारित उद्योग

राज्य में वनस्पति घी व तेल उद्योग गुड़ व खण्डसारी इकाइयां, बेकरी व कन्फैक्शनरी इकाइयां छोटी दाल की फैक्ट्रियां व अन्य इकाइयां हाथकर्धा उद्योग, दरी व निवार बनाने की इकाइयां कपास की जिनिंग व प्रेसिंग इकाइयां आदि चल रही है। राज्य के कई जिलों, जयपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, गंगानगर, कोटा बून्दी, पाली व अजमेर में वनस्पति तेल की कई इकाइयां चल रही है। राज्य में खाद्य तेल की फैक्ट्रियां जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, भिवाई, गंगानगर, सवाईमाधोपुर व जालोर आदि स्थानों पर स्थापित की गई है।

12.12.6 पशु आधारित लघु उद्योग

इसमें खाल, चमड़ा ऊनी वस्त्र, हड्डियां दूध पदार्थ आदि आते हैं। राज्य में भेड़ों की संख्या काफी अधिक है। बीकानेर, चूरू, लाडनू में इनकी काफी मिलें चल रही हैं लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है।

12.12.7 खनिज पदार्थों पर आधारित उद्योग

राज्य में मकराना, राजसमन्द, बांसवाड़ा आदि में संगमरमर का पत्थर निकलता है जिससे फर्श की टाइलें, मूर्तियां व अन्य वस्तुएं बनायी जाती है।

इस प्रकार राज्य में कई प्रकार के लघु व कुटीर उद्योग के कारखाने व अन्य इकाइयां चल रही है जो राजस्थान के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर रही है।

12.13 सारांश (Summary)

राज्य में बड़े उद्योगों का विकास कम हुआ लेकिन कुटीर उद्योगों का विकास भी अच्छा नहीं हो रहा है। राज्य सरकार लघु व कुटीर उद्योगों के विकास के लिए कई प्रकार की रियायतें एवं प्रोत्साहन देती हैं क्योंकि इन उद्योगों की वितरण लागत कम आने के कारण

उपभोक्ताओं को उत्पाद उचित कीमतों पर मिल जाता है। इसमें पूँजी का निवेश भी कम करना पड़ता है। इससे राज्यों में उपलब्ध श्रम दक्षता का उपयोग हो जाता है। इन उद्योगों में कम विनियोग होता है और यह ग्रामीण व अर्द्धशहरी क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। राज्य में कई प्रकार के लघु व कुटीर उद्योग लगे हुए हैं जिनमें खादी व हाथकर्धा, हस्तकला, रेशम कीड़ा आदि के अलावा शक्ति चालित कर्धा, छोटी मशीन व पुर्जे बनाने वाली इकाइयां सभी वस्तुएं तथा आधुनिक मशीनों के द्वारा उत्पादन करने वाली छोटी-छोटी इकाइयां चल रही हैं। इन उद्योगों द्वारा उत्पादित माल विस्तृत स्तर पर विक्रय एवं विज्ञापन व्यवस्था नहीं कर सकते। कई कर मशीनों द्वारा निर्मित माल से प्रतियोगिता होने पर इनका विक्रय करना दुभर हो जाता है। इसके लिए कई संस्थाएं कार्य कर रही हैं और सरकार इन सुविधाओं को दिलाने के लिए प्रयासरत है। इन उद्योगों में कल्पित श्रमिक व उद्यमी को उचित प्रशिक्षण नहीं मिलता। इसके लिए सरकार समय-समय पर प्रशिक्षण देने के लिए कई प्रकार के आयोजन करती है। राज्य में कुटीर उद्योगों की उपयोगिता को बनाए रखने के लिए इनकी उत्पादन तकनीक का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। यह उद्योग पुराने औजार व तकनीक से नई डिजाइन की वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए इनके द्वारा उत्पादित माल में आधुनिक मशीनों व यंत्रों का उपयोग किया जाना चाहिए जिससे उद्योग सस्ती दर पर वस्तुएं उत्पादित कर सके।

12.14 शब्दावली (Glossary)

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)	(Special Economic Zone -SEZ)
अति लघु क्षेत्र	(Tiny Sector)
लघु उद्योग	(Small industries)
कुटीर उद्योग	(Medium Industries)

12.15 सन्दर्भ ग्रन्थ (Reference)

नाधूरामका, लक्ष्मीनारायण (2007), राजस्थान की अर्थव्यवस्था, कालेज बुक हाउस, जयपुर।
राजस्थान सरकार (2007-08), आर्थिक समीक्षा।

12.16 अभ्यासार्थ प्रश्न (Unit-end Questions)

1. कुटीर व लघु उद्योग किसे कहते हैं। राज्य में लघु एवं कुटीर उद्योग तथा हस्तशिल्प उद्योग के महत्व को समझाइए। इन उद्योगों की समस्याएं व उपाय बताइए।
2. राजस्थान के कुटीर व लघु उद्योगों पर निबंध लिखिए।
3. कुटीर व लघु उद्योग विकास में सहायक सरकारी संस्थाओं के प्रयासों का वर्णन कीजिए।

पर्यटन विकास एवं अर्थव्यवस्था में भूमिका
(Tourism Development its Role in the Economy)

इकाई की रूपरेखा

- 13.0 उद्देश्य
- 13.1 प्रस्तावना
- 13.2 पर्यटन: अर्थ एवं परिभाषा
- 13.3 राजस्थान में पर्यटन
- 13.31 पर्यटन की परम्परा
- 13.32 देशी-विदेशी पर्यटक आगम
- 13.33 पर्यटन से आय एवं रोजगार
- 13.4 पर्यटन एवं अर्थव्यवस्था
 - 13.4.1 मांग एवं पूर्ति
 - 13.4.2 पर्यटन विपणन
 - 13.4.3 पर्यटन एवं राष्ट्रीय आय
 - 13.4.4 अन्तरराष्ट्रीय व्यापार एवं पर्यटन
- 13.5 अर्थव्यवस्था पर पर्यटन का प्रभाव
 - 13.5.1 विदेशी मुद्रा आय की प्राप्ति
 - 13.5.2 विभिन्न उद्योगों को प्रोत्साहन
 - 13.5.3 उद्योग विहिन क्षेत्रों का विकास
 - 13.5.4 रोजगार अवसरों में वृद्धि
 - 13.5.5 जीवन स्तर में वृद्धि
 - 13.5.6 ग्रामीण विकास को बढ़ावा
- 13.6 सारांश
- 13.7 शब्दावली
- 13.8 संदर्भ ग्रंथ
- 13.9 अभ्यासार्थ प्रश्न

13.0 उद्देश्य (Objectives)

पर्यटन का अर्थ अब घुमने-फिरने तक ही सीमित नहीं रह गया है। यह अब ऐसे बड़े उद्योग का स्वरूप ले चुका है जो देश को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा ही नहीं प्रदान करता बल्कि बड़े स्तर पर रोजगार भी प्रदान करता है। गौरवमयी इतिहास, किले, महल , दूर तक पसरे रेत के धोरों, रंग-बिरंगी संस्कृति के कारण राजस्थान आरंभ से ही पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र

रहा है। पर्यटन ने राजस्थान की अर्थव्यवस्था को भी गहरे तक प्रभावित किया है। प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप -

- पर्यटन का अर्थ और राजस्थान में पर्यटन की स्थिति जान सकेंगे।
- पर्यटन कैसे अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है? इसे समझ सकेंगे।
- राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका की पहचान कर सकेंगे।
- अर्थव्यवस्था पर पर्यटन के जरिए पड़ने वाले विविध प्रभावों को जान सकेंगे।

13.1 प्रस्तावना (Introduction)

तीर्थाटन से प्रारंभ पर्यटन आरंभ से ही भारतीय परम्परा का एक हिस्सा रहा है। 'अतिथि देवो भव' की संस्कृति के अंतर्गत हमारे यहां मेहमान को भगवान का दर्जा दिया गया है। राजस्थान की बात करें तो स्पष्टतः यह कहा जा सकता है कि यहां आजादी से पूर्व ही पर्यटन ने व्यवस्थित आकार लेना प्रारंभ कर दिया था। राजा-महाराजाओं ने पर्यटन के आर्थिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए ही अपने गढ़, किलों के द्वार बाहर से आने वाले विदेशियों के लिए खोलने प्रारंभ कर दिए थे। आजादी के बाद पर्यटन के महत्व को समझते हुए ही पर्यटन स्थलों के रूप में बहुत से स्थानों का विकास व्यवस्थित रूप में किया गया। यही नहीं पर्यटन के आर्थिक महत्व के दृष्टिगत ही इसे उद्योग का दर्जा भी प्रदान किया गया। दरअसल पर्यटन का अर्थ अब आराम, मनोरंजन तथा आनंद तक ही सीमित नहीं है। बाह्य रूप में तो पर्यटन में घुमने और घुमाने की मानसिकता नजर आती है परन्तु इससे किसी स्थान-विशेष की अर्थव्यवस्था में भी तेजी से बदलाव आता है। वे सभी व्यक्ति जो पर्यटन स्थलों पर निवास करते हैं, पर्यटन क्रिया में सक्रिय होते हैं। ऐसे में पर्यटन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था एवं रोजगार जनन की दृष्टि से अत्यधिक सहायक है। इसी परिप्रेक्ष्य में पर्यटन के महत्व को समग्रता में देखे जाने की जरूरत है।

13.2 पर्यटन : अर्थ एवं परिभाषाएं (Tourism: Meaning and Definitions)

पर्यटन का अर्थ सामान्य तौर पर घुमने-फिरने से लिया जाता है। यह सही है कि पर्यटन भ्रमण क्रिया है परन्तु इतना ही सच यह भी है कि अब यह केवल अपने इसी अर्थ तक सीमित नहीं रह गया है। उद्देश्य, प्रयोजन और विषय क्षेत्र के अंतर्गत पर्यटन की सीमाएं अनन्त हैं। संचार साधनों के विकास और परिवहन सुविधाओं के विस्तार के साथ ही पर्यटन की सोच अब कुछ लोगों तक ही रहने की बजाय हर आम और खास तक पहुंच चुकी है। पर्यटन देश-विदेश की भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जानकारी प्रदान करने की ऐसी क्रिया है जिससे भिन्न-भिन्न लोगों से मेल-मिलाप ही नहीं होता बल्कि व्यक्ति प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ऐसा ज्ञान भी अनायास ही प्राप्त करता है जो अन्य किसी स्रोत से नहीं मिल सकता। मोटे तौर पर पर्यटन की परिभाषा करें तो लगातार एक वर्ष या उससे कम समय तक सैर-सपाटा, व्यापार तथा अन्य कार्यों के लिए अपने रहने के सामान्य स्थान से बाहर घूमने तथा ठहरने वाले व्यक्तियों से जुड़ी गतिविधियों को पर्यटन कहा जा सकता है।

अंग्रेजी शब्द 'TOURISM' अर्थात् पर्यटन का संबंध TOUR से है। TOUR शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। इसे यात्रा के लिए प्रयोग करने के पीछे भी महत्वपूर्ण कारण छिपा हुआ है। 'TORNOS' का अर्थ एक प्रकार के औजार से है जो एक पहिये की भाँति गोलाकार होता है। यह एक गोलाकार पिन है, इसी TORNOS से यात्रा चक्र या 'PACKAGE TOUR' यूँ कहे कि एक मुश्त यात्रा का विचार सृजित हुआ है जो कि आधुनिक पर्यटन का मुख्य आधार है। शब्द अनुसंधानों से पता चलता है कि करीब 1643 में इस शब्द का प्रयोग विभिन्न स्थानों की यात्रा, मनोरंजन, भ्रमण आदि के लिए किया गया था। यहाँ यह बात भी अत्यन्त रोचक है कि TOUR एक हिब्रू (HIBRAW) शब्द है। जो कि हिब्रू शब्द TORAH से लिया गया है। इसका अर्थ है अध्ययन या खोज। TORAH यहूदियों के विधान से संबंधित है। यहूदी विधान यहूदियों के रहन-सहन की परिभाषा वर्णित करता है। इस कड़ी में TOUR का अर्थ है कि यात्री किसी विशेष स्थान पर जाकर खोज करता है। ठीक इसी प्रकार एक पर्यटक की जिज्ञासा होती है कि वह उस स्थान के बारे में एक पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, जिसके बारे में उसने सुना है TOURISM पर्यटन शब्द के अंतर्गत वस्तुतः वह समस्त व्यापारिक क्रियाएँ सम्मिलित हैं जो यात्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। किसी भी यात्रा को पर्यटन तब कहा जायेगा जब -

- यात्रा अस्थायी हो
- यात्रा ऐच्छिक हो
- यात्रा का अर्थ किसी प्रकार का पारिश्रमिक प्राप्त करना नहीं हो।

सुप्रसिद्ध लेखक विलियम हैजलिट के शब्दों में कहें तो -पर्यटन सबसे बड़ा शिक्षक है"।

प्रो. हुन्जीकर एवं क्राफ्ट इस संदर्भ में कहते हैं - 'पर्यटन उन प्रवृत्तियों एवं संबंधों का गठजोड़ है जो यात्रा एवं प्रवासी के ठहरने से उत्पन्न होती है बशर्ते कि इससे स्थायी निवास की क्रिया का जन्म नहीं होता हो तथा यह किसी धन अर्जन करने की क्रिया से संबंधित नहीं हो।"

डॉ जेभिडिङ्गन के मतानुसार - 'पर्यटन एक सामाजिक आंदोलन है जिससे आराम, विनोद, क्रीडा एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।"

प्री माउन्ट के अनुसार - "पर्यटन का अर्थ समस्त मानवीय क्रियाओं के क्षेत्र तथा समस्त प्राकृतिक पहलुओं में अनभिज्ञता की जिज्ञासा या खोज करना है।"

मार्क ट्वेन के शब्दों में - "स्तरीय जिन्दगी बिताने के लिए बदलाव बेहद जरूरी है और पर्यटन वह साधन है।"

लीग ऑफ नेशन ने पर्यटन को परिभाषित करते हुए कहा है - "पर्यटन एक सामाजिक क्रिया है जिसमें व्यक्ति 24 घंटे से ज्यादा समय के लिए विदेश की यात्रा करता है।"

पर्यटन की इस परिभाषा को अत्यधिक सीमित कहा जायेगा, चूँकि इसमें पर्यटन को विदेश प्रवास तक ही सीमित किया गया है।

टूरिज़्म सोसायटी ऑफ ब्रिटेन के अनुसार -'पर्यटन अपने निवास स्थान से दूरस्थ स्थानों की अस्थायी, अल्पकालिक यात्रा है, जहां वे तरह-तरह के क्रियाकलापों के द्वारा मनोरंजन करते हैं।"

विश्व पर्यटन संगठन (WTO) ने पर्यटन को "व्यक्तियों की सावकाश कारोबार या अन्य प्रयोजनों के लिए निरंतर एक वर्ष से कम अवधि के लिए उनके सामान्य परिवेश से अलग किसी स्थान की यात्रा करने या ठहरने से संबंधित कार्यकलाप" के रूप में परिभाषित किया है। इसमें अन्तरराष्ट्रीय एवं घरेलू पर्यटन दोनों सम्मिलित है।

विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद (WTTC) के अनुसार - "यात्रा एवं पर्यटन यात्रियों के उपयोग के लिए उत्पादनों एवं सेवाओं को प्रस्तुत करता है।"

समग्रतः यह कहा जा सकता है कि पर्यटन मनुष्य के भीतर की जिज्ञासा को शांत करने की ऐसी प्रक्रिया है जिससे सभी स्तरों पर व्यक्ति को लाभ होता है। दरअसल पर्यटन परस्पर सूझ-बूझ और सांस्कृतिक आदान-प्रदान की भी महत्वपूर्ण ऐसी क्रिया है जिससे भिन्न-भिन्न लोगों से मेल-मिलाप ही नहीं होता बल्कि व्यक्ति प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ऐसा ज्ञान भी अनायास ही प्राप्त करता है जो अन्य किसी स्रोत से नहीं मिल सकता।

13.3 राजस्थान में पर्यटन

गौरवमयी अतीत, समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं, कला-संस्कृति, दूर तक पसरे रेत के धोरों, तीर्थस्थलों, प्राकृतिक सौन्दर्य, पशु-पक्षी अभ्यारण्य, किले, महलों आदि के कारण राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से न केवल भारत बल्कि अन्तरराष्ट्रीय मानचित्र पर अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। यही वह प्रदेश है जहां की 'पधारो म्हारे देश' की संस्कृति सैलानियों को सुदूर देशों से खींच ले आती है। शूरीयों और पराक्रमी योद्धाओं की अजूबी गाथाओं को अपने आंचल में समेटे राजस्थान की धरती के कण-कण में पन्नाधाय के त्याग, कुंभा का कला प्रेम, राणा सांगा का पराक्रम, प्रताप का स्वाभिमान, हमीर का हठ, जयमल पत्ता की कुर्बानी, मीरा की भक्ति, पद्मिनी का सौन्दर्य, महेन्द्र-मूमल की प्रणय गाथा और ढोला-मरवण के अजर-अमर प्यार की कहानियां छुपी हुई हैं।

कहीं दूर तक पसरा रेत का रेगिस्तान तो कहीं शीतलता का अहसास कराने वाली यहां की झीलें, नदियां। राजस्थान का प्राकृतिक वैभव जितना वैविध्यपूर्ण है उतना ही सरस और सजीला है यहां का सांस्कृतिक वैभव। स्वतन्त्रता से बहुत पहले ही राजस्थान में पर्यटन की शुरुआत हो गयी थी। अंग्रेजों के समय में राज्य के कुछ राजाओं ने पर्यटन को एक आर्थिक साधन के रूप में अपना लिया था। इस बात के गवाह वे किले और महल हैं जो पर्यटकों के लिए, विशेषकर विदेशी सैलानियों के लिए निरंतर खुलते चले गए। चित्तौड़, का दुर्ग हो या फिर रणथम्भौर का किला, जालौर का स्वर्णगिरी दुर्ग हो या फिर जैसलमेर का सोनार किला, कुंभलगढ़ जोधपुर का मेहरानगढ़, भरतपुर का लोहागिरी अजमेर का अजयगढ़, जयपुर कास आमेर, जयगढ़ नाहरगढ़, झालावाड़ का गढ़ गागरोण, हनुमानगढ़ का भटनेर का किला, आबू का अचलगढ़, नागौर का अहिछत्रपुर, शेरगढ़, भैंसरोडगढ़ आदि अनेकानेक दुर्गम किले, गढ़ एवं दुर्ग

इतिहास की गौरव गाथाएं ही नहीं लिए हुए हैं बल्कि निर्माण की अनुपमता के लिए भी विशेष रूप से जाने जाते हैं।

मुगल व राजपूती शैली का प्रभावी समन्वय लिए राजस्थान के महल यहां की सजीव सांस्कृतिक धरोहर हैं। राज्य में पुष्कर झील के पास बना राजा मानसिंह का पूर्व निवास मान महल, पुष्कर महल, अलवर का विनय विलास महल, महाराजा जयसिंह का विजय मंदिर पैलेस के अलावा सिलिसेड पैलेस, बीकानेर का लालगढ़ पैलेस, गजनेर पैलेस, जयपुर का सिटी पैलेस, आमेर महल, जोधपुर का उम्मेद भवन पैलेस, उदयपुर का सिटी पैलेस, सज्जनगढ़ आदि भव्यता के अप्रतिम उदाहरण हैं।

चित्तौड़गढ़ में बना कीर्ति स्तंभ, भारतीय इस्लामी वास्तुशिल्प का उल्लेखनीय उदाहरण अजमेर स्थित अढाई दिन का झोपड़ा, महाराणा प्रताप की वीरता की कहानी का बखान करता हल्दीघाटी का मैदान, महाराणा प्रताप के कठिन समय में स्वामी के प्रति पूर्ण समर्पित भाव रखते हुए साथ देने वाले अश्व चेतक की स्वामीभक्ति का बखान करता चेतक स्मारक आदि राजस्थान में आने वाले पर्यटकों को रोमांचित कर देते हैं। राजस्थान पुरातन सभ्यताओं का भी गवाह रहा है। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष तो यहां मिले ही हैं साथ ही कालीबंगा सभ्यता का साक्षी भी राजस्थान रहा है। पल्लू नामक स्थान से 1000 वर्ष पुरानी विद्या की अधिष्ठाती देवी सरस्वती की प्रतिमा प्राप्त हुई है जो वर्तमान में बीकानेर के राजकीय संग्रहालय में संग्रहित है।

विषम जलवायु भौगोलिक परिस्थितियों होने पर भी वन्यजीवों की दृष्टि से भी राजस्थान अत्यधिक समृद्ध प्रदेश है। राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण के लिए 3 राष्ट्रीय उद्यान एवं 25 वन्यजीव अभयारण्य एवं 32 आखेट निषेध क्षेत्र घोषित हुए हैं। सवाई माधोपुर जिले में प्रख्यात रणथंभौर दुर्ग के चारों ओर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना है। इस उद्यान में बाघ, बघेरे, चीतल, नीलगाय, रीछ एवं चिंकारों को स्वच्छन्द विचरण करते देखा जा सकता है। इसी प्रकार भरतपुर में एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली केवला देव (घाना) राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है।

अलवर में बाघ परियोजना हेतु संरक्षित सारिस्का वन्य जीव अभयारण्य, जैसलमेर व बाड़मेर के तीन हजार वर्ग कि.मी. क्षेत्र में फैले राष्ट्रीय मरु उद्यान में प्रकृति के अद्भुत करिश्मों के रूप में लाखों वर्ष पूर्व के सागरीय जीवन के वूड फासिल्स देखे जा सकते हैं। कोटा का दर्रा वन्य जीव अभयारण्य सांभर, हिरण के कारण जाना जाता है तो कुम्भलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य रीछ, जंगली सुअर, मुर्गा एवं भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। जयसमंद अभयारण्य बघेरे, लकड़बग्घे, सियार के कारण, सामर के कारण, सीतामाता अभयारण्य उड़न गिलहरियों के कारण, नाहरगढ़ जैविक उद्यान चिकारों, काले हिरण के कारण, जमवारामगढ़ अभयारण्य। लंगरों के कारण, चम्बल अभयारण्य घड़ियालों के कारण, रामगढ़ अभयारण्य राष्ट्रीय पशु बाघ के कारण, गजनेर अभयारण्य इम्पीरीयल सेन्डगाउज के लिए, ताल छापर काले हिरणों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इनके अलावा फूलवारी की चाल, भैंसरोढगढ़ बस्सी, सज्जनगढ़, शेरगढ़, बंध बारेठा, रावली हाडगढ़, कैला देवी अभयारण्य, पार्क, आबू अभयारण्य आदि में विविध वन्यजीवों को स्वच्छन्द विचरण करते देखा जा सकता है। वन्य जीवों में राजस्थान आसाम के बाद दूसरा देश का सबसे

समश्रद्ध प्रांत है। यहां के अभयारण्यों के प्रति आकर्षण का ही परिणाम है कि पर्यटकों से इनके आस पास के क्षेत्र सदैव भरे रहते हैं।

राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां समुद्र और बर्फ के अलावा सब कुछ है। हर रुचि के पर्यटकों के लिए यहां वह सब कुछ है। जितनी विविधता यहां के पर्यटन में उतनी अन्य किसी भी स्थान पर देखने को नहीं मिलती। दूर तक रेत के धोंरों का रेगिस्तान यहां है तो शीतलता को अहसास कराती झीलें और नदियां भी हैं। संस्कृति की सौरभ चहुं ओर बिखरी पड़ी है तो रहन-सहन और खान पान भी ऐसा है कि हर सैलानी उस पर रीझ उठता है। पर्यटन की इस विविधता का ही परिणाम है कि यहां सुदूर देशों से आने वाले पर्यटकों का वर्ष पर्यन्त ही तांता लगा रहता है।

13.3.1 पर्यटन की परम्परा

पर्यटन के व्यवस्थित विकास की ओर कदम बढ़ाते राजस्थान में पर्यटन विभाग की वर्ष 1956 में स्वतंत्र स्थापना की गयी। विभाग पर्यटन स्थलों का विकास करने तथा पर्यटकों को यहां की संस्तुति, संगति, लोक कलाओं से परिचित कराने के लिए मेलों एवं प्रदर्शनियों के आयोजन का कार्य विशेष रूप से करता है। पर्यटकों को पर्यटन केन्द्रों पर आवास, यातायात, भोजन एवं मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 1979 को 'राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड' (आरटीडीसी) का गठन किया गया। आर.टी.डी.सी. की प्रदेश में कुल 77 इकाईयां हैं, जिनमें से 39 होटल, 22 मोटल, 10 कैफेटेरिया, 3 यांत्रिकाएं, 1 यातायात इकाई तथा वर्तमान में 2 ट्रेन शाही रेलगाड़ी तथा एक हैरिटेज ऑन व्हील्स के नाम से चलायी जा रही है।

पर्यटन क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के लिए "इन्स्टीट्यूट ऑफ टूरिज़्म एंड ट्रेवल मैनेजेंट (रिटमैन)" की स्थापना भी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अंतर्गत 29 अक्टूबर 1996 को की गयी। यह संस्थान राज्य में पर्यटन विभाग से संबंधित गतिविधियों के लिए मानव संसाधन विकास का कार्य करने के साथ ही राज्य में तीव्रगति से बढ़ रहे पर्यटन अवसरों को ध्यान में रखते हुए प्रबंध के माध्यम से पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करता है।

पर्यटन विकास के लिए विभिन्न स्तरों पर किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप ही राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से पर्यटन ने गति पकड़ी है। अब पर्यटन ने यहां व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लिया है। पर्यटन के बढ़ते महत्व को दृष्टिगत रखते हुए ही राज्य सरकार ने वर्ष 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। वर्ष 2001 में राज्य की नई पर्यटन नीति भी घोषित कर दी गयी। इस नई पर्यटन नीति में राज्य में उपलब्ध समृद्ध पर्यटन संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर अधिकाधिक रोजगार के अवसर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही नई नीति में राज्य की समृद्ध एवं विविध हस्तकलाओं एवं शिल्पकलाओं के लिए बाजार उपलब्ध कराना, राज्य की समृद्ध जैवैधिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक स्थापत्य कला एवं सांस्कृतिक विरासत को वैज्ञानिक तरीकों से प्रबन्ध कर संरक्षित करना भी शामिल है। राज्य में पर्यटन क्षेत्र 'जन उद्योग' के रूप में स्थापित एवं

विकसित हो सके, इसके लिए नई पर्यटन नीति में राज्य के सामाजिक आर्थिक ढांचे में पर्यटन उद्योग का तीव्र गति से योगदान करवाना विशेष रूप से सम्मिलित है।

13.3.2 देशी-विदेशी पर्यटक आगमन

इधर राजस्थान में पारम्परिक पर्यटन के साथ ही पर्यटन के तेजी से उभरते नये स्वरूपों का भी विकास हुआ है। अब सैलानी यहां ग्रामीण पर्यटन, साहसिक खेलों के पर्यटन, विवाह पर्यटन, ज्योग्राफिक टूरिज़्म, पोलो, पारिस्थितिकी आदि के रूप में उभरी पर्यटन की नयी प्रवृत्तियां के अंतर्गत भी यहां विशेष रूप से आते हैं। पर्यटकों के लिए राज्य में विभिन्न स्तरों पर आकर्षणों का इधर तेजी से विकास भी कम नहीं हुआ है। राज्य में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से पर्यटन क्षेत्रों को 10 सर्किटों में विभक्त किया गया है। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत दिल्ली-आगरा-जयपुर के अंतर्गत भी पर्यटक राजस्थान आना पसंद करते हैं। इधर अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डे के कारण भी राजस्थान पर्यटकों की आवाजाही बढ़ी है। पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए किए गए प्रयासों का ही परिणाम है कि परिवहन एवं अन्य आवागमन सुविधाओं का राज्य में तेजी से विकास किया गया है। यही कारण है कि अब वर्ष दर वर्ष राजस्थान में आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों की संख्या में निरंतर इजाफा हो रहा है। राज्य में आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों की आवक को सारणी 13.1 में दर्शाया गया है-

सारणी 13.1

राजस्थान आने वाले देशी-विदेशी पर्यटक

क्रम सं.	वर्ष	स्वदेशी पर्यटक	विदेशी पर्यटक	कुल पर्यटक
1.	1998	6403310	591369	6994679
2.	1999	6675528	562685	7238213
3.	2000	7374391	623100	7997491
4.	2001	7757217	608283	8365500
5.	2002	8300190	428437	8728627
6.	2003	12545135	628560	13173695
7.	2004	16033896	971772	17005668
8.	2005	18787298	1131164	19918462
9.	2006	23483287	1220164	24703451
10.	2007	25920529	1401042	27321571

इन आँकड़ों से यह स्पष्ट ही है कि राजस्थान में वर्ष दर वर्ष पर्यटकों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गयी है। पर्यटकों की यह बढ़ी संख्या इस बात का संकेत है कि राजस्थान सैलानियों के लिए पर्यटन आकर्षण का निरंतर केन्द्र बनता जा रहा है। उपर्युक्त टेबल के अनुसार राजस्थान में वर्ष 2007 में 14.01 लाख विदेशी और 259.21 लाख स्वदेशी पर्यटकों ने सैर की। इस हिसाब से भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन में वर्ष 2007 में 11.92

प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि राजस्थान में विदेशी पर्यटकों के आगमन में 14.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई। देशी पर्यटकों की संख्या में भी पूर्व की अपेक्षा 10.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

यहां यह उल्लेखनीय है कि भारत में आये विदेशी पर्यटकों के आगमन से राज्य में आये विदेशी पर्यटकों के आगमन का हिस्सा 28.15 प्रतिशत है। पर्यटकों के आगमन में वृद्धि होने से राज्य में पर्यटन व्यवसाय से जुड़े सभी वर्गों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है साथ ही रोजगार के अतिरिक्त अवसर भी इस दौरान निरंतर प्राप्त हुए हैं।

13.3.5 पर्यटन से आय एवं रोजगार

राज्य में आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों के कारण पिछले कुछ समय से राजस्थान में विदेशी मुद्रा आय में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वैसे भी राज्य पर्यटन अब अर्थव्यवस्था का प्रमुख ऐसा उद्योग हो गया है जो यहां की आय पर सभी स्तरों पर प्रभाव डाल रहा है। एक मोटे अनुमान के अनुसार बगैर चिमनी और धूँए वाले पर्यटन उद्योग से राज्य को प्रतिवर्ष 5 हजार करोड़ की आय हो रही है। यही नहीं भविष्य में रोजगार के लिए बेहद संभावना वाले इस उद्योग में आज प्रति 10 लाख के निवेश पर 40 लोगों को सीधे रोजगार मिला हुआ है।

बोध प्रश्न -01

1. पर्यटन से आपका क्या अभिप्राय है ? इसकी कोई एक श्रेष्ठ परिभाषा दीजिए।
2. आपने आस-पास के पर्यटन स्थलों के नाम लिखिए एवं जानकारी प्राप्त कीजिए कि ये क्यों प्रसिद्ध हैं ?
3. राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए।
4. राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कहां-कहां स्थित है ?
5. कोटा का अभयारण्य क्यों प्रसिद्ध है ?
6. राजस्थान में कोटा विकास निगम कि स्थापना कब की गई ?
7. पर्यटन के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के लिए स्थापित संस्था कौनसी है?

13.4 पर्यटन एवं अर्थव्यवस्था

पर्यटन का अर्थव्यवस्था से सीधा संबंध है। बड़ी मात्रा में जब किसी देश में विदेशी पर्यटकों का आगमन होता है तो यह स्वाभाविक ही है कि इससे वहां की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विदेशी सैलानियों से प्राप्त विदेशी मुद्रा ही अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी नहीं होती बल्कि इससे बड़ी मात्रा में रोजगार का जो जनन होता है, उससे भी स्थानीय जीवन स्तर उच्च होता है।

पर्यटन अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाला उद्योग है। अर्थव्यवस्था की परिपक्वता में पर्यटन आज महत्वपूर्ण प्रेरक की ही भूमिका नहीं निभा रहा बल्कि राष्ट्रों के सभी स्तरों पर विकास के मार्ग को भी यही प्रशस्त करता है। कहा जा सकता है कि अन्य आर्थिक क्रियाओं की तरह ही पर्यटन भी एक आर्थिक क्रिया है, चूंकि पर्यटन के अंतर्गत आर्थिक स्रोतों का विकास होता है।

इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि जब भी कहीं कोई पर्यटक सैर को जाता है तो वह वहां पर भोजन आवास, खरीददारी के रूप में खर्च करता है। यह खर्च उस स्थल के लोगों के लिए, वहां पर उन चीजों का व्यवसाय करने वालों के लिए आय वृद्धि में सहायक होता है।

प्रत्यक्ष रूप में पर्यटन के अंतर्गत किया गया खर्च दिखायी नहीं देता परन्तु अप्रत्यक्ष रूप में यह खर्च किसी भी स्थान-विशेष की अर्थव्यवस्था में लाभ पहुंचाता है।

पीटर एफ. ड्रकर के अनुसार पर्यटन के आर्थिक रूप से पांच प्रमुख कार्य हैं-

- (1) दुर्लभ मुद्रा अर्जित करके व्यापार संतुलन में योगदान करना।
- (2) जिन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास नहीं है वहां पर विकास को बढ़ावा देना।
- (3) रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना।
- (4) बहुप्रभाष के माध्यम से सामान्य आर्थिक क्रियाओं में सहयोग करना।
- (5) विदेशी व्यक्तियों व विदेशी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना।

वैसे भी पर्यटन आज विश्व का ऐसा उद्योग है जिसमें बहुत अधिक वित्त निवेशित है। आवास, परिवहन, पर्यटन स्थल क्षेत्र तथा सहायक सुविधाएं व सेवाएं पर्यटन के मुख्य पहलू हैं जहां पर किए गए नियोजन से पर्यटन प्रिय राष्ट्रों में बहुत ही उच्च आय प्राप्त होती है।

यूनाइटेड चैम्बर्स ऑफ कार्मस के अनुसार - "किसी भी क्षेत्रीय प्राप्त या सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए पर्यटन की उन्नति एक मुख्य संचालन है। नये व्यापार व नये धन को एक नये क्षेत्र में लाने के मूलतः तीन तरीके हैं, ये हैं- कृषि विकास, औद्योगिक विकास तथा पर्यटन विकास। संभवतः तीनों में पर्यटन विकास एक शीघ्रगामी तथा कम से कम कठिन तरीका है।"

पर्यटन एवं अर्थव्यवस्था के संबंधों को समझने के लिए यह आवश्यक है कि समग्रतः पर्यटन को आर्थिक स्तर पर समझा जाए। पर्यटन के अंतर्गत अर्थव्यवस्था से संबंधित निम्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं-

13.4.1 पर्यटन मांग एवं पूर्ति

जब कभी कोई पर्यटक घूमने के लिए किसी देश में जाता है तो वह वहां भ्रमण की स्वतंत्रता के साथ विभिन्न अन्य सुविधाओं की भी अपेक्षा करता है। पर्यटन स्थल तक जाने व पर्यटन स्थल पर ठहरने एवं पर्यटन स्थल के बारे में जानने के लिए जिन-जिन वस्तुओं व सेवाओं की आवश्यकता होती है। वे सभी पर्यटन मांग की श्रेणी में आती हैं। पर्यटन व्यवस्था का निर्धारण दरअसल मांग आधारित है। इस मांग आधारित व्यवस्था में स्थानीय निवासियों की अपेक्षा पर्यटकों की संतुष्टि पर ज्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए।

पर्यटन मांग निर्धारण के तहत पर्यटन स्थलों के आकर्षण के साथ-साथ वहां पहुंचने की हवाई, सड़क यातायात की बेहतर व्यवस्था, मुद्रा विनिमय, वीजा, सुरक्षित माहौल, घुमने की आजादी, खरीददारी के लिए बेहतर व्यवस्थाओं आदि का होना नितान्त आवश्यक है। मांग निर्धारण को अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखे जाने से काफी हद तक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, चूंकि पर्यटन ही एक मात्र ऐसा उद्योग है जिससे न केवल बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा

की प्राप्ति होती है बल्कि स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलता है। ज्यादा से ज्यादा पर्यटक किसी देश में कैसे आएँ, इसके लिए पर्यटन मांग निर्धारण वाले तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है।

पर्यटन मांग निर्धारण को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है-

- (1) पर्यटन स्थल तक पहुँच - जिस स्थान पर पर्यटन के लिए जाना है वहाँ के लिए यातायात व्यवस्था। विश्व के विभिन्न देशों की यात्रा के अंतर्गत वहाँ पहुँचने के लिए आराम से हासिल होने वाली हवाई यात्रा, चूँकि इससे समय की बचत होती है।
- (2) आवासीय अवस्था - पर्यटन स्थल पर ठहरने के लिए आवास व्यवस्था के अंतर्गत सुविधाजनक होटल, मोटल आदि।
- (3) पर्यटन आकर्षण - प्राकृतिक स्थल, मानव निर्मित और सांस्कृतिक या समुदाय विशेष की परम्परा, प्रथा आदि के संबंध में।
- (4) सहयोगी सेवाएं - स्थान विशेष पर उपलब्ध बैंकिंग सुविधाएं, चिकित्सा, दुकान एवं अन्य उपभोक्ता सेवाएं।
- (5) आधारभूत सुविधाएं - रेल, सड़क एवं हवाई परिवहन की बेहतर सुविधाओं के साथ ही पर्यटन स्थल पर बिजली, सिवरेज, पानी आदि की समुचित व्यवस्था।
- (7) पर्यटन केन्द्र से संबंधित साहित्य
- (8) पर्यटक मार्गदर्शक (गाईड)

पर्यटन मांग का निर्धारण करने वाली इन सुविधाओं के साथ-साथ पर्यटन स्थलों पर वहाँ के लोगों के आत्मीय व्यवहार, पर्यावरण संरक्षण, पर्यटकों की सुरक्षा आदि के बेहतर इंतजाम आदि से भी पर्यटकों का आकर्षण होता है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं परन्तु पर्यटन मांग के अनुसार विश्व के अन्य देशों की तुलना में पर्यटकों को आकर्षित करने के विशेष प्रयास अभी भी यहाँ बहुत अधिक नहीं हो पाए हैं। हालांकि समय-समय पर 'पर्यटन वर्ष', 'अतिथि देवो भवः', जैसे अभियान चलाकर देश में पर्यटकों को आकर्षित करने के प्रयास किए भी गए हैं परन्तु अभी भी विश्व पर्यटन में हमारा हिस्सा अत्यधिक न्यून है। इसकी खास वजह भी है। मुक्ताकाश नीति के तहत पर्यटकों को देश में पहुँचते ही वीजा प्रदान करने, पर्यटन स्थलों पर बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के साथ ही पर्यटकों की सुरक्षा आदि की दिशा में अभी और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व पर्यटन बाजार में ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी भारत निभाए। यह संभव तभी है जब देश में-

- पर्यटन की क्षमताओं और आर्थिक विकास व सामाजिक परिवर्तन के रूप में पर्यटन की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा की जाए।
- घरेलू और विदेशी पर्यटकों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परिवहन, आवास एवं बुनियादी ढांचे से संबंधित अन्य सुविधाओं की समुचित व्यवस्था के लिए प्रबंध हो।

- देश के लोगों में जागरूकता के साथ विदेशों में भी भारत के बारे में जानकारी देने के प्रयासों को विस्तार दिया जाए अर्थात् पर्यटन के विपणन के समुचित प्रयास हो।
- भारत तक की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं में सीटों की क्षमता को बढ़ाया जाए। घरेलू विमान सेवाओं में सुधार किया जाए, उन्हें वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाए।
- हवाई अड्डे पर ही सैलानियों को वीजा प्रदान करने हेतु कार्यवाही की जाए।

आज पर्यटन विश्व की बड़ी आर्थिक क्रिया बन चुका है। ऐसे में सभी देश पर्यटन को अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा की आय जुड़ी हुई है। इस संदर्भ में पर्यटन के अंतरराष्ट्रीय और आर्थिक महत्व को देखते हुए पर्यटन की मांग निर्धारण को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखे जाने की सोच से ही पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है।

13.4.2 पर्यटन विपणन

पर्यटन मांग के आधार पर विपणन घटक क्या होंगे, यह जानकर ही पर्यटन उद्योग का समुचित विकास किया जा सकता है। मांग एवं पूर्ति के आधार पर पर्यटन विपणन के विभिन्न घटक इस प्रकार से हैं -

उत्पाद

सभी व्यावहारिक कार्यों के लिए उत्पाद की परिकल्पना 'होटलों के निर्माण और आकर्षक स्थानीय मुद्दों की पहचान के रूप में की गयी है। नतीजा यह हुआ है कि उत्पाद के विभिन्न घटकों पर अनावश्यक जोर दिया गया है। पर्यटन विपणन के क्षेत्र में उत्पाद की समुचित परिकल्पना करने के लिए हमें उन विभिन्न गतिविधियों की सावधानी से पहचान करनी होगी जिनके समन्वय से पर्यटन उत्पाद उत्पन्न होते हैं। अंतरराष्ट्रीय अनुमानों के अनुसार कोई पर्यटक अपने कुल पर्यटन खर्च का 35 प्रतिशत रिहायश या ठहरने और खानपान और शेष 25 प्रतिशत मनोरंजन, खरीददारी और अन्य गतिविधियों में खर्च करता है।

मांग के हिसाब से देखे तो एक पर्यटक जब किसी पर्यटन स्थल पर पहुँचता है तो विभिन्न पर्यटन उत्पादों की ही अपेक्षा नहीं करता बल्कि अपनी सुविधाओं के बारे में भी पहले से ही पता लगाता है। पर्यटक की मांग के अनुरूप व्यवस्था गंतव्य पर होगी, तभी वह वहाँ पर्यटन के लिए जाने का मानस बनाएगा।

एक बार समय रूप से उत्पाद-समुच्चय की परिकल्पना कर लिए जाने और उत्पाद समुच्चय के विकास में सिस्टम एप्रोच (प्रणाली दृष्टिकोण) अपनाने के बाद पर्यटन क्षेत्र में मांग संबंधी विपणन समुच्चय के अन्य घटकों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देना काफी आसान हो जाता है। जहाँ तक उत्पाद समुच्चय के अन्य घटकों का सवाल है सरकार की प्राथमिकता बुनियादी ढांचे जैसे अच्छी सड़कों, हवाई अड्डों, बिचली. जल-मल निस्तारण प्रणाली आदि के विकास की होनी चाहिए।

प्रोत्साहन

प्रोत्साहन के समस्त उपकरणों, जैसे विज्ञापन, व्यापार संवर्धन, प्रचार-प्रसार और उच्च स्तरीय सेल्समैनशिप आदि का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए और बाजार विभाजन तथा

मौखिक प्रोत्साहन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि दुनिया भर में खोले गए भारतीय पर्यटन कार्यालय अपनी और से पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक एयरलाइन्स और होटल उद्योग के साथ कारगर तालमेल नहीं होता उनके प्रयास अधिक सफल नहीं होंगे।

विदेशों में स्थित भारतीय पर्यटन कार्यालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार देश में पर्यटकों की सुविधाओं की कमी और आकर्षक पैकेज की कमी सबसे बड़ी बाधाएं हैं। पर्यटक और टूर ऑपरेटर हमसे यह उम्मीद करते हैं कि भारत में किसी भी अच्छे होटल में उनके ठहरने का पक्का इंतजाम हो और भ्रमण के लिए परिवहन का ऐसा पैकेज हो जिससे वह भारत के प्रमुख दर्शनीय स्थल देख सकें। पर्यटन प्रोत्साहन की दिशा में सार्थक पहल तभी हो सकती है जब पर्यटकों को कम लागत पर अधिकतम आवास, परिवहन की सुविधाएं प्रदान की जाएं। उनकी यात्रा सुलभ और सार्थक करने के लिए पर्यटन के विभिन्न सहायक उद्योगों का प्रभावी समन्वय जरूरी है। लागत कम करना और प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल करना हमारा मूल मंत्र होना चाहिए।

मूल्य निर्धारण

पर्यटन विपणन के मामले में मूल्य निर्धारण सबसे जटिल मुद्दा है। यह आम धारणा है कि विभिन्न टूर ऑपरेटर अपने-अपने स्तर पर पर्यटकों, विशेष रूप से विदेशी पर्यटकों को लूटते हैं। जिस बात की तत्काल आवश्यकता है वह है पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में अधिकतम पारदर्शिता की। यहां ध्यान में रखने की बात यह है कि पर्यटन का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। यह जीवन जीने का एक तरीका और एक संस्कृति भी है।

दोष रहित सूचना प्रणाली

पर्यटन संबंधी गतिविधियों के तमाम पहलुओं से जुड़ी सूचनाओं तक पहुंच को और आसान बनाने से एक ऐसा ढांचा खड़ा किया जा सकेगा जिससे व्यावहारिक निर्णय लेने में मदद मिलेगी इसका एक फायदा यह भी होगा कि पर्यटकों को व्यक्तिगत स्तर पर सेवाएं मानक पैकेज के समतुल्य दर से उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

13.4.3 पर्यटन एवं राष्ट्रीय आय

राष्ट्रीय आय की परिभाषा के अनुसार एक वर्ष में एक देश में समस्त अन्तिम उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इस प्रकार इसमें अन्तिम उत्पादित वस्तुएं व सेवाएं शामिल हैं। पर्यटन व्यवसाय में दोनों का उत्पादन होता है।

पर्यटन का राष्ट्रीय आय से सीधा संबंध है। विदेशी एवं घरेलू दोनों ही पर्यटन राष्ट्रीय आय का सृजन करते हैं। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि जब कहीं कोई पर्यटक जाता है तो वह वहां पर अपनी सुविधा और आवश्यकता के लिए जो भी खर्चा करता है वह खर्च सीधे नीचे के स्तर तक पहुंच जाता है। आवास, परिवहन, स्थानीय हस्त शिल्प उत्पाद, सवारी आदि के लिए पर्यटकों द्वारा किए जाने वाला व्यय रूकता नहीं है बल्कि वह आगे से आगे बढ़ता रहता है। इस रूप में ऐसा व्यय पहले स्थानीय क्षेत्र की आय को, फिर राज्य की आय को और

अंततः राष्ट्रीय आय की वृद्धि में सहायक होता है। राष्ट्रीय आय की कुल व्यय से तुलना की जा सकती है।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन का स्थान तभी मालूम हो सकता है जबकि राष्ट्रीय आय में पर्यटन प्राप्तियों के योगदान को जाना जाये। भारत में पर्यटन हीरे-जवाहरात एवं रेडिमेड गारमेंट उद्योग के बाद तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है तो आयरलैण्ड, आस्ट्रिया, मैक्सिको, जर्मनी व स्पेन में राष्ट्रीय आय का बड़ा अंश पर्यटकों द्वारा योगदान किया जाता है। मैक्सिको, जोर्डन, पनामा व स्पेन में तो पर्यटन एकमात्र महत्वपूर्ण निर्यात रहा है। कनाडा में अखबारी कागज के बाद पर्यटन दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। पर्यटन आज 25 से भी अधिक देशों में निर्यात की जाने वाली तीन मुख्य मदों में से एक है।

हालांकि भारत की पर्यटन में शुरुआत बहुत पहले ही हो गयी थी परंतु देश के जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में पर्यटन की योगदान संभावना इसमें देखी जा सकती है कि आज यह 10.7 प्रतिशत के विश्व औसत की तुलना में 5.3 प्रतिशत है और जीडीपी के प्रति पर्यटक के योगदान को मापते समय भारत का विश्व में 140 वां स्थान है। विश्व में 15 वें स्थान पर होने के बावजूद भारत में यात्रा एवं पर्यटन उद्योग 4.2 प्रतिशत की विश्व औसत की तुलना में 2.5 प्रतिशत के जीडीपी का योगदान देता है।

विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद के अनुसार यात्रा एवं पर्यटन उद्योग का जीडीपी प्रतिशत के योगदान की दृष्टि से विश्व में थाइलैंड का 40 वां स्थान है वहां कुल जीडीपी का 7.3 प्रतिशत, मिस्र का 46 वां स्थान वहां कुल जीडीपी का प्रतिशत 5.7, मलेशिया का यात्रा एवं पर्यटन उद्योग में 82 वां स्थान है जहां कुल जीडीपी का 4.0 प्रतिशत है। इसी प्रकार इंडोनेशिया का जीडीपी प्रतिशत के योगदान की दृष्टि से विश्व में 102 वां स्थान है जहां कुल जीडीपी का प्रतिशत 3.4 है। चीन का 120 वां स्थान है जहां कुल जीडीपी का 2.7 प्रतिशत है।

राष्ट्रीय आय की कुल व्यय से तुलना की जा सकती है। प्रति वर्ष राष्ट्र के कुल व्यय व उत्पादित माल व सेवाओं का मूल्य आंका जाता है। राष्ट्र में व्यक्तिगत व संघीय संस्थाओं की आय के जोड़ को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। जैसे ही किसी देश में पर्यटक व्यय करना प्रारंभ करते हैं, वहां की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने लगती है। पर्यटक जो भी राशि अपने होटल आवास, यात्रा संचालक, रेस्टोरेंट आदि पर खर्च करते हैं वह धन प्राप्त करने वालों की आय में जुड़ जाता है तथा फिर राष्ट्रीय आय का अंश बन जाता है।

पर्यटन ने राष्ट्रीय आय को कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में संचय होने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। खर्च के विभिन्न अवसरों का सृजन करते पर्यटक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक वातावरण को भी कहीं गहरे तक प्रभावित करता है। पर्यटन के तहत भ्रमण के साथ ही मेले, प्रदर्शनियों, सम्मेलन आदि में जो व्यय होता है उससे धन का पुनः वितरण होता है। इससे ही फिर रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होती है। बेरोजगारी घटाने तथा रोजगार बढ़ाने की दिशा में पर्यटन की क्षमताएं असीमित हैं। अविकसित क्षेत्रों के साथ ही ऐसे क्षेत्र जहां पर किसी स्तर पर ध्यान नहीं दिया जाता, वहां के विकास के लिए भी पर्यटन

अत्याधिक उपयोगी होता है। इस लिहाज से देश की आय के समान क्षेत्रों में वितरण व उसकी वृद्धि के लिए पर्यटन के महत्व से इन्कार नहीं किया जा सकता।

13.4.4 अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं पर्यटन

एक देश से दूसरे देश को वस्तुओं और सेवाओं का आयात-निर्यात अन्तरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। पर्यटन सेवाओं व उत्पाद का आयात-निर्यात पर्यटन व्यापार है। दरअसल पर्यटन अंतरराष्ट्रीय व्यापार की भी महत्वपूर्ण कड़ी है। इसमें भौतिक वस्तुओं के आयात-निर्यात की बजाय सेवाओं का अदृष्टिगत निर्यात किया जाता है। इस निर्यात के तहत पर्यटन व्यापार, बैंकिंग एवं बीमा सेवाएं, परिवहन आदि सम्मिलित होती हैं।

जब कभी भारतीय पर्यटक अमेरिका, ब्रिटेन, चीन आदि कहीं पर भी जाते हैं तो वह वहां पर धन व्यय कर जिन वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करते हैं वह भारत का इन देशों से पर्यटन आयात है। इसी प्रकार भारत आकर यदि ब्रिटेन, चीन, अमेरिका या अन्य किसी भी देश के पर्यटक वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करते हैं तो यह भारत का उन देशों को अपनी सेवाओं और वस्तुओं का निर्यात है। इस प्रकार पर्यटन अप्रत्यक्षतः अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सशक्त माध्यम है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधनों के तीव्रतम विकास ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच की दूरियों को कम करने में ही महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभायी है बल्कि पर्यटन संबंधी अंतरराष्ट्रीय व्यापार को भी तेजी से विकसित किया है। पर्यटन एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत सम्मिलित हैं-

- किसी देश की यात्रा के समय पर्यटकों द्वारा किया जाने वाला व्यय अर्थात् आवास, खान-पान, स्थानीय परिवहन, खरीददारी आदि का खर्चा। ऐसा खर्च भुगतान संतुलन के रूप में आता है।
- पर्यटकों द्वारा कुछ पूंजी संबंधी सामान। अर्थात् पुरानी कीमती वस्तुएं, कम्प्यूटर, मोटर कार आदि। ये व्यापार के संतुलन में आयात-निर्यात किए माल में सम्मिलित होती हैं।
- अंतरराष्ट्रीय हवाई समुद्री एवं रेल यातायात के लिए किया गया व्यय। इस व्यय को व्यापार संतुलन की अन्य दृष्टिगत मदों में सम्मिलित करते हुए सेवाओं तथा मुद्रा संबंधी लेन-देन के आयात-निर्यात में सम्मिलित किया जाता है।
- पर्यटन अंतरराष्ट्रीय व्यापार की अकेली सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ने वाली ऐसी श्रेणी है जो कुल निर्यात का 12.8 प्रतिशत है। यह 83 प्रतिशत देशों के लिए 5 उच्च निर्यात श्रेणियों में से एक तथा 38 प्रतिशत के लिए विदेशी मुद्रा का बड़ा स्रोत है।

बोध प्रश्न-02

1. पर्यटन के आर्थिक रूप से 5 प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए।
2. पर्यटन को आकर्षित करने के लिए समय-समय पर किए गए विशेष प्रयासों का उल्लेख कीजिए।
3. पर्यटन को उद्योग के रूप में चलाने के लिए क्या किया जाना चाहिए?
4. पर्यटन का राष्ट्रीय आय में योगदान कितना है?

13.5 पर्यटन का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

पर्यटन का आर्थिक प्रभाव समग्र अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। विदेश मुद्रा आय अर्जन से लेकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि, उद्योगों को प्रोत्साहन, उद्योग विहिन क्षेत्रों में विकास के सभी स्तरों पर क्रियान्वयन को पर्यटन द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। पर्यटन से किसी देश में रहने वाले लोगों के जीवनस्तर तथा रहन-सहन की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार लाए जाने के साथ ही रोजगार सृजन का भी महत्वपूर्ण कार्य होता है। पर्यटन से स्थानीय कर प्राप्तियों के रूप में अर्थव्यवस्था को जो लाभ होता है उसमें समाजिक रूप में निर्धनता उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास, पेयजल तथा स्वच्छता, बेहतर अवसंरचना, मनोरंजन के अधिक अवसरों आदि आधारभूत समाज सेवा की व्यवस्था को वास्तविकता में साकार किया जा सकता है।

यही नहीं सामाजिक, क्षेत्रीय, लिंग भेद की असमानताओं को दूर करने की दृष्टि से भी पर्यटन प्रभाव डालता है। पर्यटन से होने वाले लाभों का उन ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया जा सकता है जहां अन्य आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है। इसी प्रकार पर्यटन में महिलाओं, युवाओं, समाज के कमजोर वर्गों, विकलांगों, जनजातीय समुदायों को रोजगार पर लगाने की अपार क्षमता है और इससे इन समुदायों को सशक्त बनाकर सामाजिक न्याय और समानता उपलब्ध करायी जा सकती है। वस्तुतः सामाजिक स्थिरता के लिए पर्यटन प्रत्यक्षतः सहायक है। अर्थव्यवस्था पर पर्यटन विभिन्न स्तरों पर कैसे प्रभाव डालता है, इसे निम्न आधार पर समझा जा सकता है।

13.5.1 विदेशी मुद्रा आय की प्राप्ति

पर्यटन विदेशी मुद्रा प्राप्ति का आज सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। पर्यटन ही ऐसा निर्यात उद्योग है जो बगैर राष्ट्रीय स्रोतों को नुकसान पहुँचाए तथा प्रत्यक्ष रूप में बगैर माल का निर्यात किए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। वास्तव में पर्यटन अदृश्य निर्यात है। अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन से ही विदेशी मुद्रा का प्रवाह होता है। बहुत से राष्ट्रों यथा जापान, इटली, मोरिसस युगोस्लोवेकिया, फ्रांस, चीन, स्पेन, ब्रिटेन आदि की अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत आज पर्यटन ही है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि जब कभी पर्यटक पर्यटन करने किसी देश में जाते हैं तो वे जितने दिन भी वहां रहते हैं, अपने रहने, खान-पान, मनोविनोद, पसंद की वस्तुओं की खरीददारी आदि पर निरंतर खर्च करते हैं। यह खर्च ही उस स्थान विशेष की विदेशी -मुद्रा आय बन जाता है। यही कारण है कि पर्यटन के लिए आज हर देश में उदार नीतियां अपनायी जाने लगी हैं। इन नीतियों के मूल में पर्यटकों को अधिकाधिक रूप में अपने, यहां आकर्षित करना ही है। थाइलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया आदि देशों में पर्यटन की मार्केटिंग इस प्रभावी रूप में की जाती है कि प्रतिवर्ष यहां 50-50 लाख से अधिक पर्यटक विश्व भर से पहुंचते हैं। चीन का तो यहां तक कहना है कि उसकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार स्तम्भ ही पर्यटन है।

भारत में हालांकि पर्यटन की शुरुआत तो बहुत पहले हो गयी थी परन्तु पर्यटन के आर्थिक महत्व को देखते हुए इसे उद्योग का दर्जा 1986 में दिया गया। अस्सी के दशक से पर्यटन देश में विदेशी मुद्रा कमाई का बड़ा जरिया बन गया है।

13.5.2 विभिन्न उद्योगों को प्रोत्साहन

पर्यटन स्वयं तो एक उद्योग है ही, यह अपने से संबंधित विभिन्न अन्य उद्योगों को भी प्रोत्साहन देता है। इस रूप में पर्यटन का आर्थिक रूप से विशेष महत्व भी है कि यह विभिन्न उद्योगों के समूह के रूप में पर्यटकों की मांग पूर्ति करता है। पर्यटन उन उद्योगों, कंपनियों, संस्थाओं को सहयोग देता है जिनका समान उद्देश्य पर्यटकों की आवश्यकता पूर्ति करना होता है। बहुत से उद्योग तो वस्तुतः पर्यटन पर ही आश्रित होते हैं यथा-

- होटल
- रेस्टोरेंट
- यात्रा अभिकर्ता
- यात्रा प्रचालक
- परिवहन

इन सब उद्योगों के साथ ही पर्यटन पर आंशिक रूप से आश्रित भी बहुत सी पर्यटन सेवाएं हैं। यथा बैंकिंग, बीमा, लाउन्ड्री एवं पर्यटन संबंधी वस्तुएं बेचने वाले फुटकर व्यापारी। कृषि, हस्तशिल्प, डेयरी, मुर्गीपालन, निर्माण, वास्तु आंतरिक सज्जा, खाद्य प्रसंस्करण आदि उद्योग भी पर्यटन से जुड़े उद्योग हैं और इनसे पर्यटन का अप्रत्यक्ष सम्पर्क रहता है। पर्यटन स्थलों के विकास के अंतर्गत वहां होने वाले निर्यात कार्यों, आधारभूत सुविधाओं आदि से संबद्ध उद्योगों के लिए भी पर्यटन सहायक के रूप में कार्य करता है। दरअसल पर्यटन अपने से संबंधित समस्त सहायक उद्योगों का उचित मार्गदर्शन ही नहीं करता बल्कि उन उद्योगों के विकास, उन्नति में भी योगदान देता है। किसी देश में अगर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होती है तो इससे स्वतः ही विभिन्न अन्य उद्योगों का विकास सुनिश्चित हो जाता है। पर्यटन के आकर्षण से नये उद्योगों को भी पनपने का मौका मिलता है।

13.5.3 उद्योग विहिन क्षेत्रों का विकास

उद्योग विहिन क्षेत्रों में पर्यटन का प्रभाव कैसे सकारात्मक रूप में पड़ता है, इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि औद्योगिक विकास वाले क्षेत्रों में तो फिर भी धन का केन्द्रीयकरण हो जाता है परन्तु पर्यटन क्षेत्र आय के वितरण के माध्यम से इस प्रभाव को अन्य क्षेत्रों में अग्रेषित करता है। वैसे भी पर्यटन आकर्षण के केन्द्र अधिकतर वे ही स्थल होते हैं जहां उद्योग-धन्धे बहुधा नहीं होते अर्थात् पर्यटन सामान्यतः पर्वतीय, ग्रामीण, समुद्रतटीय क्षेत्रों में ही होता है। ऐसे स्थानों पर वहां के लोगों की आय का जरिया वहां आने वाले पर्यटक ही होते हैं। पर्यटक इन स्थलों पर जाते हैं, वे वहां विभिन्न क्रियाओं में खर्च करते हैं। यह खर्च ही वहां के लोगों की आय का जरिया बन जाता है।

प्राकृतिक संसाधनों, ऊर्जा के स्रोतों, कच्चे माल आदि से भरपूर क्षेत्रों व उद्योग धंधों के लिए भौगोलिक दृष्टि से अनुकूल स्थानों पर तो वहां की आर्थिक क्रियाएं औद्योगीकरण से ही प्रारंभ होती हैं परन्तु हिमाच्छादित पहाड़ियां, सुंदर प्राकृतिक दृश्यों, असीमित समुद्र तट, रेत का अथाह समुद्र, बंजर भूमि, रेगिस्तानी राष्ट्रीय पार्क आदि वाले इलाकों के तत्व राष्ट्रीय उद्योगों

के लिए उत्पादनहीन होते हैं। उत्पादनहीन होने के बावजूद ऐसे क्षेत्र व स्थान पर्यटन की अथाह सम्पदा के स्रोत होते हैं। ऐसे में इन इलाकों का सम्पूर्ण विकास पर्यटन गतिधियों पर ही केन्द्रित होता है। उदाहरणार्थ कश्मीर, शिमला आदि इलाकों में अगर पर्यटक न जाए तो वहां की कल्पना ही नहीं की जा सकती। वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पर्यटन पर ही निर्भर है। ऐसे में पर्यटन को उद्योग विहीन क्षेत्रों के विकास का सशक्त माध्यम कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उद्योग विहीन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की आय वृद्धि, वहां आधारभूत सुविधाओं का विकास, बिजली, पानी, सड़क निर्माण आदि की सुविधाओं के विस्तार आदि के माध्यम से पर्यटन विभिन्न क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देता है।

13.5.4 रोजगार अवसरों में वृद्धि

आज पर्यटन रोजगार प्रदान करने वाला सबसे बड़ा उद्योग हो गया है। अन्य उद्योगों की तुलना में पर्यटन में रोजगार प्रदान करने की क्षमता कहीं अधिक है। पर्यटकों की मांग पूर्ति के लिए सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है और इनकी पूर्ति रोजगार के अवसर बढ़ाती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में पर्यटन के जरिये बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार ही नहीं मिलता बल्कि बहुत से क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां आय के एक साधन के रूप में पर्यटन का ही सहारा है। मसलन हिल स्टेशनों में तो लोगों के जीविकोपार्जन का साधन ही पर्यटन है। विश्व पर्यटन तथा यात्रा परिषद् के अनुसार आज विश्व के 10.6 प्रतिशत श्रमिक बल को पर्यटन द्वारा रोजगार प्रदान किया जाता है। 1995 से 2005 के बीच पर्यटन के जरिये पूरे विश्व में 15 करोड़ नए रोजगार पैदा होने का अनुमान लगाया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में भी पर्यटन का कुल प्रभाव रोजगार के रूप में अधिक है। देश में 2010 तक पर्यटन के जरिये रोजगार के 90 लाख नए अवसर सृजित होने का अनुमान लगाया गया है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि पर्यटन का जिस तेजी से विकास हो रहा है, उसी तेजी से इसमें रोजगार संभावना भी बढ़ रही है। वैसे भी पर्यटन के क्षेत्र में निवेश पर वसूली कृषि तथा निर्यात उद्योगों के मुकाबले अधिक है। यात्रा एवं पर्यटन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आने वाले वर्षों में 50 मिलियन अतिरिक्त नौकरियों के सृजन का अनुमान लगाया गया है। रोजगार की दृष्टि से भारत में यात्रा एवं पर्यटन अर्थव्यवस्था से 25 मिलियन नौकरियां मिलती हैं। वस्तुतः पर्यटन बेरोजगारी समाप्त करने का सबसे प्रभावी माध्यम है।

होटल, रेस्तरां, ट्रेवल एजेंसी, दूर ऑपरेटर, परिवहन, मनोविनोद आदि के विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों में रोजगाररत लोगों के साथ ही विभिन्न पर्यटन सेवाओं में भी लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। पर्यटन उद्योग के तहत रोजगार देने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं -

- परिवहन : परिवहन के अंतर्गत रेलवे, बस, हवाई यातायात, समुद्री जहाज के साथ ही स्थानीय परिवहन के अंतर्गत टैक्सी, आटोरिक्शा के अंतर्गत भी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता ट्रेवल एजेंसी एवं दूर ऑपरेटर : इसके तहत थोक, खुदरा अभिकर्ताओं के साथ ही पर्यटक गाईड, यात्रा एजेंट आदि के रूप में लाखों लोगों को रोजगार मिलता है।

- होटल एवं केटरिंग : पर्यटन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। होटल, मोटल, रेस्टोरेंट आदि रोजगार प्रदान करने के बड़े क्षेत्र हैं।
- सहायक उद्योग : पर्यटन से जुड़े सहायक उद्योग यथा लाउन्ड्री, निर्माण, बैंकिंग, बीमा आदि विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार अवसरों की वृद्धि पर्यटकों के अधिकाधिक प्रवाह पर ही निर्भर करती है।
- मनोरंजन : मनोरंजन की विभिन्न क्रियाओं के तहत आज नए-नए पर्यटन आयामों में रोजगार संभावना में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। साहसिक खेल, जीप, कैमल सफारी आदि के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि के जरिये रोजगार मिलता है।

इनके अलावा पर्यटन उद्योग भोजन विशेषज्ञ, लेखापाल, मनोविनोदकर्त्ता, हाउस कीपर, स्मारिका विक्रेता, माली, हस्तशिल्प विक्रेता आदि को भी रोजगार प्रदान करता है। कुशल प्रबंधक से लेकर कर्मचारियों को पर्यटन उद्योग रोजगार देने का सशक्त माध्यम है। ऐसे क्षेत्रों में जहां रोजगार के साधन सीमित है, वहां पर भी पर्यटन रोजगार प्रदान करने का बड़ा माध्यम है।

13.5.5 जीवन स्तर में वृद्धि

समाज में पर्यटन के जरिए जब विभिन्न स्तरों पर रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा होते हैं तो यह स्वाभाविक ही है कि इसमें लोगों के जीवन स्तर में भी वृद्धि होती है। स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए तो पर्यटन असरकारक होता ही है साथ में लोगों की जीवन शैली, स्तर वृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब कहीं पर्यटक अधिक आते हैं तो वे जितने दिन भी वहां रहते हैं, स्थानीय लोगों में अपने रहन-सहन से प्रेरणा देते हैं। इस रूप में समाज को प्रेरित करने, उनके जीवनस्तर को उंचा उठाने में पर्यटन विशेष रूप से प्रभाव डालता है। लोगों के जीवनस्तर तथा रहन-सहन की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार लाने के देश के एकमात्र सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पर्यटन द्वारा अपेक्षित राजस्व एवं आय अर्जित की जा सकती है। पर्यटन के जरिये प्राप्त विभिन्न स्तरों की आय यथा केन्द्रीय और स्थानीय कर प्राप्तियों से निर्धनता उन्मूलन, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल जैसी समाज की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर जीवनस्तर को बेहतर बनाया जा सकता है। इस रूप में पर्यटन समाज के जीवनस्तर में वृद्धि का प्रभावी माध्यम है।

13.5.6 ग्रामीण विकास को बढ़ावा

पर्यटन के निर्यात उत्पादों का सबसे बड़ा बाजार भारत के गांव ही है, चूंकि अधिकांश हस्त शिल्प उत्पादन, दस्तकारी आदि गांवों से ही उत्पादित निर्मित होते हैं। ऐसे में गांवों के विकास और वहां के लोगों के लिए पर्यटन बेहद प्रभावकारी है। ग्रामीण लोककलाएं, परम्पराएं पर्यटकों को वैसे भी विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। देश में होने वाले विभिन्न पर्यटन मेलों, उत्सवों आदि में लोक कलाओं, संस्कृति की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने वाले कलाकार ग्रामीण समाज से ही होते हैं। इधर पिछले कुछ वर्षों से देश में ग्रामीण पर्यटन पर भी विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। ग्रामीण पर्यटन के अंतर्गत पर्यटकों की चाह गांवों को करीब से देखने, गांव

को महसूस करने की रहती है। इस दृष्टि से ग्रामीण विकास को पर्यटन के जरिये मजबूत आधार प्रदान किया जा सकता है।

पर्यटन से होने वाले आय-लाभ को उन ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाने से जहां अन्य आर्थिक क्रियाकलाप कठिन है, राज्यों तथा क्षेत्रों के मध्य की विकास की असमानता को कम किया जा सकता है। ग्रामीण विकास में पर्यटन का प्रभाव इस प्रकार से हैं।

- भारत की अधिकांश आबादी गांवों में रहती है। वहीं से पर्यटन उत्पादों की मांग की अधिकांश पूर्ति होती है।
- पर्यटन का 95 प्रतिशत व्यवसाय छोटे और मध्यम स्तर के उद्यम है अतः पर्यटन विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों, कुटीर उद्योगों और आर्थिक विविधताओं के लिए विशेष सहायक है।
- पर्यटन गांवों को शहरी स्थानान्तरण से रोकता है।
- परम्परागत कलाओं, शिल्प, कार्य-कलापों और उत्सवों में सहयोग देने का अधिकांश कार्य ग्रामीण समाज द्वारा ही किया जाता है।
- पर्यावरणीय जागरूकता, गांवों को नजदीक से देखने की अभिलाषा आदि के परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में विकसित देशों में गांवों की यात्रा की पर्यटन की नई शैली आई है। इसी अवधारणा से 'ग्रामीण पर्यटन' ने एक औपचारिक किस्म का आकार ले लिया है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा अब तो राज्य सरकारों को ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाने लगी है।

13.6 सारांश (Summary)

तीर्थाटन से विकसित हुए आज के पर्यटन के बारे में जब यह कहा जाता है कि यह राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। पर्यटन बिना चिमनी और धुँए का ऐसा उद्योग है जो अब वैश्विक रूप ले चुका है। बहुत से लोगों को इस उद्योग में रोजगार मिला हुआ है तो यही वह उद्योग है जो राष्ट्रों को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा आय करवाता है। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो स्पष्ट ही यह कहा जा सकता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था को पर्यटन ने गहरे तक प्रभावित किया है। 'पधारो म्हारे देश' की संस्कृति वाले इस प्रदेश में वैसे भी पर्यटकों के लिए क्या नहीं है। बर्फ और समुद्र के अलावा सब कुछ तो है यहां। राज्य में पर्यटन की शुरुआत तो तब से ही हो गयी थी जब यहां के राजा-महाराजाओं ने पर्यटन के आर्थिक महत्व को देखते हुए अपने गढ़, किले, महलों के द्वार सैलानियों के लिए, विशेषकर विदेशी पर्यटकों के लिए खोल दिए थे।

आजादी के बाद पर्यटन विभाग स्वतंत्र रूप से 1956 में जब व्यक्तित्व में आया तो पर्यटन की व्यवस्थित सोच के साथ देशी-विदेशी पर्यटकों को यहां आमंत्रित करने के प्रयास प्रारंभ हुए पर्यटन के बढ़ते आर्थिक महत्व को देखते हुए ही वर्ष 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया और इसके बाद तो निरंतर पर्यटन का यहां विकास हुआ है। वर्ष 2001 में पर्यटन नीति घोषित की गयी। एक मोटे अनुमान के अनुसार आज बगैर चिमनी और धुँए वाले

पर्यटन उद्योग से राज्य को प्रतिवर्ष 5 हजार करोड़ की आय हो रही है। यही नहीं भविष्य में रोजगार के लिए बेहद संभावना वाले इस उद्योग में आज प्रति 10 लाख के निवेश पर 40 लोगों को सीधे रोजगार मिला हुआ है।

पर्यटन और अर्थव्यवस्था का सीधा संबंध है। पर्यटन के अंतर्गत सृजित मांग की पूर्ति विभिन्न स्तरों पर की जाती है और इसी से पर्यटन के जरिए आय का सृजन होता है। पर्यटक जब किसी देश में आता है और वहां के उत्पाद और सेवाओं को प्राप्त करता है तो एक तरह से वह यहां का निर्यात ही होता है। अर्थव्यवस्था पर पर्यटन का विदेशी मुद्रा आय प्राप्ति के रूप में तो प्रभाव पड़ता ही है साथ ही इससे उद्योग विहिन उन क्षेत्रों का भी विकास होता है जहां दूसरे उद्योग पनप नहीं पाए हैं। ऐसे ही पर्यटन रोजगार अवसरों में भी तेजी से वृद्धि करता है, स्वाभाविक है इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन स्तर में भी वृद्धि होती है। पर्यटन का अर्थव्यवस्था से प्रत्यक्ष संबंध है। यह उद्योग अब राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार हो गया है।

13.7 शब्दावली (Glossary)

पारिस्थितिकी पर्यटन	Eco-Tourism
भू-पर्यटन	Geological Monuments Tourism
निर्यात	Export Product
आर.टी.डी.सी.	Rajasthan Tourism Development Corporation
विपणन	Marketing
विदेशी मुद्रा	Foreign Currency
राष्ट्रीय आय	National Income

13.8 संदर्भ ग्रंथ (References)

- Government of India, Economic Survey-Ministry of Finance. Economic Division, New Delhi.
- Government of India, Annual Report 2007-08, Ministry of Tourism, New Delhi
- Government of Rajasthan, Annual Report 2007-08, Tourism Department
- डॉ. राजेश कुमार व्यास, 'राजस्थान में पर्यटन प्रबन्ध', राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर
- Raj, Aparna; "Tourism Behaviour:A psychological perspective", Kanishka Publishers, Distribution, New Delhi-02
- Lonely Planet-2000

- Bhatia, A.K.; "Tourism Development-Principles & Practices" Sterling Publishers Pvt. Ltd., New Delhi-16
 - Romila Chawala, "Global Tourism" Sonali Publications, New Delhi-02
 - Dileep Makan, "Tourism Industry" Adhyan Publishers & Districutors, Delhi-94
 - डॉ. राजेश कुमार व्यास, "पर्यटन उद्भव एवं विकास" राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, झालाना झूंगरी, जयपुर-302004
-

13.9 अभ्यासार्थ प्रश्न (Unit-end Questions)

1. पर्यटन से आप क्या समझते हैं यह अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है?
2. 'राजस्थान में आरंभ से ही पर्यटन की परम्परा रही है।' इस कथन के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान में पर्यटन के विकास पर प्रकाश डालिए।
3. 'पर्यटन अब राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार उद्योग हो गया है।' इस कथन के संदर्भ में अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए पर्यटन का महत्व समझाइए।

इकाई - 14

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना - उद्देश्य एवं दसवीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियाँ

(Eleventh Five Year Plan-Objectives and Achievements in Tenth Five Year Plan)

इकाई की रूपरेखा

- 14.0 उद्देश्य
- 14.1 प्रस्तावना
- 14.2 आर्थिक नियोजन का अर्थ
- 14.3 राजस्थान की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना
 - 14.3.1 ग्यारहवीं योजना का क्षेत्रवार आवंटन
 - 14.3.2 ग्यारहवीं योजना के सामाजिक-आर्थिक लक्ष्य
 - 14.3.3 ग्यारहवीं योजना के उद्देश्य एवं प्राथमिकताएँ
 - 14.3.4 राजस्थान की वार्षिक योजना 2008-09
- 14.4 दसवीं पंचवर्षीय योजना-उद्देश्य
- 14.5 दसवीं पंचवर्षीय योजना का परिव्यय एवं वित्त व्यवस्था
- 14.6 दसवीं योजना के प्रमुख लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ
- 14.7 2007-08 की वार्षिक योजना के सम्बन्ध में प्रारम्भिक प्रस्ताव
- 14.8 दसवीं योजना के व्यय से जुड़े प्रमुख बिंदु सारांश
- 14.9 शब्दावली
- 14.10 संदर्भ ग्रन्थ
- 14.11 अभ्यासार्थ प्रश्न

14.0 उद्देश्य (Objectives)

प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति अपने सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है इसके लिए यह आवश्यक है कि वह अपने सीमित साधनों का उपयोग सोच समझकर करे, अर्थात् नियोजन को अपनाये। व्यक्ति के सभी आर्थिक क्रिया-कलापों में नियोजन निहित होता है। उपलब्ध विकल्पों में से सही विकल्प का चयन ही नियोजन है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है, जिसका मूल उद्देश्य क्षेत्रीय संसाधनों का समुचित उपयोग कर लोगों के जीवन-स्तर को उच्च करना एवं क्षेत्रीय विकास करना होता है। प्रत्येक राज्य को अपने साधन, उद्देश्य, आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार नियोजन के लिए प्राथमिकता तय करनी होती है। कृषि प्रधान राज्य होने से राजस्थान की पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि व सिंचाई को महत्वपूर्ण स्थान

दिया जाता रहा है। मरूस्थलीय क्षेत्र होने से परिवहन, ऊर्जा और पेयजल के क्षेत्रों में भी विकास पर बल दिया गया है। प्रस्तुत इकाई में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य एवं दसवीं पंचवर्षीय योजना का विस्तृत विवरण दिया गया है। प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप समझ सकेंगे कि:

- आर्थिक नियोजन से क्या अभिप्राय है?
- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या हैं?
- दसवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या हैं?
- दसवीं योजना में विभिन्न मदों पर कितना व्यय किया गया है?
- दसवीं योजना की वित्तीय व्यवस्था कैसी है?
- दसवीं योजना के उत्पादन एवं विकास के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं?
- दसवीं योजना के प्रमुख लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ क्या रहीं?

14.1 प्रस्तावना (Introduction)

प्रस्तुत इकाई में राजस्थान में आर्थिक नियोजन का अर्थ, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ का समावेश किया गया है। इस इकाई के खण्ड में 14.2 आर्थिक नियोजन का अर्थ एवं आवश्यकता की चर्चा करेंगे। इस इकाई के खण्ड 14.3 में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों, लक्ष्यों एवं प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला जायेगा। दसवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य खण्ड 14.4 में उल्लेखित किये जायेंगे। खण्ड 14.5 में दसवीं पंचवर्षीय योजना का परिचय एवं वित्तीय व्यवस्था, उत्पादन एवं विकास के प्रमुख लक्ष्य पर चर्चा की जायेगी। इसके पश्चात् खण्ड 14.6 में दसवीं योजना के प्रमुख लक्ष्य एवं उपलब्धियों के अन्तर्सम्बन्धों की चर्चा करेंगे। खण्ड 14.7 में 2007-2008 की वार्षिक योजना के सम्बन्ध में प्रारम्भिक प्रस्ताव दिये गये हैं। खण्ड 14.8 में दसवीं योजना के व्यय से जुड़े प्रमुख बिन्दु एवं समीक्षा पर प्रकाश डाला जायेगा। वहीं खण्ड 14.9 में सारांश दिया गया है। इकाई के अन्त में शब्दावली, संदर्भ ग्रंथों की सूची एवं अभ्यासार्थ प्रश्न दिए गए हैं।

14.2 आर्थिक नियोजन का अर्थ (Meaning of Economic Planning)

आधुनिक समय में ज्ञान के विस्तार के साथ-साथ व्यक्ति और समाज की आकांक्षाएँ और आवश्यकताएँ तेजी से बढ़ रही हैं। इन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध साधन बहुत सीमित हैं। ऐसी स्थिति में एक तरफ अपने लक्ष्यों की प्राथमिकताएँ निश्चित करनी पड़ती हैं और दूसरी तरफ उपलब्ध साधनों का उपयोग इस तरह से करना पड़ता है कि उसके द्वारा अधिक से अधिक लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। नियोजन में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं या लक्ष्यों का चयन करता है फिर उसके क्रम को या प्राथमिकताओं को निर्धारित करता है। फिर इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करता है। भारतीय योजना आयोग के अनुसार 'आर्थिक नियोजन साधनों के संगठन की वह विधि' है जिसके द्वारा साधनों का

अधिकतम लाभप्रद उपयोग निश्चित सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है। नियोजन की धारणा के दो प्रमुख अंग हैं- एक, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई पद्धति तथा दूसरा, उपलब्ध साधनों एवं उनके आदर्शतम आवंटन का ज्ञान' (प्रथम पंचवर्षीय योजना, 1951)

राजस्थान भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है और जनसंख्या की दृष्टि से उसका स्थान सातवां है। देश के मानचित्र पर स्वतन्त्रता के समय से ही राजस्थान को एक पिछड़े हुए राज्य के रूप में दिखाया जाता रहा है। इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आर्थिक साधनों, प्रशिक्षित विशेषज्ञों और आधारभूत संरचना की आवश्यकता होती है। साथ ही लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी के एकीकृत व संगठित प्रयास की भी जरूरत है। राज्य के एकीकरण की प्रक्रिया भी सन् 1948 से आरम्भ होकर 1956 में पूर्ण हुई। इस तरह प्रथम योजना के समय भी राज्य छोटे-बड़े रियासती राज्यों की एकीकरण की समस्या से उलझा हुआ था। पूरे भारत की भाँति राजस्थान में भी योजनाबद्ध विकास 1 अप्रैल, 1951 से प्रारम्भ हुआ। नियोजित विकास की अवधि में दस पंचवर्षीय योजनाएँ, चार वार्षिक योजनाएँ पूरी हो चुकी हैं। वर्तमान में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का पहला वर्ष (2008-09) चल रहा है।

14.3 राजस्थान की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना

(Eleventh Five Year Plan of Rajasthan)

योजना आयोग ने राज्य की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012) 71732 करोड़ रुपये की मंजूरी की है। यह राशि मौजूदा दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के आकार 31831 करोड़ के दुगुने से भी अधिक है। राज्य में 11वीं योजना अवधि में विकास का लक्ष्य 7.4 प्रतिशत रखा गया है जबकि भारत के लिए यह लक्ष्य 9 प्रतिशत रखा गया है। योजना में राज्य में प्रजनन दर को राष्ट्रीय औसत 2.1 के बराबर लाने का लक्ष्य रखा है।

14.3.1 ग्यारहवीं योजना का क्षेत्रवार आवंटन (प्रतिशत में)

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य का प्रमुख मदवार विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है :

सारणी - 14.1

ग्यारहवीं योजना का क्षेत्रवार आवंटन

क्र. सं.	मुख्य विकास मद/क्षेत्र	प्रस्तावित योजना उदवयय (2007-12) (2006-07 की कीमतों पर	(करोड़ रुपयों में) प्रतिशत
1.	कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	1269	1.85
2.	ग्रामीण विकास	4348	6.36
3.	विशिष्ट क्षेत्रीय विकास	206	0.30
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	7302	10.67

5.	ऊर्जा	25222	36.86
6.	उद्योग एवं खनिज	959	1.40
7.	परिवहन	4609	6.74
8.	वैज्ञानिक सेवाएं	30	0.04
9.	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	19382	28.33
10.	आर्थिक सेवाएं	719	1.05
11.	सामान्य सेवाएं	4377	6.40
	कुल	68422	100.00

स्रोत : ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना का प्रारूप Vol I, योजना विभाग, राजस्थान सरकार।

योजना में कृषि एवं उद्योग का आकार घटाया

राज्य में औद्योगीकरण के प्रयासों के बावजूद 11वीं पंचदशरीय योजना में कृषि उद्योग तथा लिए प्रावधान 10वीं योजना के मुकाबले घटाया गया है। 2007-08 की वार्षिक योजना के लिए परिव्यय 5320.80 करोड़ रुपये प्रस्तावित है जो कुल शीर्षक योजना का 45.71 प्रतिशत (लगभग 46 प्रतिशत) होगा।

14.3.2 ग्यारहवीं योजना के सामाजिक-आर्थिक लक्ष्य

सारणी - 14.2

ग्यारहवीं योजना के सामाजिक-आर्थिक लक्ष्य

क्र.स.	मानक	मौजूदा स्थिति		11वीं योजना	
		भारत	राजस्थान	भारत	राजस्थान
1.	शिशु मृत्यु दर	58	67	28	32
2.	मातृ मृत्यु दर	301	445	100	148
3.	प्रजनन दर	3	3.9	2.1	2.1
4.	कुपोषित बच्चे (03 साल)	47	50-6	23.5	25.3
5.	लिंगानुपात(0-6)	927	909	935	917
6.	पुरुष साक्षरता।	75.69	75.70	89.80	91.89
7.	महिला साक्षरता	53.70	43.90	79.80	66.22
8.	कुल साक्षरता	64.59	60.43	85.0	79.57
9.	गरीबी अनुपात	27.8	21.0	16.3	12.1

स्रोत : ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना का प्रारूप Vol I, योजना विभाग, राजस्थान सरकार।

14.3.3 ग्यारहवीं योजना के उद्देश्य एवं प्राथमिकताएं

विषम भौगोलिक एवं सामाजिक संरचना तथा जनता की विकासीय आवश्यकताओं के मद्देनजर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में निम्न प्राथमिकताएँ मार्गदर्शक तत्व के रूप में रहेगी-

1. निम्न जीवनयापन स्तर के कारणों, भूखमरी, कुपोषण एवं भयावह गरीबी का निवारण करना।
2. अलाभकारी समुदाय, मुख्यतः महिलाओं की विशेष देखभाल।
3. मानव संसाधन विकास पर जोर, सामाजिक आधारभूत संरचना एवं उसके अन्तर को भरना तथा क्षमता सृजन करना।
4. लाभप्रद रोजगार मुहैया कराना, जीविकोपार्जन के स्रोतों का सृजन तथा प्राकृतिक व सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना।
5. सुशासन एवं वित्तीय सुधार सुनिश्चित करना।
6. आर्थिक आधारभूत सुविधाओं का सृजन।

व्यूह रचना

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में राज्य सरकार की छः प्राथमिकताओं को हासिल करते हुए निम्नांकित उद्देश्यों पर ध्यान दिया जाना प्रस्तावित है:

1. जल के उचित उपयोग, उच्च उत्पादन वाली किन्तु कम पानी पर आधारित फसलें उगाना, कृषि-विस्तार एवं तकनीकी हस्तान्तरण का सुदृढीकरण और उद्योगिकी की ओर झुकान के साथ फसल कटाई उपरान्त प्रबंधन तथा कृषि प्रसंस्करण हेतु विपणन द्वारा त्वरित कृषि वृद्धि पर जोर।
2. वर्षा जल-संरक्षण एवं सिंचाई तंत्र के बेहतर रख-रखाव के माध्यम से जल के उपयोग में सुधार तथा जल बचाव उपकरणों के उपयोग एवं जल ग्रहण आधारित शुष्क कृषि अपनाने पर जोर।
3. स्थानीय पशु नस्लों के संरक्षण, पशु स्वास्थ्य से नस्ल सुधार की ओर अग्रसर, पशुधन-विस्तार सेवा एवं पशुधन आधारित उद्योगों की ओर उन्नत होकर पशु पालन को प्रोत्साहित करना।
4. ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि।
5. प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कर इसे राष्ट्रीय औसत तक लाना।
6. गुणात्मक शिक्षा के साथ माध्यमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण।
7. उच्च व तकनीकी शिक्षा सुविधाओं का प्रसार।
8. ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल, बेहतर चिकित्सा एवं स्वच्छता सेवाएं उपलब्ध कराना।
9. महिला सशक्तिकरण एवं बाल कल्याण पर विशेष जोर।
10. अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व एवं समाज के अन्य कमजोर तबकों के साथ अपाहिजों की समस्याओं पर विशेष ध्यान।
11. राज्य को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने हेतु आधारभूत सुविधाओं का सृजन।
12. निजी-सार्वजनिक भागीदारी को न केवल आधारभूत संरचना बल्कि सामाजिक क्षेत्रों में भी प्रोत्साहन।
13. राज्य को उर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना तथा सभी परिवारों तक विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता।

14. राजस्थान को उद्योग-मित्र राज्य बनाना क्या औद्योगीकरण वृद्धि हेतु सेज का विकास।
15. खनिजों एवं पेट्रोलियम भंडारों की खोज को प्राथमिकता।
16. 18. राजस्थान को देश में अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र के रूप में विकसित करना।
17. शहरी आधारभूत संरचना का उचित सुदृढीकरण एवं प्रबंधन।

14.3.4 राजस्थान की वार्षिक योजना 2008-2009¹

योजना आयोग ने राजस्थान की वार्षिक योजना 14 हजार करोड़ रुपये के प्रस्तावों पर 15 जनवरी, 2008 को मंजूरी दे दी है। पिछले साल की तुलना में यह राशि 2361 करोड़ रुपये (19.5 प्रतिशत) अधिक है। मंजूर राशि में 8787 करोड़ रुपये के बजट सम्बन्धी प्रावधान हैं, जबकि 5233 करोड़ रुपये के आंतरिक एवं अतिरिक्त संसाधन शामिल हैं। योजना राशि में ऊर्जा क्षेत्र पर सर्वाधिक 6211 करोड़ रुपये (लगभग 44 प्रतिशत) खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर 27 प्रतिशत ग्रामीण विकास पर 8 प्रतिशत तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर 7.8 प्रतिशत राशि खर्च की जाएगी। ग्यारहवीं योजना का नारा तीव्र विकास के साथ-साथ 'समग्र विकास' है। समग्र विकास में कई प्रकार के फर्क या अन्तराल कम हो जाते हैं, जैसे गांव व शहर के बीच, गरीब व अमीर के बीच, पुरुष व महिलाओं के बीच, विभिन्न जातियों के बीच, आधुनिक तकनीकी व परम्परागत तकनीकी के बीच एवं विभिन्न प्रदेशों व विभिन्न देशों के बीच पाये जाने वाले आर्थिक भेद यथासंभव कम हो जाते हैं। योजना में तीव्र विकास के साथ समग्र विकास पर इसलिए जोर दिया गया है ताकि विकास न केवल वर्तमान पीढ़ी को सुखी कर सकेगा, बल्कि भावी पीढ़ी के हितों की भी रक्षा कर सकेगा, अर्थात् वह सुस्थिर, सम्यक व समताकारी विकास होगा और उसकी प्रक्रिया सतत रूप से आगे भी जारी रह सकेगी।

बोध प्रश्न -01

1. आर्थिक नियोजन से आपका क्या आशय है ?
2. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कुल व्यय कितना होगा ?
3. भारत एवं राजस्थान की शिशु एवं मातृ मृत्यु दर की तुलना करें।
4. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के तीन प्रमुख लक्ष्य बताइए।
5. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना कहां प्रारम्भ हुई ?

14.4 दसवीं पंचवर्षीय योजना (Tenth Five Year Plan, 2002-07)

राष्ट्रीय योजना आयोग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप, खण्ड-I, आयामों व रणनीतियों के अन्तर्गत दसवीं योजना तथा उसके बाद के लिए मोनीटरेबल लक्ष्य निर्धारित किए थे जिनको ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने अपनी दसवीं योजना के लिए लक्ष्य निर्धारित किए तथा व्यूह रचना तैयार की। राष्ट्रीय योजना आयोग के अनुसार ग्यारह मोनीटरेबल लक्ष्य इस प्रकार हैं।²

1. विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे नवीनतम वार्षिक योजना कि जानकारी स्वयं जुटाएं। परीक्षक नवीनतम योजना बारे में प्रश्न पूछ सकता है।

दसवीं योजना के उद्देश्य एवं रणनीति-

1. राज्य में योजना काल 2002 तक पांच और 2007 तक 15 प्रतिशत गरीबी कम करना।
2. कम से कम दसवीं योजना में बढ़ने वाली श्रम शक्ति को उच्च गुणात्मक एवं लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराना।
3. वर्ष 2003 के अन्त तक सभी बच्चों को स्कूल भेजकर वर्ष 2007 तक उनकी पाँच वर्ष तक की शिक्षा पूरी करना।
4. साक्षरता एवं मजदूरी में वर्ष 2007 तक लिंग भेद (Gender gaps) 50 प्रतिशत कम करना।
5. वर्ष 2001-2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 16.2 प्रतिशत तक कम करना।
6. योजनाकाल में साक्षरता दर बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक करना।
7. वर्ष 2007 तक मातृ मृत्युदर (MMR) कम कर प्रति हजार 2 करना तथा 2012 तक 1 करना।
8. वर्ष 2007 तक शिशु मृत्यु दर (IMR) कम कर प्रति हजार 45 करना तथा 2012 तक इसे 28 पर लाना।
9. वर्ष 2007 तक वन क्षेत्र में 25 एवं 2012 तक 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी करना।
10. योजना अवधि में सभी गांवों को स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना।
11. वर्ष 2007 तक सभी मुख्य नदियों को प्रदूषण मुक्त करना तथा 2012 तक अन्य अधिसूचित (notified) जल क्षेत्रों को प्रदूषण मुक्त करना।

राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निम्न उद्देश्यों, दृष्टिकोण और रणनीति पर बल दिया है³:

1. राज्य एवं राष्ट्र की प्रति व्यक्ति औसत आय के अन्तर को कम करना। इसके लिए राज्य में विकास की दर ऊँची करनी होगी।
2. साधन आवंटन को अधिक विवेकपूर्ण बनाना।
3. सेवा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना, विशेषतया शहरी क्षेत्रों में।
4. क्षमता निर्माण के विभिन्न स्तरों पर लगने वाले समय एवं लागत में कमी करना तथा उसके उपयोग को बढ़ाना।
5. वर्तमान आधारभूत योजनाओं को पूर्ण करने पर जोर देना, विशेषतया सिंचाई के क्षेत्र में जहाँ स्कीमें काफी समय से लम्बित पड़ी हैं। औद्योगिक विकास दर को 10.06 प्रतिशत तक बढ़ाना।
6. कृषि आधारित क्षेत्र को बागवानी, पशुधन, मत्स्य तथा कृषि प्रसंस्करण (agro-processing) जैसी विभिन्न योजनाओं हेतु उपयोग में लाना। कृषि विकास दर को 4.5 प्रतिशत तक बढ़ाना।

2. Draft Tenth Five Year Plan, 2002-2007 Vol. I, P.-6 (GOI)

3. Draft Tenth Five Year Plan, 2002-2007 Vol. I, (Narrative) GOR, Planning Department pp.-3.3-3.4

- 7.
8. पेयजल प्रबन्ध को अत्यधिक महत्व देना। जल जैसे सीमित साधन का सबसे ज्यादा कार्य कुशल उपयोग करना तथा भूमि की उत्पादकता बढ़ाना। योजनाकाल में सभी गाँवों को स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना।
9. राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि करना।
10. राहत कार्यों को सामान्य योजना कार्यक्रमों से जोड़ना ताकि राज्य को सूखे के संकट से बचाया जा सके। पर्यटन, दस्तकारी एवं हथकरघा विकास से रोजगार में वृद्धि तथा पर्यावरण संरक्षण पर जोर देना।
11. वांछित स्तर के कम उपलब्धि वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को विनिवेश के अन्तर्गत लाने का प्रयास करना।
12. स्थानीय लाभ के क्रियाकलापों जैसे पर्यटन, हैण्डिक्राफ्ट तथा हैण्डलूम को प्राथमिकता दिया जाना तथा पर्यावरण संरक्षण पर जोर देना।
13. सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देना, विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में।
14. जनसंख्या वृद्धि दर प्रभावी नियन्त्रण करना।
15. 73 एवं 74वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों को वैदयानिक मजबूती प्रदान कर विकास को स्थानीय जरूरतों एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप गति प्रदान करना।
16. साक्षरता में वृद्धि, शिशु मृत्यु दर में कमी के साथ मातृ-मृत्यु दर को तेजी से कम करना।
17. सूचना प्रौद्योगिकी का गाँव स्तर तक विस्तार करना।
18. आधारभूत सुविधा की कमी वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना ताकि विकास में प्रादेशिक असंतुलन कम किया जा सके।

बोध प्रश्न -02

1. दसवीं पंचवर्षीय योजना के मुकाबले ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के आकार में कितनी वृद्धि हुई?
2. दसवीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारम्भ हुई व कब समाप्त हुई?
3. दसवीं योजना के तीन प्रमुख उद्देश्य कौन-से हैं?
4. दसवीं योजना में किन दो मद्दों पर सर्वाधिक व्यय किया गया?

14.5 राजस्थान को दसवीं पंचवर्षीय योजना का परिव्यय

(Total Outlay for Tenth Five Year Plan of Rajasthan)

राज्य की दसवीं पंचवर्षीय योजना का प्रस्तावित परिव्यय चालू कीमतों पर 31831.75 करोड़ रु. तथा 2001-02 की स्थिर कीमतों पर 27316 करोड़ रुपये रखा गया है। योजनावधि में वास्तविक व्यय 33735 करोड़ रु. का हुआ है। इस योजना में सामाजिक एवं सामुदायिक

विकास, उर्जा एवं सिंचाई विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। राज्य की दसवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य मदवार परिव्यय सारणी 14.3 में दर्शाया गया है।

सारणी 14.3

दसवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य मदवार परिव्यय ⁴

क्र. सं.	मद	प्रचलित कीमतों पर परिव्यय (करोड़ रुपये में)	प्रतिशत में	2001-02 की कीमतों पर परिव्यय (करोड़ रुपये में)	प्रतिशत में
1.	कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	1934.02	6.1	1644.07	6.0
2.	ग्रामीण विकास	2683.69	8.4	2314.5	8.5
3.	विशिष्ट क्षेत्रीय विकास	197.18	0.6	169.4	0.6
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	3475.44	10.9 (III)	2983.8	10.9 (III)
5.	ऊर्जा विकास	8460.43	26.6 (II)	7236.4	26.5(II)
6.	उद्योग एवं खनिज	1113.56	3.5	975.4	3.6
7.	परिवहन	2950.10	9.3	2551.9	9.3
8.	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	9642.80	30.3 (I)	8279.2	30.3 (I)
9.	आर्थिक सेवाएं	1258.32	4.0	1060.4	3.9
10.	सामान्य सेवाएं	102.03	0.3	90.1	0.3
11.	वैज्ञानिक सेवाएं	14.18	0.04	12.2	0.04
	कुल परिव्यय	31831.75	100.0	27318.00	100.00

स्रोत : ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप Vol I, योजना विभाग, राजस्थान सरकार।

इस प्रकार राजस्थान की दसवीं पंचवर्षीय योजना का आकार नवीं योजना के प्रस्तावित आकार से 15 प्रतिशत अधिक है। दसवीं योजना में परिव्यय में सर्वोच्च प्राथमिकता सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं को दी गयी है जो 30.3 प्रतिशत है। द्वितीय स्थान ऊर्जा को दिया गया है। सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण को तृतीय स्थान दिया गया है। राज्य की दसवीं योजना का मुख्य लक्ष्य 8 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर प्राप्त करना रखा गया था। इस प्रकार दसवीं योजना में भौतिक इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

राजस्थान की दसवीं पंचवर्षीय योजना की वित्त व्यवस्था

(Financial Resources for Tenth Five Year Plan of Rajasthan)

राज्य के सीमित वित्तीय साधनों एवं अकाल की मंडराती छाया के कारण योजना की वित्त व्यवस्था में भारी दिक्कतों को झेलना पड़ता है और इसी कारण वित्तीय व्यवस्था में अनिश्चितता के साथ-साथ केन्द्र में आश्रितता बनी रहती है। फिर भी दसवीं योजना के लिए वित्त व्यवस्था का प्रस्तावित प्रारूप इस प्रकार है-

4.आर्थिक समीक्षा, राजस्थान सरकार 2004-05, पृष्ठ-14

सारणी - 14.4
दसवीं पंचवर्षीय योजना की वित्त व्यवस्था
(करोड़ रुपये में)

अ)	राज्य के स्वयं के वित्तीय स्रोत	राशि
(i)	चालू राजस्व से बकाया	(-) 10327.7
(ii)	सार्वजनिक उपक्रमों से बचत 873.5	
(iii)	राज्य प्रोविडेन्ट फंड (शुद्ध)	6770.5
(iv)	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	(-) 7342.1
(v)	योजना अनुदान	826.6
(vi)	अल्प बचत संग्रह	14525.0
(vii)	सकल बाजार उधर	5667.3
(viii)	समझौता आधारित कर्ज	5705.8
(ix)	बाँड एवं ऋण पत्र	1350.0
	कुल योग (अ)	18048.5
ब)	केन्द्रीय सहायता	
(i)	केन्द्रीय सहायता (घरेलू)	6355.9
(ii)	बाह्य प्रोजेक्ट सहायता	4455.1
	कुल योग (ब)	10811.0
	समग्र योजना साधन (अ+ब)	28859.50

उपर्युक्त सारणी 14.4 से स्पष्ट है कि 31832 करोड़ रु. की योजना के लिए 28859.5 करोड़ रुपये के वित्तीय साधनों का अनुदान दिया गया है तथा लगभग 2972 करोड़ रुपये के साधनों का अन्तराल छोड़ा गया है। योजना के वित्तीय साधनों में अल्प बचत संग्रह का योगदान सर्वाधिक अनुमानित किया गया है।

सारणी - 14.5
दसवीं पंचवर्षीय योजना के उत्पादन एवं विकास के प्रमुख लक्ष्य⁵

क्र.सं.	मद	नवीं योजना (1997-2002) प्रत्याशित उपलब्धि	दसवीं योजना (2002- 2007) के लक्ष्य
1.	खाद्यान्न का लक्ष्य (लाख टन)	121.9	142.0
2.	तिलहन का उत्पादन (लाख टन)	31.8	48.4
3.	कपास (लाख गाँठे)	8.3	13.4
4.	गन्ना (लाख टन)	8.3	10.8
5.	सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्रफल (लाख हैक्टेयर)	42.1	50.6
6.	कुल सिंचाई संभाव्यता (लाख हैक्टेयर)	3.4	4.2
7.	सड़कों की लम्बाई (किलोमीटर में)	888.1	94221

14.6 राजस्थान की दसवीं योजना के प्रमुख लक्ष्य एवं उपलब्धियां (Main Trends & Achievements of Tenth Plan of Rajasthan)

राज्य की दसवीं पंचवर्षीय योजना में भी पिछली योजनाओं की भांति राज्य में ऊर्जा एवं सिंचाई साधनों के विकास के साथ-साथ रोजगार अवसरों में वृद्धि एवं सामाजिक कल्याण कार्यों से प्रेरित है। राज्य की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लक्ष्य एवं अब तक की उपलब्धियां संक्षेप में इस प्रकार हैं-

1. राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय का रुख

राज्य की दसवीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8.3 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य है। लेकिन योजना के पहले चार वर्षों में राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद, जिसे प्रायः राज्य आय के नाम से जाना जाता है, में प्रचलित कीमतों पर 2002-03 के अलावा वर्ष-दर-वर्ष निरन्तर वृद्धि का रुख रहा है। वर्ष 2007-08 के दौरान, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में, 1999-2000 के मूल्य पर, गत वर्ष के दौरान दर्ज की गई 6.76 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले 7.08 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय, स्थिर मूल्यों पर 5.45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए पिछले वर्ष के 15,420 के विरुद्ध रुपये 16,280 तक बढ़ने की सम्भावना है।

सारणी 14.6

दसवीं योजना में प्रचलित कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय

वर्ष	शुद्ध घरेलू उत्पाद (करोड़ रु.)	प्रति व्यक्ति आय (रुपये)
2001-02	78089	13621
2002-03	76864	12641
2003-04 (प्रा.)	93846	15788
2004-05 (त्व.)	98573	16212
2005-06 (अ.)	109623	17695

प्रा.-प्रावधानिक अनुमान, अ. अग्रिम अनुमान, त्व. त्वरित अनुमान

वित्त वर्ष 2005-06 में प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 109623 करोड़ रु. रहने का अग्रिम अनुमान है जो 2004-05 के 98573 करोड़ रु. की तुलना में 11.21 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। इसी प्रकार वित्त वर्ष 2004-05 में प्रति व्यक्ति आय 16212 रु. के मुकाबले 2005-06 में बढ़कर 17695 रु. हो गई जो पिछले वर्ष पर 9.14 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

2. कृषि एवं सिंचाई

5. Draft Tenth Five Year plan 2002-07, Vol.II (Tables) GOR, Planning Department pp.2.1 21.7

6. आर्थिक समीक्षा 2005-06 राजस्थान सरकार, पृष्ठ-14

प्रदेश में दसवीं योजना में 2.09 लाख हैक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना में 6 वृहद् सिंचाई परियोजनाएं, 4 मध्यम परियोजनाएं तथा 85 लघु सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य किया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना का शुभारंभ दसवीं योजना के प्रथम वर्ष में किया गया। देश के प्रत्येक गांव में वर्ष 2004 तक पेयजल आपूर्ति के लक्ष्य प्राप्त हेतु 25 दिसम्बर, 2002 को स्व-जलधारा योजना प्रारम्भ की गई है।

इस योजना में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास पर 1934.02 करोड़ रु. तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण पर 3474.44 करोड़ रु. व्यय का प्रावधान किया गया है। वहीं पिछले चार वर्षों में इन पर क्रमशः 715.5 करोड़ रु. तथा 3094.3 करोड़ रु. व्यय किया जा चुका है जबकि वार्षिक योजना 2000-07 में क्रमशः 232.22 करोड़ रु. तथा 925.57 करोड़ रु. व्यय का प्रावधान है। इसके परिणामस्वरूप राज्य की इस योजना के लक्ष्यों के मुकाबले उपलब्धियाँ इस प्रकार रहीं हैं-

सारणी - 14.7

कृषि एवं सिंचाई विकास के लक्ष्य एवं उपलब्धियां

क्र. सं.	वितरण	इकाई	दसवीं योजना का लक्ष्य	संभावित उपलब्धियां
1.	खाद्यान्नों का उत्पादन	(लाख टन)	142.00	118.40
2.	तिलहन	(लाख टन)	48.0	55.70
3.	कपास	(लाख गाँठे)	13.40	11.24
4.	गन्ना	(लाख टन)	10.80	2.09
5.	अधिक उपज वाली किस्मों का क्षेत्रफल	(लाख हैक्टेयर)	50.60	35.50
6.	अधिक सिंचाई क्षमता का सृजन	(लाख हैक्टेयर)	4.20	0.80

2003-04 में खाद्यान्नों का उत्पादन अब तक के रिकार्ड स्तर 180 लाख टन पहुँच गया जो लक्ष्य से भी कहीं अधिक था। 2006-07 की वार्षिक योजना में खाद्यान्न का उत्पादन लक्ष्य 151.95 लाख टन रखा है। वित्त वर्ष 2004-05 में तिलहनों का उत्पादन भी अपने रिकार्ड स्तर 55.68 लाख टन पर पहुँच गया है-जो लक्ष्य से कहीं अधिक है। कपास और गन्नें के उत्पादन में राज्य लक्ष्य से काफी पीछे है। राज्य-में सिंचाई क्षमता में वृद्धि के प्रयास निरन्तर जारी हैं। 2006-07 की वार्षिक योजना में 170 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का लक्ष्य है जबकि कुल सिंचित क्षेत्र लगभग 68.5 लाख हैक्टेयर होना संभावित है। कृषि में 4.5 प्रतिशत विकास दर के लक्ष्य के मुकाबले कृषि विकास दर बहुत नीची रही है।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। जहाँ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 30 प्रतिशत के लगभग इसका योगदान है एवं लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या अपने जीवनयापन के लिए कृषि एवं इससे सम्बन्धित क्रियाकलापों पर निर्भर है। वर्ष 2007-08 के दौरान राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन लगभग 155.1 लाख टन होने का अनुमान है जो

कि गत वर्ष से 4.05 प्रतिशत अधिक है, कुल मिलाकर 2007-08 में राज्य में कृषि क्षेत्र में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान है, जो कि सम्पूर्ण देश में इस क्षेत्र में होने वाली अनुमानित वृद्धि दर 26. प्रतिशत से बहुत अच्छी है।

3. ऊर्जा विकास

राज्य की दसवीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और इसके विकास के लिए 8460.43 करोड़ रु. व्यय का प्रावधान किया गया है। कोटा थर्मल पावर स्टेशन की छठी इकाई पूर्ण है। इसके बाद यह राज्य का दूसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन बन गया है। राज्य के प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ की पाँचवीं इकाई जून, 2003 तक पूर्ण हो गई है। भथानिया सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना की गई। गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के विकास की गति को तीव्र करने के लिए अगस्त 2002 में राजस्थान ऊर्जा निगम का गठन किया गया है। योजना के पिछले चार वर्षों में 7132.5 करोड़ रु. व्यय किया जा चुका है तथा वार्षिक योजना 2006-07 में ऊर्जा विकास पर 1999.65 करोड़ रु. व्यय का प्रावधान है। 2005 के अन्त तक राज्य में विद्युत क्षमता बढ़ाकर 5379.4 मेगावाट कर दी गई है। विद्युतीकृत गांवों की संख्या 2005-08 के अन्त तक 38800 पहुँचने का अनुमान है जबकि लगभग 8 लाख कुओं को ऊर्जाकृत किया जा चुका है। अभी भी राज्य में ऊर्जा उत्पादन मांग से काफी कम है।

4. उद्योग एवं खनिज विकास

राज्य की दसवीं योजना में उद्योग एवं खनिज विकास पर 1113.58 करोड़ रु. व्यय का प्रावधान है। इस योजना के चार वर्षों में उद्योग एवं खनिज विकास पर लगभग 368.75 करोड़ रु. व्यय किया जा चुका है तथा वार्षिक योजना 2006-07 के दौरान लगभग 203.6 करोड़ रु. व्यय का प्रावधान है। राज्य के उद्योगों में वर्ष 2004-05 के दौरान धीमी प्रगति के कारण अधिकांश उद्योगों में उत्पादन गिरा है जबकि सीमेंट का उत्पादन बढ़कर 92.97 लाख टन हो गया है। 2005 में सभी प्रकार के कपड़ों का उत्पादन लगभग 790 लाख वर्ग मीटर, यूरिया उत्पादन 4 लाख टन, खाद्य तेल उत्पादन 0.95 लाख टन रहा है। उद्योगों में उत्पादन निराशाजनक रहा है जबकि औद्योगिक विकास की दर 10 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। वास्तविक वृद्धि दर लक्ष्य से काफी कम है।

5. परिवहन एवं संचार

राज्य की दसवीं योजना में परिवहन विकास के लिए 2950.10 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है जबकि इस योजना के पहली चार वार्षिक योजनाओं में लगभग 2169 करोड़ रु. व्यय किया जा चुका है तथा वार्षिक योजना 2006-07 के दौरान यातायात क्षेत्र विकास हेतु 855.94 करोड़ रु. का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत 2500 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों का उन्नयन तथा लगभग 2 हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का सुदृढीकरण करने का लक्ष्य है। राज्य में अब तक लगभग 1,66,970 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो चुका है। इनमें 5655 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च मार्ग, 10139 किलोमीटर स्टेट हाइवेज है। स्वर्णिम चतुर्भुज के

अन्तर्गत जयपुर-किशनगढ़ 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग का लोकार्पण प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह ने 24 मई 2005 को किया जबकि किशनगढ़-भीलवाड़ा-उदयपुर-रतनगढ़ (गुजरात) का 431 किलोमीटर मार्ग तैयार हो चुका है। उत्तर-दक्षिण कोरीडोर आगरा-धौलपुर-मुम्बई मार्ग का 9 किलोमीटर बना है। इसी प्रकार पूर्व-पश्चिम कोरीडोर का पिण्डवाड़ा-चित्तौड़-कोटा-शिवपुरी मार्ग यथाशीघ्र पूरा होने की आशा है। राज्य में वाहनों की संख्या 46.29 लाख के करीब पहुँच चुकी है। रेलमार्गों का विकास भी धीमी गति से चल रहा है। गेज परिवर्तन का कार्य प्रगति पर है।

6. सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं का विकास

राज्य में शिक्षा स्वास्थ्य, गरीबी निवारण एवं पिछड़े वर्गों के उत्थान को भी दसवीं योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस योजना के पाँच वर्षों में सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं के विकास के लिए 9643 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान किया गया है। जिसमें योजना के पहले चार वर्षों 2002-06 के दौरान इस मद के अन्तर्गत 7955.6 करोड़ रु. व्यय किये जा चुके हैं जबकि वार्षिक योजना 2006-07 के दौरान 3247.5 करोड़ रु. व्यय का प्रावधान है। इस अवधि में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के साथ-साथ तकनीकी शिक्षा के विकास पर बल दिया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं एवं चिकित्सा सुविधाओं पर 233 करोड़ रु. व्यय किये जायेंगे।

शिक्षा के विकास से राज्य में साक्षरता का प्रतिशत निर्धारित लक्ष्य के नजदीक पहुँच रहा है। राज्य में राजकीय सामान्य शिक्षा स्कूलों की संख्या 75 हजार है जिनमें 6 से 14 आयु वर्ग के 141.9 लाख तथा 14 से 17 आयु वर्ग के 18.66 लाख छात्र-छात्रा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। राज्य में 12 विश्वविद्यालय संचालित हैं जिनमें 6 सामान्य शिक्षा क्षेत्र के विश्वविद्यालयों सहित एवं संस्कृत विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, दो कृषि विश्वविद्यालय, एक आयुर्वेद विश्वविद्यालय एवं एक दूरस्थ शिक्षा का खुला विश्वविद्यालय है। 757 कॉलेज हैं जिनमें 263 महिला महाविद्यालय हैं। शिक्षा के लिए दसवीं योजना में 1741.82 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया।

तकनीकी शिक्षा इस समय राज्य में एक आई.आई.टी. संस्थान, 47 इंजीनियरिंग कॉलेज, 40 एम. बी.ए. संस्थान, 38 फार्मसी संस्थान, 25 पोलिटेक्निक महाविद्यालय तथा 186 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) हैं।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं दसवीं योजना में भी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं के विकास को महत्व दिया गया है। एलोपैथिक चिकित्सा संस्थाओं के क्षेत्र में 424 चिकित्सालय एवं औषधालय हैं जबकि सभी प्रकार के स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों की संख्या भी लगभग 13134 है। रोगी शैयाओं की संख्या भी 3977 हजार के लगभग है। बाल टीकाकरण तथा पल्स पोलियो अभियान भी तेजी से चलाया जा रहा है। इसके अलावा राज्य में 3565 आयुर्वेदिक औषधालय, 149 होम्योपैथिक, 95 यूनानी एवं 6 प्राकृतिक चिकित्सालय भी कार्यरत हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रमों से जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण का प्रयास प्रबल है। राज्य के लगभग 38800 गांवों

में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कर दी गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 652.92 करोड़ रु. का प्रावधान रखा गया है।

सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों, जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों से भी पिछड़े वर्गों को लाभान्वित किया जा रहा है। जनवरी, 2008 में सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया है।

पर्यटन:- पर्यटन एवं हस्तशिल्प के विकास हेतु पुष्कर में नवम्बर, 2002 में शिल्पग्राम की स्थापना की गई है। वर्ष 2003-04 में सवाईमाधोपुर में एक 'शिल्पग्राम' स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। जयपुर में पर्यटकों को आकर्षित करने एवं उन्हें बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु डबल डेकर बस सेवा (जयपुर प्राइड) का शुभारंभ जनवरी, 2003 में किया गया है। पर्यटकों की सुविधा के लिए 'पर्यटन हैल्पलाइन सेवा' शुरू की गई है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज:- राजस्थान एक ग्राम प्रधान राज्य है। यहाँ की लगभग 3/4 जनसंख्या गाँवों में रहती हैं, जिनमें अधिकांश की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। गाँवों के विकास द्वारा ही राज्य को विकास के पथ पर अग्रसर किया जा सकता है। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु कई योजनाएँ एवं कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। दसवीं योजना में ग्रामीण विकास हेतु 2,683.69 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। इस योजना में केन्द्र सरकार ने देश में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु सम्पूर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना अप्रैल, 2002 से प्रारंभ की है।

14.7 2007-08 की वार्षिक योजना के सम्बन्ध में प्रारम्भिक प्रस्ताव (Initial Proposal Related to Annual Plan of 2007-08)⁷

1. 2007-08 में वार्षिक योजना परिव्यय (Plan outlay) का आकार 11638 करोड़ रु. स्वीकृत किया गया है। लेकिन संभावित व्यय 12820 करोड़ रु. रखा गया है। यह 2005-06 की योजना के संभावित व्यय के आकार (8756 करोड़ रु.) की तुलना में लगभग 4064 करोड़ रु. अधिक रहेगा।
इसमें सर्वाधिक राशि 5320 करोड़ रु. (41.5%) ऊर्जा पर रखी गयी है। दूसरा स्थान सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं का 23.1% है।
2. योजना आयोग द्वारा 2007-08 की वार्षिक योजना का आकार 11638 करोड़ रु. अनुमानित किया गया है। लेकिन सरकार का प्रयास योजना कार्यों पर 12820 करोड़ रु. व्यय करने का है।
3. 2007-08 की वार्षिक योजना में विकास के प्रमुख लक्ष्य
 - (i) (अ) खाद्यान्नों का उत्पादन 160.33 लाख टन
(आ) तिलहन का उत्पादन 56.91 लाख टन

7. Budget at a glance, 2007-08, March 2007, various tables under highlights of Annual plan 2007-08, pp.1-18, also budget study 2007-08, p.52.

- (इ) गन्ने का उत्पादन 2.50 लाख टन
 (ई) कपास का उत्पादन 11.60 लाख गांठें
 (ii) सहकारी संस्थाओं द्वारा कर्ज (कुल) 3670 करोड़ रु.
 (iii) वर्ष 2007-08 में चार बड़ी परियोजनाएं बीसलपुर, माही बजाज सागर व रतनपुरा वितरिका, राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना तथा 21 लघु सिंचाई परियोजनाएं पूरी की जायेंगी।
 (iv) ऊर्जा के विकास के लिए धौलपुर गैस परियोजना के प्रथम चरण व गिराल लिग्नाइट परियोजना चरण II तथा छबड़ा T.P. प्रोजेक्ट, चरण I, कोटा थर्मल पावर यूनिट VII, सूरतगढ़ थर्मल पावर प्रो. यूनिट VI, छबड़ा थर्मल पावर स्टेज I, फेज II पर काम किया जायेगा।
 (v) पर्यटन विकास हेतु 37.10 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया।
 (vi) जनजाति क्षेत्रीय विकास के लिए 135.18 करोड़ रु. के व्यय का लक्ष्य रखा गया है।

सारणी 14.8

वार्षिक योजना के सम्बन्ध में प्रारम्भिक प्रस्ताव (2007-2008)

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	मद	वार्षिक योजना (2007-08)	प्रतिशत
1.	कृषि एवं संबंध सेवाएं	270	2.33
2.	ग्रामीण विकास	694	6.0
3.	विशिष्ट क्षेत्रीय विकास	40	0.35
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	998	8.62
5.	ऊर्जा	5321	46.00
6.	उद्योग एवं खनिज	164	1.42
7.	परिवहन	816	7.05
8.	वैज्ञानिक सेवाएं	2.70	0.03
9.	समाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	3010	26.02
10.	आर्थिक सेवाएं	202	1.75
11.	सामान्य सेवाएं	51	0.44
	कुल	11569	100.00

स्रोत : ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप Vol I, योजना विभाग, राजस्थान सरकार।

14.8 राज्य की दसवीं योजना के व्यय से जुड़े प्रमुख बिंदु (Main Points Related to the Expenditure of 10th Plan)

- राष्ट्रीय योजना आयोग ने राजस्थान की दसवीं पंचवर्षीय योजना में विकास की दर का लक्ष्य 8.3 प्रतिशत सुझाया था। इसके लिए कृषिगत क्षेत्र में विकास की दर 4.5 प्रतिशत, उद्योगों में 10.1 प्रतिशत, तथा सेवा क्षेत्र में 9.6 प्रतिशत, प्राप्त करनी

होगी। राज्य की दसवीं योजना में 1999-2000 के भावों पर विकास की दर 5.4 प्रतिशत, अनुमानित है जबकि लक्ष्य 8.3 प्रतिशत, रखा गया था (1993-94 के भावों पर)

2. पिछले वर्षों में राज्य की वित्तीय स्थिति काफी प्रतिकूल हो गयी है जिससे योजनाओं के लिए आवश्यक मात्रा में साधन-संग्रह करना कठिन हो गया है। विकास और अकाल वित्तीय साधनों के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धी हो गये हैं जिसकी क्षति विकास को झेलनी पड़ी है। वर्तमान सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के परिचय के लक्ष्य से भी अधिक का स्तर प्राप्त करने का भरसक प्रयास किया है।
3. राज्य में मूल्यवर्धित कर (VAT) 1 अप्रैल, 2006 से लागू कर दिया है। बिक्री कर राज्य के राजस्व का प्रमुख आधार है। वेट के माध्यम से राज्य के राजस्व पर किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
4. ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य में आर्थिक नियोजन के साथ-साथ राजकोषीय या वित्तीय नियोजन (fiscal or financial planning) भी संचालित किया जाना चाहिए। इसके लिए राज्य में मध्यमकालीन राजकोषीय सुधारों का कार्यक्रम लागू करना आवश्यक है। केन्द्र की भांति राजस्थान में भी 'राजकोषीय जिम्मेदारी व बजट प्रबन्धन अधिनियम 2005 को लागू किया गया है ताकि वर्ष 2009 तक राजस्व घाटा शून्य पर लाया जा सके, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत पर लाया जा सके और राज्य के बढ़ते बकाया कर्ज पर नियन्त्रण स्थापित किया जा सके। इस प्रकार स्वस्थ राजकोषीय स्थिति से ही स्वस्थ आर्थिक नियोजन संभव हो सकता है, हालांकि यह सम्बन्ध विपरीत दिशा में भी सही सिद्ध होता है।
5. चूंकि आर्थिक सुधारों व उदारीकरण के युग में विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका प्रबल हो गई है, इसलिए राज्य को अपने आर्थिक साधनों का उचित उपयोग करने में निजी क्षेत्र की पूंजी निवेश में भागीदारी बढ़ानी चाहिए ताकि पर्यटन, खनन, पशुधन, दस्तकारी, निर्यात आदि क्षेत्रों में उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर विकास की वार्षिक दर प्रचलित कीमतों पर 15 प्रतिशत प्राप्त की जा सके। ताकि 7 प्रतिशत मुद्रास्फीति के बाद राज्य वास्तविक विकास की, दर 8 प्रतिशत अर्जित कर सके। यह काम केवल नियोजन के माध्यम से ही होना कठिन प्रतीत होता है, इसलिए राज्य सरकार को निजी क्षेत्र को उचित प्रेरणा देकर विकास की प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। राज्य सरकार ने हॉडा को कार प्रोजेक्ट के लिए तथा महिंद्रा एण्ड महिंद्रा को सेज के लिए आमंत्रित किया है जिससे राज्य में कई हजार करोड़ रु. का निवेश होगा। राज्य सरकार द्वारा आयोजित 'रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरशिप सम्मिट' इस तथ्य का प्रमाण है जिसमें 162000 करोड़ निवेश के लगभग 300 विनियोग प्रस्ताव राज्य को प्राप्त हुए।
6. चूंकि राज्य के पास वित्तीय साधनों का नितान्त अभाव है, इसलिए राजस्थान को भी विशिष्ट श्रेणी के राज्यों (Special Category States) में शामिल किया जाना चाहिए ताकि इसे योजना के लिए जो वित्तीय सहायता मिलती है, उसमें 90 प्रतिशत

अनुदान व 10 प्रतिशत कर्ज मिल सके, जबकि वर्तमान में इसे 70 प्रतिशत कर्ज व 30 प्रतिशत अनुदान की राशि मिलती है, जिससे इस पर ब्याज की देनदारी बढ़ जाती है। अतः भविष्य में नियोजन की सफलता के लिए राजकोषीय परिदृश्य को स्थायी रूप से व शीघ्रतापूर्वक सुधारा जाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।

दसवीं योजना की समीक्षा

राजस्थान की दसवीं योजना में 6.3 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो प्राप्त होना कठिन लगता है। इसी प्रकार कृषि में विकास दर 4.5 प्रतिशत तथा औद्योगिक विकास दर 10 प्रतिशत का प्राप्त होना भी वर्तमान परिस्थितियों में काल्पनिक लगता है। यद्यपि 2003-04 में अच्छे मानसून के कारण कृषि उत्पादन का सूचकांक बढ़कर 321.24 हो गया और कृषि उत्पादन तेजी से बढ़ा, खाद्यान्न का उत्पादन अब तक के रिकार्ड स्तर 180 लाख टन हो गया किन्तु 2005-06 में घटकर 118.3 लाख टन से ऊपर आ गया।

पिछले कुछ वर्षों से राज्य प्रतिकूल वित्तीय स्थिति में फंसा हुआ है। राज्य पर कर्जों का बोझ बढ़ गया है। अकाल की स्थितियों का सामना करना राज्य की नियति बन गई है। परिणामस्वरूप विकास के लिए वित्तीय साधनों का जुटाना कठिन समस्या बनता जा रहा है। राज्य सरकार के राजस्व का बहुत बड़ा भाग तो कर्मचारियों के वेतन, पेंशन भुगतान में ही चला जाता है। गैर-योजना खर्च बढ़ता जा रहा है, परिणामस्वरूप विकास के लिए संसाधनों का संकट सदैव बना रहता है। राज्य में आर्थिक नियोजन के सफल क्रियान्वयन हेतु राजकोषीय अनुशासन एवं वित्तीय प्रबन्धन की आवश्यकता है।

राज्य की प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों और अकाल की स्थितियों से जूझने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान को भी विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में शामिल किया जाना चाहिए ताकि योजनाबद्ध विकास के लिए केन्द्र से वित्तीय सहायता अधिक मिल सके। यद्यपि बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों से राज्य को 2005-10 के पांच वर्षों में केन्द्रीय करों से हिस्से के रूप में 34,418 करोड़ रु तथा अनुदान के रूप में 4644 करोड़ रु. मिलेंगे। राज्य को ऋणों के पुनर्भुगतान एवं ब्याज में राहत मिलेगी, फिर भी राज्य को विकास हेतु राजकोषीय अनुशासन एवं वित्त प्रबन्धन में सतर्कता रखनी होगी।

14.9 सारांश (Summary)

राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। एक रेगिस्तानी प्रदेश होने तथा वर्षा पर अत्यधिक निर्भरता एवं समुचित सिंचाई साधनों के अभाव के कारण कृषि विकास के लिए और अधिक प्रयासों की जरूरत है

दसवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों में गरीबी कम करना, सभी बच्चों को स्कूल भेजना, साक्षरता और मजदूरी में लिंग भेद कम करना, पेयजल उपलब्ध कराना, सेवा क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाना, आधारभूत सिंचाई योजनाओं को पूरा करना, राष्ट्र व राज्य की प्रतिव्यक्ति औसत आय के अन्तर को कम करना, गरीबी उन्मूलन, जनसंख्या नियन्त्रण, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास, पंचायती राज संस्थाओं का विकास और 8 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर प्राप्त

करना है। दसवीं पंचवर्षीय योजना का प्रस्तावित व्यय 31831.75 करोड़ रु. था जबकि वास्तविक व्यय 33735 करोड़ रु. का हुआ है। वहीं राज्य की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 71732 करोड़ रुपये की मंजूर की है। ग्यारहवीं योजना में 'समग्र विकास' को आधार बनाया गया है। प्रतिकूल प्राकृतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद राज्य विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसे और तीव्र करने के लिए आर्थिक संसाधनों के साथ-साथ दृढ़ इच्छाशक्ति एवं जनभागीता की महती आवश्यकता है।

14.10 शब्दावली (Glossary)

प्राथमिकताएँ	Priorities
रणनीति	Strategy
आवंटन	Allocation
नियोजन	Planning
शिशु मृत्यु दर	Infant Mortality Rate
मातृ मृत्यु दर	Mother Mortality Rate
लिंग भेद	Gender Gaps
साक्षरता	Literacy
सिंचित क्षेत्र	Irrigated Area
अधिसूचित	Notified
सकल घरेलू उत्पाद	Gross Domestic Product
सूचकांक	Index Number
कृषि प्रसंस्करण	Agro Processing
राजकोषीय एवं वित्तीय नियोजन	Fiscal and Financial Planning
विशिष्ट श्रेणी के राज्यों	Special Category States
प्रादेशिक असंतुलन	(Regional Imbalance)

14.11 संदर्भ ग्रन्थ (References)

1. ओझा बी.एल (2007-08): "राजस्थान की अर्थव्यवस्था", रमेश बुक डिपो, जयपुर
2. नाथूरामका एल.एन. (2007) "राजस्थान की अर्थव्यवस्था", कॉलेज बुक हाउस, जयपुर
3. जैन एवं जैन (2008-09) "लक्ष्य राजस्थान" मनु प्रकाशन, अजमेर
4. "आर्थिक समीक्षा"(2007-08) पृ. सं. 17-23

14.12 अभ्यासार्थ प्रश्न (Unit-end Questions)

1. राज्य की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों को लिखिए।
2. राजस्थान की दसवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों, लक्ष्यों एवं अब तक की उपलब्धियों का विवेचन कीजिए।
3. राजस्थान की दसवीं योजना का आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।

4. राजस्थान की दसवीं पंचवर्षीय योजना पर एक संक्षिप्त लेख लिखिये।
5. राजस्थान की दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्यों को बताइये।
6. राजस्थान की दसवीं पंचवर्षीय योजना की व्यूहरचना और उद्देश्यों का वर्णन कीजिये।

इकाई - 15

विशेष क्षेत्र योजनाएं - डीडीए, डीपीएपी, टाडा, अरावली विकास कार्यक्रम (Special Area Programme - DDA, DPAP, TADA, Aravalli-Development Programme)

इकाई की रूपरेखा

- 15.0 उद्देश्य
- 15.1 प्रस्तावना
- 15.2 सूखा, सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP-Drought Prone Area Programme)
 - 15.2.1 कार्यक्रम का क्षेत्र
 - 15.2.2 कार्यक्रम की प्रगति
- 15.3 मरु विकास कार्यक्रम (DDP-Desert Development Programme)
 - 15.3.1 मरु विकास कार्यक्रम के उद्देश्य
 - 15.3.2 मरु विकास के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य
 - 15.3.3 वित्त व्यवस्था
- 15.4 जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम (TADA-Tribal Area Development Approach)
 - 15.4.1 जनजाति क्षेत्र की विशेषताएं
 - 15.4.2 जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम
 - 15.4.3 नवीनतम योजनाओं में जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम
- 15.5 अरावली विकास कार्यक्रम (Aravalli Development Programme)
 - 15.5.1 अरावली विकास कार्यक्रम का महत्व
 - 15.5.2 अरावली विकास कार्यक्रम में जनभागीदारी
 - 15.5.3 अरावली परियोजना एवं विश्व खाद्य कार्यक्रम
 - 15.5.4 अरावली विकास योजना के अन्य कार्य
 - 15.5.5 अरावली विकास के लिए विदेशी सहायता
- 15.6 सारांश
- 15.7 शब्दावली
- 15.8 सन्दर्भ ग्रन्थ
- 15.9 अभ्यासार्थ प्रश्न

15.0 उद्देश्य (Objectives)

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् आर्थिक विकास हेतु अपनायी गई योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया के अन्तर्गत क्षेत्रीय असमानताओं एवं सामाजिक विषमताओं को दूर करने के प्रयोजन से समय-समय पर कई कार्यक्रम केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ किए गए। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र विशेष या समाज के वर्ग विशेष की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करना एवं विशिष्ट योजनाओं के माध्यम से उन्हें देश एवं राज्य के विकसित क्षेत्रों/समाजों के समकक्ष लाना है।

राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से विषमताओं, विविधताओं, विशेषताओं एवं विशिष्टताओं से परिपूर्ण है। एक ओर राज्य सरकार का करीब 60 प्रतिशत भू-भाग मरूस्थल है जो शुल्क, न्यूनवर्षा एवं वनस्पति विहिन है तो दूसरी ओर मध्य में अरावली पर्वतश्रेणी है जो अब अनियंत्रित खनन, वन एवं जन विदोहन से प्रभावित है। एक ओर चम्बल का बीहड़, कटाफटा पठार किन्तु उपजाऊ हाड़ौती का क्षेत्र है तो दूसरी ओर माही, और मेवात का मैदानी भाग है। इन सभी भौगोलिक क्षेत्रों की भिन्न-भिन्न समस्याएं हैं जिनमें सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, पर्यावरणीय असंतुलन, अकाल एवं सूखे की समस्याएं प्रमुख हैं। राजस्थान के संतुलित विकास की व्यवस्था के लिए कई विशेष क्षेत्रीय विकास परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं।

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप :

- जान सकेंगे कि सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम क्या है? इसमें कौन-कौन से कार्यक्रमों पर बल दिया जाता है एवं राजस्थान में इसकी प्रगति कैसी है?
- समझ सकेंगे कि मरू विकास कार्यक्रम किन उद्देश्यों के तहत लागू किया गया है एवं इसमें किन कार्यक्रमों का समावेश किया जाता है?
- जनजाति क्षेत्र विकास हेतु राज्य सरकार के प्रयासों से अवगत हो सकेंगे; एवं
- अरावली विकास कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करेंगे।

15.1 प्रस्तावना (Introduction)

राज्य के विकास के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् किए गए प्रयासों का समय-समय पर मूल्यांकन के दौरान यह पाया गया कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का संतुलित विकास नहीं हो पाया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकास बनाम वितरण को लेकर कई चर्चाएं हुईं प्रारम्भिक दौर में अर्थशास्त्रियों ने यह तर्क दिया कि देश को सर्वप्रथम विकास की गति बढ़ाने पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए क्योंकि वितरण से पूर्व राष्ट्रीय केक का आकार बढ़ाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक के हिस्से में बढ़ा टुकड़ा आ सके। तीन पंचवर्षीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के बावजूद देश में गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्याओं में कोई कमी नहीं होने पर "गरीबी हटाओ" के नारे के साथ जब केन्द्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो गरीबी निवारण के लिए विशेष योजनाएं प्रारम्भ की गईं। इसमें एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जैसे कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए। राजस्थान में

बाद के दिनों में "अंत्योदय योजना" प्रारम्भ की गई। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार हैं :

- (1) सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (DDAP-Drought Prone Area Programme)
- (2) मरू विकास कार्यक्रम (DDP-Desert Development Programme)
- (3) जनजाति क्षेत्रीय कार्यक्रम (TADA-Tribal Area Development Programme)
- (4) अरावली विकास कार्यक्रम

प्रत्येक क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम से संबंधित उद्देश्य, राजनीति, व्यय एवं प्रगति आदि की चर्चा प्रस्तुत इकाई में की जायेगी।

15.2 सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम

(DPAP-Drought Prone Area Programme)

केन्द्र सरकार द्वारा सन् 1974-75 में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम उन क्षेत्रों की विशेष समस्याओं के समाधान हेतु प्रारम्भ किया गया जो लगातार भंयकर सूखे की समस्या से पीड़ित हों। इन क्षेत्रों में अत्यधिक मानव एवं पशु संख्या के कारण पहले से ही कमजोर प्राकृतिक संसाधन आधार पर भोजन, चारे एवं ईंधन की बढ़ती आवश्यकता का भारी दबाव है। इस भारी जैविक दबाव के कारण वनस्पति का तेजी से क्षरण, वर्षा में कमी, मिट्टी के कटाव में वृद्धि तथा भू-जल स्तर में कमी जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम केन्द्र प्रवर्तित स्कीम है जो देश के 13 राज्यों के 155 जिलों के 947 खण्डों में लागू है। राजस्थान में यह कार्यक्रम 11 जिलों के 32 खण्डों में लागू है। 1 अप्रैल 1999 के बाद से जलग्रहण क्षेत्र पर आधारित नयी परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में वित्त उपलब्ध कराया जा रहा है। ये जिले इस प्रकार हैं: उदयपुर, इंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारां, भरतपुर, झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर व अजमेर। इन जिलों के कुछ खण्डों के नाम इस प्रकार हैं

- इंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिले के समस्त खण्ड,
- उदयपुर जिले के खेरवाड़ा, झाडोल व कोटरा खण्ड,
- अजमेर जिले के मसूदा, भिनाय व जवाजा खण्ड,
- झालावाड़ जिले के झालरापाटन, डग व खानपुर खण्ड,
- भरतपुर जिले के डीग खण्ड
- कोटा-बारां जिले के शाहबाद, सांगोद, चेचट व छबड़ा खण्ड,
- टोंक जिले के उनियारा देवली व टोडारायसिंह खण्ड, तथा
- सवाई माधोपुर जिले के नादोती व खण्डार खण्ड।

15.2.1 कार्यक्रम के उद्देश्य

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सूखे के कारण कृषि उत्पादन, भूमि की उत्पादकता, जल एवं मानव संसाधन तथा मवेशियों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम करना एवं अल्प

प्रभावित क्षेत्रों को सूखे की समस्या से मुक्ति दिलाना है। कार्यक्रम का यह भी उद्देश्य है कि कार्यक्रम क्षेत्र में निवास करने वाले गरीब वंचित वर्ग के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में बदलाव लाना तथा क्षेत्र का समग्र आर्थिक विकास करना है। कार्यक्रम के उद्देश्यों को हम निम्नलिखित तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं -

- (1) वृक्षारोपण के माध्यम से मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया पर अंकुश लगाना एवं मरुस्थल के विकास को रोकना।
- (2) जल संसाधनों का प्रबन्धन एवं विकास कर सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करना।
- (3) पशुओं एवं मनुष्यों के लिए पेयजल की आपूर्ति।
- (4) मिट्टी एवं नमी का संरक्षण करना।
- (5) कृषि विकास की नवीन सम्भावनाओं की खोज करना।
- (9) सूखा सम्भावित क्षेत्र में रोजगार के वैकल्पिक अवसरों में वृद्धि करना।
- (6) वन एवं चरागाहों का विकास करना।

सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम को लागू करने सम्बन्धी नीति की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं -

- (1) क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम को विशेष रूप से जलग्रहण क्षेत्र के आधार पर लागू करना।
- (2) कार्यक्रम से संबंधित गतिविधियों को चिन्हित 500 हेक्टेयर के जलग्रहण क्षेत्र तक सीमित करना एवं परियोजना को चार वर्ष की अवधि में पूरा करना।
- (3) जहाँ तक सम्भव हो जलग्रहण परियोजना में पूरे गाँव को शामिल करना।
- (4) परियोजना के प्रबन्धन में स्थानीय लोगों एवं पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी को विभिन्न संस्थागत स्तरों पर स्पष्ट रूप से परिभाषित करना।
- (5) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/जिला परिषद् सरकारी एजेंसी के रूप में जन संगठनों द्वारा चलायी जा रही जल ग्रहण परियोजनाओं के लिए तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगी।

बोध प्रश्न -01

1. विशेष क्षेत्रीय विकास योजनाओं के नाम बताइए।
2. सूखा संभाव्य कार्यक्रम के किन्हीं तीन उद्देश्यों के नाम बताइए।
3. डीपीएपी कार्यक्रम किन-किन जिलों में लागू है ?

15.2.2 कार्यक्रम की प्रगति

जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम को केन्द्र प्रवर्तित स्कीम के रूप में सर 1974-75 में प्रारम्भ किया गया था और सन् 1975 से 1979 तक केन्द्र सरकार ने इस कार्यक्रम हेतु 66 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की थी। सन् 1979-80 में सहायता राशि को घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया था।

सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में केन्द्र सरकार ने इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में शामिल किया तथा राज्यों को इसके लिए शत प्रतिशत वित्तीय सहायता

उपलब्ध करवायी। सातवीं योजना में इस कार्यक्रम पर कुल 23.8 करोड़ रुपये व्यय किये गए तथा इसके माध्यम से 21471 हैक्टेयर क्षेत्र में मिट्टी एवं नमी संरक्षण के कार्य किए गए, 2389 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं का विकास तथा 10918 हैक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण के कार्य सम्पन्न किये गए।

सातवीं योजना की अवधि में इस कार्यक्रम में तेजी लाने का प्रयास किया गया। प्रोफेसर हनुमन्थ राव की अध्यक्षता में नियुक्त तकनीकी समिति की सिफारिशों को 1 अप्रैल 1995 से लागू किया गया जिसके अन्तर्गत परियोजनाओं के लिए यह मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रस्तुत किया गया कि प्रत्येक गांव के 500 हैक्टेयर भूमि के जलग्रहण क्षेत्र हेतु विकास कोषों का स्थानान्तरण किया जाय। प्रत्येक जलग्रहण क्षेत्र का कार्य 4 वर्ष की अवधि में पूर्ण करने तथा प्रति हैक्टेयर 4000 रुपये का व्यय अनुमानित किया गया। परियोजना के विभिन्न मर्दों पर व्यय सम्बन्धी सिफारिश में कहा गया कि व्यय का आवंटन 30 प्रतिशत भूमि विकास एवं भू-संरक्षण पर, 20 प्रतिशत जल संसाधनों के विकास पर, 25 प्रतिशत वृक्षारोपण तथा चरागाह विकास पर, 15 प्रतिशत अन्य क्रियाओं तथा प्रशासनिक व्यय 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस कार्यक्रम पर सन् 1992-93 में 6.5 करोड़, 1993-94 में 7.71 करोड़ रुपये तथा 1995-96 में 26 करोड़ रुपये व्यय किये गए।

राज्य की नवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के लिए 46.5 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया। इसी प्रकार राज्य की दसवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम पर 32.45 करोड़ के खर्च का अनुमान लगाया गया। भारत सरकार ने सन् 1995-96 में प्रथम चरण में राज्य की 176 जलग्रहण परियोजनाओं को स्वीकृति दी जिन पर कुल 35.2 करोड़ रुपये व्यय किये जाने का प्रावधान किया गया। दूसरे चरण में भारत सरकार ने सन् 1999-2000 के लिए 16 नये जलग्रहण कार्यक्रम (3.60 करोड़ रुपये) तथा सन् 2000-01 के दौरान 271 जलग्रहण कार्यक्रम (81.32 करोड़ रुपये) स्वीकृत किये। इस प्रकार पाँच वर्ष की अवधि के लिए 84.9 करोड़ रुपये के जल ग्रहण कार्यक्रम आवंटित किये।

वर्तमान में कुल मिलाकर राज्य में 925 जलग्रहण परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है जिन पर 275.7 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। इन 925 परियोजनाओं में से 289 परियोजनाएं 31 मार्च 2007 तक सम्पन्न हो जायेगी तथा शेष 636 परियोजनाएं ग्यारहवीं योजना के प्रारम्भ के समय जारी रहेंगी। ग्यारहवीं योजना के लिए 49 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है जिसमें से सन् 2007-08 की वार्षिक योजना के लिए राज्य के अंश के रूप में 8.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

15.3 मरू विकास कार्यक्रम (Desert Development Programme)

पिछले कई वर्षों में, रेगिस्तानी क्षेत्र में मनुष्यों एवं मवेशियों की आबादी में वृद्धि होने के कारण क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ा है। वनस्पति का निरन्तर क्षरण, भूमि कटाव में वृद्धि एवं भूमिगत जल स्तर में कमी इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याएँ हैं। ये प्राकृतिक साधनों के नुकसान एवं भूमि की उत्पादकता में कमी के मुख्य कारक हैं। कृषि के

लिए गठित राष्ट्रीय आयोग की अनुशंसा पर सन् 1977-78 से मरू विकास कार्यक्रम राजस्थान, गुजरात एवं हरियाणा के उष्ण रेगिस्तानी क्षेत्रों तथा जम्मू एवं कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के ठंडे मरू क्षेत्रों में लागू किया गया। सन् 1994-95 तक मरू विकास कार्यक्रम देश के 5 राज्यों के 21 जिलों के 131 खण्डों में लागू था। प्रो. सी.एच. हनुमन्थ राव की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति ने कार्यक्रम की समीक्षा के बाद 32 नये खण्डों को मरू विकास कार्यक्रम में सम्मिलित करने एवं सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम के 64 खण्डों को मरू विकास कार्यक्रम में हस्तान्तरित करने की सिफारिश की। इस तरह 1995-96 से यह कार्यक्रम जिलों एवं खण्डों के पुनर्गठन के बाद देश के सात राज्यों के 40 जिलों के 235 खण्डों में जारी है। राजस्थान में मरू विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 16 जिलों के 85 खण्डों के अन्तर्गत कुल 198744 वर्ग कि.मी क्षेत्र लाभान्वित हो रहा है। राजस्थान के ये जिले हैं - अजमेर, जयपुर, सिरोंही, राजसमन्द, उदयपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, नागौर, चुरु, पाली, गंगानगर, जैसलमेर, सीकर एवं झुंझुनूं।

15.3.1 मल विकास कार्यक्रम का उद्देश्य

मरू विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चिन्हित मरू क्षेत्रों में सूखे एवं मरूस्थलीकरण के प्रतिकूल प्रभावों को प्राकृतिक संसाधनों के आधार के नवीकरण द्वारा सीमित करना। दीर्घकाल में कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करना है। इसके साथ ही कार्यक्रम का यह भी उद्देश्य है कि मरू क्षेत्र के आर्थिक विकास के माध्यम से वहां निवास करने वाले लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में बदलाव लाना।

15.3.2 मरू विकास के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य

मरू विकास के अन्तर्गत ऐसे कार्यों को लिया जाता है जिनसे सूखे की गम्भीरता को कम किया जा सके, रोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा मरू क्षेत्र के लोगों की जीवन दशाओं को उन्नत किया जा सके।

प्रमुख कार्य

- (1) पशु पालन, भेड़ पालन एवं डेयरी विकास पशु पालन मरू क्षेत्र का प्रमुख व्यवसाय है। इस कार्यक्रम में अच्छी नस्ल के पशु खरीदना, संतुलित आहार उपलब्ध करवाना तथा उनके स्वास्थ्य की देखभाल शामिल है। इस क्षेत्र में भेड़ों की संख्या अधिक होने के कारण भेड़ विकास कार्यक्रम को अधिक महत्व दिया गया है। भेड़ विकास के अन्तर्गत भेड़ों के नस्ल सुधारने, रखरखाव तथा चारे की व्यवस्था के कार्य प्रारम्भ किये गए हैं।
- (2) वन विकास - इसके अन्तर्गत वन पौधशालाएं विकसित करना, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण, टीलों पर स्थिरीकरण, वन चरागाह विकास जैसे कार्य किए जा रहे हैं।
- (3) पशुओं के लिए पेयजल पूर्ति व्यवस्था।

- (4) ग्रामीण विद्युतीकरण - मरू क्षेत्र में कुओं की गहराई सामान्यतया 100 से 200 मीटर तक होने के कारण पानी निकालने में कठिनाई आती है। इसलिए इन कुओं से पानी निकालने हेतु विद्युतीकरण को इसमें शामिल किया गया है।
- (5) लघु सिंचाई - वर्षा के जल का पूर्ण उपयोग करने के उद्देश्य से छोटे बांध, एनीकट एवं तालाबों का निर्माण कर सिंचाई सुविधाओं के विकास का कार्य किया जाता है।
- (6) कृषि - कृषि के विकास हेतु भू संरक्षण के कार्य, मिट्टी की जांच हेतु परीक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं पानी के समुचित उपयोग हेतु फव्वारा पद्धति को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान देने जैसे कार्य किये जाते हैं।
- (7) राष्ट्रीय मरू उद्यान की स्थापना - बाइमेर एवं जैसलमेर जिलों के 3000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में वन्य जीवों को सुरक्षा देने तथा प्राकृतिक वनस्पति को सुरक्षित रखने के लिए मरू उद्यान की स्थापना की गई है।

15.3.3 वित्त व्यवस्था

1 अप्रैल 1999 से मरू विकास कार्यक्रम के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में धन उपलब्ध करवाया जा रहा है। 1 अप्रैल, 2000 से कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक परियोजना का आकार 30 लाख रुपये प्रस्तावित किया गया है।

15.3.4 योजना में प्रगति

मरू विकास कार्यक्रम पर सातवीं योजना अवधि में 146.5 करोड़ रुपये खर्च किये गए। इस अवधि में 68.5 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण, 42.6 हजार हेक्टेयर भूमि में भू संरक्षण एवं नमी संरक्षण, 10.4 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विकास तथा पशुओं को पेयजल आपूर्ति हेतु 4 हजार कार्य सम्पन्न किये गए।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में मरू विकास क्षेत्रों के समीप के क्षेत्रों के विकास पर बल दिया गया। इसके अन्तर्गत सघन वृक्षारोपण के कार्य को हाथ में लिया गया ताकि मरू क्षेत्र को हरा-भरा बनाने की प्रक्रिया आसपास के क्षेत्रों से प्रारम्भ होकर मरू क्षेत्रों में प्रवेश कर सके। इस आधार पर आठवीं योजना में इस कार्यक्रम पर 538.76 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया।

नवीं योजना में इस कार्यक्रम के लिए 669.5 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया था। योजना अवधि में वृक्षारोपण, जल संरक्षण, सिंचाई के साधनों में वृद्धि, चारागाह एवं विद्युतीकरण के कार्य कराये जाना प्रस्तावित था।

दसवीं योजना अवधि (2002-07) के प्रथम तीन वर्षों में मरू विकास कार्यक्रम पर क्रमशः 24.13 करोड़, 41.40 करोड़ तथा 35.79 करोड़ रुपये व्यय किए गए। वर्ष 2005-06 के लिए 47 करोड़ तथा 2006-07 के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

बोध प्रश्न -02

1. डी.डी.पी. कार्यक्रम कब लागू हुआ ?

2. मरू विकास कार्यक्रम के क्या उद्देश्य हैं ?
3. मरू विकास कार्यक्रम किन-किन जिलों में लागू है ?
4. डी.डी.पी. कार्यक्रम में किए जाने वाले किन्हीं दो कार्यों के नाम लिखिए।

15.4 जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम

(Tribal Area Development Programme)

भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान एवं समाज के अन्य वर्गों द्वारा उनके शोषण को रोकने हेतु व्यापक प्रावधान किये गए हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना के निर्माण के समय जनजाति समस्याओं की विस्तृत समीक्षा की गई। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के आधार पर राज्यों को तीन श्रेणियों में बांटा गया -

- (1) राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश जहां जनजाति आबादी की प्रधानता है।
- (2) राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश जहां काफी मात्रा में जनजाति आबादी है एवं राज्य के कुछ क्षेत्रों से सघनता से बसी है।
- (3) राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश जहां जनजाति आबादी बिखरी हुई बसी है।

राजस्थान दूसरी श्रेणी के राज्यों में आता है। सन् 2001 की जनगणना के आधार पर राज्य की कुल जनसंख्या 5.65 करोड़ है जिसमें से 70.97 लाख या 12.56 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है। राज्य में भील, डामोर, मीणा, गरासिया, कथौड़ी एवं सहरिया प्रमुख अनुसूचित जनजातियाँ हैं। भील, डामोर एवं मीणा मुख्यतया बांसवाड़ा, इंगरपुर, उदयपुर के दक्षिणी हिस्से एवं चित्तौड़ के कुछ भागों में बसे हैं जबकि गरासिया सिरोही जिले एवं सहरिया व्यास जिले में बसे हैं। राज्य के दक्षिणी भाग के 23 खण्डों (1 आंशिक) को जहां 50 प्रतिशत से अधिक आबादी जनजाति की है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है।

15.4.1 जनजाति क्षेत्र की विशेषताएं

- (1) जनसंख्या वृद्धि की उँची दर - राज्य में जनजातियों की संख्या में वृद्धि की दर 1951-61 में 25 प्रतिशत, 1961-71 में 28 प्रतिशत 1971-1981 में 30.6 प्रतिशत 1981-1991 में 24.7 प्रतिशत तथा 1991-2001 में 29.6 प्रतिशत रही है। ये वृद्धि दरें निश्चित रूप से काफी उँची है तथा राज्य एवं इन जनजातियों के स्वयं के विकास एवं प्रगति में अवरोधक हैं।
- (2) कृषि - अधिकांश जनजातियों के लिए कृषि मुख्य जीवनयापन का साधन है। कृषि में बटाईदार प्रथा के प्रचलन में होने के कारण वास्तविक काशतकारों का शोषण होता है। कृषि में परम्परागत तकनीक अपनाने एवं कृषि पड़तों में कमी के कारण उत्पादन का स्तर नीचा पाया जाता है। इनके भूजोत का आकार भी छोटा है।
- (3) ऋणग्रस्तता - कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण जनजातियों में ऋणग्रस्तता भी अधिक पायी जाती है।

(4) वन उपज संग्रहण - जनजाति के लोग वनों से लकड़ी काटने के अलावा वनों की छोटी उपजें संग्रह करने जैसे पत्ते, जड़ी-बूटियां, फल, शहद आदि के कार्य में संलग्न पाये जाते हैं।

इनके अतिरिक्त जनजाति आबादी में साक्षरता की नीची दर, अकुशल श्रमिकों की अधिकता, बेरोजगारी की ऊँची दर, गरीबी पायी जाती है। जनजाति क्षेत्र में यातायात के संचार साधनों तथा विपणन सुविधाओं की कमी पायी जाती है।

15.4.2 जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम

जनजाति क्षेत्र एवं उसमें निवास करने वाली जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं। जनजाति के लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान करने के लिए उदयपुर में एक जनजाति शोध संस्था (Tribal Research Institute-TRI) स्थापित की गई है। यह एक केन्द्र प्रवर्तित योजना है। इसमें राज्य की भागीदारी पचास प्रतिशत है। इसके माध्यम से सेमीनार, पुस्तकालय शोध, लोक संगति, कार्यशाला आदि क्रियाएं संचालित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आँगनबाड़ी कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

(i) जनजाति उपयोजना (Tribal Sub-plan)

दूसरी श्रेणी के राज्यों में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु जनजाति उपयोजना रणनीति अपनाई गई। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक आर्थिक विकास तथा इन्हें शोषण से मुक्ति दिलाना है। जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए क्षेत्रीय विकास, सामुदायिक तथा व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं ताकि जनजाति के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो तथा इनके लिए न्याय एवं समानता का लक्ष्य प्राप्त हो सके।

जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा, झुंजरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर व सिरोही जिलों की 25 पंचायत समितियां आती हैं।

जनजाति उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के माध्यम से वित्तीय साधन जुटाये जाते हैं तथा राज्य की योजना से कोष प्रदान किये जाते हैं।

जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों में सिंचाई, विद्युत, फल-विकास, बीज एवं खाद वितरण, फार्म वानिकी आदि प्रमुख हैं। इस योजना के अन्तर्गत जनजाति के व्यक्तियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। शिक्षा के प्रसार हेतु जनजाति छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देना छात्रावास सुविधा अथवा मकान किराया देना, आवासीय विद्यालयों का निर्माण आदि कार्य किये जाते हैं।

(ii) परिवर्तित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण (MADA-Modified Area Development Approach)

माडा कार्यक्रम व 1978-79 से विशेष केन्द्रीय सहायता से प्रारम्भ किया गया। इसके अन्तर्गत शैक्षणिक विकास एवं व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने वाली स्कीमें शामिल की गई थीं। इस

कार्यक्रम में राज्य के 13 जिलों के 2939 गांवों में 44 समूहों के जनजाति लोग शामिल हैं। ये जिले इस प्रकार हैं - अलवर, धौलपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, झालावाड़, कोटा, पाली, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक एवं जयपुर।

(iii) सहरिया विकास कार्यक्रम

सहरिया जनजाति के विकास के लिए यह विशिष्ट कार्यक्रम 1977-78 से आरम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि, पशु पालन, कुटीर उद्योग, वानिकी, शिक्षा, पोषण, पेयजल, ग्रामीण विकास आदि के कार्यों में धनराशि व्यय की जाती है एवं इसके लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त होती है।

(iv) बिखरी जनजाति के लिए विकास कार्यक्रम

सन् 1979 से प्रारम्भ इस कार्यक्रम का संचालन जनजाति क्षेत्र विकास विभाग द्वारा किया जाता है। इसके अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, छात्रावास (विशेषतया लड़कियों के लिए), निःशुल्क पोशाकें, पुस्तकें, छात्रवृत्तियां, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना आदि कार्य किए जाते हैं।

बोध प्रश्न -03

1. जनजाति विकास कार्यक्रम की क्या विशेषताएँ हैं ?
2. माड़ा के अंतर्गत किन कार्यक्रमों को लिया गया है ?
3. जनजाति उप-योजना राज्य में कहां लागू है ?

15.4.3 नवीनतम: योजनाओं में जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम

दसवीं पंचवर्षीय योजना में जनजाति में जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनजाति क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाना तथा जनजाति लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। जनजाति लोगों को बेहतर सामाजिक एवं नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाकर उनके जीने की दशा में सुधार करना विकास की रणनीति का लक्ष्य था।

जनजाति विकास के विभिन्न कार्यक्रमों पर राज्य की दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के दौरान कुल 472.18 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित था। इस व्यय में महाराष्ट्र पेटर्न, सामान्य राज्य योजना विशेष केन्द्रीय सहायता, अनुच्छेद 275(1) व पहल परियोजना पर किये गए प्रावधान सम्मिलित हैं।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में जनजाति क्षेत्र विकास के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा निम्नलिखित नवीन कार्यक्रम लागू किए गए -

- (1) अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की आदिवासी तथा शाहबाद व किशनगंज तहसीलों की सहरिया लड़कियों, जो कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत हैं, को मुफ्त साइकिलें प्रदान की गईं।
- (2) जिन जनजाति लड़कियों ने दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये उनमें स्कूटी वाहन का वितरण किया गया।

- (3) अनुसूचित क्षेत्र एवं शाहबाद तथा किशनगंज तहसीलों में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले तथा अंत्योदय परिवारों में प्रति परिवार प्रतिमाह 1 किलो आयोडीन युक्त नमक मुफ्त वितरित किया गया।
- (4) सहरिया एवं कथोड़ी जनजातियों के विकास की व्यापक परियोजना।
- (5) अनुसूचित क्षेत्र के 42 गांवों के समन्वित विकास की परियोजना।
- (6) जनजाति परिवारों में फल के पौधों का वितरण।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य

- (1) गरीबी, बेरोजगारी एवं आय की समानताओं को कम करना।
- (2) आर्थिक एवं स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता तथा गहन शैक्षणिक प्रयासों द्वारा मानव संसाधन विकास।
- (3) जनजाति क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास कर संसाधनों का गहनता से दोहन करना।
- (4) किसी भी शोषण के विरुद्ध भौतिक एवं वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।

ग्यारहवीं योजना में जनजाति क्षेत्र विकास के उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रस्तावित बजट इस प्रकार है -

सारणी 15.1

दसवीं पंचवर्षीय योजना में समाज कल्याण विभाग द्वारा जनजाति के विकास कार्यक्रम प्रस्तावित बजट

क्रम संख्या	मद	प्रस्तावित बजट (लाख रुपये में)	
		दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07)	वार्षिक योजना (2006-07)
1.	राज्य योजना	202.00	33.00
2.	महाराष्ट्र पेटर्न	56000.00	8000.00
3.	केंद्र प्रवर्तित स्कीम	16423.00	3284.60
4.	अनुच्छेद 2 (75 (1))	11000.00	2200.00
5.	कुल योग	83625.00	13517.60

स्रोत : www.Planning.Rajasthan.gov.in

ग्यारहवीं योजना के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम निम्न प्रकार से है -

- (1) शिक्षा जनजाति विकास के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करती है। अतः अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के लिए शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार और वित्तीय प्रोत्साहन द्वारा छात्रों द्वारा बीच में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना।
- (2) दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के लिए रहने एवं खाने-पीने की सुविधाओं के लिए छात्रावासों का संचालन। इसके साथ ही छात्रों को मुफ्त पुस्तकें, स्कूल पोषाक, स्टेशनरी, कोचिंग, शैक्षणिक भ्रमण इत्यादि की सुविधाएं उपलब्ध कराना।

- (3) जनजाति युवाओं को राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार करना। इसके लिए अलग से छात्रावास संचालित है। जिनमें इन्हें विशेष भोजन एवं पोषण दिया जाता है। इन छात्रों को तीरंदाजी एवं एथलेटिक्स के लिए विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। 250 छात्रों की क्षमता के 4 छात्रावासों का निर्माण प्रस्तावित है।
- (4) जनजाति छात्रों को अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 14 आदर्श आवासीय विद्यालयों का प्रस्ताव है।
- (5) जनजाति युवाओं को सामान्य नर्सिंग एवं मिडबाइफरी का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- (6) होटल एवं पर्यटन के क्षेत्र में प्रशिक्षित व्यक्तियों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 60 जनजाति युवाओं को पाक कला (food craft) का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- (7) जनजाति क्षेत्र में शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार के कारण अध्यापकों की बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बी.एड. के विशेष बैचों (Batches) का संचालन किया जायेगा।
- (8) तकनीकी शिक्षा दिमाग जनजाति युवाओं को आई.टी.आई. एवं राजस्थान आजीविका मिशन के माध्यम से दस्तकारी प्रशिक्षण दिलवाता है ताकि वो रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए तैयार हो सकें। ग्यारहवीं योजना के दौरान विभाग प्रतिवर्ष 640 जनजाति छात्रों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करेगा।
- (9) जनजाति छात्रों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण का कार्यक्रम ग्यारहवीं योजना में भी जारी रहेगा।
- (10) जनजाति क्षेत्र विकास के लिए सिंचाई भी एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाला क्षेत्र है ग्यारहवीं योजना अवधि में 776 एनिकट एवं 252 लिफ्ट का निर्माण प्रस्तावित है। इसी प्रकार 5790 कुओं को योजनावधि में गहरा किया जायेगा एवं 4927 पम्पसेट जनजाति किसानों में वितरित किये जाएंगे।
- (11) योजना अवधि में राजस्व ग्राम से दूर दराज क्षेत्र की ढाणियों/फलों में बसी 48 बस्तियों का विद्युतीकरण किया जायेगा।
- (12) आयोडीन युक्त नमक के वितरण का कार्य इस योजना में भी जारी रहेगा।
- (13) सहरिया बच्चों की शिक्षा के लिए मांबाड़ी योजना जारी रहेगी।
- (14) दूर दराज के क्षेत्रों में टी.बी. के मरीजों की पहचान कर पूर्ण इलाज सुनिश्चित करने का कार्यक्रम इस योजना में भी जारी।

15.5 अरावली विकास कार्यक्रम (Aravalli Development Programme)

पांचवीं पंचवर्षीय योजना से केन्द्र ने पहाड़ी क्षेत्रों के सन्तुलित विकास के लिए पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किये। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों के पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना तथा पर्यावरण संरक्षण, सन्तुलित सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास संभव बनाना है। केन्द्र ने देश के पश्चिमी घाट, हिमालय पर्वत व नीलगिरी की पहाड़ियों के लिए विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किये। राजस्थान सरकार भी अरावली क्षेत्र में ऐसे ही कार्यक्रम चलाने के लिए प्रयासरत रही। सर्वेयर जनरल की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ दल की अनुशंसा पर अरावली के कुछ क्षेत्रों का चयन इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया।

अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। इसका विस्तार देहली से गुजरात तक करीब 5000 हजार वर्ग कि.मी क्षेत्र में है। इसमें से लगभग 43000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र राजस्थान में आता है जो कुल क्षेत्र का 86 प्रतिशत है। पूर्व में अरावली पर्वत श्रृंखला सघन वनों से आच्छादित थी एवं इसी कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा थी परन्तु हाल के वर्षों में रहते जैविक दबाव के कारण अरावली श्रृंखला वृक्षविहीन हो गयी। वनों की अत्यधिक कटाई से सूखा एवं अनावृष्टि प्रदेश के पर्याय बन गए। रेगिस्तान के प्रसार को रोकने, वनक्षेत्र बढ़ाने, भूमि का कटाव रोकने एवं पर्वतीय क्षेत्र में निवास कर रही जनजातियों को संरक्षण देने के लिए अरावली क्षेत्र के विकास को आवश्यक समझा गया। अतः अरावली पर्वत क्षेत्र के कुछ भागों का चयन पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के 16 जिलों के 120 खण्डों का 41,447 वर्ग कि.मी. क्षेत्र शामिल किया गया जिसमें अन्य पहाड़ी क्षेत्रों का 11786 वर्ग कि.मी. क्षेत्र शामिल है। इस प्रकार अरावली पर्वत क्षेत्र का 29,661 वर्ग कि.मी. इस कार्यक्रम में रखा गया।

15.5.1 अरावली विकास कार्यक्रम का महत्व

अरावली पर्वतीय क्षेत्र के विकास का राष्ट्रीय महत्व है क्योंकि अरावली श्रृंखला राजस्थान, हरियाणा, मध्यप्रदेश, गुजरात व उत्तरप्रदेश में सतही जल एवं भूजल के सुधारों का निर्धारण करता है। इसके अलावा इसके विकास से रेगिस्तान को पूर्व दिशा में बढ़ने से रोकने में भी मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त अरावली विकास कार्यक्रम से सम्भावित लाभ निम्नलिखित हैं-

- (1) अरावली पर्वत क्षेत्र के पुनरुद्धार एवं पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करने में सहायता मिलेगी।
- (2) स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं के अनुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन सम्भव होगा।
- (3) मिट्टी एवं जल संसाधनों का प्रबन्धन एवं संरक्षण सम्भव होगा।
- (4) वन विकास, वृक्षारोपण, जड़ी-बूटियों के संघारण से रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे जिससे बेरोजगारी समाप्त करने में मदद मिलेगी।

- (5) ईंधन के लिए लकड़ी, फर्नीचर के लिए लकड़ी तथा चारे की आपूर्ति में वृद्धि सम्भव होगी।
- (6) चारे की आपूर्ति में वृद्धि से पशुपालन एवं डेयरी विकास सम्भव होगा।
- (7) फलोत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा।
- (8) बेकार भूमि का सदुपयोग किया जा सकेगा।
- (9) स्थानीय निवासियों में सामुदायिक भावना का विकास होगा।
- (10) क्षेत्र की जनजाति के लोगों को अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाकर उन्हें गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकालने में मदद मिलेगी।

5.5.2 अरावली विकास कार्यक्रम में जनभागीदारी

अरावली विकास कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता इसको जन भागीदारी के माध्यम से लागू करना है। जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों का गठन किया गया है। क्षेत्र के संरक्षण एवं विकास से प्राप्त होने वाली लघु वन उपज, घास इत्यादि सदस्यों को निःशुल्क प्राप्त होंगी। क्षेत्र में लगाए गए वृक्षों के विदोहन से प्राप्त शुद्ध आय (कुल आय में से व्यय घटाने के बाद) का 60 प्रतिशत हिस्सा वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के सदस्यों तथा 40 प्रतिशत राज्य को प्राप्त होगा। समिति को प्राप्त हिस्से में से कम से कम आधे को पुनः वृक्षारोपण पर व्यय करना होगा। सामान्यतः एक गांव के लिए एक ही समिति होगी। गांव के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य समिति का सदस्य बनने का अधिकारी होगा। समिति सदस्य चुनाव द्वारा कार्यकारिणी का गठन करेंगे।

15.3.3 अरावली परियोजना एवं विश्व खाद्य कार्यक्रम

अरावली परियोजना के अन्तर्गत वानिकी कार्यों में लगे मजदूरों को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है। श्रमिकों को बाजार भाव के आधे मूल्य या मजदूरी के 40 प्रतिशत, जो भी कम हो की दर पर प्रत्येक कार्य दिवस के लिए 2 किलो गेहूँ 200 ग्राम दाल एवं 75 ग्राम तेल उपलब्ध करवाया जाता है। इस खाद्यान्न के लिए श्रमिकों की मजदूरी में से 7 रुपये की कटौती करके खाद्यान्न कूपन प्रदान किया जाता है। श्रमिक कूपनों के आधार पर परियोजना क्षेत्र में स्थापित निकटतम वितरण केन्द्र से खाद्यान्न प्राप्त करते हैं। वन श्रमिकों की मजदूरी में से खाद्यान्न के लिए काटे गए 7 रुपये से जनित कोष का उपयोग विभिन्न विकास कार्यों के लिए किया जाता है।

15.5.4 अरावली विकास योजना के अन्य कार्य

- (1) वन क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को विश्व खाद्य कार्यक्रम की तीन इकाइयां विभिन्न वन क्षेत्रों में शिविर लगाकर निःशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाती है।
- (2) शिक्षा के प्रसार में भी विश्व खाद्य कार्यक्रम अहम् भूमिका निभाता है। इसके लिए बालबाड़ी एवं प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र स्थापित किये गए हैं।

- (3) परियोजना में चयनित ग्रामों में विकास हेतु हैण्डपम्प, सोलर कूकर, सोलर लैम्प तथा उन्नत चूल्हों का निर्माण किया जाता है।
- (4) उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त एनीकट का निर्माण, यात्री प्रतिकालय, सड़क विकास, विद्यालयों की चार दीवारी, सार्वजनिक कुओं को गहरा करना, पीने के पानी हेतु टैंक निर्माण, ट्यूबवेल लगाने जैसे कई ग्रामीण विकास के कार्य करवाये जाते हैं।

15.5.5 अरावली विकास के लिए विदेशी सहायता

इस कार्य में भारी विनियोग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अन्तरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने का तय किया गया। जापान के ओवरसीज इकोनोमिक कॉर्पोरेशन फण्ड की सहायता से सन् 1992-93 में राज्य के दस जिलों में अरावली वृक्षारोपण परियोजना प्रारम्भ की गई। ये दस जिले इस प्रकार थे - अलवर, सीकर, झुंझुनूँ नागौर, जयपुर (दौसा सहित), पाली, सिरौही, उदयपुर (राजसमन्द सहित), चित्तौड़गढ़ एवं बांसवाड़ा। अरावली वृक्षारोपण परियोजना में 288 करोड़ की संशोधित लागत से 151 हेक्टेयर में वनारोपण तथा पौधों के वितरण, नमी संरक्षण व नई नर्सरियों की स्थापना के कार्य सम्पन्न किये गए। वृक्षारोपण परियोजना 31 मार्च 2000 को समाप्त हो गयी। वर्ष 1992-93 से अरावली विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पुष्कर समन्वित विकास परियोजना प्रारम्भ की गई थी। इसका उद्देश्य घाटों का सुधार, झील का शुद्धिकरण एवं वृक्षारोपण, पुष्कर को पर्यटकों के लिए एक आकर्षक केन्द्र के रूप में विकसित करना था।

इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त कोटा, बून्दी, सवाई माधोपुर, करौली, द्वारा, झालावाड़, भरतपुर व धौलपुर जिलों (जिसे डांग क्षेत्र कहते हैं) में कन्दरा सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कन्दराओं या बीहड़ों का फैलाव आसपास के क्षेत्रों में रोकना है इससे उपजाऊ क्षेत्र नष्ट न हो। यह एक 100 प्रतिशत केन्द्रीय स्कीम है। इसमें वृक्षारोपण, परिधि बांध बनाने के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यह स्कीम 8 जिलों की 332 ग्राम पंचायत क्षेत्रों में चलाई जा रही है।

राजस्थान सरकार ने फरवरी, 1987 में मेव जाति के लोगों के विकास के लिए मेवात प्रादेशिक विकास परियोजना प्रारम्भ की ताकि अलवर व भरतपुर जिलों के मेवात क्षेत्रों का विकास किया जा सके। इसमें सड़क निर्माण, सिंचाई, पेयजल जैसे महत्वपूर्ण कार्य करवाए जा रहे हैं। व्यर्थ भूमि विकास के लिए भी राज्य में परियोजना चलाई जा रही है। व्यर्थ भूमि (Waste Land) विकास कार्यक्रम जयपुर, जोधपुर, टोंक, उदयपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़, सीकर, जैसलमेर, अजमेर, पाली में चलाया जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम राज्य के 4 सीमावर्ती जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं गंगानगर के 13 विकासखण्डों में वर्ष 1993-94 से क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य के क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (Minimum Needs Programme), एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (Integrated Rural Development

Programme) से भी विकास कार्यक्रम संचालित होते हैं। हाल ही में प्रारम्भ राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना से भी विशेष क्षेत्रों में लाभ मिल रहा है।

15.6 सारांश (Summary)

देश एवं राज्य की योजनाओं एवं आर्थिक नीतियों का मुख्य उद्देश्य विकास में क्षेत्रीय एवं आर्थिक असमानताओं को कम करना है। इसके लिए क्षेत्र विशेष एवं समुदाय विशेष कार्यक्रम बनाये गए। इस इकाई में जिन विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों की चर्चा की गई वे सभी 70 के दशक में पांचवी पंचवर्षीय के दौरान प्रारम्भ किये गए। ये सभी कार्यक्रम तीन दशकों से भी अधिक समय से जारी हैं। इन कार्यक्रमों में से तीन - सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम एवं अरावली विकास कार्यक्रम राजस्थान की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए लागू किये गए जबकि जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों जनजाति आबादी की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने, गरीबी एवं बेरोजगारी दूर करने के उद्देश्य से लागू किया गया। इन सभी कार्यक्रमों के अन्तर्गत जो कार्य प्रमुख रूप से किये गए उनमें जलग्रहण क्षेत्रों का विकास, वृक्षारोपण, वनारोपण भूमि एवं मिट्टी के कटाव को रोकना, पेयजल एवं चारे की व्यवस्था करना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास एवं विस्तार करना शामिल है।

तीन दशकों से जारी इन कार्यक्रमों के माध्यम से करोड़ों रुपये व्यय किये गए परन्तु अभी भी अकाल एवं सूखा राजस्थान की स्थायी विशेषता है। प्रत्येक 2-3 सालों में राज्य को इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जनजाति आबादी की सामाजिक-आर्थिक समाज के अन्य वर्गों की तुलना में अभी भी कमजोर है। अतः इन कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

15.7 शब्दावली (Glossary)

जल ग्रहण क्षेत्र	(Watershed Area)
जनजाति	(Tribe)
जनजाति उपयोजना	(Tribal sub-Plan)
जैविक दबाव	(Biotic Pressure)
पारिस्थितिकी तंत्र	(Eco-system)
मरुस्थलीकरण	(Desertification)

15.8 सन्दर्भ अन्य (References)

1. लक्ष्मीनारायण नाधूरामका, 'राजस्थान की अर्थव्यवस्था'
2. छीपा एवं शर्मा, 'राजस्थान की अर्थव्यवस्था'
3. राजस्थान सरकार, जयपुर (2007), 'उदीयमान राजस्थान', सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
4. Rajasthan Development Report
5. www.planning.rajasthan.gov.in

6. www.ddr.nic.in/dpap.htm
 7. प्रो. एच.एस. शर्मा, एवं डा. एम.एन. शर्मा, 'राजस्थान का भूगोल', पंचशील प्रकाशन, जयपुर।
-

15.9 अभ्यासार्थ प्रश्न (Unit-end Questions)

1. राजस्थान के सन्दर्भ में सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम के महत्व को बताते हुए प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए।
2. राजस्थान में मरू विकास कार्यक्रम के उद्देश्यों एवं कार्य का वर्णन करते हुए प्रगति की समीक्षा कीजिए।
3. सरकार द्वारा जनजाति विकास के लिए चलायी जा रही योजनाओं की संक्षिप्त विवेचना कीजिये।
4. 'अरावली विकास में जनभागीदारी' पर टिप्पणी कीजिए।
5. निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिये
(अ) जनजाति उपयोजना
(ब) अरावली विकास एवं विश्व खाद्य कार्यक्रम
6. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में जनजाति विकास के प्रस्तावित कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिये।

इकाई 16

राजस्थान के आर्थिक विकास में बाधाएँ एवं उन्हें दूर करने के उपाय

(Constraints in Economic Development of Rajasthan and Efforts to Over Come Them)

इकाई की रूपरेखा

- 16.0 उद्देश्य
- 16.1 प्रस्तावना
- 16.2 राजस्थान के आर्थिक विकास में प्रमुख बाधाएं
- 16.3 राजस्थान में कृषिगत विकास की बाधाओं को दूर करने के उपाय
- 16.4 औद्योगिक विकास की प्रमुख समस्याएं या बाधाएं
- 16.5 औद्योगिक विकास की बाधाओं को दूर करने के उपाय
- 16.6 सारांश
- 16.7 शब्दावली
- 16.8 सन्दर्भ ग्रन्थ
- 16.9 अभ्यासार्थ प्रश्न

16.0 उद्देश्य (Objectives)

राजस्थान की अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास के लिए यह आवश्यक है कि राज्य के आर्थिक विकास में आ रहे अवरोधों या बाधाओं पर विजय प्राप्त की जाय। आर्थिक विकास में बाधाओं का अध्ययन करने के लिए हम कृषि क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र की चर्चा करेंगे।

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप समझ सकेंगे कि :

- राज्य के विकास में प्राकृतिक अथवा भौगोलिक बाधाएं क्या हैं?
- राज्य के कृषि विकास में क्या अवरोध है?
- राज्य के औद्योगिक प्रगति में क्या समस्याएं हैं?
- राज्य की इन समस्याओं का व्यावहारिक समाधान क्या हो सकता है?

16.1 प्रस्तावना (Introduction)

औद्योगिक विकास की उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए भारत के राज्य भी आर्थिक उदारीकरण के दौर में औद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान दिए हुए हैं। औद्योगिक विकास आज के युग में एक अनिवार्य पहलू बन गया है इसके बिना जनसमूह को जीवन के प्रचुर साधन उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आर्थिक उदारीकरण काफी महत्वपूर्ण है। विदेशी पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक विकास को तेज करना जरूरी

है। आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न व विकसित कहे जाने वाले देश औद्योगिक विकास के मार्ग पर चलकर आर्थिक विकास के नए आयाम बना रहे हैं। विकसित राष्ट्रों से सीख लेकर विकासशील राष्ट्र औद्योगिक विकास को तीव्रतम करने के लिए निरन्तर प्रयासरत हैं लेकिन विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इनके सामने अनेक बाधाएं व समस्याएं खड़ी हैं ये राष्ट्र आधुनिक प्रोद्योगिकी के अभाव में औद्योगिक विकास की अपेक्षित गति प्राप्त करने में सफल नहीं हो रहे हैं। इसलिए भारत में भी औद्योगिक विकास की महत्ती आवश्यकता है।

भारत में राज्य भी अपनी आय में तीव्र एवं नियमित वृद्धि के लिए प्रयासरत है। राज्य में औद्योगिक विकास के द्वारा अधिक रोजगार एवं व्यवसायिक ढांचा नियमित होता है। बचत एवं निवेश में वृद्धि के द्वारा लोगों के जीवन स्तर में सुधार आता है। राजस्थान में स्वतन्त्रता के बाद औद्योगिक विकास में परिवर्तन का सूत्रपात हुआ है। योजनाओं द्वारा राज्य में औद्योगिक विकास काफी तीव्र गति से हो रहा है। राजस्थान, सामग्री की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है लेकिन औद्योगिक विकास की दृष्टि से तुलनात्मक रूप से काफी कमजोर है। राज्य, संसाधनों की कमी के कारण औद्योगिक विकास की दृष्टि से कमजोर है। नियोजन की दृष्टि से राजस्थान छः दशक पूरे कर चुका है लेकिन देश के कई राज्यों से पिछड़ा हुआ है। नियोजन से पूर्व राजस्थान में बिजली, पानी व यातायात के साधनों का अभाव था जिससे बड़े पैमाने के आधुनिक उद्योगों का विकास नहीं हुआ है। पंचवर्षीय योजना में राज्य के औद्योगिक विकास के लिए विद्युत उत्पादन, परिवहन, पानी, शिक्षा चिकित्सा आदि पर काफी जोर दिया गया। वर्तमान में राजस्थान में सूती व सिन्थेटिक रेशे की इकाइयां ऊनी, चीनी, सीमेंट, टेलीविजन टायर-ट्यूब, वनस्पति तेल की मिलें, इंजिनियरिंग की औद्योगिक इकाइयां खनिज आधारित बड़ी व मध्यम श्रेणी की इकाइयां हैं। केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक उपक्रम भी राजस्थान में हैं। राजस्थानी उद्योगपतियों को राज्य में विनियोग बढ़ाने के लिए सरकार कई प्रकार के प्रलोभन एवं छूट देकर राजस्थान में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए आकर्षित कर रही है। धीरे-धीरे उद्योगपति राजस्थान में औद्योगिक इकाइयां खोलने की पहल कर रहे हैं। राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए उचित प्राकृतिक व मानवीय संसाधन उपलब्ध हैं जिससे कई उद्योगों के विकास की सम्भावनाएं हैं।

राजस्थान प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से काफी धनी राज्य है। राज्य खनिजों की बहुलता के कारण खनिजों के अजायबघर के रूप में पहचाना जाता है। मानवीय संसाधनों की भी यहां कोई कमी नहीं है। यहां का श्रमिक भी मेहनती है, राजस्थान कई बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों की जन्म स्थली है। इसके बावजूद भी राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है।

राजस्थान में औद्योगिक विकास की उचित गति के लिए भी कोई नीति निर्धारित नहीं की गयी है। बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों ने भी राज्य के विकास में ज्यादा रुचि नहीं ली है। इसके कारण भी राजस्थान, औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा राज्य है। योजना के शुरू से लेकर आज तक औद्योगिक इकाइयां बहुत कम स्थापित हुई हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में राज्य में सूती वस्त्र, चीनी मिले, सीमेंट उद्योग, नमक, वनस्पति व कांच सम्बन्धी औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं। लेकिन इनमें भी कई इकाइयां रूग्णता से जूझ रही हैं। राजस्थान

के औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय विषमता भी समस्या बनी हुई है। कोटा, पाली भिवाड़ी, अलवर, जयपुर, आदि जिले विकसित हैं लेकिन बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, जालोर आदि पिछड़े हुए जिले हैं।

राज्य में मध्यम व लघु पैमाने के उद्योग की स्थिति भी अच्छी नहीं है। संख्यात्मक दृष्टि से यह अधिक हो सकते हैं लेकिन औद्योगिक विकास की दृष्टि से इनका योगदान कम है। यह उद्योग सरकारी सुविधाएं व रियायतें प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं लेकिन उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी अपनाने में इनकी ज्यादा रुचि नहीं होती है। राजस्थान के औद्योगिक विकास का योगदान भारत के औद्योगिक विकास में बहुत कम है। राजस्थान औद्योगिक विकास की दृष्टि से कई सुदृढ़ राज्य पंजाब, महाराष्ट्र से काफी नीचे आता है। राज्य में सुदृढ़ औद्योगिक विकास के लिए सरकार ने समय-समय पर नीति निर्धारण की है। इसी कड़ी में राज्य सरकार की औद्योगिक नीति 1978, 1991, 1994 व 1998 में औद्योगिक नीतियां घोषित कर चुकी है। इन नीतियों में बदले हुए आर्थिक परिवेश के अनुसार अर्थव्यवस्था को समायोजित करने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं। इन औद्योगिक नीतियों में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार ने औद्योगिक विकास की व्यूह रचना तैयार की है। जिनमें विनियोजन वातावरण में सुधार, आधारभूत संरचना का विकास, नियमों व प्रक्रियाओं का सरलीकरण, उद्योगों को शीघ्र अनुमति देना, निजी क्षेत्र को बढ़ावा, श्रमिकों की गुणवत्ता में सुधार, रोजगारोन्मुखी उद्योगों को प्रोत्साहन आदि पर बहुत जोर दिया गया है।

आर्थिक सुधारों के संक्रमण काल में भारत में पूंजी निवेश प्रस्तावों की निरन्तर बढ़ोतरी हुई है। देश में पूंजी निवेश महाराष्ट्र तथा गुजरात तक ही सीमित रहा है। राजस्थान में विदेशी पूंजी निवेश के लिए, उचित वातावरण के लिए सुविधाओं में वृद्धि के लिए सरकार प्रयत्नशील है लेकिन फिर भी विदेशी निवेशक आकर्षित नहीं हुए हैं। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सुदृढ़ आधारभूत संरचना व उचित औद्योगिक वातावरण का होना जरूरी होता है इसके साथ-साथ उर्जा की कमी भी विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में आड़े आ रही है।

आर्थिक नियोजन के बावजूद भी राजस्थान में औद्योगिक विकास की स्थिति अच्छी नहीं रही है। राज्य की आय में विनिर्माण क्षेत्र का अंश 1999-2000 में 12.99 प्रतिशत रहा। जो 2004-2005 में 12.19 प्रतिशत हो गया। और त्वरित अनुमानों के अनुसार 2006-07 को यह 11.84 प्रतिशत था जबकि दिसम्बर 2007-08 में यह 11.55 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया। इससे राज्य के औद्योगिक पिछड़ेपन की झलक मिलती है।

इस इकाई में राज्य के आर्थिक विकास की बाधाओं व इनको दूर करने के उपायों का वर्णन किया गया है। इसमें हमें आर्थिक विकास के लिए कृषिगत विकास व औद्योगिक विकास को अलग-अलग समझाया गया है इस इकाई के खण्ड नम्बर 16.2 में कृषिगत विकास की बाधाओं पर चर्चा की गयी है। 16.3 में कृषिगत विकास की बाधाओं को दूर करने के उपाय बताए हैं। खण्ड 16.4 में औद्योगिक विकास की बाधाओं का निरूपण किया गया है। इसके बाद खण्ड 16.5 में औद्योगिक विकास की बाधाओं को दूर करने के उपायों की चर्चा की गयी है।

खण्ड 16.6 में सारांश दिया गया है। अंत में 16.7 में शब्दावली, संदर्भ ग्रन्थ व अभ्यासार्थ प्रश्न दिए गए हैं।

16.2 राजस्थान के आर्थिक विकास में प्रमुख बाधाएं

राजस्थान का भौगोलिक ढांचा राज्य के विकास के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोधक है। राज्य के 60 प्रतिशत क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध थार का मरूस्थल है जहां जीवन की सुविधाओं का नितान्त अभाव है। जनसंख्या दूर-दूर व छितरी हुई है जहां आधारभूत सुविधाओं को पहुँचाने की लागत भी अत्यधिक है। राज्य के दूसरे क्षेत्रों में जल संसाधनों का नितान्त अभाव है। यहां की नदियां बरसाती हैं व चम्बल के अतिरिक्त किसी भी नदी में प्रचुर जल उपलब्ध नहीं है। सतही जल के साथ-साथ वर्षा के जल की कमी व भू-गर्भ जल की भी कमी है।

राजस्थान की जनसंख्या की वृद्धि दर भी अन्य राज्यों की तुलना में ऊँची है। सीमावर्ती क्षेत्रों में तो हालात अत्यधिक चिन्ताजनक है। राज्य में आधारभूत सुविधाओं का अभाव है, ऊर्जा का संकट हम सभी से छिपा नहीं है। सड़कों की कमी, रेल मार्ग सुविधाएं भी राष्ट्रीय स्तर की नहीं हैं। बैंकिंग, बीमा क्षेत्र भी पिछड़े हैं। राज्य में इन सभी बाधाओं के कारण रोजगार के अवसरों का अभाव है। इस सामान्य विवेचन के पश्चात् अब हम क्षेत्रवार बाधाओं की चर्चा कर उन्हें दूर करने के उपाय सुझाएंगे।

1. कृषिगत बाधाएँ

औद्योगिक विकास में कृषि क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान होता है क्योंकि कृषिगत उद्योग कृषि क्षेत्र पर निर्भर रहते हैं और श्रमिक भी खाद्यान्नों के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं। इसलिए कृषि क्षेत्र में आने वाली बाधाएँ कृषि क्षेत्र को प्रभावित करती हैं, इसलिए हम पहले कृषिगत बाधाओं को समझाएंगे। इसके बाद औद्योगिक विकास की बाधाओं पर प्रकाश डालेंगे।

2. विषम भौगोलिक स्थिति

राजस्थान के 60 प्रतिशत से अधिक भाग में मरूस्थल फैला हुआ है। जनसंख्या के दूर-दूर तक फैला होने के कारण विद्युत, जल, सड़क, शिक्षा, विद्युत संचार व चिकित्सा आदि की व्यवस्था करने के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है। अतः यह सुविधा सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए कठिनाई आती है।

3. कृषि की मानसून पर निर्भरता

राज्य की अर्थव्यवस्था पर निरन्तर अकाल की आशंका छायी रहती है। मानसून की निर्भरता उद्योगों के लिए कृषिगत कच्चे माल की पूर्ति अनियमित व अनिश्चित हो जाती है। राजस्थान में कृषि वर्षा की कमी से ग्रसित है। राज्य का लगभग 30 प्रतिशत कृषि क्षेत्र ही सिंचाई के अन्तर्गत आता है। यहां कृषि का भविष्य मानसून के समय पर आने पर निर्भर करता है। राजस्थान में मानसून की प्रकृति भी अनिश्चित व अनियमित है। इसके अलावा राजस्थान में वर्षा भी बहुत ही अनियमित व अनिश्चित प्रकार से होती है। वर्षा का वितरण भी राज्य में बहुत अधिक असमान है। जैसलमेर, बीकानेर में औसत वर्षा 250 मि.मी. है वहीं पर बांसवाड़ा व झालावाड़ में 900 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। वर्षा का यह असमान वितरण कृषि

के विकास की बहुत बड़ी बाधा व रूकावट है, साथ ही उपलब्ध जल संसाधनों का उचित प्रबन्धन नहीं किया जाता।

4. लघु किसानों की बहुलता

राज्य में छोटे किसानों की संख्या अधिक है और इसमें निरन्तर वृद्धि हो रही है।

कृषि भूमि के बंटवारे के लिए उत्तराधिकारी कानून के कारण जोतों के आकार का उपखण्डन व उपविभाजन हो रहा है। किसान छोटे व अनार्थिक खेतों पर खेती करते हैं। राज्य में कार्यशील जोतों का वितरण काफी असमान है। सीमान्त जोते 1 हेक्टेयर तक होती है व कुल क्षेत्र का 20 प्रतिशत है। 1 से 2 हेक्टेयर तक लघु जोतों का 20 प्रतिशत है जबकि 10 हेक्टेयर से उपर की जोतो का प्रतिशत 1 प्रतिशत है।

5. व्यावसायिक कृषि को न्यूनता

कुल कृषि में व्यावसायिक कृषि का अंश बहुत कम है। व्यावसायिक कृषि तभी संभव हो सकती है जब प्रत्येक क्षेत्र के लिए फसलों की एक छोटी संख्या का चयन किया जाए तथा विशिष्टीकरण के आधार पर क्षेत्रवार खेती की जाए।

6. अतिरिक्त श्रम की स्थिति

कृषि विकास में यह एक सबसे बड़ी बाधा व रूकावट बेरोजगार व अर्द्ध बेरोजगार किसानों की संख्या है। यह छद्म बेरोजगारी की स्थिति कहलाती है। इसके कारण किसानों की सीमान्त उत्पादकता शून्य हो जाती है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 27 से 32 प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र से सृजित होता है जबकि राज्य की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या जीविकोपार्जन हेतु कृषि पर निर्भर है।

7. पूंजी का अभाव

पूंजी की न्यूनता एक दूसरा बड़ा कारण है जो कृषि के विकास को प्रभावित करता है। पूंजी की कमी कृषि में संरचनात्मक परिवर्तनों को रोकती है। पूंजी की कमी के कारण किसान आवश्यक कृषि यंत्र नहीं खरीद सकते। पूंजी के अभाव से कृषि का यंत्रीकरण नहीं हो सकता। जिससे कृषि की उत्पादकता कम रह जाती है। देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा राजस्थान में यह समस्या अधिक है। यहाँ सीमान्त व अर्द्धसीमान्त किसानों की संख्या अधिक है। यह अपनी गरीबी के कारण बचत करने की स्थिति में नहीं होते इसलिए आधुनिक यंत्रीकृत कृषि का विकास रूक जाता है।

8. निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी

पूंजी के अभाव के कारण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी राज्य की कृषि पिछड़ी हुई है। अधिकांश किसान खेती के परम्परागत तरीके काम में लेते हैं। शिक्षा, प्रशिक्षण व संसाधनों के अभाव के कारण भी कृषि की नमी प्रौद्योगिकी को अपनाने में बाधा आती है। प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर के कारण कृषि उत्पादकता भी निम्न रहती है।

9. भूमि सुधारों के क्रियान्वनों का अभाव

राजस्थान में भूमि सुधार कानून अभी तक ठीक ढंग से लागू नहीं हुआ है। फसल कटाई व अनुचित कृषि विभाजन बुराइयां अभी भी विद्यमान है। इसलिए खेत जोतने वाले को उनका उचित हिस्सा नहीं मिलता है।

10. निरन्तर पड़ने वाला सूखा व अकाल

वर्ष 1968-69 से 87-88 तक केवल चार वर्षों 1873-74, 75-76 व 1983-84 को छोड़कर प्रत्येक वर्ष में राज्य में सूखे व अकाल की स्थिति रही। 1990-91 से 1999-2000 की अवधि में व 1994-95 की अवधि में अकाल नहीं पड़ा। इसके बाद 2000-01, 2001-02, 02-03, 03-04 में अकाल की स्थिति रही।

बोध प्रश्न -01

1. राजस्थान के आर्थिक विकास में औद्योगिक बाधाएं कौनसी हैं ?
2. राजस्थान के आर्थिक विकास में औद्योगिक बाधाएं क्या हैं ?
3. कृषि के विकास में कौनसी मुख्य बाधाएं हैं ?

16.3 राजस्थान में कृषिगत विकास की बाधाओं को दूर करने के उपाय

योजनाकाल में राजस्थान में फसल कृषिगत क्षेत्रफल व उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। कृषिगत आदा (Input) जैसे अधिक उपज देने वाले बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाईयां, कृषिगत औजार आदि में काफी वृद्धि हुई है। राज्य में तिलहन के उत्पादन में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उद्यान फल विकास, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय व इनसे सम्बन्धित क्षेत्रों में काफी वृद्धि हुई है। इन सब उद्योगों के बावजूद भी कृषिगत विकास में काफी बाधाएँ हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है। कृषिगत फसलों के विकास के साथ-साथ फलोद्यान, पशुपालन चारा, जल प्रबन्धन आदि का काफी सुधार किया जाना है इनका विवेचन नीचे दिया हुआ है :-

1. भूमि की सीमा निर्धारण कानून में सुधार करना

राजस्थान में सामन्तवादी प्रथा का बोलबाला रहा है। यहाँ जागीरदारी उन्मूलन के कई कानून बनाए गए लेकिन मध्यस्थ वर्ग की समाप्ति के लिए अभी तक कानून में संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। इस तरह के कानूनों के अदालतों के स्टे लाकर क्रियान्वयन को रोक दिया जाता है। इससे भूमि के वितरण में पर्याप्त मात्रा में प्रगति नहीं हुई है। इसमें भूमि के वितरण की असमानता दूर नहीं हुई है।

2. जल प्रबन्धन की उचित व्यवस्था करना

राजस्थान में कृषि मानसून पर आधारित है। मानसून की अनिश्चितता, अनियमितता एवं अपर्याप्तता से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए एक सुदृढ़ जल प्रबन्धन नीति की आवश्यकता है। राजस्थान में भारत के कुल सतही जल का 1 प्रतिशत भाग है जबकि देश के कृषि क्षेत्र का 11 प्रतिशत व राज्य की 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। राज्य में वर्षा का औसत भाग 536 मिलीमीटर या 54 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राज्य में उपलब्ध जल संसाधनों का 70 प्रतिशत सतही जल व 50 प्रतिशत भूजल का उपयोग किया जा चुका है। कुल कृषि क्षेत्र का 30 प्रतिशत हिस्सा सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया है लेकिन शेष 70 प्रतिशत हिस्सा अभी भी वर्षा पर निर्भर है। राज्य में जिलेवार सूची में काफी विषमता पायी जाती है।

पानी के खेत में पहुँचाने से ही आधा हिस्सा नष्ट हो जाता है। अतः बहकर जाने वाले वर्षा के जल का खेत में ही संरक्षण का प्रयोग करना चाहिए। इससे भूमि में नमी होगी।

जलग्रहण विकास कार्यक्रम के जरिए वर्षा के जल को रोक कर नमी का संरक्षण करना होगा लेकिन इसके साथ-साथ ऐसी फसलों को उगाना होगा जो कम पानी में पककर तैयार हो जाए। इसके लिए उचित उर्वरकों व औजारों की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए सरकार ने राष्ट्रीय जलग्रहण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित जल विकास परियोजना चालू की है। इस परियोजना से पर्याप्त लाभ लेने के लिए सिचाई योजना व बूंद-बूंद सिचाई पद्धति की विधि को ज्यादा से ज्यादा अपनाना होगा जिससे पानी की बर्बादी कम से कम होगी। सामुदायिक नलकूप के जरिए लघु व सीमान्त कृषकों को लाभ मिल सकता है। अतः इस प्रकार की योजनाओं का खूब प्रचार करना चाहिए। सीमित जल का उपयोग करके अधिकतम उत्पादन के लिए फसलों के प्रारूप में परिवर्तन करना होगा। इस प्रकार के कार्यक्रम व नीतियों को लागू करके कृषि उत्पादन में बढ़ावा दिया जा सकता है।

3. लवणीय मिट्टी की समस्या का समाधान

लवणीय मिट्टी में कृषिगत उत्पादन नहीं होता है। इस प्रकार की भूमि की क्षारीयता को दूर करके कृषिगत उत्पादन बढ़ा सकते हैं। खारे पानी के कारण व मिट्टी के अम्लीय लवणों के कारण फसलों का उत्पादन गिर जाता है। इस प्रकार की स्थिति कोलायत, बीकानेर, लूणकसर क्षेत्रों में वाटर लागिंग लवण्यता उत्पन्न करती है। इस प्रकार की लवण्यता के कारण दूर-दूर तक भूमि पर लवण की सफेद परत बन जाती है और आगे चलकर यह भूमि को बंजर बना देती है। यह समस्या जरूरत से ज्यादा पानी देने पर उत्पन्न होती है। इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए लवणता व क्षारता को ध्यान में रखकर इनके कुप्रभाव को दूर किया जाए तथा सिचाई में लवण के पानी में सुधार करके तथा मिट्टी में आवश्यक सुधार करके इस समस्या को कम किया जा सकता है।

4. कृषिगत इनपुटों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना

कृषि उत्पादन का कृषिगत इनपुटों का उपयोग से सीधा सम्बन्ध होता है इसके लिए अधिक उपज देने वाले बीज, उर्वरक, खाद, पौध संरक्षण व आवश्यक औजारों की पर्याप्त पूर्ति किसानों तक सुनिश्चित की जानी चाहिए। बाजरे व गेहूँ के लिए अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग व अन्य फसलों में पर्याप्त उपयोग नहीं हो पाया है। जौ, चना, मोठ व ग्वार के लिए अधिक उपज देने वाले बीजों का अधिक से अधिक उपभोग लेने के लिए किसानों को जागरूक बनाना होगा। इसके लिए कृषकों को पर्याप्त जानकारी व उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। असिंचित फसलों में उन्नत किस्म के बीज, खाद, उर्वरक आदि का उपभोग बढ़ाना होगा। कोष संगठन दवाईयां व इनके उपकरणों के खरीद पर अनुदान की राशि बढ़ायी जानी चाहिए। बीजों को फफूंद व अन्य रोगों से बचाने के लिए उचित मात्रा व किस्म की दवाईयां का उपभोग किया जाना चाहिए। कीटनाशक दवाईयां का उपयोग व उर्वरकों के प्रयोग के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए व प्रदर्शन का उपयोग करना चाहिए।

5. सहकारी साख का विस्तार

किसानों की ऋण की पूर्ति गांवों में उपलब्ध संस्थागत व गैर संस्थागत स्रोतों से पूरी होती है। किसानों को सहकारी साख संस्थाओं से ऋण लेने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि गैर संस्थागत स्रोतों से प्राप्त ऋण की शर्त जटिल होती है व ब्याज दरें बहुत ऊंची होती हैं जिससे किसान का कर्ज निरन्तर बढ़ता ही रहता है। इसलिए सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाया जाना चाहिए। किसानों को अधिक से अधिक सहकारी संस्थाओं से ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सहकारी संस्थाओं से लिए गए कर्ज की वापसी के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। सहकारी क्षेत्रों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए प्रबन्धन समिति में कम से कम एक महिला प्रतिनिधि के रूप में रखने के लिए नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए।

6. चारे की उपलब्धि सुनिश्चित करना

कृषि व पशुपालन दोनों ही किसानों की आमदनी व रोजगार को प्रभावित करते हैं। शुष्क व अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में पशुपालन का विशेष महत्व है। राज्य में पशुओं की संख्या की तुलना में चारागाह बहुत कम है, कहीं कहीं तो इन चारागाहों पर 20 से 25 प्रतिशत से ज्यादा पशु चरा करते हैं। चारे की कमी से पशुपालन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अकाल व सूखे के वर्षों में राज्य के पशु चारे की तलाश में दूसरे राज्य की तरफ जाते हैं जिससे पशुपालकों की आमदनी बहुत कम हो जाती है। इस प्रकार चारे की पूर्ति मांग की तुलना में बहुत कम है। इस कमी को दूर करने के लिए चारागाहों में ऐसे घास व पौधे लगाए जाए जो बहुत जल्दी वापस बढ़ते हो। किसानों द्वारा कृषि वानिकी व चारा उत्पादन कार्यक्रम को भी अपनाया जाना चाहिए। पशुओं के लिए खेतों पर कम समय में उगने वाले चारे को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। किसानों को ऊंटी की मशीन अनुदान पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। जिससे अपने खेतों पर उगे चारे को काटकर पशुओं को खिला सके, इससे पशुओं को पूरे साल भर चारा मिल सकेगा, इससे उन, दूध, कपास का उत्पादन बढ़ेगा और पशुओं का दूसरे राज्यों में पलायन भी कम होगा।

7. उद्यान व फलोत्पादन का विकास

राज्य में फलों के उत्पादन व उद्यान विकसित करने के लिए मरू विकास व सूखा संभाव्य क्षेत्रों का विकास कार्यक्रम, नाबार्ड विकास योजना, अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कम्पोण्ट योजना, अनुसूचित जनजाति के लिए योजना आदि द्वारा कई कार्यक्रम चलाकर इनके उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। राज्य के जिलों में व अलग-अलग वातावरण के कारण अलग-अलग प्रकार की फसलों की बुवाई के लिए किसानों को प्रशिक्षण, प्रोत्साहन व जागरूक बनाया जाना चाहिए। भूमि व जलवायु की अनुकूलता को देखते हुए अलग-अलग प्रकार की सब्जियां, फूल, मसाले व रेशम के कीट आदि पाले जा सकते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम से कृषिगत उत्पादन में वृद्धि होगी। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी व आर्थिक विकास को बल मिलेगा। शुष्क क्षेत्रों में बैर, अनार, आँवला, फालसा आदि की पैदावार बढ़ायी जानी चाहिए। अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में अंगूर, अनार, पपीता आदि खेती पर बल दिया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां व मशरूम की खेती को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

8. कृषि विपणन की उचित व्यवस्था करके

राज्य के कृषकों को उचित मूल्य दिलाने हेतु राज्य में मंडी प्रबन्धन नियामक लागू करने व मंडी अपवचन को रोकने के लिए राज्य में कृषि विपणन निदेशालय बनाया गया है। मंडी प्रबन्धन को सुदृढ़ करने के लिए राज्य में 124 मण्डियां व 42 सब यार्ड को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। इसको इंटरनेट के माध्यम से कृषि विपणन निदेशालय, कृषि विपणन बोर्ड एवं देश की प्रमुख मण्डियों से जोड़ा गया है। यह सब भारत सरकार की सूचना तंत्र योजना के अन्तर्गत किया गया है। किसान व कृषि श्रमिक, कृषि कार्य करते समय या मंडी के विपणन कार्य करते हुए मृत्यु होने पर 50 हजार रुपये और दो अंगों के विकलांग होने पर 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता कृषक कल्याण योजना के अन्तर्गत दी जाती है। दिसम्बर 2007 तक 2548 व्यक्तियों को करीब 821 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी थी। उचित कृषि विपणन अवस्था के लिए राज्य में कृषि विपणन बोर्ड कार्य कर रहा है। यह कृषि उपज मंडी सीमित क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों व मण्डी का निर्माण भी करता है। सड़क सुदृढीकरण योजना के अन्तर्गत पहले से बनायी गयी सड़कों का सुदृढीकरण किया जा रहा है। दिसम्बर, 2007 तक नयी सम्पर्क सड़कों का निर्माण मण्डी विकास व अन्य निर्माण कार्य हेतु लगभग 101.2 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। इसी अवधि में 111 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण तथा 717 किलोमीटर सड़कों का सुदृढीकरण किया गया है। इस प्रकार राज्य सरकार कृषि विपणन बोर्ड की सहायता से कृषि उत्पादों को मंडी तक लाने के लिए उचित सम्पर्क सड़कों का जाल बिछाकर किसानों की मदद कर रहा है ताकि किसान मध्यस्थों व साहुकारों के चंगुल से निकलकर मण्डियों में अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर सके।

बोध प्रश्न -02

1. कृषि में लवणीयता व क्षारीयता क्यों उत्पन्न होती है ?
2. कृषि इनपुट से संबन्धित समस्याएं कौनसी हैं, उन्हें कैसे हल किया जा रहा है ?
3. कृषि में वित्त की समस्या से कैसे छुटकारा मिल सकता है ?
4. कृषि विपणन का क्या अभिप्राय है ?

16.4 औद्योगिक विकास की प्रमुख समस्याएं या बाधाएँ

राजस्थान के आर्थिक विकास की दर को तीव्र करने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य के औद्योगिक विकास की गति को तेज किया जाए। यह तभी सम्भव है जब औद्योगिक विकास के गतिरोधों को समझकर उनको दूर करने के प्रभावी उपाय किए जाए। इससे पूर्व औद्योगिक विकास की दर को बढ़ाने के उपाय सुझाए जाए व विकास की कठिनाइयां व गतिरोधों को समझा जाए। राज्य के औद्योगिक विकास की प्रमुख बाधाएँ निम्नलिखित हैं :-

1. कमजोर आधारभूत ढाँचा

पानी, बिजली, सड़क, रेल व संचार आदि सभी आधारभूत सुविधा के सन्दर्भ में राजस्थान देश के अन्य राज्यों से काफी पीछे है। देश में सड़कों की औसत लम्बाई 3500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए 75 किलोमीटर है वहीं राजस्थान में यह औसत केवल 39 किलोमीटर है। औद्योगिक विकास में विद्युत सप्लाई का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य में विद्युत की पूर्ति

की तुलना में मांग अधिक है। राजस्थान विद्युत की पूर्ति के लिए आंतरिक साधनों का पर्याप्त विकास नहीं कर पाया है। देश में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 411 वाट है जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का पहला बड़ा राज्य है। वर्ष 2006-07 में राज्य में विद्युत का शुद्ध उत्पादन 306.83 करोड़ यूनिट था और 2936.65 करोड़ यूनिट दूसरे राज्यों व केन्द्र सरकार से खरीदी गयी। इस प्रकार राज्य में विद्युत का उत्पादन खपत की तुलना में बहुत कम हो रहा है। औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। कई स्थानों पर सड़कों के रखरखाव के अभाव की स्थिति में सड़कें टूटी-फूटी हैं। अभी तक, राजस्थान में रेलवे की लाइनें मीटर गेज लाइनें काफी हैं लेकिन उनको भी ब्रॉड गेज में नहीं बदला गया है इससे रेल द्वारा माल परिवहन में काफी समस्या आती है। पूरे राजस्थान में ब्रॉड गेज लाइन नहीं बिछाने से औद्योगिक विकास का ढांचा सुदृढ़ नहीं हो सकता है। जहाँ ब्रॉड गेज लाइनें पहुँच गयी है यहाँ का आर्थिक विकास तुलनात्मक रूप से अधिक रहा है। राज्य में मार्च 2007 में रेल लाईन कुल लम्बाई 5911-09 किलोमीटर थी जिसमें से 3840-87 किलोमीटर (64.98 प्रतिशत) ब्रॉड गेज, 1983.46 किलोमीटर (30.55 प्रतिशत) मीटर गेज, 86.87 किलोमीटर (1.47 प्रतिशत) नेरो गेज थी। राज्य में 21 मार्च 2006 को प्रति हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रेलमार्गों की औसत लम्बाई 17.06 किलोमीटर थी।

2. आवश्यक माल की कमी

राज्य में लोहा इस्पात, कोयला, सोड़ा, कास्टिक सोड़ा, पेट्रोलियम उत्पाद, मोम, मिट्टी का तेल, पी.वी.सी. आदि विभिन्न रसायनों एवं इनकी पूर्ति की आवश्यकता से बहुत कम है। इन वस्तुओं की आपूर्ति कम होने के कारण इनका उपयोग भी बहुत कम होता है।

3. खनिज व उद्योगों के विकास पर सार्वजनिक व्यय कम

राज्य में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत खनन व उद्योगों पर सार्वजनिक विकास कम हुआ है। जिससे औद्योगिक विकास में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। चौथी व पांचवी योजना में यह प्रतिशत क्रमशः 2.8 प्रतिशत व 4 प्रतिशत था। 1980-81 में खनन से 10 हजार 94 लाख रुपये का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्राप्त हुआ था व 2006-07 में 383413 लाख रुपये हो गया। इसी प्रकार वर्ष 1980-81 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का योगदान 67531 लाख रुपये से बढ़कर वर्ष 2006-07 में यह 1681763 लाख रुपये हो गया। उद्योग व खनिज पर विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निरपेक्ष खर्च बढ़ रहा है। प्रथम योजना में यह केवल 46 लाख रुपये (0.84 प्रतिशत) था। छठी योजना में आकर 83.66 करोड़ रुपये (3.94 प्रतिशत) हो गया। नवीं पंचवर्षीय योजना में 646.80 करोड़ रुपये (3.30 प्रतिशत) हो गया। जबकि दसवीं पंचवर्षीय योजना में उद्योगों व खनिजों पर किया गया सरकारी व्यय 567.94 करोड़ रुपये (1.68 प्रतिशत) हो गया। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में यह खर्च बढ़ाकर 958.85 करोड़ करने का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रकार योजना के अन्तर्गत उद्योग व खनिज पर सरकारी व्यय का प्रतिशत छठी पंचवर्षीय योजना में बढ़ा व नवीं पंचवर्षीय योजना तक प्रतिशत वही रहा। लेकिन दसवीं योजना में यह प्रतिशत बहुत ज्यादा गिर गया। इससे राज्य के आर्थिक

विकास में बहुत अधिक कमी आयी। इसी को ध्यान रखकर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में इसे बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया।

4. केन्द्रीय सब्सिडी का बंद होना

सितम्बर, 1988 के बाद राज्यों में केन्द्र पूंजी सब्सिडी स्कीम बंद कर दी गयी। इससे पिछड़े क्षेत्रों में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना पर विपरीत प्रभाव पड़ा। लघु व मध्यम पैमाने की इकाइयों की स्थापना पर इस सुविधा का काफी अनुकूल प्रभाव पड़ता है लेकिन इस प्रकार केन्द्रीय सब्सिडी के बंद होने से उद्योगों को अनिश्चिता व शिथिलता आ गयी। उद्योगविहीन जिलों में इस प्रकार की सब्सिडी बंद करने का विपरीत प्रभाव पड़ा। केन्द्रीय सब्सिडी के स्थायी रूप से बंद होने के बाद में अन्य राज्यों ने तो अपनी नई औद्योगिक नीतियां घोषित करके राजकीय सब्सिडी देना शुरू की। लेकिन राजस्थान में अप्रैल, 1991 ये सब्सिडी स्कीम चालू की। मध्यम व बड़े उद्योगों के लिए राज्य के 15 प्रतिशत व लघु उद्योगों को 20 प्रतिशत सब्सिडी की व्यवस्था की गयी। आदिवासी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी दी जाने लगी। इस प्रकार की व्यवस्था करने से राजस्थान में औद्योगिक विकास में नई लहर उत्पन्न हो गई।

5. औद्योगिक रूग्णता की समस्या

राज्य में औद्योगिक रूग्णता के कारण विकास में प्रतिरोध उत्पन्न हुआ है। मार्च, 1988 तक राज्य में गैर लघु उद्योगों की संख्या 87 थी। इन इकाइयों में बैंकों में उधार राशि लगभग 371 करोड़ रुपये थी और इसी अवधि में रूग्ण लघु पैमाने की इकाइयों की संख्या 15655 थी जिनमें बैंकों की 109 करोड़ रुपये राशि बकाया थी।

एक गैर लघु रूग्ण इकाई वह होती है जिसे पंजीकृत हुए पांच वर्ष से कम नहीं हुआ है, और इसके इकट्ठे घाटे शुद्ध पूंजी के बराबर या अधिक होते हैं जिसमें इकट्ठे घाटे पिछले चार वर्षों की सर्वाधिक शुद्ध पूंजी के 50 प्रतिशत के बराबर या अधिक हो गए हैं।

एक लघु इकाई उस स्थिति में रूग्ण मानी जाती है जब उसका उधार का खाता संदेहास्पद अग्रिम का रूप ले ले अर्थात् मूलधन या ब्याज का भुगतान 2.5 वर्ष से ज्यादा अवधि तक न किया गया हो और नकद घाटे के कारण इसकी नेट वर्थ पिछले दो हिसाब के वर्षों के लिए अधिकतम नेट वर्थ 50 प्रतिशत या अधिक नष्ट हो गई है।

6. वित्तीय कठिनाई

केन्द्रीय वित्त संस्थानों द्वारा किया गया विनियोजन देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है। देश की विशिष्ट संस्थानों ने राज्यों में बहुत कम वित्तीय सहायता उपलब्ध की है। इसका मुख्य कारण राज्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रोजेक्टों की कमी बताया जाता है।

सारणी 16.1

राजस्थान की विभिन्न संस्थाओं द्वारा वितरित राशि की मात्रा

(करोड़ रुपये में)

संस्था	1988-99	1999-2000
IFCI	156.4	47.6

ICICI	226.7	278.7
IDBI	857.1	680.1
LIC	6.8	70.3
UTI-0	-	85.0
IDBI (पूर्व का IRBI)	76.6	45.0

सारणी 16.1 से स्पष्ट है कि अखिल भारतीय संस्थाओं द्वारा राज्य में सर्वाधिक योगदान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) का रहा है किन्तु 98-99 की तुलना में 1999-2000 में काफी कम रही है जबकि इसी अवधि में ICICI, IFCI के द्वारा दिए गए योगदान में वृद्धि हुई है भविष्य में इन संस्थाओं से प्राप्त वित्तीय राशि में वृद्धि होने से राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। वित्त के अभाव में औद्योगिक विकास नहीं रुकेगा।

7. बाजारों का अभाव

राजस्थान को बड़े बंदरगाहों व बड़े उपभोग केन्द्र का लाभ प्राप्त नहीं है। अनेक मांग आधारित उद्योग स्थापित नहीं किए जा सकते। कच्चा माल यहां उपलब्ध नहीं होता यथा राज्य का कर ढांचा भी उद्योगों के विकास के मार्ग में बाधक है।

8. वित्तीय संस्थाओं में समन्वय का अभाव

कई वित्तीय संस्थाएं जैसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय वित्त निगम, राजस्थान वित्त निगम, व्यापारिक बैंकों आदि में आपस में समुचित समन्वय नहीं होता है। इससे उद्यमी को उद्योग स्थापित करने में कठिनाई होती है। उद्यमी को वित्तीय संस्थाओं से स्थिर पूंजी कर्ज मिलने के बाद कार्यशील पूंजी के लिए व्यापारिक बैंको से ऋण लेना पड़ता है लेकिन वहां से ऋण मिलने में देरी व असुविधा होती है। अगर इन संस्थाओं में आपसी तालमेल हो जाए तो औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

9. औद्योगिक संस्कृति की कमी

राज्य में अन्य राज्यों की तुलना में औद्योगिक संस्कृति का अभाव है। सरकारी प्रशासन, उद्यमी व उद्योगों पर बहुत कम ध्यान देता है। इससे छोटे-छोटे कामों को करने के लिए व अलग-अलग कार्यों के लिए कई चक्कर लगाने पड़ते हैं सरकारी कर्मचारी इनको अनाकरण परेशान करते हैं। इससे औद्योगिक

संस्कृति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगर सरकारी प्रशासन व प्रशासनिक अधिकारी उद्यमी की समस्याओं को हल करने में सहायता करते हैं तो औद्योगिक संस्कृति तीव्र गति से विकसित होगी तथा नए उद्यमी व प्रवासी भारतीय राजस्थान में नए उद्योग खोलने में हिचकिचाहट नहीं रखेंगे। इस सेवा को एकल खिड़की योजना द्वारा शुरू किया गया है। लेकिन यह सेवा भी अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रही है।

10. औद्योगिक वातावरण की कमी

औद्योगिक वातावरण का तात्पर्य राज्य में उद्यमियों को आकर्षित के लिए सुविधाओं व प्रोत्साहन का अभाव है व आधारभूत ढांचे की सुविधा विकसित हो, उद्यमी को वित्तीय व कर

संबन्धी आवश्यक छूटें व रियायतें आसानी से मिलती रहे तो औद्योगिक वातावरण बनता है। अगर इसमें कमी आती है तो उद्यमी दूसरे राज्यों की तरफ चले जाते हैं।

11. गैर फैक्ट्री क्षेत्र की समस्याएं

राजस्थान में लघु व हाथकर्धा उद्योगों का काफी महत्व है और यह ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के कई परिवारों का जीविकोपार्जन भी इसी से चलता है। इनमें कच्चे माल व वित्त की समस्याओं के साथ-साथ बाजार की समस्या आती है। इनके उत्पादन की तकनीक पुरानी व परम्परागत होती है, जिससे उत्पादन लागत अधिक आती है, इनका आधुनिकीकरण नहीं हो रहा है। इनके छोटे-छोटे शिल्पियों को उचित मूल्य व कच्चा माल नहीं मिलता व बने हुए माल को बाजार भी उपलब्ध नहीं होता। जिससे मध्यस्थों का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए दस्तकारों, कारीगरों को इनके प्रशिक्षण का अभाव, कच्चे माल की कमी, समुचित वितरण व्यवस्था का अभाव, कार्यशील पूंजी का अभाव, निरन्तर परेशान करता रहता है।

इस प्रकार राज्य में विषम भौगोलिक स्थिति, औद्योगिक रूग्णता, कृषिगत उद्योगों को उत्पादन में उतार-चढ़ाव, मानसून पर निर्भरता, उचित सरकारी नीतियों का अभाव व अपर्याप्त आधारभूत ढांचा आदि कारणों से राज्य में समुचित औद्योगिक विकास नहीं हो पा रहा है।

बोध प्रश्न -03

1. औद्योगिक रूग्णता का अर्थ बताइए।
2. औद्योगिक संस्कृति से आपका क्या अभिप्राय है ?
3. उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए कौन-कौन सी संस्थाएं कार्य कर रही हैं।

16.5 औद्योगिक विकास की बाधाओं को दूर करने के उपाय

सन् 1952 में राजस्थान में पंजीकृत कारखानों की संख्या 168 थी जो सन् 2003 में बढ़कर 9402 हो गई। इसी तरह पंजीकृत विनिर्माण उद्योगों से प्राप्त आय वर्ष 1970-71 में 50-60 करोड़ थी वह बढ़कर 2006-07 (त्वरित अनुमान) में 809404 लाख रुपये हो गई। इसके बावजूद भी राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास में अन्य राज्यों से बहुत पिछड़ा हुआ है। अतः इसके विकास के लिए औद्योगिक बाधाओं को दूर करने के प्रभावकारी उपाय किए जाने चाहिए। राजस्थान के औद्योगिक विकास से सम्बन्धित आधारभूत ढांचे, बैंक साख, विनियोजन, सरकारी रियायतें आदि अवरोधों को दूर करने के निम्नलिखित प्रमुख उपाय किए जाने चाहिए।

1. औद्योगिक नीति

औद्योगिक नीति 1992 में व इसके बाद में केन्द्रीय सरकार ने उद्योगों से अनेक प्रकार के नियन्त्रण हटाए हैं। इसी के अनुसार राज्य सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति में संशोधन किए हैं। राज्य सरकार ने एकल खिड़की प्रणाली को लागू किया है जिसमें राज्य के विभिन्न प्रकार के विभागों का इस प्रकार से समन्वय किया है जिसमें उद्योगपति को जमीन, पानी, बिजली और ऋण जैसी सुविधाएँ तत्काल एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाए।

2. औद्योगिक मेले एवं प्रदर्शनियाँ

विविध मेले एवं प्रदर्शनियाँ औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने तथा उद्यमियों को औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने से सम्बन्धित नियमों की जानकारी देने के लिए जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर औद्योगिक शिविर आयोजित किए जाए। जिसमें औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने से सम्बन्धित सभी नियमों की जानकारी दी जाए। राज्य सरकार से जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर कई शिविर आयोजित किए। वर्ष दिसम्बर, 2007 तक 23 जिला स्तरीय व 187 पंचायत समिति स्तरीय उद्योग प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए। इसके अलावा इन शिविरों में औद्योगिक इकाइयों का पंजीयन, ऋण आवेदन पत्र तैयार करने तथा स्वीकृतियाँ जारी करने सम्बन्धी आदि आदेश जारी किए। राज्य में औद्योगिक इकाइयों, दस्तकारों व बुनकरों के उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने हेतु उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के माध्यम से मेले व प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। दिसम्बर, 2007 तक 16 मेले व प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। जिससे 33.30 करोड़ रुपये का क्रय विक्रय हुआ।

3. उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

उद्यमिता के विकास के लिए उद्योगों को स्थापित करने के इच्छुक लोगों को उद्यम स्थापित करने से पहले सारी तैयारियों की जानकारी देने के लिए सरकार को कार्यक्रम चलाना चाहिए। इसके लिए सरकार ने उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया है। इस प्रकार उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। दिसम्बर, 2007 तक 1257 युवकों को इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया।

4. उचित रियायतें

नए उद्योगों को स्थापित करने या उद्यमियों की कठिनाई को कम करने के लिए सरकार को कुछ रियायतें प्रदान करनी चाहिए। इसके लिए राजस्थान सरकार ने अपनी निवेश नीति 2003 के अन्तर्गत विलासिता कर में शत प्रतिशत व स्टाम्प ड्यूटी में रूपान्तरण शुल्क में 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान है। विद्युत कर, मण्डी कर एवं मनोरंजन कर पर 7 वर्ष तक के लिए 50 प्रतिशत छूट की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त नए निवेश पर 5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के निवेशकों को 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज के अनुदान का प्रावधान है।

5. एक औद्योगिक संस्कृति

राज्य में इस प्रकार की औद्योगिक संस्तुति का विकास किया जाना चाहिए जिससे उद्यमी, संघ व राज्य सरकार के बीच सुमधुर सम्बन्ध हो एवं इसमें समय-समय पर पर्याप्त सुधार किए जाने चाहिए। औद्योगिक शान्ति व कल्याण हेतु राज्य का श्रम विभाग, विभिन्न श्रम कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू कर रहा है। मार्च 2007 के अंत तक राज्य में 4731 श्रमिक संगठन पंजीकृत थे। इसकी सदस्य संख्या 8.42 लाख थी। यह श्रमिक संघ उद्यमियों, विनियोजकों व श्रमिकों के बीच संबंधों को सुमधुर बनाने का काम करते हैं। पिछले कुछ वर्षों से राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में सामान्यतः शान्ति का वातावरण बना हुआ है। हड़ताल व तालाबंदी की रोकथाम के लिए श्रम संघ निरन्तर प्रयासरत है। दिसंबर, 2007 तक प्राप्त 3304 शिकायतों में से 1897 का निपटारा किया गया और 1771 औद्योगिक 1443 का निस्तारण किया गया। इससे राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

6. आधारभूत ढांचागत विकास

उद्योगों के विकास के लिए राज्य में आधारभूत ढांचे का विकास होना अतिआवश्यक है। आधारभूत सुविधाओं का विकास करना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। सरकार के प्रयासों से राष्ट्रीय एवं राज्य उच्च मार्गों के साथ-साथ विद्युत आपूर्ति एवं दूरसंचार की सुविधाओं में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है।

(अ) विद्युत

पिछले कुछ वर्षों से राज्य में विद्युत क्षेत्रों में विकास के महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं। राज्य में उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए विद्युत क्षेत्र में निम्नलिखित दो कम्पनियां उत्पादन व प्रसारण हेतु तथा वितरण हेतु तीन कम्पनियां कार्यरत हैं-

1. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
2. राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
3. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
4. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
5. जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

राज्य में विद्युत उत्पादन क्रय एवं खपत की वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 की स्थिति निम्नतालिका में दर्शायी गयी है -

सारणी 16.2

विद्युत उत्पादन क्रय एवं खपत

(करोड़ इकाइयों में)

क्रम संख्या	मद	2006-07	2007-08 (दिसम्बर 2007 तक)
1.	शुद्ध उत्पादन (भागीदारी परियोजनाएं)	306.833	2851.16
2.	क्रय (उत्पादन, निगम, केन्द्रीय परियोजना एवं अन्य)	2938.652	2371.61
0	योग (1+2)	3245.485	2656.77
3	खपत		
(अ)	कम्पनियों द्वारा सकल वितरण	3069.80	2500.715
(ब)	कम्पनियों द्वारा शुद्ध वितरण	3068.05	2499.346

(ब) परिवहन

यातायात एवं संचार राज्य के लिए आर्थिक समृद्धि एवं औद्योगिक विकास का परिचायक होता है। अधिकाधिक निवेशकों को राज्य की तरफ आकर्षित करने के लिए सड़कों का उचित जाल बिछा हुआ होना चाहिए। अच्छी सड़कें औद्योगिक विकास की जीवन रेखा हैं। राज्य सरकार ने सड़कों के इस प्रकार के महत्व को देखते हुए पिछले चार वर्षों (2004-07 तक) में सरकार ने नयी सड़कों के निर्माण में 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि व्यय की है। राज्य में वर्ष 2006-07 में सड़कों की लम्बाई प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 50.7 किलोमीटर

थी। यह राष्ट्रीय औसत 102.92 किलोमीटर से बहुत कम है। मार्च, 2007 तक राज्यों में रेल मार्ग की कुल लम्बाई 5911.09 किलोमीटर थी।

औद्योगिक विकास के लिए दूरसंचार सेवा भी अति महत्वपूर्ण सुविधा है। जहाँ पर अच्छी दूरसंचार सेवा होगी वहाँ पर अधिकाधिक उद्योग स्थापित होंगे। मार्च, 2007 के अंत तक राज्य में 2338 टेलीफोन एक्सचेंज कार्यरत थे जिनके द्वारा 39.38 लाख टेलीफोन कनेक्शन दिए गए थे। इसके साथ ही मार्च, 2007 तक 10 लाख 52 हजार 587 इन्टरनेट सेवा, 4166 आई. एस. डी. सेवा तथा 214 इन्टरनेट सेवा कार्यरत थे।

7. औद्योगिक विकास के लिए वित्तीय एवं विकास कार्यक्रम के लिए उत्तरदायी संस्थाओं को भूमिका में सुधार-

राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित उत्तरदायी प्रमुख संस्थाएँ कार्यरत हैं :-

(i) ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूड़ा)

ग्रामीण गैर कृषि विकास कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने, ग्रामीण दस्तकारों के जीवन में सुधार करके उन्हें बाजार एवं आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराने हेतु कार्य कर रहा है। यह अभिकरण ऊन, कपड़ा, चर्म एवं स्टोन, सिरेमिक, पाटरी हस्तशिल्प, हथकर्धा एवं खादी ग्रामोद्योग क्षेत्रों में दस्तकारों के विकास हेतु कार्य कर रहा है। इसके द्वारा दिसम्बर 2007 तक 5180 दस्तकारों को लाभान्वित किया गया है।

(ii) ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (बी0आई0पी)

वृहद एवं मध्यम श्रेणी की परियोजनाओं हेतु राज्य की विनियोग प्रोत्साहन संस्था है। यह निवेशकर्ताओं को परियोजनाओं की अवधारणा से अंतिम चरण तक क्रियान्वयन में हर संभव सहायता प्रदान करती है। संस्था ने अपने सतत प्रयासों से राज्य में निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। इसके द्वारा एकल खिड़की प्रणाली का निष्पादन भी किया जाता है। एकल खिड़की प्रणाली लागू होने के बाद से मार्च से नवम्बर, 2007 तक 1181 राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय बैठकें आयोजित हुई हैं तथा 28589.20 करोड़ रुपये के निवेश को स्वीकृति दी गयी।

(iii) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (रीको)

रीको राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने वाली मुख्य संस्था है। राज्य सरकार की नीति के तहत रीको का उद्देश्य राज्य में योजनागत तीव्र विकास करना है। यह निगम औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना व उद्योगों हेतु आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराता है। यह लघु, मध्यम एवं वृहद श्रेणी के उद्योगों को स्थापित करने के लिए अनेक प्रकार की वित्तीय सहायता, छूट, एवं रियायतें भी प्रदान करता है। दिसम्बर, 2007 तक रीको ने 2282.32 एकड़ भूमि अवाप्त की जिनमें से 2147.68 एकड़ भूमि विकसित की गई। रीको द्वारा 8662.80 लाख रुपये सावधि ऋण सहायता उपलब्ध की। रीको ने सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र (जयपुर), बोरोनाड़ा औद्योगिक क्षेत्र (जोधपुर) में विशेष आर्थिक जोन भी स्थापित किए।

(iv) राजस्थान लघु उद्योग निगम

राजस्थान लघु उद्योग निगम, लघु औद्योगिक इकाइयों एवं हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देने हेतु निगम लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए कच्चे माल के क्रय एवं वितरण, लघु औद्योगिक इकाइयों एवं राजस्थानी हस्तकला के उत्पादों का विपणन का कार्य, राज्यस्तरीय एम्पोरियम के नेटवर्क एवं आयोजित प्रदर्शनियों के माध्यम से करता है और साथ-साथ ही विभिन्न हैण्डिक्राफ्ट्स, निर्यात सम्बन्धी इकाइयों के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। दिसम्बर, 2007 तक 465.23 वस्तुओं का विक्रय किया गया। कच्चे माल का टर्न ओवर 13982.89 लाख रुपये तथा उत्पादों का विपणन 427.90 लाख रुपये का रहा।

(v) राजस्थान वित्त निगम

राजस्थान वित्त निगम खनिज की अग्रणी वित्त संस्था है जिसकी: स्थापना वित्तीय निगम 1951 अधिनियम के तहत राज्य में नए उद्योग लगाने, विद्यमान उद्योगों का विस्तार एवं नवीनीकरण के लिए 2000 रुपये से 20 करोड़ रुपये तक वित्तीय सहायता उपलब्ध करने के लिए वर्ष 1955 में हुई। निगम द्वारा दिसम्बर, 2007 तक 250.79 करोड़ रुपये की ऋण स्वीकृत किया व 135.51 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया एवं 256.62 करोड़ रुपये की ऋण की वसूली की।

(vi) खनिज आधारित वस्तुओं का प्रोत्साहन

राज्य में खनिजों के विपुल भंडार हैं। इस पर आधारित उद्योगों के विकास की पर्याप्त संभावनाएँ हैं। राजस्थान देश के खनिजों का प्रमुख उत्पादक राज्य है। बहुत से खनिजों सहित गारनेट, जैसपुर, सैलेनाइट, वोल्स्टोनाइट का एक मात्र उत्पादक राज्य है। राज्य संगमरमर, कोटा स्टोन व सैंड स्टोन जैसे विविध प्रकार के और सजावटी पत्थरों का एक मुख्य उत्पादक है। राज्य में ग्रेनाइट, लाइमस्टोन की उच्च क्षमता भी विद्यमान है। राज्य का खान एवं भूविज्ञान निदेशालय राज्य में खनिजों की संभावना व उनके विदोहन में तत्परता से लगा क्या है। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना राज्य में खनिज गतिविधियों को बढ़ाने, एवं वैज्ञानिक एवं योजनागत गति प्रदान करने हेतु की गयी थी। 20 फरवरी, 2003 से राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम को राजस्थान राज्य खान व विकास निगम लिमिटेड में सम्मिलित कर दिया है। अतः इस संस्था ने 33 से अधिक वर्षों में गुणात्मक व मात्रात्मक सुधार व लाभ अर्जित किया है।

राज्य में तेल एवं प्राकृतिक गैस के दोहन के विकास के लिए वर्ष 1997 में पेट्रोलियम, निदेशालय की स्थापना की गयी। राज्य में पेट्रोलियम के क्षेत्र में भी विपुल संभावनाएँ हैं।

16.6 सारांश (Summary)

प्रत्येक राष्ट्र के लिए आर्थिक विकास एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की प्रगति के लिए औद्योगिक विकास को तीव्र करना जरूरी है। इस तरह विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई बाधाएँ व समस्याएं आती हैं। इन समस्याओं व बाधाओं को दूर करने के लिए सभी राष्ट्र प्रयत्नरत हैं। राजस्थान में प्राकृतिक साधन प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं। इन

साधनों का सदुपयोग करके राज्य आर्थिक विकास कर सकता है। अभी तक साधनों का कुशलतम ढंग से विदोहन नहीं हुआ है। राज्य के आर्थिक विकास में औद्योगिक विकास के साथ-साथ कृषि विकास भी करना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि श्रमिकों के लिए खाद्यान्न इसी क्षेत्र से मिलता है। कृषिगत उद्योगों के लिए कृषि क्षेत्र से कच्चा माल मिलता है। राजस्थान में कृषि अधिकतर मानसून पर निर्भर है क्योंकि यहां का 30 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचित क्षेत्र है, और कृषि मानसून का जुआ है, और यहां पर वर्षा अनिश्चित व अनियमित है। राजस्थान में व्यवसायिक कृषि का हिस्सा बहुत कम है। कृषि में पुरानी तकनीक का उपयोग हो रहा है और सार्वजनिक व निजी पूंजी निवेश का अभाव है। अभी तक भूमि सुधारों का भी व्यापक क्रियान्वयन नहीं हुआ है। कृषिगत विकास में इन सभी बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार व निजी क्षेत्र दोनों प्रयासरत है। सरकार भूमि सुधार कानूनों में समय-समय पर सुधार कर रही है। जल एवं भूमि की समस्याएं राज्यों में बहुत अधिक बढ़ जाती है। इनको कम करने के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा अनुसंधानों को क्रियान्वित करना चाहिए। कृषि के लिए ऋण व विपणन की उचित व्यवस्था नहीं की गई है। इनका सुधार किया जाना चाहिए। इस प्रकार किसानों को मध्यस्थों व साहूकारों के जाल से निकालकर उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाया जाना चाहिए। कृषि विकास के अवरोधों को दूर करते हुए विकास की दर को बढ़ाना होगा। तीव्र गति से आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक विकास की दर को तेज किया जाना चाहिए। राज्य का आधारभूत ढाँचा बहुत कमजोर है। अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति एवं सड़क परिवहन का उचित विकास नहीं हो पाया है। औद्योगिक साधनों में निवेश बहुत कम हुआ है। उद्योगों के लिए राज्य में लोहा-इस्पात, कोयला, सोडा, पेट्रोलियम आदि की बहुत कमी है। राज्य की काफी मिलें औद्योगिक रूग्णता का शिकार हो चुकी है। इनको सरकारी प्रयासों द्वारा दूर किया जाना चाहिए। राज्य में परिवहन व संचार साधनों की अवस्था में प्रगति हुई है लेकिन फिर भी इनकी उपलब्धता अपर्याप्त है। राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में ज्यादा उद्योग स्थापित हुए हैं और प्रशिक्षित श्रमिकों का अभाव है। राजस्थान में कुटीर व लघु उद्योगों का महत्व अधिक हो जाता है क्योंकि राज्य कृषि व औद्योगिक क्षेत्र दोनों से घिरा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की प्रगति से गाँवों में उन्नति होती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों का शहरों की तरफ जाना रुक जाता है और श्रमिक प्रवासन की समस्या भी खड़ी नहीं होती। कुटीर व लघु उद्योगों की सबसे बड़ी समस्या विपणन, वित्त एवं कच्चे माल की परेशानी है। ज्यादातर इन उद्योगों का माल मध्यस्थों के जरिए बेचा जाता है क्योंकि कारीगर व छोटे उद्यमी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। इसलिए इनको बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। इसके लिए सरकार स्वयं प्रयास करती है। राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योगों के विकास के लिए कई संस्थाएं जिला उद्योग केन्द्र लघु उद्योग सेवा संस्थान, राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम, राजस्थान हाथकर्धा निगम, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड आदि संस्थाएं कार्यरत हैं। राजस्थान में औद्योगिक विकास तीव्र करने के लिए राज्य सरकार प्रयत्नशील है। सरकार ने 1951 में अपनी नई औद्योगिक नीति बनायी और इस नीति में बड़े व लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए कई नियमों का सरलीकरण किया गया है। उद्योगों की स्थापना में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए एक ही जगह सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एकल खिड़की योजना चालू

की। राज्य में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए सरकार ने विद्युत, सड़क, परिवहन, दूरसंचार के क्षेत्र में और आर्थिक सुधार किए हैं। इसके साथ-साथ सरकार ने कई संस्थाओं को औद्योगिक विकास का जिम्मा दिया। इन संस्थाओं पर सरकार निरन्तर औद्योगिक विकास के लिए दबाव डाल रही है। इस प्रकार राज्य में आर्थिक विकास के लिए सरकार को और अधिक ध्यान देना होगा।

16.7 शब्दावली (Glossary)

श्रमिक प्रवासन - (Labour migration) श्रमिकों का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना।

16.8 संदर्भ ग्रन्थ (References)

1. नाथूराम का लक्ष्मीनारायण (2007) राजस्थान की अर्थव्यवस्था, कॉलेज बुक हाउस, जयपुर।
 2. राजस्थान सरकार (2007-08), आर्थिक समीक्षा
-

16.9 अभ्यासार्थ प्रश्न (Unit-end Questions)

1. राजस्थान के आर्थिक विकास में कृषि विकास की बाधाओं को बताइए?
2. राज्य में औद्योगिक विकास की समस्याओं पर प्रकाश डालिए।
3. राज्य में औद्योगिक विकास की बाधाओं को दूर करने के लिए किए गए सरकारी प्रयासों का वर्णन कीजिए?

ISBN-13/978-81-8496-221-5